


वर्ष-दर-वर्ष नई ऊंचाइयों का स्पर्श  
Conquering newer heights,  
year after year.

### Business Growth (2010-11)



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Domestic branches         | 3364           |
| Overseas branches/offices | 85             |
| ATMs                      | 1561           |
| Total deposits            | ₹ 3,05,439 crs |
| Total advances            | ₹ 2,28,676 crs |
| Net NPAs                  | 0.35%          |
| Net Profit                | ₹ 4,241.68 crs |
| CRAR                      | 14.52%         |

वार्षिक रिपोर्ट  
Annual Report

2010 - 11

**BARODA next**

STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.

[www.bankofbaroda.com](http://www.bankofbaroda.com)



बैंक ऑफ़ बड़ौदा  
**Bank of Baroda**

India's International Bank



## निदेशक मंडल / Board of Directors



बायें से दायें - श्री मौलिन ए. वैष्णव, डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी, श्री अजय माथुर, श्री आर. गांधी, श्री आलोक निगम,  
श्री आर.के. बक्षी - कार्यकारी निदेशक, श्री एम.डी.मल्या - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एन.एस.श्रीनाथ - कार्यकारी निदेशक,  
डॉ. दीपक बी. फाटक, डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद, श्री सत्यदेव त्रिपाठी, श्री वी. बी. चव्हाण

Left to Right: Shri Maulin A. Vaishnav, Dr. Dharmendra Bhandari, Shri Ajay Mathur, Shri R. Gandhi, Shri Alok Nigam,  
Shri R.K. Bakshi - Executive Director, Shri M.D. Mallya - Chairman & Managing Director, Shri N.S. Srinath - Executive Director,  
Dr. Deepak B. Phatak, Dr. (Smt) Masarrat Shahid, Shri Satya Dev Tripathi, Shri V. B. Chavan



## महाप्रबंधक / General Managers

एन. रमणी

ए. के. गुप्ता

आर. के. बंसल

नन्दन श्रीवास्तव

सिरिल पात्रो

बी. बी. गर्ग

जे. रमेश

वि. एच. थत्ते

एस. के. दास

ए. डी. एम. चावली

उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन (श्रीमती)

जी. गणपति रमण

के. एम. असावा

सी. डी. कालकर

सुभाष सी. आहुजा

उल्हास पी. सांगेकर

आर. एस. सेतिया

अरुण तिवारी

एस. कल्याणरमण

अनिमेष चौहान

हरीश चन्द शर्मा

दिनेश शर्मा

के. एन. मानवी

ए. टी. नारायणन

के. डी. लाम्बा

मोहर सिंह

पी. के. गुप्ता

के. के. शुक्ला

अरुण श्रीवास्तव

आर. पी. मराठे

राजेश महाजन

जे. डी. परमार

पी. डी. सिंह

आर. एस. अभ्यंकर

आर. कोटीश्वरन

N. RAMANI

A. K. GUPTA

R. K. BANSAL

NANDAN SRIVASTAV

CYRIL PATRO

B. B. GARG

J. RAMESH

V. H. THATTE

S. K. DAS

A. D. M. CHAVALI

USHA ANANTHASUBRAMANIAN (Smt.)

G. GANAPATHI RAMAN

K. M. ASAWA

C. D. KALKAR

SUBHASH C. AHUJA

ULHAS P. SANGEKAR

R. S. SETIA

ARUN TIWARI

S. KALYANRAMAN

ANIMESH CHAUHAN

HARISH CHAND MALIK

DINESH SHARMA

K. N. MANVI

A. T. NARAYANAN

K. D. LAMBA

MOHAR SINGH

P. K. GUPTA

K. K. SHUKLA

ARUN SHRIVASTAVA

R. P. MARATHE

RAJESH MAHAJAN

J. D. PARMAR

P. D. SINGH

R. S. ABHYANKAR

R. KOTEE SWARAN

के. आर. शेणॉय - मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. (श्रीमती) रूपा नित्सुरे - मुख्य अर्थशास्त्री

K. R. SHENOY - Chief Vigilance Officer

Dr. (Smt.) RUPA NITSURE - Chief Economist



## लेखा परीक्षक / Auditors

कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

For Ashwani & Associates  
Chartered Accountants

कृते एस. के. कपूर एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

For S. K. Kapoor & Co.  
Chartered Accountants

कृते एन. सी. बनर्जी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

For N. C. Banerjee & Co.  
Chartered Accountants

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

For Haribhakti & Co.  
Chartered Accountants

कृते खिमजी कुंवरजी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

For Khimji Kunverji & Co  
Chartered Accountants

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

For Brahmayya & Co.  
Chartered Accountants

### प्रधान कार्यालय

बड़ौदा हाऊस, माण्डवी, वड़ोदरा 390 006.

### बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

### निवेशक सेवाएं विभाग

प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

### रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, इमेज अस्पताल के पास, माधापुर, हैदराबाद 500 081.

### Head Office

Baroda House, Mandvi, Vadodara 390 006.

### Baroda Corporate Centre

C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

### Investor Services Department

1st Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

### Registrars & Transfer Agent

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Nr Image Hospital, Madhapur, Hyderabad 500 081.



## विषय सूची / Contents

|   | पृष्ठ |  | Page |
|---|-------|--|------|
| अध्यक्षीय वक्तव्य                       | 06    | Chairman's Statement                     | 02   |
| नोटिस                                   | 10    | Notice                                   | 10   |
| निदेशकों की रिपोर्ट                     | 43    | Directors' Report                        | 14   |
| कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट              | 73    | Report on Corporate Governance           | 73   |
| कार्पोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण सुरक्षा | 107   | Green Initiative in Corporate Governance | 108  |
| बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण               | 110   | Basel II Pillar 3 disclosures            | 110  |
| महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक                 | 125   | Key Financial Indicators                 | 125  |
| शब्दावली                                | 127   | Glossary                                 | 127  |
| तुलन-पत्र                               | 128   | Balance Sheet                            | 128  |
| लाभ-हानि लेखा                           | 129   | Profit & Loss Account                    | 129  |
| नकदी-प्रवाह विवरणी                      | 172   | Statement of Cash Flow                   | 172  |
| लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट               | 174   | Auditors' Report                         | 174  |
| समेकित वित्तीय विवरणियां                | 176   | Consolidated Financial Statements        | 176  |
| प्रॉक्सी फार्म / उपस्थिति पर्ची / ईसीएस |       | Proxy Form / Attendance Slip / ECS       |      |



## CHAIRMAN'S STATEMENT

# Delivering on the Promises

**M. D. Mallya**  
Chairman & Managing Director

### Dear Stakeholder,

It gives me immense pleasure to present the Annual Report and Financial Statements of Bank of Baroda for the year ended 31st March, 2011. This year also, the Bank continued its tradition of delivering a strong core performance and carrying out strategies towards creating a customer-centric bank.

### ECONOMIC REVIEW

The year 2010-11 brought out a definite improvement in global confidence and stability, though the economic recovery remained uneven between advanced countries and emerging markets. The Indian economy continued to outperform most emerging markets during 2010-11 retaining its position as the second fastest growing economy, after China, amongst the G-20 countries.

During 2010-11, India's economic growth reverted to the high growth trajectory (estimated at 8.5% by the Central Statistical Organisation, Government of India) on the back of a rebound in agriculture and sustained levels of activity in industry and services. Aggregate demand momentum remained healthy as reflected in indicators like strong corporate sales growth, improving capacity utilisation and higher employment generation. Sustained improvement in exports during the year, facilitated moderation of the current account deficit.

However, headline inflation exhibited strong persistence in 2010-11 and throughout this year stayed above the Reserve

Bank of India's (RBI) indicated projections. The inflationary process reflected both supply shocks and gradual generalisation of price pressures. The monthly inflation for March, 2011 was as high as 9.02% (y-o-y). In response to the elevated level of inflation, the RBI continually tightened its Monetary Policy throughout the year. Liquidity conditions stayed tight for most part of the year with some easing during the last quarter. Both deposit and lending rates firmed up in response to the Monetary Policy signals. On the back of strong capex and working capital demand, the banks' non-food credit expanded by 21.2% (y-o-y), while aggregate deposits grew by 15.8% (y-o-y) during 2010-11. The sectoral deployment of banks' non-food credit continued to remain broad-based. The strong growth environment and the improved corporate credit profile eased the asset quality concerns especially for the banks that had maintained well diversified loan-books and modest exposures to sensitive sectors.

### BANK OF BARODA: A STABLE AND RESILIENT BANK

Cashing in on its strong capital and liquidity position, robust liability franchise and improved credit culture, the Bank has managed to gain market share consistently during the past three years amidst maintaining high profitability and asset quality standards. The Bank's Return on Average Assets at 1.33% for 2010-11 is one of the highest amongst its peer banks and supportive of its relatively superior Return on





Equity (at 21.48%). Even as it has grown its balance sheet at faster pace than the industry average, it has sustained the best asset quality standards. Over the period 2007-08 to 2010-11, the Bank's delinquency ratio of 1.0% to 1.2% is one of the lowest that also reflects its low stressed asset portfolio. The Bank's consistently high Provision Coverage Ratio around 85.0% (including the technical write-offs) excellently cushions its earnings against any downside economic risks in future.

### NEW INITIATIVES

During the year under review, the Bank took forward its end-to-end Business and IT Strategy Project covering in entirety its domestic, overseas and subsidiary operations. Not just all the branches and extension counters in India were brought on the Core Banking Solution (CBS) platform, the CBS was also implemented in its five Regional Rural Banks (RRBs) covering 1,218 branches and three extension counters. The Bank built the best technology infrastructure by implementing a State-of-the-Art Data Centre conforming to Uptime Institute Tier-3 Standards and also a Disaster Recovery Site in different seismic zones with the redundancy built in every single point of failure to ensure uninterrupted service delivery to customers.

The Bank provided to its customers Internet Banking, viz., Baroda Connect and other facilities such as the online payment of direct and indirect taxes and certain State Government taxes, utility bills, rail tickets, online shopping, donation to temples and institutional fee payment. The Bank took many initiatives during the year to provide its corporate customers the facility of direct salary uploads, trade finance and State tax payments.

The Bank also implemented the Fraud Management Solution for two factor authentication for e-banking transactions in India. The *SMS Alerts Delivery Gateway* was upgraded for delivering Internet Banking alerts in India, UAE, Botswana, Uganda, New Zealand, Kenya, Mauritius and Seychelles. By 31st March 2011, the Bank's ATM network expanded to 1,561. As a customer centric initiative, the Bank implemented multiple accounts being linked to a single Debit Card (verified by VISA, CVV2) and enabled e-Tax Payments through the ATMs. Furthermore, the Bank launched mobile ATMs in Ahmedabad, Pune, Lucknow and New Delhi.

Additionally, the Bank introduced Mobile Banking (Baroda M-connect) providing its customers various banking facilities through mobile connection.

Besides these, the Bank took several other IT related initiatives such as Retail Depository Services, Online Trading System, Cash Management System, SWIFT facility, Payment Messaging Solution (PMS), New Credit Card Management System and Integrated Global Treasury Solution in various territories of its operations like UK, UAE, Bahamas, Bahrain, Hong Kong, Singapore, Belgium and

also in India, reducing the overall cost of operations and better funds management.

From the **Retail side**, the Bank launched two new retail asset products styled as "Baroda Traders Loan Against the Security of Gold Ornaments /Jewellaries" and "Baroda Advance Against Gold Ornaments /Jewellaries" in all its Metro and Urban branches in India. Besides, in line with the Government's directive, the Bank started an Education Loan Interest Subsidy scheme for students belonging to economically weaker sections.

From the **Liability side**, a term deposit product designed as "Baroda Utsav Deposit Scheme" for 444 days was introduced in the month of October to mobilise deposits in a sustainable fashion. The Bank also launched two new retail liability products under Savings Bank Segment styled as "Baroda Pensioners Savings Account" specially meant for pensioners and a life insurance linked Savings product styled as "Baroda Jeevan Suraksha Savings Account" under the Tie-up arrangement with IndiaFirst Life Insurance Company.

As a responsible corporate citizen, it has been the vision of the Bank to empower the community through socio-economic development of underprivileged and weaker sections. In its continued efforts to make a difference to the society at large, the Bank took a few more concrete steps during 2010-11. The Bank formulated a three-year **Financial Inclusion** Plan as per the RBI guidelines issued in 2010.

Keeping in view the mandate given by the Government of India, the State Level Bankers' Committee allotted to the Bank 2,864 villages, having population of more than 2,000 that were to be covered under the banking net by March 2012. Out of these, 1,200 villages were targeted to be covered under Financial Inclusion by March 2011. The Bank comfortably surpassed this target and extended banking services to 1,228 villages in the year 2010-11. To reach out to the villages, the Bank adopted two delivery channels, i.e. **ICT based Business Correspondent (BC) Model and the Mobile Banking Model.**

The Bank designed various strategies during the year 2010-11 to harness emerging opportunities for **Rural and Agriculture lending**. To help rural community with the provision of credit counseling, financial literacy and other services like information on the prices of agricultural products, scientific farming, etc., the Bank established 52 Baroda Grameen Paramarsh Kendras as on 31st March, 2011. Eleven more Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVSs) were opened during 2010-11. With this, the total number of BSVSs went up to 36. The BSVSs are primarily the outfits for training the youth and imparting knowledge and skills required for taking up self-employment ventures. During the year under review, 42,212 youth beneficiaries were trained, out of which 28,331 have already established



their self-employment ventures. So far, the Bank trained 79,442 beneficiaries through these centers, out of which 50,035 have established their self employment ventures. The Bank also opened 14 new Financial Literacy & Credit Conselling Centres (FLCCs) during 2010-11, taking the total number of FLCCs to 18 by end-March 2011.

In the area of Wealth Management, the Bank has formed two joint ventures (JV) with the leading international brands in the Mutual Fund and Life Insurance segments during the last couple of years.

These two organisations -- Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd., a joint venture in Mutual Fund in association with Pioneer Investments of Italy, and IndiaFirst Life Insurance Co., a joint venture in Life Insurance with Andhra Bank and L&G of U.K. have successfully positioned themselves in the Indian market with encouraging performance even in the initial stages of their business.

Additionally, the Bank extended Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility, the supplementary process of applying to IPO/FPO/Right issues to 2,100 more branches during the year. The Bank also introduced during the year, on-line ASBA Facility for its net banking customers. The facility provided the convenience of a simple, instant, secure and 24x7 facility to apply for IPO/FPO/NFO to the Bank's customers from the comfort of their homes.

The Bank also established the 'Baroda Gold Lounge' facility in 13 strategically located branches to provide investment advisory services to the HNI customers of the Bank.

### **BUSINESS AND FINANCIAL ACHIEVEMENTS**

Consistent with its past track record, the Bank delivered Superior Profitability and Best Asset Quality performance during the year 2010-11 by further gaining market share from both the assets and liabilities sides.

The Bank's Global Business touched the mark of Rs 5,34,116 crore in 2010-11 posting a growth of 28.3% (y-o-y). The Bank's performance on the business front was much above the banking industry's average. In its Indian operations, the Bank's Deposits and Advances increased healthily by 25.8% and 28.7%, respectively.

Even in a rising fixed (or term) deposit interest scenario, the Bank's Domestic Low-cost or CASA deposits richly grew by 21.4% (y-o-y) forming 34.4% share of the total Domestic Deposits. The Bank's Priority Sector Credit too recorded a decent growth of 18.2% during 2010-11 and formed 43.57% of its Adjusted Net Bank Credit, easily surpassing the mandatory requirement of 40.00%.

Sectorally speaking, the Bank posted a growth of 29.6% in its SME credit, 13.5% in Farm credit, [28.7% in Direct Agriculture credit] and 33.8% in Retail credit reflecting a well-balanced growth across different sectors.

During the year under review, the Total Business of the

Bank's Overseas branches registered a robust growth of 32.5% on the back of surging world trade volumes and a rebound in the activities of Indian corporates abroad. In Overseas operations, the Bank's Customer Deposits increased by 23.4%, Total Deposits by 29.3% and Advances by 36.6%. Supported by steady and better than industry average spreads and a good pool of fee-based income, the Bank's Gross Profit in Overseas operations posted a healthy growth of 23.9%. The Bank's Overseas Business contributed 24.6% to the Bank's Global Business, 17.1% to its Gross Profits and 32.1% to its Core Fee-based Income. Besides, the Total Assets of the Bank's International Operations increased from Rs 68,375 crore to Rs 91,273 crore registering a growth of 33.5% during the year 2010-11.

For the Bank as a whole, Gross Profits grew impressively by 43.8% to Rs 6,981.61 crore and Net Profit by 38.7% to Rs 4,241.68 crore - much ahead of the market expectations. Despite increased provisions, especially on account of the pension liabilities of the employees, a strong growth in Net Interest Income (at 48.2%), a good traction of Core Fee-based income and a modest growth in Operating Expenses enabled the Bank to achieve such record levels of incomes and profits during the year 2010-11.

Even as the Bank gained market share in loans, it has sustained the best asset quality standards within the Indian banking universe. In line with its past record, the Bank succeeded in restricting its Incremental Delinquency Ratio to 1.09%, Gross NPAs to 1.36% and Net NPAs to 0.35% during 2010-11. The Bank's Loan Loss Coverage Ratio (including technical write-offs) too stood at the healthy level of 85.0% as on 31st March 2011.

As regards the shareholders' return ratios, within just a year, the Bank's Return on Average Assets (ROAA) improved to 1.33% from 1.21%, Earnings per Share (EPS) to Rs 116.37 from Rs 83.96 and the Book Value per Share (BVPS) to Rs 504.43 from Rs 378.40 on the back of significantly improved core performance. Furthermore, the Bank's Cost-Income ratio sharply declined from the previous year's level of 43.57% to 39.87%, reflecting the Bank's improved earnings profile and prudent control over operating expenses.

During the year 2010-11, the Bank received Rs 2,461 crore from the Government of India in support of its healthy asset expansion. With this, the Government's shareholding in the Bank increased from 53.81% to 57.03%, improving the Bank's Capital Adequacy Ratio (Basel II) to 14.52% and the Tier 1 capital ratio to 9.99%.

### **LOOKING FORWARD**

The financial year 2011-12 is going to be quite challenging for the Indian banking industry. According to the RBI's Annual Monetary Policy document, high global crude oil and other commodity prices pose big risks to India's growth and inflation. Yet, the GDP growth is expected to stay close





to the trend in 2011-12 (around 8.0%), which itself is a huge opportunity for the Indian banking industry. Given this, managing credit growth above industry-average along with superior asset quality will be the key challenge for the Bank.

However, our Bank's comfortable position with respect to capital and liquidity, strong systems of credit origination and credit monitoring, continuous investment in human capital and novel BPR initiatives during the last couple of years give us enough confidence that we will be able to shoulder this challenge well.

Even during 2011-12, thrust will be placed on efficient pricing of deposits and loans, higher CASA mobilisation and lower dependence on bulk business for margin improvement.

Similarly, the Bank would endeavour to (1) attain a well-balanced growth in its loanbook across different sectors like retail, SME, agriculture, wholesale etc. and across different geographies (including domestic & overseas), (2) further strengthen its systems for credit origination and monitoring and (3) maintain a high provision coverage ratio to protect the quality of its asset portfolio from any downside growth risks. A stable average growth in all business parameters coupled with minimum fresh slippages; a robust fee-based income in line with the growth of corporate credit business and a prudent control over operating expenses will be the primary objectives of the Bank during 2011-12. The Bank's well-capitalised balance sheet and excellent liquidity management would enable it to gain further market share during 2011-12.

The Bank has been building strong foundation for future growth by continuously working on enhancing the HR capabilities through its Business Process Reengineering (BPR) project in consultation with McKinsey & Co. At the same time, the Bank would focus on speedy development of marketing and "sales and service" culture within the organization. Taking into account the critical need for building leadership qualities and skills in persons holding key positions, the Bank has already introduced a comprehensive leadership development program 'Project UDAAN' covering the branch heads of the Bank's urban and metro branches and other senior executives. The Bank would leverage on the HR capabilities built through such initiatives and continue to nurture the competencies of these valuable resources.

With increasing competition in the banking industry, the Bank would initiate many business initiatives during 2011-12

with enhanced customer orientation. The Bank would concentrate on sharpening its competitive edge by improving its business strategies & performance and also protecting its credibility by delivering on the promises, as in the past.

### BANK'S CORPORATE GOALS AND STRATEGY

For the year 2011-12, the Bank has selected the motto "Business Growth through Sales and Service Excellence." Making Bank of Baroda the "Most Admired Bank" is a continuous process. It represents the dream of the Bank's founder Maharaja Sayajirao Gaekwad III and a series of legendary leaders who carved out the ethics and philosophy of the Bank that has, time and again, helped us in overcoming the most adverse business challenges reinforcing our faith in our strong systems, processes and human resources.

Responding to the challenges of heightened competition and to improve its position in the market place, the Bank has been continuously focusing on business transformation with several pioneering efforts in the banking sector. During 2011-12, we will try to achieve our goals by focusing upon customer needs and preferences and fulfilling them in a cost effective manner by leveraging our strong technology platform.

The Bank's focus has always remained on the stable and consistent growth with quality. The fact that the Bank has been delivering on its promises year after year has won the Bank several recognitions both nationally and internationally. During 2010-11, the Bank won various awards for its best business and financial performance in the banking arena.

Today, the Bank has over 39 million global customers to serve. It is well understood by us that it is essential to harness the HR capabilities built in the Bank over time and taking forward the Bank's BPR initiatives. We will make active efforts to promote business growth through sales and service excellence by continuously working on our people and processes.

In this journey of scaling the new heights, I solicit your continued cooperation and patronage.

**M. D. Mallya**

Chairman & Managing Director



## अध्यक्षीय वक्तव्य

# वायदों पर अटल

**एम. डी. मल्या**

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

### प्रिय हितधारक,

मुझे बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि की वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणियां प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इस वर्ष भी बैंक ने प्रमुख क्षेत्रों में अपना शानदार कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करने तथा स्वयं को ग्राहक केन्द्रित बैंक के रूप में विकसित करने सम्बंधी अपनी नीतियों को जारी रखने की परम्परा को आगे बढ़ाया है।

### आर्थिक समीक्षा

यद्यपि वर्ष 2010-11 के दौरान विकसित देशों तथा विश्व के उभरते बाजारों में आर्थिक सुधार की स्थितियां विषम बनी रहीं, तथापि इस दौरान वैश्विक आत्मविश्वास और स्थिरता के वातावरण में निश्चित सुधार देखा गया। वर्ष 2010-11 के दौरान उभरते हुए बाजार के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतरीन प्रदर्शन जारी रहा तथा जी-20 देशों में चीन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे तेज विकासशील अर्थव्यवस्था बनी रही।

वर्ष 2010-11 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में आई तेजी तथा उद्योग व सेवा क्षेत्र में निरन्तरता के बल पर फिर से उच्च वृद्धि दर के स्तर पर आ गई (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार के अनुमान के अनुसार 8.5%) सुदृढ़ कार्पोरेट बिक्री वृद्धि, क्षमताओं का उपयोग तथा उच्च रोजगार सृजन जैसे संकेतकों की स्थिति के मद्देनजर समग्र मांग की स्थिति बेहतर बनी रही। वर्ष के दौरान निर्यात में निरन्तर सुधार के चलते चालू खाता घाटा औसत बना रहा।

बहरहाल, 2010-11 के दौरान मुद्रास्फीति दर सुर्खियों में बनी रही तथा पूरे वर्ष यह भारतीय रिज़र्व बैंक के सम्भावित एवं अपेक्षित स्तर से ऊपर रही। मुद्रास्फीति की यह स्थिति आपूर्ति में कमी तथा कृत्रिम मूल्य दबाव के कारणों से उभरती रही। मार्च 2011 को मासिक मुद्रा स्फीति 9.02% (वर्ष-दर-वर्ष) के उच्च स्तर पर थी। मुद्रा स्फीति की ऊंची दर के फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष भर अपनी मौद्रिक नीति को कड़ा बनाए रखा। वर्ष के दौरान चल नकदी स्थितियां अधिकांशतः कठिन बनी रहीं, हालांकि अन्तिम तिमाही में इसमें कुछ सुधार हुआ। मौद्रिक नीति के संकेतों के मद्देनजर जमा तथा ऋण दोनों दरें ऊंची बनी रहीं। मजबूत केपेक्स तथा कार्यशील पूंजी मांग के चलते वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक गैर खाद्यान ऋणों में 21.2% (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि हुई जबकि समग्र जमाओं में 15.8% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक के गैर खाद्यान ऋणों का क्षेत्रवार वितरण व्यापक बना रहा। सुदृढ़ वृद्धिशील वातावरण तथा कार्पोरेट ऋण स्थिति में सुधार से आस्ति गुणवत्ता स्थितियां बेहतर हुईं, खासतौर पर ऐसे बैंकों के लिए जिन्होंने विस्तृत क्षेत्रों में ऋण प्रदान किए हैं तथा संवेदनशील क्षेत्रों में औसत ऋण वितरण किया है।

### बैंक ऑफ़ बड़ौदा : स्थिर एवं सशक्त बैंक

अपनी मजबूत पूंजी एवं चलनिधि स्थिति, सुदृढ़ देयता आधार तथा उन्नत ऋण संस्कृति के बल पर बैंक ने पिछले तीन वर्ष के दौरान अपनी बाजार हिस्सेदारी में निरन्तर वृद्धि की है। बैंक उच्च लाभप्रदता तथा आस्ति गुणवत्ता मानकों को भी बनाए रखने में कामयाब रहा। वर्ष



2010-11 के दौरान बैंक की औसत आस्तियों पर प्रतिफल 1.33% रहा जोकि प्रमुख बैंकों में सबसे ज्यादा है। इसके फलस्वरूप इक्विटी पर प्रतिफल की स्थिति (21.48%) भी उत्कृष्ट बन सकी। जहां एक ओर बैंक ने अपनी बैलेंसशीट में औद्योगिक औसत वृद्धि की तुलना में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की है वहीं आस्ति गुणवत्ता मानकों को भी बनाए रखा गया है। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 की अवधि में बैंक का डेलिक्वेंसी अनुपात 1.0% से 1.2% के बीच रहा जो कि न्यूनतम है। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक की दबावग्रस्त आस्तियां कम रही हैं। बैंक का निरन्तर उच्च प्रावधान कवरेज अनुपात, जो कि लगभग 85.0% (तकनीकी बट्टे खाते सहित) है, भविष्य के किसी भी आर्थिक जोखिम से आय पर पड़ने वाले प्रभाव को झेलने में संतुलन बनाये रखने का कार्य करेगा।

### नवोन्मेषी पहलें

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी समग्र व्यवसाय तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति परियोजना का प्रसार अपनी देशीय, विदेशी शाखाओं तथा अनुषंगी परिचालनों तक किया है। बैंक द्वारा न केवल भारत स्थित अपनी सभी शाखाओं तथा विस्तार पटलों को कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के तहत लाया गया, बल्कि बैंक के सभी पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1218 शाखाओं तथा तीन विस्तार पटलों में भी सीबीएस को कार्यान्वित किया गया। बैंक ने बेहतरीन टेक्नालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर 'स्टेट आफ दि आर्ट' का इस्तेमाल करते हुए अपटाइम इंस्टीट्यूट टीयर-3 मानक युक्त अत्याधुनिक डाटा केन्द्र स्थापित किया है। इसके अलावा बैंक ने विभिन्न भूकम्प प्रभावित अंचलों में दुर्घटनारोगी साइट का निर्माण किया है ताकि किसी भी स्तर पर होने वाली किसी विफलता की स्थिति में भी ग्राहकों को निर्बाध एवं निरन्तर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

बैंक ने अपने ग्राहकों को इन्टरनेट बैंकिंग सेवाएं अर्थात् बड़ौदा कनेक्ट तथा अन्य सेवाएं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का ऑन लाइन भुगतान तथा कुछ राज्य सरकार के करों, उपयोगिता बिल, रेल टिकट, ऑनलाइन शापिंग, मन्दिरों में दान और संस्थागत फीस का भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। बैंक ने वर्ष के दौरान अपने कार्पोरेट ग्राहकों को डायरेक्ट सेलरी अपलोड, व्यापार वित्त, तथा राज्य कर भुगतान जैसे कई प्रयास किए हैं।

बैंक ने भारत में ई-बैंकिंग संव्यवहारों के संदर्भ में दोहरे अधिप्रमाणन के लिए धोखाधड़ी प्रबन्धन समाधान भी कार्यान्वित किया है। भारत, यूई, बोत्सवाना, यूगांडा, न्यूजीलैंड, केन्या, मारीशस तथा सैशल्स में इन्टरनेट बैंकिंग अलर्ट उपलब्ध कराने के लिए एसएमएस अलर्ट डिलिवरी गेटवे को अपग्रेड किया है। 31 मार्च 2011 तक बैंक के एटीएम नेटवर्क की संख्या 1561 हो गई है। ग्राहकोन्मुख उपायों के रूप में बैंक ने कई खातों को सिंगल डेबिट कार्ड (वीसा, सीवीवी 2 द्वारा सत्यापित) से जोड़ दिया है, साथ ही ई-टेक्स भुगतान को एटीएम के जरिए प्राधिकृत कर दिया है। इसके अतिरिक्त बैंक ने अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ तथा नई दिल्ली में मोबाइल एटीएम की शुरुआत की है।

इसके अतिरिक्त बैंक ने मोबाइल बैंकिंग (बड़ौदा एम-कनेक्ट) की शुरुआत की है जो अपने ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रही है।

इसके अलावा बैंक ने भारत सहित अन्य देशों जैसे यूके, यूई, बहामास, बहरीन, हाँगाकाँग, सिंगापुर, बेलजियम में परिचालन लागत कम करने तथा बेहतर निधि प्रबंधन के लिए आईटी संबंधी बहुत से अन्य उपाय किए हैं- जैसे रिटेल डिपोजीटरी सेवाएं, ऑन लाइन ट्रेडिंग सिस्टम, कैश मैनेजमेन्ट सिस्टम, स्विफ्ट सुविधा, पेमेन्ट मैसेजिंग सोल्यूशन (पीएमएस), नई क्रेडिट कार्ड प्रबंधन पद्धति, एकीकृत ग्लोबल ट्रेजरी सोल्यूशन।

रिटेल में बैंक ने भारत में सभी मेट्रो तथा शहरी शाखाओं में दो नए रिटेल अग्रिम उत्पाद, स्वर्णभूषणों/ज्वैलरी की प्रतिभूति के पेटे बड़ौदा ट्रेडर्स ऋण तथा "स्वर्णभूषणों/ज्वैलरी के पेटे बड़ौदा अग्रिम"- शुरू किए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के निर्देशानुसार बैंक ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए "एज्यूकेशनल लोन इन्ट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम" शुरू की है।

देयता में बैंक ने अक्तूबर महीने में 444 दिन की "बड़ौदा डिपोजिट स्कीम" नामक मीयादी जमा उत्पाद की शुरुआत की ताकि निरन्तर जमाराशियां संगृहीत की जा सकें। बैंक ने बचत बैंक सेगमेंट के तहत दो नए रिटेल देयता उत्पादों की शुरुआत की। इसमें से एक उत्पाद "बड़ौदा पेंशनर्स बचत खाता" पेंशनरों के लिए था तथा दूसरा "बड़ौदा जीवन सुरक्षा बचत खाता" जीवन बीमा से संबंधित था जिसका इंडियाफर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी के तहत टाइ-अप था।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते बैंक का यह विजन रहा है कि वह शोषित तथा कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के जरिए समाज को मजबूत बनाए। अपने प्रयासों को जारी रखते हुए बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान कुछ और ठोस कदम उठाए। बैंक ने 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना तैयार की है।

भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों को ध्यान में रखकर राज्यस्तरीय बैंकर्स समितियों ने बैंक को 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 2864 गाँव आबंटित किये जिन्हें मार्च 2012 तक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत शामिल करना है। इनमें से 1200 गाँवों को मार्च, 2011 तक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत शामिल करने का लक्ष्य था। बैंक ने इस लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया और वर्ष 2010-11 में 1228 गाँवों में बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दी। बैंकिंग सुविधा से रहित गाँवों में बैंकिंग सुविधाएँ देने के लिए दो डिलीवरी चैनल अपनाये गये- व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल आधारित आईसीटी और मोबाइल बैंकिंग मॉडल।

बैंक ने ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग उधार के क्षेत्र में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान कई कार्य-नीतियां बनाईं। ऋण के संबंध में सलाह, वित्तीय शिक्षा तथा अन्य सेवाएं जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों के बारे में जानकारी, वैज्ञानिक ढंग से खेती इत्यादि के बारे में जानकारी के माध्यम से ग्रामीण समुदाय की सहायता करने के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2011 तक 52 बड़ौदा ग्रामीण विकास केन्द्र स्थापित किये। वर्ष 2010-11 के दौरान 11 और बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान खोले गये। इसके साथ ही बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थानों की कुल संख्या -36- हो गई। बीएसवीएस मूलतः ऐसे संस्थान हैं जिनका प्रयोजन स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए युवाओं को

प्रशिक्षित करना और अपेक्षित कौशल के संबंध में ज्ञान प्रदान करना है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 42,212 युवा लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 28,331 युवाओं ने स्व-रोजगार उद्यम स्थापित कर लिए हैं। अभी तक बैंक ने इन केन्द्रों के माध्यम से 79,442 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 50,035 लाभार्थियों ने अपने स्व-रोजगार उद्यम स्थापित कर लिये हैं। बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 14 नये वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) भी खोले हैं, जिन्हें मिलाकर मार्च 2011 के अंत तक एफएलसीसी की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है।

धनसंपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बैंक ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान म्यूचुअल फंड तथा लाइफ इंशोरेंस सेगमेंटों में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय ब्राण्डों के साथ दो संयुक्त उद्यम (जेवी) गठित किये हैं।

इन दोनों संगठनों-इटली के पायोनियर इन्वेस्टमेंट के साथ म्यूचुअल फंड में संयुक्त उद्यम बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और आंध्रा बैंक एवं यूके की एलएंडजी के साथ जीवन बीमा में संयुक्त उद्यम इंडियाफर्स्ट लाइफ इंशोरेंस कंपनी ने अपने कारोबार की शुरुआत में ही उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के साथ भारतीय बाजार में स्वयं को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है।

इसके अतिरिक्त बैंक ने आईपीओ/एफपीओ/राइट इश्यू में आवेदन करने की अनुपूरक प्रक्रिया एसबीए सुविधा वर्ष के दौरान 2100 और शाखाओं में शुरू कर दी। बैंक ने अपने नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए वर्ष के दौरान एसबीए सुविधा ऑनलाइन भी शुरू कर दी। यह बैंक के ग्राहकों को अपने घर से ही आईपीओ/एफपीओ/एनएफओ में आवेदन करने के लिए सरल, त्वरित, सुरक्षित तथा सप्ताह में सातों दिन सुविधा मुहैया कराती है। बैंक ने उच्च मालियत वाले (एचएनआई) ग्राहकों को निवेश संबंधी सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर 13 शाखाओं में "बड़ौदा गोल्ड लॉज" सुविधा भी प्रदान की है।

### व्यवसाय एवं वित्तीय उपलब्धियां:

बैंक ने पिछले रिकार्ड के अनुरूप ही वर्ष 2010-11 के दौरान सर्वोत्तम लाभप्रदता तथा बेहतर आस्ति गुणवत्ता कार्यनिष्पादन प्रदर्शित किया तथा आस्ति एवं देयता दोनों में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया।

बैंक का वैश्विक व्यवसाय वर्ष 2010-11 के दौरान 28.3% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज करते हुए 5, 34,116 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। व्यवसाय के संबंध में बैंक का कार्यनिष्पादन औसत बैंकिंग उद्योग से अधिक रहा है। भारतीय परिचालन में बैंक की जमा राशियों तथा अग्रिमों में क्रमशः 25.8% व 28.7% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

सावधि (या मीयादी) जमाराशियों में ब्याज दर बढ़ने पर भी, बैंक की घरेलू कम लागत वाली कासा जमाराशियों में 21.4% (वर्ष-दर-वर्ष) की अभूतपूर्व वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप कुल घरेलू जमाराशियों का अंश बढ़कर 34.4% हो गया। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों में 18.2% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई और ये 40% के अनिवार्य स्तर को आसानी से पार करते हुए समायोजित शुद्ध बैंक ऋण के 43.57% के स्तर पर पहुंच गए।

क्षेत्रवार ऋण वृद्धि के संदर्भ में बैंक के एसएमई क्षेत्र में 29.6% कृषि ऋण में 13.5% (प्रत्यक्ष कृषि ऋणों में 28.7%) तथा रिटेल क्रेडिट में

33.8% की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार बैंक के विविध प्रकार के सभी ऋणों में संतुलित वृद्धि दर्ज की गई।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक की विदेशी शाखाओं ने उत्साहवर्धक विश्व व्यापार और विदेशों में बसे भारतीय कार्पोरेट की पृष्ठभूमि में कुल व्यवसाय में 32.5% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की। विदेशी परिचालन में बैंक की ग्राहक जमाओं में 23.4% की वृद्धि हुई। कुल जमाराशियों में 29.3% तथा अग्रिमों में 36.6% की वृद्धि दर्ज की गई। स्थायी समर्थन एवं उद्योग में औसत क्रय विक्रय लागत अंतर तथा शुल्क आधारित आय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण विदेशी परिचालनों से बैंक के सकल लाभ में 23.9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। बैंक के विदेशी व्यवसाय ने बैंक के वैश्विक व्यवसाय में 24.6% का अंशदान दिया। इसकी सकल लाभ में हिस्सेदारी 17.1% तथा कोर शुल्क आधारित आय में हिस्सेदारी 32.1% रही। इसके अलावा वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के विदेशी परिचालन से बैंक की कुल आस्तियां रु. 68.375 करोड़ से बढ़कर रु. 91,273/- करोड़ हो गई और इनमें 33.5% की वृद्धि दर्ज हुई।

बैंक का सकल लाभ 43.8% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ बढ़कर रु. 6981.61 करोड़ तथा शुद्ध लाभ 38.7% बढ़कर रु. 4241.68/- करोड़ हो गया। यह बाजार की अपेक्षाओं से बहुत अधिक है। प्रावधानों, खासकर कर्मचारियों की पेंशन देयता के कारण, के बढ़ने के बावजूद वर्ष 2010-11 के दौरान शुद्ध ब्याज आय (48.2%) में व्यापक वृद्धि, कोर शुल्क आधारित आय में अच्छा प्रदर्शन तथा परिचालनगत खर्चों में मामूली वृद्धि के कारण बैंक ने आय तथा लाभ के इस रिकार्ड स्तर को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की।

बैंक ने ऋणों में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ-साथ भारतीय बैंकिंग क्षितिज पर सर्वोत्तम आस्ति गुणवत्ता मानकों को भी बनाए रखा। अपने पुराने रिकार्ड के अनुरूप बैंक वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धिशील डेलीक्वेन्सी अनुपात को 1.09%, सकल एनपीए को 1.36%, शुद्ध एनपीए को 0.35% पर रोकने में सफल रहा। 31 मार्च 2011 को बैंक का ऋण हानि कवरेज अनुपात (तकनीकी बड़े खाते सहित) 85.0% के उल्लेखनीय स्तर पर रहा।

शेयरधारकों के प्रतिलाभ अनुपात के संबंध में बैंक का अस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) एक वर्ष के भीतर 1.21% से सुधर कर 1.33% हो गया। प्रति शेयर आय रु. 83.96 से सुधर कर रु. 116.37 तथा प्रति शेयर बही मूल्य (बीवीपीएस) रु. 378.40 से रु. 504.43 हो गया है। इससे कोर कार्यनिष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसके अलावा, बैंक के लागत आय अनुपात में तेजी से कमी आई है और यह पिछले साल के 43.57% के स्तर से गिर कर 39.87% हो गया है। यह बैंक की आय प्रोफाइल में सुधार तथा परिचालन गत खर्चों पर प्रभावी नियंत्रण को दर्शाता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक को अपने स्वस्थ आस्ति विस्तार के लिए भारत सरकार से 2461 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके साथ ही बैंक में सरकारी शेयर धारिता 53.81% से बढ़कर 57.03% हो गयी। जिसके परिणाम स्वरूप बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल-III) सुधरकर 14.52% हो गया तथा टीयर 1 पूंजी अनुपात 9.99% हो गया।





## भावी सोच-

वित्तीय वर्ष 2011-12 भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक मुद्रा नीति दस्तावेजों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल तथा अन्य संवेदनशील वस्तुओं की ऊँची कीमतें भारत की वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के लिए बड़ा जोखिम हैं। फिर भी, वर्ष 2011-12 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि (लगभग 8%) अपेक्षित स्तर पर रहने की संभावना है, जिसमें बैंकिंग उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। इससे सर्वोत्तम आस्ति गुणवत्ता के साथ उद्योग औसत पर ऋण वृद्धि का प्रबंधन करना बैंकों के लिए काफी चुनौती पूर्ण होगा।

तथापि, हमारे बैंक की पूंजी तथा चल निधि संबंधी स्थिति काफी सुविधाजनक है। ऋण प्रवर्तन तथा ऋण मॉनीटरिंग की सुचारु पद्धति, मानव पूंजी में लगातार निवेश तथा पिछले कुछ वर्षों के दौरान नवोन्मेषी बीपीआर उपायों ने हम में काफी आत्मविश्वास पैदा किया है जिससे हम इस चुनौती का मुकाबला अच्छी तरह कर सकेंगे।

वर्ष 2011-12 के दौरान भी जमाराशियों तथा ऋणों का उचित मूल्य निर्धारण, मार्जिन सुधार हेतु उच्चतर कासा संग्रहण तथा बल्क जमाराशियों पर कम आश्रित होने पर जोर दिया जाएगा।

इसी प्रकार बैंक का प्रयास 1) अपनी ऋण बहियों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे रिटेल, एसएमई, कृषि, होलसेल आदि तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों (देशी तथा विदेशी सहित) के अन्दर पूर्ण संतुलित वृद्धि प्राप्त करना, 2) ऋण प्रवर्तन तथा मॉनीटरिंग हेतु अपनी पद्धतियों को और सुदृढ़ करना 3) कम जोखिम वृद्धि से अपने आस्ति पोर्टफोलियों की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च कवरेज अनुपात बनाए रखना होगा। सभी व्यवसाय मापदंडों में न्यूनतम नए स्लिपेज सहित औसत वृद्धि, कार्पोरेट ऋण व्यवसाय के अनुरूप उत्साहवर्धक शुल्क आधारित आय तथा वर्ष 2011-12 के दौरान परिचालन खर्चों पर नियन्त्रण बैंक के प्रमुख उद्देश्य होंगे। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के व्यवस्थित पूंजीकृत तुलनपत्र तथा सर्वोत्तम चलनिधि प्रबन्धन से बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बैंक भावी वृद्धि हेतु मेकेन्जी एण्ड कंपनी के साथ विचार विमर्श कर बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग (बीपीआर) परियोजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन (एचआर) प्रतिभाओं के लिए आधारशिला तैयार कर रहा है। इसके साथ ही बैंक संगठन के भीतर मार्केटिंग की "सेल्स एण्ड सर्विस" संस्कृति को शीघ्रता से विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों में नेतृत्व गुण व योग्यता विकसित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंक ने पहले ही एक व्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रम प्रोजेक्ट "उड़ान" की शुरुआत की है। जिसमें बैंक की शहरी व मेट्रो शाखाओं के शाखा प्रमुखों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों को शामिल किया गया है। बैंक ऐसे प्रयासों के जरिए एचआर प्रतिभाओं को निर्मित करने पर जोर देता रहेगा तथा इन महत्वपूर्ण संसाधनों की क्षमताओं का लगातार पोषण करता रहेगा।

बैंकिंग उद्योग में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा से बैंक वर्ष 2011-12 के दौरान ग्राहकोन्मुखता बढ़ाने के लिए बहुत से व्यवसायिक उपाय करेगा। बैंक व्यवसाय प्रक्रिया तथा कार्यनिष्पादन में सुधार कर अपनी प्रतिस्पर्धी बढत को और तेज करेगा तथा अपने वायदों तथा मार्गदर्शन द्वारा अपनी विश्वसनीयता कायम करेगा।

## बैंक के कार्पोरेट लक्ष्य एवं कार्यनीति

वर्ष 2011-12 के लिए बैंक ने अपना आदर्श वाक्य "बिक्री और सेवा उत्कृष्टता के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि" निर्धारित किया है। बैंक को सर्वाधिक पसंदीदा बैंक बनाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। यह बैंक के संस्थापक महाराज सर सयाजीराव गायकवाड-III तथा बैंक की नीति तथा दर्शन की नींव रखने वाले महानायकों के सपनों को साकार करना है। इन्होंने समय समय पर प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने में हमारी सहायता की तथा मजबूत प्रणालियों, प्रक्रियाओं व मानव संसाधनों में हमारे विश्वास को बनाए रखा।

बैंक तीव्र प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों के मद्देनजर तथा बाजार में अपनी स्थिति सुधारने के लिए, बैंकिंग क्षेत्रों में बहुत से प्रमुख उपायों के साथ व्यवसाय रूपांतरण कार्यक्रम पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। 2011-12 के दौरान, हम ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा वरीयताओं पर ध्यान केन्द्रित कर अपने लक्ष्य हासिल करेंगे तथा अपने मजबूत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के सर्वोत्तम उपयोग और लागत नियन्त्रण के जरिए उन्हें पूरा करेंगे।

बैंक ने हमेशा ही गुणवत्तापरक स्थायी एवं सतत वृद्धि पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। वस्तुतः बैंक वर्ष-दर-वर्ष अपने वायदे निभाता आ रहा है। इसी कारण बैंक को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सराहना प्राप्त हुई है। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर व्यवसाय तथा कार्यनिष्पादन के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त किए।

आज बैंक के पास ग्राहक सेवा देने के लिए 39 मिलियन ग्राहक हैं। हमने यह भलीभांति समझ लिया है कि बैंक में निर्मित एचआर क्षमताओं को आगे और तेज किया जाएगा तथा बैंक के बीपीआर प्रयासों (बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग) को आगे ले जाया जाएगा। हम अपने स्टाफ की क्षमताओं को बढ़ाने तथा प्रक्रियाओं पर कार्य करते हुए उत्कृष्ट बिक्री एवं सेवा के माध्यम से व्यवसाय बढ़ाने के लिए निरन्तर सक्रिय प्रयास करेंगे।

इस यात्रा में बैंक को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए मैं आपके सक्रिय सहयोग और समर्थन की अपेक्षा रखता हूँ।

एम. डी. मल्या

एम. डी. मल्या  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक





## नोटिस / NOTICE

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA  
प्रधान कार्यालय : मांडवी, वडोदरा- 390 006  
Head Office : Mandvi, Vadodara – 390 006  
कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, 'जी' ब्लॉक,  
बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई - 400 051.  
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI 400 051  
(Website: www.bankofbaroda.com)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टीपी 1, एफपी 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा-वडोदरा - 390 020 में **सोमवार 4 जुलाई, 2011 को प्रातः 10:30 बजे** आयोजित होगी. इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे.

1. बैंक का 31 मार्च 2011 के तुलन-पत्र, 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व इन्हें स्वीकार करना.
2. वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश की घोषणा.

NOTICE is hereby given that the 15th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **BANK OF BARODA** will be held on **Monday, 04th July 2011 at 10.30 a.m.** at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 to transact the following business: -

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2011, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the year 2010-11.

एम. डी. मल्ल्या

(एम. डी. मल्ल्या)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

तारीख : 27/5/11

Place : Mumbai

Date : 27/5/11

M. D. Mallya

Chairman and Managing Director



## टिप्पणियां / NOTES

### 1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयर धारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेगा/सकेगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा किसी अन्य को) और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयर धारक हो। प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तभी वैध माना जाएगा, जब वह वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेजे गए फार्म 'बी' में भरा गया हो। उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि यह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् 29 जून 2011 को सांय 5 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवायसी एण्ड एएमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाज़ा-1 सयाजीगंज, बड़ौदा-390 005 स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र यदि हो, जिसके अधीन इसे हस्ताक्षरित किया गया है या मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार पत्र की प्रति जो कि नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यप्रति के रूप में सत्यापित हो को भी साथ में भेजा जाएगा। उक्त मुख्तारनाम अथवा अन्य प्राधिकार पत्र पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत होना भी अनिवार्य है।

### 2. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 29 जून, 2011 को सांय 5.00 बजे या इससे पहले उक्त अनुसार बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पत्र पर जमा न कर दिया गया हो।

### 3. उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भरकर और उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, अंकित करना चाहिए।

### 4. शेयरधारक - रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार 25 जून, 2011 से सोमवार 4 जुलाई, 2011 तक (दोनों दिनों सहित) वार्षिक सामान्य बैठक तथा वर्ष 2010-11 के लाभांश भुगतान करने के उद्देश्य से बंद रहेगा।

### 5. लाभांश का भुगतान :

बैंक के निदेशक मंडल ने 28 अप्रैल, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक रु.10/- के प्रति इक्विटी शेयर के लिए रु.16.50 (रुपये सोलह एवं पैसे पचास मात्र) की दर से लाभांश संस्तुत किया है। निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत तथा 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

क) 24 जून, 2011 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल

### 1. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed in the Annual Report. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 29th June 2011, together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

### 2. Appointment of Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 29th June 2011.

### 3. Attendance Slip-Cum Entry Pass:

For convenience of the Shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders are requested to fill-in and affix their signatures at the space provided therein so as to save time and hand over the same at the venue of the Meeting. Proxy / Representative of the shareholder should state on the attendance slip as "Proxy" or "Representative", as the case may be.

### 4. Closure of Register of Shareholders:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June 2011 to 4th July 2011 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend for the year 2010-11.

### 5. Payment of Dividend :

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 28th April 2011 has recommended dividend @ ₹ 16.50 (Rupees Sixteen & Paise Fifty only) per equity share of ₹10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2011. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 15th Annual General Meeting will be paid as under:

a) To all beneficial owners in respect of shares held



सिक्विरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी शेयरधारकों को.

- ख) 24 जून, 2011 को कारोबार समय की समाप्ति को या इससे पूर्व बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद (आरटीए) के पास दर्ज शेयर हस्तान्तरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तान्तरण प्रभावी करने के पश्चात् भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को.
- ग) 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिन के अन्दर पात्र शेयर धारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा.

#### 6. डाक पता / लाभांश अधिदेश में परिवर्तन :

- क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते में पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा. बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार और शेयर हस्तान्तरण एजेन्ट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक मेंडेट से संबंधित होंगे. ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए.
- ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तान्तरण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए. बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तान्तरण एजेन्ट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.
- ग) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तान्तरण एजेन्ट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नम्बर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नम्बर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में है) का उल्लेख अवश्य करें.

#### 7. फोलियो का समेकन :

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सकें. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण-पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

#### 8. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयर धारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां उनका अपना डीमेट खाता है.

in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 24th June 2011.

- b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad (RTA) on or before the close of business hours on 24th June 2011.
- c) The dividends will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 15th Annual General Meeting.

#### 6. Change of Address / Dividend Mandate :

- a) Members holding shares in electronic form are hereby informed that bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

#### 7. Consolidation of Folios:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

#### 8. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account.



**9. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण :**

शेयर प्रमाण-पत्रों को अंतरण विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए:  
 मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि.  
 (इकाई : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)  
 प्लॉट सं.17-24, विठ्ठलराव नगर,  
 इमेज हॉस्पिटल के निकट,  
 माधापुर, हैदराबाद - 500 081  
 टेलीफोन : 040 2342 0815 से 820  
 फ़ैक्स : 040 2342 0814  
 ई-मेल : einward.ris@karvy.com

**10. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हों :**

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट हैदराबाद अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें.  
 निवेशक सेवाएं विभाग  
 बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रथम मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर  
 सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,  
 बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051  
 ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु / दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश “अप्रदत्त लाभांश खाते” में अन्तरित करें.

“अप्रदत्त लाभांश खाते” में अन्तरित राशि और अन्तरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि ये अदावाकृत/अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) की उप धारा (I) के अन्तर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है. इस राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अन्तर्गत उल्लिखित उद्देश्य से तथा यथाविधि किया जाएगा और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.

**11. सदस्यों से अनुरोध :**

कृपया नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी. अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आए.

**9. Lodgments for Transfers:**

Share Certificate along with transfer deed should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address.  
 M/s Karvy Computershare Private Ltd.,  
 (Unit :- BANK OF BARODA)  
 Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar,  
 Near Image Hospital, Madhapur,  
 Hyderabad – 500 081  
 Phone No. 040 2342 0815 to 820,  
 Fax No. 040 2342 0814  
 E- mail : einward.ris@karvy.com

**10. Unclaimed Dividend, if any:**

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Deptt. at Mumbai on the following address :  
 Investors' Services Deptt  
 Bank of Baroda, 1st Floor, Baroda Corporate Centre,  
 C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex,  
 Bandra (E)  
 MUMBAI - 400 051.  
 E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide “The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to “Unpaid Dividend Account”.

The amount transferred to the said “Unpaid Dividend Accounts” and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund established under sub-section (I) of section 205 C of the Companies Act, 1956, which shall be used for the purpose and in the manner specified in section 205 C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

**11. Request to Members:**

Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.



## DIRECTORS' REPORT

**Y**our Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Third Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2011 (FY11).

### Performance Highlights

- **Total Business** (Deposit+Advances) increased to Rs 5,34,116 crore reflecting a growth of 28.30%.
- **Gross Profit** and **Net Profit** were Rs 6,981.61 crore and Rs 4,241.68 crore respectively. Net Profit registered a growth of 38.7% over previous year.
- **Credit-Deposit Ratio** stood at 86.77% as against 84.47% last year.
- **Retail Credit** posted a growth of 33.8% constituting 18.88% of the Bank's Gross Domestic Credit in 2010-11.
- **Net Interest Margin (NIM)** as per cent of interest earning assets in global operations was at the level of 3.12% and in domestic operations at 3.72%.
- **Net NPAs to Net Advances** stood at 0.35% this year against 0.34% last year.
- **Capital Adequacy Ratio (CAR)** as per Basel I stood at 13.02% and as per Basel II at 14.52%.
- **Net Worth** improved to Rs 19,750.63 crore registering a rise of 43.27%.
- **Book Value** improved from Rs 378.44 to Rs 504.43 on year.
- **Business per Employee** moved up from Rs 981 lakh to Rs 1,229 lakh on year.

### Segment-Wise Performance

The Segment Results for the year 2010-11 reveal that the contribution of Treasury Operations was Rs 882.51 crore, that of Corporate/Wholesale Banking was Rs 1,525.49 crore, that of Retail Banking was Rs 1,517.89 crore, and of Other Banking Operations was Rs 2750.61 crore. The Bank earned a Profit

after Tax (PAT) of Rs 4,241.68 crore after deducting Rs 1,026.18 crore of unallocated expenditure and Rs 1,408.64 crore towards provision for tax.

### Dividend

The Bank's Directors have proposed a dividend of Rs 16.50 per share (on the face value of Rs 10/-per share) for the year ended March 31<sup>st</sup>, 2011. The total outgo in the form of dividend, including taxes, will be Rs 753.35 crore.

### Capital Adequacy Ratio (CAR)

The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) is comfortable at 14.52% under Basel II as on 31<sup>st</sup> March 2011. During the year, the Bank strengthened its capital-base by raising Rs 1,500 crore through unsecured subordinated bonds and Rs 711.50 crore through innovative perpetual bonds.

The Bank's Net Worth as at 31<sup>st</sup> March 2011 was Rs 19,750 crore comprising paid-up equity capital of Rs 392.81 crore and reserves (excluding revaluation reserves) of Rs 19,357.82 crore. An amount of Rs 3,488.33 crore was transferred to reserves from the profits earned.

### Provisions towards Retirement and Other Benefits

During the year 2010-11, the Bank has made provision towards contribution to gratuity (Rs 382.90 crore), pension funds (Rs 788.55 crore), leave encashment (Rs.-21.20 crore) and additional retirement benefits (Rs 10.17 crore) on actuarial basis. Total provisions under these four categories amounted to Rs 1,160.42 crore during the year 2010-11, against Rs 402.71 crore during 2009-10. Total corpus available with the Bank at the end of March 2011 under these heads was: Rs 1,289.75 crore (gratuity), Rs 5,177.08 crore (pension funds), Rs 506.31 crore (leave encashment), and Rs 396.13 crore (additional retirement benefits).

### Key Financial Ratios

| Particulars                                     | 2010-11     | 2009-10     |
|---|-------------|-------------|
| Return on Average Assets (ROAA) (%)             | 1.33        | 1.21        |
| Average Interest Bearing Liabilities (Rs crore) | 2,80,098.94 | 2,15,886.21 |
| Average Cost of Funds (%)                       | 4.67        | 4.98        |
| Average Interest Earning Assets (Rs crore)      | 2,82,109.79 | 2,16,735.54 |
| Average Yield (%)                               | 7.76        | 7.70        |
| Net Interest Margin (%)                         | 3.12        | 2.74        |
| Cost-Income Ratio (%)                           | 39.87       | 43.57       |
| Book Value per Share (Rs)                       | 504.43      | 378.44      |
| EPS (Rs)  | 116.37      | 83.96       |





## Management Discussion and Analysis

### Economic Scenario in 2010-11

Indian economy witnessed a strong turnaround during 2010-11 as compared to the previous two years when the economic growth was below-trend as a result of global financial crisis. The growth during 2010-11 was contributed by a rebound in agriculture and sustained levels of activity in industry and services.

According to the Government of India's Estimates, Indian economy grew by 8.5% in 2010-11. Helped by a good monsoon, agricultural production rebounded in 2010-11 with both kharif (summer) and rabi (winter) crops turning out to be good. Foodgrain production, estimated at 235.88 million tonnes was 8.15% higher than that of the previous year. Higher agricultural growth got translated into better rural incomes and improved the growth prospects of agro-based industries during the year under review. While manufacturing sector is estimated to have grown by 8.3% in 2010-11, the second half of the year saw some moderation in industrial growth mainly on account of high base effect. However, the activity in manufacturing sector became more evenly spread during 2010-11 with fifteen out of seventeen industries recording positive growth during the year. According to the Reserve Bank of India's (RBI) Report on Macroeconomic and Monetary Developments in 2010-11, a definite improvement was seen in the capacity utilization rates and employment generation towards the end of the financial year 2010-11. Driven by a healthy growth in trade, hotels, transport & communication and finance, insurance & real estate etc., even the services sector is estimated to have grown by a robust 9.0% in 2010-11.

Aggregate demand as measured by aggregate real expenditure accelerated in 2010-11 with private consumption and investment expenditure growing at a brisk pace. While private consumption expenditure grew by 8.2% (y-o-y) in real terms, gross fixed capital formation as per cent of GDP stood at a healthy 31.6% during 2010-11. Non-food credit of scheduled commercial banks (SCBs) grew by 21.4% (y-o-y) this year, as banks are the major source of finance for the Indian commercial sector.

On the back of strong global recovery, India's merchandise exports grew by a robust 37.5% (y-o-y) during 2010-11 to US \$ 245.87 billion surpassing the Government's indicative target of US \$ 225 billion for the year. Exports had declined by 4.7% in the previous year 2009-10 due to the global financial meltdown. The robust growth in India's exports reflects diversification of products from labour intensive manufacturers to higher value-added products in engineering & petroleum sectors and to destinations across emerging markets and developing economies. India's merchandise imports rose by 21.6% (y-o-y) to US \$ 350.70 billion during 2010-11 resulting into narrowing of the trade deficit from US \$ 109.62 billion in 2009-10 to US \$ 104.83 billion. India's Current Account Deficit (CAD) that amounted to 3.7% of GDP in H1, 2010-11 moderated

to 2.1% of GDP in Q3, 2010-11 primarily reflecting pick up in both merchandise and services exports. According to the RBI estimates, the CAD for the full year 2010-11 may settle at around 2.5% of GDP.

According to the RBI data, during the first eleven months (Apr-Feb) of 2010-11, the FDI to India moderated to US \$25.9 billion from US \$33.8 billion in the comparable period of 2009-10. However, the net FII inflows marginally improved from US \$29.0 billion in 2009-10 to US \$29.4 billion in 2010-11. Even the External Commercial Borrowings approvals improved from US \$ 20.7 billion in 2009-10 to US \$ 25.6 billion in 2010-11.

Indian financial markets remained largely orderly during 2010-11, despite the challenges posed by global uncertainties, persistent inflation and high current account deficit. India's benchmark index – Sensex posted a modest gain of 10.9% and its P/E ratio had changed marginally from 17.7% at end-March, 2010 to 17.3% at end-March, 2011. Responding to the persistently high inflation and tight liquidity conditions, the interest rates hardened significantly in the call money, CBLO, CP, CD and G-sec markets. The average daily volumes too depicted higher volatility in domestic financial markets during 2010-11.

However, the Rupee remained quite stable in 2010-11 with a marginal increase against the US dollar. But inflation higher than in trading partners led to a modest rise in the real effective exchange rate. On the positive side, India's foreign exchange reserves healthily increased by 9.5% (y-o-y) during 2010-11 to US \$ 303.48 billion by end-March, 2011.

Better than expected revenue from the sale of third-generation spectrum for high-speed telephony and broadband services, as well as strong GDP growth, helped to reduce the Central Government's Fiscal Deficit from 6.4% of GDP in 2009-10 to 5.1% in 2010-11, thereby restricting the combined deficit of the centre and states to around 8.1% during 2010-11. During the presentation of Union Budget for 2011-12, an attempt was made to push forward some of the pending reforms. For example, there is an effort to move toward direct cash transfers for subsidized fertilizers, liquefied petroleum gas, and kerosene, which are expected to contain the waste and misdirection of these commodities. Last, the government on 21<sup>st</sup> March, 2011 introduced to Parliament a constitution amendment bill to facilitate implementation of the Goods and Services Tax.

Inflation continued to remain the predominant policy concern throughout 2010-11. While monthly year-on-year inflation rates moderated from the double-digits reached in mid-2010, they are estimated to have been 9.2% for the entire fiscal year. Inflation during 2010-11 was driven by both supply shocks as well as gradual generalization of price pressures. Though food inflation moderated during Q4, 2010-11, increase in prices of several manufactured products and freely priced fuel items kept inflation firmly above the RBI's comfort level. In response to rising inflation and a recovering economy, the RBI reversed



its accommodative policy stance in March, 2010. During the course of 2010-11, the RBI raised the policy rates eight times, albeit in a calibrated fashion to maintain the balance between growth and inflation. It even raised the CRR by 25 bps at the beginning of the financial year.

Similar to other emerging markets, high global crude oil and other commodity prices pose some downside risks to India's growth outlook during 2011-12. However, buoyancy observed in both domestic demand and exports would greatly help India's GDP growth to stay close to the trend during 2011-12.

### Performance of Indian Banking Sector in 2010-11

Indian banking sector emerged stronger during 2010-11 in the aftermath of global financial meltdown of 2008-10 under the watchful eye of its regulator. The timely and calibrated policy responses by the RBI and the government excellently supported the economic recovery process and aided the banking business during the year 2010-11.

As inflation remained the dominant policy concern in 2010-11, the monetary and liquidity conditions during the year remained consistent with the anti-inflationary stance of the RBI. Liquidity conditions had switched to deficit mode since end-May 2010, due to large increase in government balances with the RBI resulting from 3G/BWA auctions combined with the impact of advance tax outflows. Structural factors like imbalances between deposit and credit growth coupled with high currency demand too added to the pressure on liquidity during most part of the year. However, by allowing the banks to avail of additional liquidity support under the LAF and by conducting second LAF on daily basis, the RBI tried to ease the liquidity pressures.

During the third quarter of 2010-11, the RBI undertook open market operations and other measures to improve the availability of liquid funds. Liquidity conditions improved satisfactorily during the last quarter of 2010-11 due to pick up in government spending and staggered open market operations of the RBI since mid-December.

For the year as a whole, Indian banking industry delivered a strong performance underpinned by better than expected loan growth, improvement in NIMs helped by faster re-pricing of assets than liabilities and a higher CD ratio. During 2010-11, the non-food credit of commercial banks grew by 21.2% (y-o-y) against 17.1% in 2009-10, while aggregate deposits expanded by 15.8% (y-o-y) in 2010-11 versus 17.2% in 2009-10.

The banks' total accommodation of commercial sector (as measured by non-food credit plus non-SLR investments) too improved healthily by 21.3% (y-o-y) during 2010-11 against 16.9% in 2009-10. Bank finance continued to be the major source of finance for the commercial sector as during 2010-11, funding from non-bank sources registered a marginal decline as compared to the previous year.

The sectoral deployment of bank credit continued to remain broad-based, with high growth in flow of credit to services

and personal loans. Disaggregated analysis suggests that credit to the industrial sector continued to be led by credit to infrastructure, metal & metal products, textiles, engineering, food processing and gems & jewellery. The high growth in credit to infrastructure is especially noteworthy as it is on a high base.

Even the asset quality for most of the banks remained well within limits and under norms set by the RBI.

The process of banking reforms too received a further push during 2010-11. For instance, the government presented this year the Banking Laws (Amendment) Bill 2011 in the Lok Sabha. The bill proposed the following amendments among other recommendations in the existing Banking Law.

- To raise the voting rights of shareholders of nationalised banks to 10.0% from the existing 1.0%. For private sector banks, the voting rights would be proportionate with investors' shareholding.
- To remove the voting right restriction of 10.0% for private sector banks in the total voting rights of all the shareholders of the banking company.
- To give powers to nationalised banks to issue two additional instruments bonus shares and rights issues to be able to get funds from capital market to expand the banking business.
- To grant powers to RBI to impose such conditions as it deems necessary while granting such approval for acquisition of 5.0% or more share capital of a banking company if it considers necessary.
- To confer power on the RBI to call for information and returns from associate enterprises of banking companies and also to inspect the same.

The outlook for Indian banking industry remains positive during 2011-12, given the underlying growth momentum in the real sector and continued steam of high credit demand.

### Risk Management

Management of various types of financial risks is an integral part of the banking business. Bank of Baroda has a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately compensated. The Risk Management Architecture in the Bank comprises Risk Management Structure, Risk Management Policies and Risk Management Implementation and Monitoring Systems.

#### Risk Management Structure

The Bank has in place a well established risk management structure to manage various financial and non-financial risks, broadly divided into three categories, notably, Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

The Bank's Board of Directors is at the fountain head of all risk management policies and strategies and responsible for



setting the Bank's aggregate Risk Appetite. In its functions, it is supported by the Sub Committee of the Board for ALM and Risk Management which, in turn, is supported by the Credit Policy Committee (CPC), Asset Liability Management Committee (ALCO), and Operational Risk Management Committee (ORMC).

The **Asset Liability Management Committee (ALCO)** meets periodically to discuss the product pricing for deposits and advances, maturity profiles of asset and liabilities, the interest rate view of the Bank, funding policy, transfer pricing policy and balance sheet management policy in accordance with the guidelines issued by the RBI.

The **Credit Policy Committee (CPC)** has a role to formulate and implement various credit risk management strategies including Loan Policy and Off Balance Sheet Exposure Policy and monitor the Bank's risk management functions on a regular basis.

The **Operational Risk Management Committee (ORMC)** is an executive committee formed with the prime objective of mitigation of Operational Risk within the institution by creation and maintenance of an explicit operational risk management process.

### Risk Management Policy

Risk Management Policy of the Bank provides a summary of Bank's principles regarding risk taking and risk management. The principles are based on the best practices and designs to avoid conflict of interests. The Bank has developed an elaborate risk strategy in terms of policy guidelines, for managing and monitoring various risks. In order to provide ready reference and guidance to various functionaries dealing with risk management function in the Bank, the Bank has in place Asset Liability Management and Group Risk Policy, Domestic Loan Policy, Mid Office Policy, Off Balance Sheet Exposure Policy (domestic), Business Continuity Planning Policy, Pillar III Disclosure Policy, Operational Risk Management Policy and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Collateral Management and Credit Risk Mitigation and Stress Test Policy duly approved by the Board.

### Risk Management – Implementation and Monitoring System

In the commercial banking field, the primary risk exposures that the Bank faces are Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

#### Liquidity Risk

The main aim of the Bank's liquidity management is to maintain sufficient liquidity (along with an adequate access to liquid funds at reasonable cost) to meet all its obligations and commitments as they fall due and also to carry out its normal banking operations. The overall responsibility for measuring and monitoring liquidity risk for the Bank rests with the Asset Liability Management Committee (ALCO). The Bank manages

Liquidity Risk by way of tools like Traditional Gap Approach or Flow Approach and Stock Approach. The Traditional Gap Approach or Flow Approach is helpful in ascertaining liquidity mismatches in various time buckets that are stipulated by the RBI. The measurement and monitoring is done on a daily basis through the preparation of Structural Liquidity Statement and on a dynamic basis through the preparation of Dynamic Liquidity Statement, which helps to ensure that the negative liquidity position is well within limits as prescribed in the ALM and Group Risk Policy. Breach of the limits are reported to the ALCO and then to the Board of Directors. In the stock approach, the Bank has established a series of caps on activities such as daily call lending, daily call borrowings, net short term borrowings, net credit to customer deposit ratio, prime asset ratio etc. The liquidity position in foreign currencies is assessed by the Bank's specialised integrated treasury branch. A Corporate Asset Liability Management Policy for Overseas Operations is separately prepared to monitor the liquidity position of each overseas territory at prescribed intervals.

Stress testing of the Liquidity position of the Bank as a whole is assessed at regular intervals guided by the "Stress Test Policy". A contingency funding plan is provided in the ALM and Group Risk Policy for domestic operations and in the Corporate ALM Policy for overseas operations that outlines the Bank's potential responses to liquidity stress events at various levels of severity.

#### Credit Risk

Credit Risk is the risk that the counterparty to a financial transaction will fail to discharge an obligation resulting in a financial loss to the bank. Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures.

The Bank has a Sub-Committee of the Board on ALM & Risk Management constituted by the Board of Directors who specifically oversees and co-ordinates the Bank's Credit Risk Management functions. Reporting to this Sub-Committee is the Credit Policy Committee, whose role is to formulate and implement various risk management strategies and monitor the Bank's risk management functions on a regular basis.

The instruments and tools through which credit risk management is carried out in the Bank are as follows:-

- **Exposure Ceilings:** The Credit Exposure Ceilings are fixed considering prudential measures mandated by the RBI based on the capital funds of a Bank. The ceilings so prescribed by the RBI and developed by the Bank are set out in the Domestic Loan Policy. These caps are in relation to Single/Group Borrowers, Industry exposures, Unsecured Advances, Top Borrowers etc.
- **Credit Research/Portfolio Review:** The Corporate Research Cell of the Risk Management Department



undertakes Industry profiles/product profile studies of all Industries/Products and makes them available to the Bank's credit officers. The Portfolio review cell carries out Portfolio review studies including distribution, growth, composition, defaults, credit quality, rating concentration, weighted rate of interest and cost of delinquency to assess credit risk at the portfolio level. The reports are regularly submitted to the Credit Policy Committee and the Sub Committee of Board on ALM and Risk Management.

- Risk Rating Model: The Bank has a comprehensive risk rating model set in place which defines a level of credit risk for a specific loan transaction on a particular scale. The model estimates the level of Probability of Default (PD) for all rating grades. It is also capable of pricing a particular credit facility.

Moreover, the Stress Testing and Scenario Analysis of Credit Risk Portfolio are undertaken at regular intervals as per the Stress Testing Policy of the Bank.

### Market Risk

Market risk is defined as the risk to the Bank's earnings and capital arising due to the volatilities and changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities. Market Risk Management provides a comprehensive and dynamic frame work for measuring, monitoring and managing liquidity, interest rate, foreign exchange and equity as well as commodity price risk of a Bank that needs to be closely integrated with the Bank's business strategy. The market risk in the trading book is monitored and managed as per appropriate control mechanism in place which has been well defined in Investment Policy, Mid Office policy and Stress Testing Policy of the Bank. The monitoring reports are submitted to the ALCO/ Sub Committee of Board on ALM and Risk Management on monthly/quarterly basis.

The primary risk that arises for a Bank being a Financial Intermediary is Interest rate risk. The immediate impact of changes in interest rates is on the Bank's earnings by changing its Net Interest Income (NII). A long term impact of changing interest rates is on the Bank's Market Value of Equity (MVE).

The interest rate risk when viewed from these two perspectives is known as 'earning perspective' and 'economic value perspective'. Accordingly, the Bank uses the following tools to manage the interest rate risk:

1. Traditional Gap Analysis which is undertaken through the preparation of Interest Rate Sensitive Gap Reports on a daily basis.
2. Earning at Risk- Calculation of impact on NII due to 1% change in interest rates. It also takes into account certain factors like Yield Curve Risk, Basis Risk, and Embedded Options Risk. Impact on the Economic Value of Equity is estimated by the Bank on quarterly basis.

3. Duration of the Investment Portfolio and Modified Duration of Equity.
4. Value at Risk- VaR for treasury positions is calculated for 10 days holding period at 99% confidence level.

The Stress Testing of the trading book through Sensitivity and Scenario analysis is regularly conducted.

### Operational Risk

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or external factors. In order to control this, the Bank primarily relies on its Internal Audit system. Furthermore, to monitor operational risk on an ongoing basis, the Bank has set up an Operational Risk Management Committee under the supervision of Sub-Committee of Board on ALM and Risk Management. The Bank collects and analyses loss and near miss data on operational risk based on different parameters on a half yearly basis and takes corrective actions, wherever necessary.

### Bank's Compliance with Basel II

Bank of Baroda is one of the pioneers amongst the Public Sector Banks in India with regard to the implementation of Basel II framework, which came into effect from 31.03.2008. Currently, the Bank is following Standardized Approach for credit risk, Basic Indicator Approach for operational risk and Standardized Duration Approach for market risk for computing capital adequacy ratio (CRAR). The Bank computes the Capital Adequacy Ratio on a parallel run for Basel I and Basel II as per the RBI guidelines.

The CRAR of the Bank is summarized as follows.

| Date       | Basel I | Basel II |
|------------|---------|----------|
| 31.03.2009 | 12.88%  | 14.05%   |
| 31.03.2010 | 12.84%  | 14.36%   |
| 31.03.2011 | 13.02%  | 14.52%   |

The Bank has drawn a roadmap for implementing the Advanced Approaches under Basel II guidelines. The Bank has a rating system in place which is equipped to provide data on "Migration of Rating", "Calculation of PD and LGD" so as to facilitate a smooth transition to the Internal Ratings Based Approach for credit risk evaluation. The Bank also has a system for the calculation of VAR (i.e., value at risk) for General Market Risk for transition to the Internal Models Approach.

In conformity with the Pillar II guidelines of RBI under the Basel II framework, the Bank has formulated Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP), Collateral Management & Credit Risk Mitigation and Stress Test Policy. The Policy explains modalities to identify and measure other risks (other than credit, market and operational risks), carry out stress testing based on sensitivity tests and scenario analysis. The Policy also requires the Risk Management Department to formulate a risk-based





capital plan so as to make Bank's capital more risk-sensitive and also to develop stress scenarios on a continuous basis.

The Bank submits a document containing the ICAAP and Stress Test results, duly approved by the Board of Directors, to the RBI on a half-yearly basis. The Capital Plan exercise based on the three-year outlook is also prepared on annual basis. The disclosure under Pillar III of market discipline guidelines of the RBI are made by the Bank on quarterly/half-yearly/annual basis of which the last one was made on 31<sup>st</sup> March, 2011. The year-end disclosures as on 31<sup>st</sup> March, 2011 are part of the Annual Report and also displayed on the Bank's website.

### Credit Monitoring Function

Credit monitoring on a continuous basis is one of the most important tools for ensuring quality of advance assets. The Bank has the system of monthly monitoring of the advance accounts at various levels to control fresh slippages and to take timely corrective steps to improve the quality of its overall credit portfolio.

A separate department for Credit Monitoring function at the corporate level, headed by a General Manager, and one at the Regional/Zonal level, started functioning since September 2008 in response to the early signs of global financial crisis. The Slippage Prevention Task Force was activated at all Zonal/Regional offices in terms of the Bank's Domestic Loan Policy for the purpose of controlling slippages and also for initiating necessary restructuring in potentially sick accounts at an early stage in conformity with the laid down norms and guidelines. The Bank placed special focus on sharpening of its credit monitoring process for improving the asset quality, identifying areas of concern and/or branches requiring special attention, working out strategies and ensuring their implementation in a time-bound manner.

The primary objectives of the Credit Monitoring Department at the corporate level are fixed as under:

- Identification of weakness/Potential default/incipient sickness in the account at an early stage,
- Initiation of suitable and timely corrective actions for

preventing impairment in credit quality, whenever signals are noticed in any account, e.g., decline in credit rating, delay in meeting liabilities in LC/Guarantee and delay in servicing of interest/ installments etc,

- Prevention of slippages in the Asset Classification and relegation in Credit Ratings through vigorous follow up,
- Identification of suitable cases for restructuring/ rescheduling/ rephasing as well as further financing in deserving and genuine cases with matching contribution from the borrower,
- Taking necessary steps/regular follow up, for review of accounts and compliance of terms and conditions, thereby improving the quality of Bank's credit portfolio, and;
- Endeavoring for upward migration of Credit Ratings.

### Restructuring of Advances Accounts

As a part of an on-going business strategy to improve upon the quality of assets, the Bank reaffirmed the need to look into the advance portfolio on a continuous basis, both industry-wise as well as borrower-wise.

The purpose of this effort has been to analyze the present position and the problems foreseen in near future and to identify weaknesses/potential default/incipient sickness in the advance accounts at an early stage so as to initiate suitable and timely corrective measures for preventing impairment in credit quality.

The Credit Monitoring Department at corporate office has taken several initiatives in identifying the incipient sickness/potential default/weaknesses in the advance accounts for taking corrective actions including restructuring in deserving cases, for prevention of slippages and maintaining superior asset quality.

During the financial year 2010-11, the Bank undertook restructuring of various advances accounts as per the table given below:

### Restructuring of Advance Accounts (Domestic) – 2010-11

(₹ crore)

| Particulars                        |                    | CDR Mechanism | SME Restructuring | Others | Total    |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------|----------|
| Standard Advances Restructured     | No. of Borrowers   | 3             | 198               | 9,764  | 9,965    |
|                                    | Amt. Outstanding   | 166.01        | 382.68            | 889.74 | 1,438.43 |
| Sub-standard Advances Restructured | No. of Borrowers   | 1             | 21                | 129    | 151      |
|                                    | Amount Outstanding | 154.24        | 4.38              | 4.42   | 163.04   |
| Doubtful Advances Restructured     | No. of Borrowers   | 0             | 13                | 108    | 121      |
|                                    | Amount Outstanding | 0             | 0.04              | 2.32   | 2.36     |
| Total                              | No. of Borrowers   | 4             | 232               | 10,001 | 10,237   |
|                                    | Amount Outstanding | 320.25        | 387.10            | 896.48 | 1,603.83 |





Moreover, in its International Operations, the Bank, during the course of the year 2010-11, undertook restructuring of 71 borrowal accounts involving an overall outstanding balance of Rs 2,973.66 crore.

The Bank also initiated major follow-up actions for ensuring expeditious review of accounts, compliance of terms and conditions, up-gradation in credit rating etc. in high value advance accounts for improving the asset quality of the Bank's credit portfolio.

### Economic Intelligence Unit

At the Corporate Office of the Bank, a specialized Economic Intelligence Unit (EIU) supports the Top Management in critical areas like Business Strategy Formulation, Investor Relations, Asset-Liability Management and in discussions/deliberations with the Regulators (both domestic & international) and Rating Agencies. The Unit regularly provides the Top Management and the Bank's various operational units a periodic outlook on key macro variables like industrial and infrastructural growth, inflation, interest rates, stock movement, credit deployment & resource mobilization of the Banking industry, liquidity and exchange rates.

By providing better understanding of macroeconomic aspects, corporate sector health and financial sector policies, the EIU of Bank of Baroda supports the Bank's efforts in tapping business opportunities and swiftly responding to market dynamics.

The EIU brings out a weekly e-publication on macro-economic, policy and regulatory developments to share its perspective with the bankers, investors, regulators and other industry leaders. The division works as an intellectual arm of the Bank in comprehending developments that helps in the development of rightly aligned strategies.

### Internal Control Systems

As the Bank continues its high growth trajectory by surpassing its business goals, year after year, the Central Inspection and Audit Division (CIAD) gears up to ensure that there is an appropriate mechanism on an ongoing basis to check that systems, policies and procedures of the Bank are adhered to by the operating units. The CIAD which functions independently continues to re-affirm that the standards of control are not diluted while attempting robust business growth. The CIAD aims that by assisting and guiding the branches in every possible way, the compliance becomes a part of their culture, and goes hand in hand with business growth.

The CIAD is situated at Head office, Baroda and the various inspection/audit activities are carried out through 207 inspecting officers attached to the ten Zonal Inspection Centres headed by senior Executives.

The CIAD has seen to it that well defined audit policies duly approved by the Audit Committee of the Board (ACB) and manual of inspection are in place for various types of audit i.e., Risk Based Internal Audit (RBIA), Concurrent Audit; Information System Audit, Currency Chests, Forex Business Audit, HR Audit, KYC-AML Audit and Management Audit. The level of risk and its direction is assessed as per the risk matrix prescribed by the RBI, which helps in identifying the high risk areas

warranting remedial actions on priority basis. The position of risk categorization and composite branch ratings are reviewed by the ACB on quarterly basis.

The primary objective of RBIA and other inspections/audit is to provide reasonable assurance to the Board and the Top Management about the adequacy and effectiveness of the risk management and control framework in the Bank's operations. The compliance is monitored through submission of Rectification Certificate duly countersigned by the Head of the Controlling Office.

During the year under review, 8,538 audits were assigned and completed which included RBIA of 2,534 Branches, 60 Retail Loan Factories, 64 SME Loan Factories, 255 Forex Audit and 5,625 other audits. Depending upon the Risk categorization, the periodicity of next inspection is decided.

With the objective of identification, measurement, monitoring and mitigation of risks in the day to day operations, large branches are covered under Concurrent Audit by professionally qualified Chartered Accountant Firms on concurrent/daily basis.

To improve the quality of credit and assessment of the compliance status of large loans as per the RBI direction, system of Credit Audit is implemented in our Bank. The Credit Audit helps pick up early warning signals, if any, so that suitable timely remedial measures in Credit Administration can be initiated. During the year 2010-11, Credit Audit was completed in 2,800 accounts covering funded and non-funded credit limits of Rs 1,60,815 crore, approximately 70.0% of the credit portfolio.

### Initiatives/Strategies

- In view of 100.0% branches being under the Core Banking Solutions (CBS), the inspection report format, contents and scoring pattern were revised to suit the changed compliance requirements.
- Certain high risk parameters are identified as "Zero Tolerance" and the compliance is insisted on an on-going basis.
- The Zonal Inspection Centres generate certain reports from Finacle (i.e., the CBS Software) and undertake off-site surveillance by intimating branches about the irregularities observed for due rectification.
- Regular meetings are held with Concurrent Auditors at various centres, and Finacle workshops are arranged for the Auditors and Auditors' staff.
- The scope of RBIA (Risk Based Internal Audit) has been extended to cover regional offices, B-category branches authorized to deal in foreign exchange and currency chests.
- Formats for inspection of some of the specialized service outlets like Retail Loan Factories, SME Loan Factories, City Back Offices and Regional Back offices were introduced/ revised in order to improve the degree of compliance.

The Bank has taken active steps for building up the inventory of skilled and trained personnel to attend to Risk Management and Risk-Based Supervision Functions. It also organizes training



programmes internally and at the external institutes of repute to equip its staff in various aspects of internal control systems.

## Operations and Services

### Customer-Centric Initiatives


As always, efficient customer service and customer satisfaction are the primary objectives of the Bank in its day to day operations. The Bank is highly responsive to the needs and satisfaction of its customers, and is committed to the belief that all technology, processes, products and skills of its people must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers without fail.

Recently, the Bank has taken several measures to improve customer service at the branches and at the same time, strengthened the customer complaint redressal machinery for fast disposal of customer complaints.

### Efforts to Improve Customer Service at Branches

The feedback on quality of customer service at branches is obtained through the Branch Level Customer Service Committee meetings that are held every month in which customers from various cross sections of the society are invited including Senior Citizens and Pensioners. The suggestions/views generated during the meetings are collated and appropriate follow up action is taken to examine the feasibility to implement the suggestions for improving the quality of customer service rendered at the branches.

The Bank is focused towards providing excellent customer service through all delivery channels and has been making continuous efforts for enhancing the level of customers' satisfaction by leveraging technology to provide e-products and alternative delivery channels best suited to the diverse needs of different customers. The varied interests and expectations of customers are taken care of by improving upon the various processes and procedures.



## Compliance

The Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the Code of Commitment to the Customers revised by the BCSBI in August 2009 and also, Code of Bank's Commitment to MICRO and Small Enterprises. The Code has been placed on the Bank's website and also made available to customers at the branches.

While announcing the Annual Monetary and Credit Policy for the year 2010-11, the Governor, Reserve Bank of India, had proposed that Banks should devote exclusive time in their Board Meetings once in every six months to review and deliberate on issues concerning Customer Service/Customer Care. To comply with this, two such six-monthly reviews were undertaken by the Bank's Board for the sub-periods January-June 2010 and July-December 2010 during the Board Meetings dated 20<sup>th</sup> November 2010 and 26<sup>th</sup> March 2011, respectively.

## Customer Service Committee of the Board

The Bank has a Sub-Committee of Board for Customer Service which is headed by the Bank's Chairman and Managing Director with the following members as on 31st March 2011.

1. Shri M. D. Mallya – Chairman and Managing Director
2. Shri Rajiv Kumar Bakshi – Executive Director
3. Shri N. S. Srinath – Executive Director
4. Dr Masarrat Shahid – Director
5. Shri Maulin Vaishnav – Director

This Sub-Committee addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of its compliances which brings about consistent improvement in the quality of customer service. It also monitors the status of the number of deceased claims pending for settlement beyond 15 days pertaining to Depositors/Locker Hirers/Depositors of safe custody articles, and reviews the status of implementation of Awards passed by Banking Ombudsman. The Committee also addresses issues relating to systemic deficiencies existing in the Bank, if any, brought out by such Awards. The details of the attendance of the meetings of "Customer Service Committee of the Board" held on 21<sup>st</sup> June 2010, 4<sup>th</sup> September 2010, 27<sup>th</sup> December 2010 and 26<sup>th</sup> March 2011 during financial year 2010-11 are as follows.

| Name of the Director    | Period                   | Meetings held during the period of their tenure | Meetings attended |
|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| Shri M. D. Mallya       | 01-04-2010 to 31-03-2011 | 4   | 4                 |
| Shri Rajiv Kumar Bakshi | 01-04-2010 to 31-03-2011 | 4   | 4                 |
| Shri N.S. Srinath       | 01-04-2010 to 31-03-2011 | 4   | 4                 |
| Dr Masarrat Shahid      | 01-04-2010 to 31-03-2011 | 4   | 4                 |
| Shri Maulin Vaishnav    | 03-09-2010 to 31-03-2011 | 2   | 2                 |
| Shri A. Somasundaram    | 01-04-2010 to 30-07-2010 | 1   | 1                 |



### Standing Committee on Customer Service

The Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services, comprising of three eminent public personalities as members along with both the Executive Directors and four General Managers of the Bank. This Committee oversees timely and effective compliance of the RBI instructions on Customer Service and also reviews the practices and procedures prevalent in the Bank and takes necessary corrective steps on an on-going basis.

The suggestions emanating in the Branch Level Customer Service Committee meetings are obtained by the Head Office on quarterly basis from Regional Offices and placed before the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Customer Services. The feedback of the Committee meetings is then put up to the Customer Service Committee of the Board of Directors.

### Customer-Centric Initiatives and Redressal of Complaints

- The Bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board, and a well structured Customer Grievance Redressal Mechanism. The General Manager in charge of the Operations and Services" is designated as Nodal Officer for customer complaints regarding the Bank. At Zonal and Regional levels, Zonal Heads and Regional Heads are designated as Nodal Officers for their respective Zones and Regions. The names of all Nodal Officers along with their contact numbers are displayed in all the branches.
- A Note on Review of Customer Services & Grievances Redressal Machinery is placed before the Board of Directors every quarter giving position of customer complaints received at Regional Offices and Head office and the follow up measures with important initiatives taken by the Bank for improving the customer services during the period.
- To eradicate customer complaints fully and ensure hassle free customer service, analysis is done on the complaints received from the customers and suitable timely action is taken so that there is no repetition of such complaints in future.
- The Bank has Board approved policies on Customer Services and the same are placed on the Bank's website.

Based on the feedback and suggestions from the grass root level customer committees and various studies/surveys, a slew of customer centric initiatives and measures were taken by the Bank during the year under review to improve customer service at its branches.

### KYC-AML-CFT

**Know Your Customer (KYC) norms/ Anti-Money Laundering (AML) standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) measures and obligation of Bank under PMLA, 2002.**

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and obligation of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 is based.

The major highlights of KYC-AML-CFT implementation across the Bank are as under.

- Generation of Cash Transaction Reports (CTRs) electronically for submission to Financial Intelligence Unit (FIU), through the electronic medium.
- Installation/Implementation of "AML Solution" for generating system based alerts.
- System-based detection and submission of Suspicious Transaction Reports (STR) to the Financial Intelligence Unit (FIU).
- System based Risk Categorization (from AML Measure) of Bank's customers' accounts every half year.
- Filing of Counterfeit Currency Reports (CCRs) to FIU-IND, New Delhi.

The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures have been taken by the Bank.

- A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's website ([www.bankofbaroda.com](http://www.bankofbaroda.com)) for the benefit of customers.
- A KYC-AML page is created at the Bank's Intranet for posting reference material on KYC-AML-CFT education.
- Regular Training Sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments.
- Training is being arranged for the Bank's Senior Officials/Executives at RBI, IBA and National Institute of Bank Management (NIBM).
- Sustained efforts are made to create expertise at the Bank's Head Office for Corporate Oversight and also for the KYC Audit of branches.

### Government Business

The Bank's Government Business department has primarily focused on three activities, notably, Control and Maintenance, Business Development and Pension Back Office during the year 2010-11.

To facilitate its activities, the Department created a special vertical for its operations in New Delhi, headed by an Assistant General Manager for ensuring better liaison with various ministries and departments of Government of India. The main achievement of this department during the year 2010-11 may be summarized as follows.

- 1) The Bank received authorisation for payment of pension to all Central Civil Pensioners in the country.
- 2) Also, the Railway Board, RBI and CGA authorised the Bank to undertake pension payment to the Railway





- Pensioners under Single Window Scheme (SWS) under which reimbursement of pension paid would be available at CAS, Nagpur.
- 3) Processing of pension of more than 55,000 Railway Pensioners would also be done at CPPC under the Single Window System (SWS) with effect from April, 2011.
  - 4) During the review period, the Bank got authorisation for e-payment of State Taxes in the States of Tamil Nadu, Kerala, Uttarakhand, Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal and Delhi.
  - 5) Conclusion of Agreement with Stock Holding Corporation of India (SCHIL) for sale of e-stamps. This business has commenced in the State of Gujarat.
  - 6) Special Savings Bank Product for Pensioners "Baroda Pensioner's Savings Bank Account" was launched where pensioners get overdraft equivalent to two-month pension.
  - 7) Collection of RTO Fees in the State of Gujarat and Tamil Nadu.
  - 8) Moreover, the Bank is now the Direct Agency Bank for Railway Receipt and Payment Business instead of Sub Agent of State Bank of India at nine locations.
  - 9) For the benefit of the Pan Indian Customers, a proposal has been sent to Ministry of Finance for authorising 700 additional branches for PPF/SCSS Business.
  - 10) The Bank implemented a revised accounting procedure and system for Postal as well as Railway Receipt & Payment Business for automated reimbursement process and to eliminate losses due to a negative float.
  - 11) Commencement of the Payment of Income Tax through ATMs.
  - 12) The customers were enabled to view their 26AS Statement of Income Tax deposited through the Bank's Internet Banking facility - Baroda Connect.
  - 13) The Bank was authorized for collection of Custom Duty through e-mode at all locations in the country.

## Vigilance

Vigilance activity in the Bank is an integral part of the managerial function and primarily aims at (1) ensuring integrity, (2) protecting the innocent (i.e., supporting quality decisions), (3) eliminating forces that thwart integrity, and (4) preventing the losses -- both the financial as well as reputational for the Bank.

A rational distinction is drawn between a business loss, which has arisen as a consequence of a bona-fide commercial decision, and an extraordinary loss, which has occurred due to mala-fide, motivated or reckless performance of duties. On the one hand, to keep the morale of the employees high and on the other hand, to weed out the attempts of the unscrupulous persons, efforts are made to bring the departmental action to its logical conclusion expeditiously.



Shri M.D. Mallya, Chairman and Managing Director released quarterly 'BoB Vigilance Newsletter' on vigilance related issues concerning Bankers.

The Vigilance machinery in the Bank is effectively performing its proactive role in new risk prone areas emerging in computerized/e-Banking environment, in addition to sensitising all categories of staff members with the various preventive measures. The Bank has been taking suitable steps towards preventive, detective and punitive vigilance as per the Government of India guidelines.

With a view to share the various modus operandi of ingenious frauds with the staff members, Quarterly Vigilance Newsletter has been introduced by the Vigilance Department of the Bank to keep the staff alert so that they should not fall prey to such attempts. The Bank has also introduced a scheme for granting rewards to employees for detecting and foiling attempts of frauds/prevention of frauds with a view to encourage the vigil and alertness displayed by the employees while performing the duties and thereby detecting/foiling the attempted frauds. With the awareness, alertness and diligence exhibited by the operating staff, 58 fraudulent attempts by unscrupulous elements were thwarted, during the year April 2010 to March 2011, which saved the Bank from substantial financial loss.

## Business Performance

Given below are the details of the Bank's major achievements on business front during 2010-11.

### Resource Mobilisation and Asset Expansion

The share of Bank's deposits in total resources stood at 85.22% as of 31<sup>st</sup> March 2011. The total deposits grew from Rs 2,41,261.93 crore to Rs 3,05,439.48 crore, posting a growth of 26.60% over the previous year. Of this, Savings Bank Deposits – an important constituent of low cost deposits grew by 22.67% - from Rs 52,543.92 crore to Rs 64,454.04 crore. The share of low cost deposits (Current plus Savings) in Total Deposits (Domestic plus Overseas) was at 28.68% and in Domestic Deposits at 34.36%.

During the year 2010-11, interest rates offered on the most popular buckets of retail term deposits of commercial banks in India increased by 200 to 250 bps making low cost deposits a less attractive proposition. Across the banking industry, the

share of low cost deposits (CASA) to total deposits shrank sharply during 2010-11. Even for Bank of Baroda the domestic CASA share marginally declined from 35.63% to 34.36% on a year on year basis.

The Bank's Global Advances expanded significantly and much above the banking industry average by 30.65% during 2010-11 led by 28.69% expansion in domestic advances and 36.59% expansion in overseas advances.

Unlike the experience of Indian banking industry, Bank of Baroda's Total Credit growth (at 30.65%) was in proper alignment with its Total Deposit growth (at 26.60%) during 2010-11.

### Composition of Funds – Global

| Particulars | End March 2010<br>(Rs crore) | End March 2011<br>(Rs crore) | Growth |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| Deposits    | 2,41,261.93                  | 3,05,439.48                  | 26.60% |
| - Domestic  | 1,85,500.25                  | 2,33,323.30                  | 25.78% |
| - Overseas  | 55,761.68                    | 72,116.18                    | 29.33% |
| Borrowings  | 13,350.09                    | 22,307.85                    | 67.10% |

### Global Advances

| Particulars | End March 2010<br>(Rs crore) | End March 2011<br>(Rs crore) | Growth |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| Advances    | 1,75,035.28                  | 2,28,676.36                  | 30.65% |
| - Domestic  | 1,31,643.62                  | 1,69,407.86                  | 28.69% |
| - Overseas  | 43,391.66                    | 59,268.50                    | 36.59% |

### Wholesale Banking

A strong corporate credit culture and consistent growth in credit way above the banking industry average have been the key differentiators of Bank of Baroda.

The Bank's Wholesale Banking Division offers a full range of loan products and services such as Term Loans, Short-Term Loans, Demand Loans, Working Capital Facilities, Trade Finance Products, Treasury Products, Bridge Loans, Syndicated Loans, Infrastructure Loans, Cross Currency/Interest Rate Swaps, Foreign Currency Loans, Loan Against Future Rent Receivables and many more to its large and mid corporate clients depending upon their needs. The product offerings are flexible and suitably structured taking into account the customers' risk profiles and specific needs.

Based on the superior product delivery, passionate service orientation, timely and speedier sanctions with a customer-centric approach, the Bank has made significant achievements into providing an array of Wholesale Banking products and services to several multinationals, domestic business houses and prime public sector companies.

The Wholesale Banking Department started the year 2010-11, with a motto -- "Year of Strengthening Corporate Relationship"



Shri M. D. Mallya, Chairman and Managing Director addressing the Corporate Wholesale customers at Hyderabad.

and the focus was to improve the share of business from the existing customers, thereby, strengthening the relationship with them and also building new relationships by targeting the Corporates who were hitherto not banking with the Bank.

Under Wholesale Banking, the Corporate Customers are identified as Large and Mid Corporates. Those having annual sales turnover of over Rs 150 crore but up to Rs 500 crore are classified as Mid Corporates, and those having a sales turnover of above Rs 500 crore are classified as Large Corporates.

During 2010-11, the Wholesale Banking Division sanctioned fresh facilities to 239 first time entrants amounting to Rs 36,318.67 crore through its Fast Track scheme and achieved increase in the existing accounts to the tune of Rs 41,660.31 crore, thus, the total sanctions from the department reaching a figure of Rs 77,978.98 crore. This exceeds the total sanctions for the previous year by almost Rs 7,900 crore. The major sanctions were given to sectors like iron & steel, metals & metallic products, commercial real estate and infrastructure segments like power, roads, telecommunication, etc.

### Reduction in Turnaround Time in Wholesale Banking

The Department placed a major thrust on faster delivery through efficient channels and adoption of better practices in credit administration. Efforts were also made to improve the speed of decision making without compromising the quality of decision. Simplification of credit proposal formats was carried out, so that all vital information was captured with a sense of objectivity, thereby quickening the decision-making process. This helped the Bank a great deal in reducing the turnaround time. The Department targets to reduce the time taken for according a sanction to less than 25 days.

### Project Finance Division

The Project Finance Division, a part of the Wholesale Banking Department earned total fee income of Rs 19.14 crore during 2010-11 through conducting 156 TEV (i.e., Technical Evaluation & Viability) studies and vetting of projects and syndication deals. This is in comparison to the fees of Rs 6.84 crore earned during 2009-10 out of TEV, vetting of projects and





also Syndication deals. The Division finalized 15 syndication deals during the year as against three deals during the last year. Furthermore, the fee receipts during the year have increased to Rs 14.67 crore as against Rs 3.98 crore last year. Out of the total booked Syndication fees of Rs 30.42 crore, the amount already received was Rs 14.67 crore and the balance amount of Rs 15.75 crore will be received during the year 2011-12.

### Marketing Efforts in Wholesale Banking

The Department is planning to have a full-fledged Market Intelligence Unit and a vibrant Marketing Team to target newer companies from the perspective of significant business opportunities, especially in loan syndication. The Project Finance Division attached to the department has been tracking the 'Projects Today' database on a regular basis and identifying upcoming projects. The Relationship Officers identified to handle various states of India and attached to Wholesale Banking Department are also on the move to their respective states to have a continuous liaison with the existing units and to help the Zonal Offices in those states in targeting the new customers.

### Other Initiatives

Additionally, the Bank's Wholesale Banking Division took the following initiatives during 2010-11 to strengthen this portfolio further.

- 1) A substantial improvement was brought about in communication channels between the Corporate Office and Operating Units of the Bank by creating separate e-mail IDs for different purposes like agreement in principle, modifications and submission of credit proposals, etc.
- 2) A dedicated focus was given to upgradation of skills and knowledge levels of officers working in the Department including the new campus recruits.
- 3) A thrust was placed on regular grooming of Credit Officers and Forex Officers to handle the credit portfolio of large number of branches.
- 4) A Plan was made to open additional Corporate Financial Services branches in North Mumbai, Greater Noida and Surat.
- 5) The Department closely tracked the Mid Corporate segment accounts by identifying the segment as a separate line of business. It is now proposing to open 14 exclusive Mid-Corporate branches during the year 2011-12, for which licenses were obtained from the RBI.
- 6) The Department organized several customers meeting and one-to-one meetings between the Corporates and the Members of Top Management of the Bank to have first-hand information on their business and credit requirements.
- 7) The Department took active interest in recruiting specialized officers from campuses and Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and placing

them in vital areas of credit administration across the branches/administrative offices, etc., for bringing in new blood and filling the vacancies arising out of attrition and retirement.

### Retail Business

As in the past, the Retail Business continued to be one of the thrust areas for achieving business growth during the year 2010-11. The Bank's performance during Financial Year 2010-11 under Retail Banking Segment is as under.

### Growth under Retail Lending

Retail Loan outstanding was Rs 32,434.84 crore as on 31<sup>st</sup> March, 2011, as against the level of Rs 24,247.71 crore as on 31<sup>st</sup> March, 2010. A growth of 33.76% (Rs 8,187.12 crore) was registered during 2010-11 as against a growth of 23.53% (Rs 4,619.76 crore) registered during the previous year. The growth under five key products (excluding LABOD/ODBOD etc) was 21.56% (Rs 4,094.72 crore) over the level of Rs 18,992.00 crore at end-March, 2010. During the same period of 2009-10, growth under the five key products was 22.65% (Rs 3,507.36 crore) over the level of Rs 15,484.63 crore as of end-March, 2009.

### NPA under the Retail Loan

The amount of Non Performing Assets as on 31<sup>st</sup> March, 2011 under Retail Loan was Rs 579.83 crore (1.79%) as against the level of Rs 511.77 crore (2.11%) as on 31<sup>st</sup> March, 2010.

### Savings Bank Deposits

The Bank's Domestic Savings Deposits stood at a level of Rs 62,959.07 crore as on 31<sup>st</sup> March, 2011 registering a growth of 22.83% (Rs 11,702 crore) over the level of Rs 51,257.55 crore as on 31<sup>st</sup> March, 2010.


### Initiatives in Retail Banking during 2010-11

#### New Products Launched

- A new Retail Asset Product styled as Baroda Traders Loan against the Security of Gold Ornaments/Jewelleries was launched during 2010-11. Also, its variant termed as "Baroda Advance against Gold Ornaments /Jewelleries" was launched at all Metro and Urban branches of the Bank.
- A Retail Asset scheme under Baroda Personal Loan styled as Baroda Loan to Retirees for Pension Option was introduced on 4<sup>th</sup> December, 2010 for a limited period up to 11<sup>th</sup> December, 2010.
- Education Loan Interest Subsidy Scheme for students belonging to Economically Weaker Sections was launched as per the directives of Ministry of Human Resource Development, Government of India.
- A new Term Deposit Product styled as Baroda Utsava Deposit Scheme for 444 days was introduced on 15<sup>th</sup> October 2010 at the interest rate of 8.10% which was revised from time to time and last increased to 9.35% with effect from 1<sup>st</sup> March, 2011. A fresh deposit of Rs 19,918 crore was mobilized up to end-March, 2011 under the product.



- Two new Retail Liability Products under Savings Bank Segment styled as Baroda Pensioners Savings Account and a Life Insurance linked Savings product styled as Baroda Jeevan Suraksha Savings Account under a tie-up arrangement with IndiaFirst Life Insurance Company were launched on 15<sup>th</sup> January, 2011.



New Retail Liability Products

### Business Initiatives

- To mobilise low cost deposits aggressively, a Savings Bank Deposit Campaign was launched on 21<sup>st</sup> June, 2010 for the period of three months. An amount of Rs 1,944 crore as fresh Savings Bank Deposit was mobilized during this campaign. A second Savings Bank Deposit Campaign was launched from 1<sup>st</sup> December, 2010 to 31<sup>st</sup> March, 2011, which generated a fresh Savings Bank Deposit to the tune of Rs 3,081 crore under 1,014,589 accounts.
- For augmenting Retail Loan Portfolio, a Retail Loan Festival Campaign was launched from 1<sup>st</sup> October, 2010 to 31<sup>st</sup> December, 2010. During the campaign, a total of Rs 1,218 crore was disbursed under both Home and Auto Loans. Another Retail Loan Campaign specially focused on Home Loans and Auto Loans was launched from 1<sup>st</sup> February, 2011 to 31<sup>st</sup> March, 2011. A fresh business of Rs 891.74 crore was generated during this campaign.
- To increase the attractiveness, maximum period of deposits under Recurring Deposit and Yatha Shakti Jama Yojna were increased to 120 months from the existing 36 months.
- Interest Rate Structure on Car Loans was revised from Quantum Based Interest Rates to Tenor Based Interest Rates with effect from 1<sup>st</sup> September, 2010.
- To facilitate the borrowers, an Online Auto Loan Application Module was made live with effect from 9<sup>th</sup> August, 2010.
- A Tie-up Arrangement was made with IndiaFirst Life Insurance Company for providing Life Insurance Cover to the Bank's Home Loan borrowers.
- A "Reward & Recognition Scheme" for the Bank's staff under Group Credit Insurance scheme in a tie-up arrangement with Kotak Life Insurance and IndiaFirst Life Insurance was initiated with effect from 1<sup>st</sup> October, 2010.
- The Bank opened a new Gen-next branch in NOIDA during

the first quarter of 2010-11 and now the total number of Gen Next Branches is eight.

- Five new Retail Loan Factories at Karol Bagh New Delhi, Raipur, Ludhiana and Nasik were opened during 2010-11, whereas one existing RLF at Jodhpur was closed. With this the total tally of the Bank's Retail Loan Factories (RLFs) is 35.
- Existing accounts of Home Loans and Education Loans were also brought into the ambit of Group Credit Life Insurance Cover under the tie-up arrangement with Kotak Life Insurance and IndiaFirst Life Insurance with effect from 31<sup>st</sup> December, 2010.

### Wealth Management Services

As a part of customer centric measures, the Bank has been providing Wealth Management Services to its high net worth (HNI) and affluent customers as a Total Financial Solution at one place since June 2004. At present, the Bank provides through the network of its branches, various third party products in Life Insurance, Non Life Insurance including Health Insurance, Mutual Funds and Equity Trading under the tie-up arrangements with different partners.

Moreover, during the last couple of years, the Bank has formed two joint ventures (JV) with the leading international brands in the Mutual Fund and Life Insurance segments.

Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd., a joint venture in Mutual Fund in association with Pioneer Investments of Italy, and IndiaFirst Life Insurance Co., a joint venture in Life Insurance with Andhra Bank and L&G of U.K. have successfully positioned themselves in the Indian market with encouraging performance even in the initial stages of their business.

The extension of ASBA (Application Supported by Blocked Amount) facility (i.e., the supplementary process of applying in IPO/FPO/Right issues) to 2,100 more branches during the year, has enabled almost all branches to provide the additional value added services to its customers. This is a step further in our endeavor to protect customers' interest and provide them with new services. The Bank also launched during the year an on-line ASBA Facility for its Net Banking customers, which provides the convenience of a simple, instant, secure and 24x7 facility to apply for IPO/FPO/NFO to the 'Barodaconnect' (i.e., the Bank's internet banking platform) customers from the comfort of their homes/residences.

The Bank has also established 'Baroda Gold Lounge' in 13 select strategically located branches, which are distinct dedicated spaces to provide par excellence investment advisory services to HNI customers of the Bank. Initiatives taken by the Bank under the Wealth Management Services have started contributing encouragingly to its non-interest income.

### MSME Business

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) segment is a vital component of Indian economy. This sector accounts for around 40.0% of total industrial production, 34.0% of industrial exports and 95.0% of industrial units and 35.0% of total employment in manufacturing and service sectors of India. The contribution of services sector within the SME segment is



Shri M.D. Mallya, Chairman & Managing Director addressing SME Customers at Varanasi

quite significant, especially the IT enabled services, hospitality services, tourism, couriering, transportation, etc.

To give a focused attention to emerging SMEs in India, the Bank has been considering other commercial units with a turnover up to Rs 150 crore at par with the SMEs. To promote the growth of SME sector, the Bank has launched a special and novel delivery model, viz. SME Loan Factory, which at present, is made operational in 36 centres of the Bank and well accepted in the market place. The SME Loan Factory is an innovative model for streamlining processes and for timely sanction of SME loan proposals. The model comprises of the Central Processing Cell for speedy appraisal and sanctioning of proposals within the stipulated deadline and a sales team to follow up on leads generated by the branches. Going by the past success, the Bank is planning to open more such loan factories in the ensuing year. The Bank has SME Loan Factories at all major business centres across the country, viz. Agra, Ahmedabad, Bangalore, Bareilly, Baroda, Bhilwara, Bhubhaneshwar, Bulsar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, two Factories in Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jamshedpur, Jamnagar, Jodhpur, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhaina, 3 Factories in Mumbai, Nagpur, Nashik, Pune, Rajkot, Raipur, Surat, Varanasi and Vishakhapatnam. These SME Loan Factories together sanctioned loans aggregating Rs 14,530 crore during 2010-11 as against Rs 11,071 crore in the previous year.

### Growth of Business

The total outstanding in MSME Sector works out to Rs 27,365 crore as on 31<sup>st</sup> March 2011. The growth in lending to MSME Sector during the last three years is given in the table below.

| Year    | Growth<br>(%, YoY) |
|---------|--------------------|
| 2008-09 | 24.18%             |
| 2009-10 | 43.98%             |
| 2010-11 | 29.63%             |

The percentage growth of MSME credit during 2009-10 was relatively high as the advances up to Rs 20 lakh to Retail Trade were classified for the first time under the "Micro & Small Enterprises Sector" in 2009-10, in line with the RBI's revised guidelines issued during September, 2009. The growth rate

was normalized during the year 2010-11.

The Bank took the following initiatives in its SME business segment during the year under review.

### Initiatives in MSME Financing During 2010-11

1. During this year, the Bank introduced five new customer-centric, area-specific products to suit the local cluster needs along with the renewal of eight existing customer-centric area-specific products.
2. The Bank sponsored a workshop on "Management Skills to Source Financing and Management of Technology by SMEs" for entrepreneurs organized by the AIMA at Faridabad.
3. The Bank introduced "Protrack" -- an e-tracking system for the SME credit proposals with a view to have control over the turnaround time.
4. The Bank celebrated SME Festival from 1<sup>st</sup> January 2011 to 28<sup>th</sup> February 2011 in order to give boost to SME advances. Some concessions in the rate of interest and service charges were announced for loans sanctioned during the celebration period.
5. The Bank participated in the Workshops arranged by CGTMSE on Bank Credit to Micro & Small Enterprises and the Role of Credit Guarantee.
6. The Bank accorded higher importance to Increase the flow of credit to MSME with a special emphasis on Micro Enterprises.
7. The Bank focused on collateral free credit under the CGTMSE scheme through a special campaign.
8. The Bank achieved total customer relationship through enhanced cross selling, locational meetings, involvement of trade bodies at the national and state levels.
9. The Bank placed emphasis on continuous knowledge updating and skill building of processing/marketing officers attached to its SME factories with the help of external and internal training outfits.

### Rural and Agricultural Lending

The Bank has always been a frontrunner in the area of Priority Sector and Agriculture lending, harnessing the vast potential of the rural market through its wide network of 1,171 rural branches



Bank organised a Mega Credit Camp at Bardoli, Surat.



and 832 semi-urban branches. The Bank has opened 157 new branches in rural and semi-urban areas during 2010-11. The Bank is the convener of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in UP and Rajasthan. The Bank also shoulders the Lead Bank Responsibility in 45 districts in the states of Gujarat (12), Rajasthan (12), Uttar Pradesh (15), Uttaranchal (2), Madhya Pradesh (2) and Bihar (2).

Moreover, there are five Bank sponsored Regional Rural Banks (RRBs) in various states with a network of 1,223 branches and total business of Rs 18,800 crore as of end-March, 2011.

### Performance of Priority Sector Lending in 2010-11

Priority Sector Advances of the Bank surged from Rs 48,552.36 crore as at the end-March 2010 to Rs 57,363.60 crore as at the end-March 2011 and formed 43.57% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the mandated target of 40.00%.

Agriculture Advances (both direct and indirect) of the Bank recorded a growth of 13.47% over the previous year and rose to Rs 24,529.22 crore as at end-March 2011. However, the Bank's lending to Direct Agriculture depicted a stronger growth of 28.72% (y-o-y) to Rs 17,157.83 crore during 2010-11.

Under its flagship agriculture loan product "Baroda Kisan Credit Card", the Bank issued as many as 2,44,558 Credit Cards during 2010-11 to provide credit to farmers. The Bank financed as many as 2,72,415 new farmers during the year under review. As a part of its microfinance initiatives, the Bank credit-linked 19,257 Self Help Groups (SHGs) with an amount of Rs 163.77 crore during 2010-11, thereby taking the total number of SHGs credit-linked to 1,34,942 amounting to Rs 956.96 crore.

### Business and Social Initiatives

Besides posting a healthy business growth, the Bank undertook several initiatives during 2010-11 to harness the emerging opportunities for rural and agriculture lending. Some of them are mentioned below.

- To augment its Agriculture advances, the Bank conducted special campaigns, viz. Kharif and Rabi campaigns for crop loans, under which the disbursements of Rs 2,317 crore and Rs 1,231 crore were made, respectively. Another Campaign for Investment Credit was also undertaken under which disbursements of Rs 993 crore were made.
- The Bank organized 3,323 Village Level Credit Camps and disbursed Rs 3,169 crore to 2,30,599 borrowers during 2010-11.
- The Bank identified 450 Thrust Branches across India to enhance Agriculture Lending which constituted 34.0% of the total Agriculture Lending as at end-March 2011.
- The Bank formulated various area-specific schemes, tailor made to the needs of local requirements, particularly where there is a concentration of industries like Rice Mills, Cold storages, cotton ginning units, Poultry units, etc. Moreover, suitable concessions in the rate of interest, service charges, etc., were allowed under these schemes to garner maximum possible business. As many as 22 area specific schemes were formulated to increase the lending to agriculture sector.

- Baroda Grameen Paramarsh Kendra (BGPK) – was another initiative undertaken by the Bank to help the rural community by providing credit counseling, financial literacy and other services like information on the prices of agricultural produces, scientific farming, etc. The Bank established 52 BGPKs as on 31<sup>st</sup> March, 2011.
- Furthermore, eleven more Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS), Baroda R-SETI centres were opened during the year under review. With this, the total number



Inauguration of BSVS-Baroda R-SETI at Pant Nagar by Shri N. S. Srinath, Executive Director

of BSVS went up to 36. Besides, Raebareli and Ajmer BSVS were created exclusively for women entrepreneurs. The BSVS are primarily the institutes for training the youth and imparting knowledge and skills required for taking up self-employment ventures. During the year 2010-11, around 42,212 youth beneficiaries were trained out of which 28,331 have established self-employment ventures. It is heartening to see that out of the total 79,442 beneficiaries trained by these centres so far, 50,035 have already established their self employment ventures.

### Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCC) – "SARATHEE"

Based on the guidelines issued by the RBI, the Bank has established 18 FLCCs, christened as "SARATHEE" to impart financial literacy and credit counseling services to the needy people to help them avail financial services from the banking



Inauguration of FLCC Centre at Ajmer by Shri R.K. Bakshi, Executive Director in presence of Shri B.P. Kanungo, Regional Director, RBI, Jaipur



system and also to provide counseling services to those who are under financial distress due to the debt burden. The Bank has opened these centres under its BSVS trust. Free counseling services are being provided to the concerned free of cost. The Bank opened 14 new FLCCs during 2010-11, taking the total number of FLCCs to 18 as on end-March 2011. The Bank has firmed up a plan to open FLCCs in each of its lead districts in due course.

### Business Facilitators Model

This model has been implemented across India to accelerate the process of Financial Inclusion of the excluded segment as well as to augment the Bank's agriculture portfolio. Business Facilitators will mainly canvass loan applications for the Bank for which the Bank will pay them compensation. Individuals including retired bankers and Government employees, NGOs, farmers' clubs and SHGs are engaged as agents to improve the Bank's outreach in the rural and semi-urban areas.

### Micro Loan Factory

Additionally, the Bank has opened Micro Loan Factories at Raebareli and Sultanpur in U.P. The Micro Finance Loan Factory has a mobile van with facilities and all related stationeries/documents on the SHG financing. It is manned by officers who are duly authorised to sanction and disburse loans up to Rs 25,000 to SHGs on the spot and at their doorsteps.

### Performance of RRBs Sponsored by the Bank

The Bank has sponsored five RRBs as under.

- Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Head Office: Raebareli.
- Baroda Rajasthan Gramin Bank, Head Office: Ajmer.
- Baroda Gujarat Gramin Bank, Head Office: Bharuch.
- Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank, Head Office: Haldwani.
- Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank, Head Office: Jhabua.

The aggregate business of these five RRBs rose to Rs 18,803.05 crore as of end-March, 2011 from Rs 16,244.41 crore as at end-March, 2010, registering a year on year growth of 15.75%.

The five RRBs together posted a net profit of Rs 116.53 crore during 2010-11 as against Rs 118.93 crore earned during 2009-10. The "Net Worth" and the "Reserves and Surplus" of all these RRBs put together improved from Rs 609.12 crore at end-March, 2010 to Rs 729.96 crore at end-March, 2011 and from Rs 354.43 crore at end-March, 2010 to Rs 452.68 crore at end-March, 2011, respectively.

### Bank's efforts towards Financial Inclusion

The Bank has formulated a three-year Financial Inclusion (FI) Plan as per the RBI guidelines issued in 2010 that was approved by the Bank's Board. However, keeping in view the mandate given by the Government of India, the SLBCs allotted



Roll out of Financial Inclusion plan in Tonk District, Rajasthan

2,864 villages to the Bank, each having population more than 2,000 that are to be covered under the FI Plan by March 2012, of which 1,200 villages were targeted to be covered by March 2011. The Bank comfortably surpassed this target and extended banking services to 1,228 villages during the year 2010-11. The remaining villages are proposed to be covered in the year 2011-12.

To reach out to such unbanked villages, two delivery channels have been adopted i.e. ICT based Business Correspondent (BC) Model which is based on the Application Service Provider (ASP) model with Biometric Smart Card based technology, wherein Business Correspondents visit villages with Point of Service (POS) devices for carrying out transactions. Under this model, the customers can operate their accounts using their Smart Cards though the biometric authentication. The second delivery channel adopted is Mobile Banking. Under this, the Mobile Vans move within a cluster of villages in close proximity to the Bank's existing branches. The Vans with the Bank's staff visit the identified villages during some fixed days in a week for providing banking services. At present, a Mobile van has been deployed in Charada branch of Mehsana, Gujarat and three more vans have been deployed at Allahabad, Varanasi and Bihar.



Shri M.D. Mallya, CMD launched the Financial Inclusion Mobile Van at Lucknow to provide banking services.

As per the directive of the Government of India, the Bank's Chairman and Managing Director, Executive Directors and Corporate General Managers have been visiting the villages





under the FI Plan regularly to oversee the implementation and progress of the Bank's FI mission.

### Advances to SC/ST Communities during 2010-11

The outstanding advances granted by the Bank to SC/ST communities have been growing healthily year after year. This is evident from the fact that the outstanding advances granted to these beneficiaries went up from Rs 3,100 crore as at end-March, 2010 to Rs 3,760 crore as at end-March, 2011.

In fact, the SC/ST communities accounted for a share of 28% in the total advances granted to Weaker Sections during the year under review.

Furthermore, a special thrust is laid by the Bank in financing SC/ST communities under various government sponsored schemes namely Swaranjayanti Gram Swarajgar Yojana (SGSY), Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), etc.

It is heartening to note that the Baroda Swarajgar Vikas Sansthan (BSVS) have been giving due preference to SC/ST communities while selecting the trainees. So far, these centres have trained 29,721 youths under the SC/ST category of which 18,735 have already established their self employment ventures.

### International Business

The improvement in global economic scenario, strong economic revival especially in the advanced countries and a substantial growth in the International Trade flows supported growth of business and profitability of International Operations. The Bank leveraged on its long experience of international banking, strong and loyal customer base, time-tested business model, technological initiatives to live up to its position as the 'India's International Bank'.



Inauguration of Branch Auckland, New Zealand by Shri Namoo Narain Meena, Hon'ble Minister of State for Finance, GOI in presence of Shri M. D. Mallya, CMD.

During 2010-11, there was a better than expected growth in the business and profits of the Bank's International Operations. The asset growth was further assisted by Foreign Currency requirements of Indian Corporates for their overseas expansion, and, also, to take advantage of the difference in cost of resources. To meet the requirements of borrowers, the Bank raised Foreign Currency resources in timely fashion at overseas centres at the finest terms supported by the Bank's strong credit story.

The Bank kept continuous watch on economic, social and political developments around the world to safeguard its business interests. The business model was aligned and risk management functions were further strengthened to take care of any shocks in the ever-changing international scenario.

The overseas branch network was further expanded to 85 branches/offices offering further opportunities for generating profitable growth of business.

### Business and Profit Performance

During 2010-11, the total business (Deposits + Advances) of the Bank's Overseas Branches registered a growth of 32.51% (y-o-y). The Customer Deposits increased by 23.44%, Total Deposits by 29.33 % and Advances by 36.59%. The International Operations contributed 24.6% to the Bank's global business as on 31<sup>st</sup> March, 2011.

### Total Assets

Total Assets of the Bank's International Operations increased from Rs 68,375 crore to Rs 91,273 crore registering a growth of 33.49% during the year.

### Net Profit

The Gross Profit for the year 2010-11 registered a healthy growth of 23.94% over the level of previous year. The Net Profit, however, declined by 7.32% due to an unfavourable statistical base effect. During the year 2009-10, the Net Profit had increased sharply because of the reversal of provisions made under 'Mark to Market' of Investments. The contribution of international operations to the Bank's Total Net Profit stood at 19.15% during 2010-11.

### Asset Quality

Consistent with its past practices, the Bank took all the necessary safeguards at the time of asset creation and ensured monitoring of assets on an ongoing basis to be in readiness for any eventualities in the economic scenario around the world.

The accounts restructured in previous years as per the RBI norms were continuously monitored during 2010-11 to ward off any deterioration in the asset quality. In NPA accounts, there were continuous efforts for upgradation/recoveries as per the norms in the country of operation. As a result, the Gross NPAs to Total Advances were contained at 0.62% as on March 2011. The Net NPAs too were modest at 0.19%.

### International Presence

With the commencement of operations in New Zealand, the Bank extended its overseas presence to 26 countries with 85 branches/offices as under.

|  |           |
|--|-----------|
| Bank's Overseas Branches                 | 54        |
| Bank's Representative Offices            | 3         |
| Branches of Bank's Overseas Subsidiaries | 28        |
| <b>Total</b>                             | <b>85</b> |

In addition to the above, the Bank's associate in Zambia has 12 branches.



### Overseas Expansion

During the year 2010-11, the Bank opened seven new branches/offices (including the ones for its overseas subsidiaries). A branch was opened at Ilford, Essex (U.K.) and five Electronic Banking Service Units (EBSUs) in UAE at RAKIA, Ras Al Khaimah, Al Qusais, Dubai, Sh. Zayed Road, Dubai, Al Karama, Dubai and National Paints, Sharjah. The subsidiary in New Zealand – Bank of Baroda (New Zealand) - commenced operations with the opening of branch at Auckland.

### Future Plans in Overseas Business

In order to serve the ever increasing expatriate Indian population and corporates around the world and canvass more diversified business for the Bank, ambitious overseas expansion plans have been drawn by the Bank. It proposes to further expand its network by opening additional branches in countries where it is already present, and, also wants to enter new territories. Steps have been initiated for opening of two branches and two EBSUs in UAE, one branch in Oman and one branch in Mauritius. The work related to the opening of eight new branches of the subsidiaries is at an advanced stage. The subsidiaries in Uganda, Kenya and New Zealand will be opening two branches each and in Botswana and Guyana, one additional branch will be opened.

The Bank's applications for setting up of a subsidiary in Suriname and Canada, opening of a branch in Qatar and upgradation of a Representative Office in Australia to a branch are under process by the host country regulators. The Bank has already initiated steps for identification of new centres for overseas expansion.

### Syndication Centre

The Bank's Global Syndication Centres at London and Dubai, supported by the Offshore Banking Unit at Singapore and other branches in major financial centres, are actively catering to the needs of Indian and local corporates for Foreign Currency funds. The International Merchant Banking Cell (IMBC), set up at the Bank's Corporate Office, Mumbai, plays an active role in the business on account of raising of substantial resources by Indian Corporates. The IMBC now actively participates in the loan origination.

### Products and Services

After implementation of the Core Banking Solution in its overseas operations, the Bank launched various new products and services to meet the requirements of diversified groups of customers. New products, developed after extensive market research, have found wide acceptability with local population.

### Technology Upgradation in Overseas Operations

- The number of ATMs at overseas territories and subsidiaries increased to 68 (42 onsite and 26 offsite) as on 31<sup>st</sup> March, 2011 from 55 (36 onsite and 19 offsite) as on 31<sup>st</sup> March, 2010.
- Global Treasury Solution was implemented at the Bank's operations in UK, UAE, Bahamas, Bahrain, Hong Kong, Singapore and Belgium. The Bank's subsidiary in Uganda has also initiated process for implementation of

Treasury Module as per the requirements of the country of operation.

- Implementation of a Centralized SWIFT activity was completed and made operational from the Bank's Data Centre in Mumbai.
- Except UK and US Territories, all Territories/Subsidiaries have started routing their Swift operations through the SWIFT Cell, Data Centre. The XMM application was implemented in the place of SAM and PC Connect.
- The Payment Messaging System too was implemented. It is a middleware between Core Banking Solution (Finacle) and SWIFT which helps in Straight-Through-Processing of incoming and outgoing SWIFT messages with Anti Money Laundering check. The same was implemented in all the overseas territories/subsidiaries except in UK and USA.
- The Anti Money Laundering Erase (Batch mode) was implemented in all the overseas centres except, Belgium and USA.
- Anti Money Laundering Online List Matching Solution too was implemented at all the centres of the Bank except USA.

### E-Banking

- The Bank has made "View based E-Banking" available in its operations in Fiji, Oman, Tanzania and UK.
- The Bank has implemented "Transaction-based Internet Banking" in Uganda, Botswana, UAE, New Zealand, Kenya, Mauritius and Seychelles.
- The Bank has firmed up its plan to cover all the remaining overseas centres under this facility during 2011-12.

### Risk Management in Overseas Operations

The Bank has put in place an appropriate risk management system, comprising of necessary elements of active Board and senior management oversight, adequate policies, procedures and limits, adequate management information systems and comprehensive internal control for risk identifications, risk measuring, risk monitoring and risk control for its overseas operations. The Bank has implemented BASEL II guidelines in all the Overseas Territories with effect from 31<sup>st</sup> March, 2008 and has adopted Standardised approach for Credit Risk, Standardised Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk.

To prepare for the adoption of the advanced approaches, the Bank has developed customized BOB RAM internal Rating Module for its UK and UAE territories, covering major portion of the overseas business. In a phased manner, the BOB RAM will be introduced in all the other territories. The Bank has posted highly skilled and qualified Risk Managers in all the major overseas territories, to put in place the requisite risk management practices in overseas operations and to comply with the extant guidelines of host and home country regulators.

### Regulatory Compliance

The compliance structure of the Bank is based on the extant guidelines of the home country's regulator. All the overseas



territories have put in place the centre-specific compliance policies consistent with the corporate compliance policy of the Bank. A compliance function is being carried out by the designated compliance officer in the territory. The Bank scrupulously follows all the Anti Money Laundering and Know Your Customers guidelines of the Host and Home country regulators.

### Treasury Operations

The global economic scenario presented a mixed picture during 2010-11. While growth in emerging market economies (EMEs) remained strong, it was on an upswing in the US and the Euro areas. However, the sharp increase in oil prices during the course of the year as a result of the events in the Middle East and North Africa added tremendous uncertainty to the pace of global recovery. Coupled with rising prices of food and commodity, the spike in oil prices significantly heightened the inflationary concerns. Balancing the concerns on twin challenges of taming inflation and managing economic growth, the RBI started hiking policy rates since March 2010. During the year 2010-11, the RBI cumulatively hiked the repo rate by 175 bps and the reverse repo by 225 bps, albeit in a calibrated fashion.

The advance estimate of the GDP growth for 2010-11, given by the Central Statistical Organisation, Government of India is at 8.6%. The benchmark 10 year G-Sec yield moved touching a high of 8.25% and a low of 7.37% with an average yield of approximately 7.90% during the year under review. Against this backdrop of rise in yields and rate hikes, the Bank Treasury's focus was to enhance the overall yield on its SLR portfolio. The average yield on Domestic SLR investment portfolio for the year was 7.68%. Keeping in view the macro economic situation, the Modified Duration of SLR investments under Available for Sale category was kept at 2.62 years. During the year, the Bank earned Rs 4,645.83 crore by way of Interest/Discount earned on Investments, Rs 457.24 crore as Profit on Sale of Investment and Rs 307.61 crore as Foreign Exchange earnings. The Treasury actively utilised the market movements and used the Overnight Index Swaps and INBMK Swaps for hedging and trading opportunities. The Treasury offers customized solutions using available instruments viz. IRS, CIRS, Forwards & Options to meet Interest Rate and Foreign Exchange Risk Mitigation requirements of corporate clients. The Treasury actively tried to benefit from the arbitrage opportunities available between various asset classes including Money market, CBLO, Market Repo, Government Securities and resources generated through the USD/INR swaps.

During the year under review, the Treasury mobilized long term resources for the Bank through a mix of Upper Tier II and Perpetual Bond instruments. The total amount raised was Rs 2,211.50 crore in four tranches at the finest terms supported by the Bank's strong credit story.

Post financial crisis of 2008, the Indian economy showed strong growth for a second consecutive year. However, the Industrial production slowed down in the second half of 2010-11 impacted by the rising input cost pressures. There were robust FII inflows in the first half of the financial year 2010-11. Reflecting the

investor confidence, the BSE Sensitive Index touched a high of 21,108 during the year. However, the equity investors booked profits and there was a net FII outflow in the last quarter of 2010-11 on account of events in the Middle East and North Africa, high oil prices and continuing inflation. Taking advantage of the market movements, the Equity Desk of the Bank's Treasury actively churned its portfolio and recorded good profits. During the year, the Bank's Equity Desk's turnover increased by more than 60.0% over previous year, and it doubled its profit over the corresponding period.

The Foreign Exchange Desk of the Bank's Treasury too retained its prominence as a key market maker in the Indian Banking Industry. The Proprietary trading desk was active in encashing the arbitrage between the Futures and OTC markets. The Foreign Exchange Desk was able to manage the volatility efficiently with more than 25.0% increase in the turnover in both the Inter-Bank and Merchant Desks. The Inter-Bank to Merchant Forex turnover ratio for the Bank was 8.28 against Market ratio of 2.85.



**New state-of-the-art Specialised Treasury Branch at BST. Executive Director Shri R. K. Bakshi lighting the lamp and Executive Director Shri N. S. Srinath undertaking live deals**

During the year 2010-11, the Bank inaugurated a new State of the Art Dealing Room at Baroda Sun Tower at its Corporate Office in Mumbai. Through this new Dealing room, the Bank is well positioned to scale up its Treasury Operations in the coming years. The Treasury handles the Bank's Domestic Treasury Operations and covers activities in various markets i.e. Foreign Exchange, Interest Rates, Fixed Income, Equity and other alternative assets. The advanced technology platforms are being used by the Bank to offer a basket of financial products to its clients including Interest Rate and Currency Swaps, Forwards and Options. Through the enhanced Automated Dealing System, the Bank is able to offer auto generated real time foreign exchange rates to its clients through the authorised branches in India.

Under the Business Process Reengineering (BPR), the Bank has successfully implemented a Global Treasury Solution across major financial centres. The Global Treasury Platform is running smoothly in Mumbai, Europe (London and Brussels), Dubai, Bahrain, Singapore, Bahamas and Hong Kong. During the year 2010-11, the roll out of the Global Treasury Platform was initiated in the Bank's New York operations.

The Treasury Mid Office monitors market exposures and limits fixed by the Bank's Board of Directors on real time basis. The





Risk Management measures such as Value at Risk (VaR) is used to measure Market Risk on all portfolios. These measures are backed up by the Back Testing on risk numbers and Stress Testing of portfolios.

### Corporate Social Responsibility (CSR)

Like in business, the Bank aspires to score high on Corporate Conscience. As a responsible corporate citizen, it is the vision of the Bank to empower the community through socio-economic development of underprivileged and weaker sections. In its continued efforts to make a difference to the society at large, the Bank further intensified its efforts in this direction during the year 2010-11.



Our Corporate Social Responsibility initiatives - Efforts to make a difference to the society at large

The Bank has established Baroda Swarozgar Vikas Sansthan (Baroda R-SETI) for imparting training to unemployed youth, free of cost for gainful self employment and entrepreneurship skill development which help them improve their family economic status and also gives a boost to the local economies from where they operate.

So far, 36 such Sansthans have been established by the Bank in which more than 79,000 young persons have been trained and around 50,000 have been gainfully self employed.

The Bank has established 52 Baroda Gramin Paramarsh Kendra for knowledge sharing, problem solving and credit counseling for rural masses across the country. In order to spread awareness among the rural masses on various financial and banking services and to speed up the process of financial inclusion, the Bank has also established 14 Financial literacy and Credit counseling Centres (FLCCs) during the year 2010-11 taking the total number of FLCCs to 18.

### Asset Quality Management

Bank of Baroda has rightly earned a reputation for excellence in the Asset Quality management. Even during the year 2010-11, the Bank was able to maintain the best asset quality in the Indian banking system by smartly and strategically managing its Non Performing Asset (NPA) portfolio.

A close monitoring and follow up systems for recovery of NPA together with a well-defined mechanism to catch early warning signals to prevent slippages has helped the Bank to maintain its NPA at the lowest possible levels.

In spite of higher slippages observed in general in the Indian banking industry because of continuing adverse effects of economic downturn and high volatility in the financial indicators, the Bank could restrict its Gross NPA to 1.36% of Gross Advances as at 31<sup>st</sup> March, 2011 – the same level as in the previous year. Even its Net NPA ratio was contained at 0.35% as at 31<sup>st</sup> March, 2011 versus 0.34% as on 31<sup>st</sup> March, 2010.

The Bank's outstanding performance in the asset quality management was reflected in the modest level of incremental delinquency ratio at 1.09% in 2010-11 as against 1.17% in 2009-10. This ratio is measured as "Additional Delinquencies as a per cent of the Opening Standard Advances of the Bank at the beginning of the year".

Consistent with its past record, the Bank maintained higher Loan Loss or Provision Coverage Ratio against its NPA portfolio than the mandatory norm of 70% set by the RBI. The Bank's NPA Coverage Ratio as on 31<sup>st</sup> March, 2011 was 74.91% as against 74.90% as on 31<sup>st</sup> March, 2010. The Loan Loss or Provision Coverage Ratio taking into account the technical write-offs worked out to 85.0% as on 31<sup>st</sup> March, 2011 as against 87.0% as on 31<sup>st</sup> March, 2010.

The Bank also adopted a strong follow-up mechanism for speedy recovery/resolution of its NPAs by expediting the legal action as well as through the compromise/OTS route. This strategy yielded the Bank Cash Recovery of over Rs 455.49 crore during 2010-11 as against Rs 383.27 crore during the previous year. This is over and above Rs 189.17 crore in accounts upgraded to Standard Category during the year under review. Furthermore, Cash Recovery from the Prudentially/Technically written off accounts amounted to Rs 272.65 crore during 2010-11.

The Bank's experience in effecting speedy recovery in smaller accounts with balance outstanding of up to Rs 10 lakh through its special drives was highly rewarding. For instance, a Campaign SANKALP-3 launched during the year under review resulted in the Cash Recovery of over Rs 77.78 crore. The Bank also launched special OTS scheme for its SME accounts with balance outstanding up to Rs 10 crore, viz. "SME OTS 2010". This scheme was also very successful and resulted in the Cash Recovery of over Rs 53.18 crore.

The Bank's consistent performance in delivering the best Asset Quality in the Indian banking industry is borne out by the table given below.

(₹ crore)

| Asset Category (Gross)      | 31 <sup>st</sup> March 2011 | 31 <sup>st</sup> March 2010 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Standard                    | 2,28,173.03                 | 1,74,736.43                 |
| Gross NPA                   | 3,152.50                    | 2,400.69                    |
| Total                       | 2,31,325.53                 | 1,77,137.12                 |
| Gross NPA is comprising of: |                             |                             |
| Sub-standard                | 1,097.23                    | 894.83                      |
| Doubtful                    | 1,336.64                    | 743.22                      |
| Loss                        | 718.63                      | 762.64                      |
| Total Gross NPA             | 3,152.50                    | 2,400.69                    |





### Information Technology

The Bank has adopted a total end-to-end business and IT strategy project covering the Bank's domestic, overseas and subsidiary operations. The key features of the Bank's Technology Infrastructure are as follows.

- All branches and extension counters of the Bank's Indian operations are on the Core Banking Solution (CBS) platform. Additionally, during the year 2010-11, the CBS was implemented in Bank's five Regional Rural Banks in record time covering 1,218 branches and three extension counters. As regards the Bank's international operations, the CBS was implemented during the course of the year in New Zealand and Belgium territories. In all, 44 branches in thirteen overseas territories and 28 branches in eight overseas subsidiaries are on the CBS covering 97.0% of the Bank's overseas business. In April 2011, with the implementation of CBS in the Bank's New York office, the entire overseas business of the Bank too was covered under the CBS.
- Moreover, the Bank's IT setup has been developed for account opening process and transactions, both online and offline, to be carried out through the Business Correspondents thus enabling Financial Inclusion. The Mobile Van Banking too is launched by the Bank in Gujarat, UP and Bihar as a Financial Inclusion initiative.
- The Bank has built the best of technology infrastructure by implementing a state-of-the-art Data Centre conforming to the Uptime Institute Tier-3 standard and also a Disaster Recovery Site in different seismic zones with redundancy built in every single point of failure to ensure uninterrupted banking service delivery to customers. During the year under review, the Bank successfully migrated its existing Data Centre to a new Data Centre in Bank's own premises, without disrupting the banking operations. Various Green IT initiatives are also taken by the Bank in its new Data Centre.
- The Bank's Internet Banking facility (Baroda Connect) provides speedy and secured facility to transfer funds to self, third party (within the Bank) and inter-bank. Other facilities available are online payment of Direct and Indirect Taxes and certain State Government Taxes, utility bills, rail tickets, online shopping, donation to temples and institutional fee payment. Corporates also have the facility of direct salary uploads, trade finance. State Tax payments, viz., Maharashtra Virtual Treasury, Maharashtra Sales Tax, Tamil Nadu Commercial Tax, Gujarat Cyber Treasury (Motor Vehicle Tax) have been enabled during the year. SMS Alerts, RTGS / NEFT transactions are also provided in the Bank's internet banking portal. The ASBA (Application Supported by Blocked Amount) functionality has been provided in Baroda Connect for Online subscription to Initial Public Offers and Follow-on Public Offers to apply for Equity Shares. Transaction based Internet Banking has also been implemented in Uganda, Botswana, New Zealand, UAE, Kenya, Mauritius, Seychelles and Fiji providing facilities such as funds transfer to self and third party, bill payments, corporate salary upload and online shopping. The view-based internet banking has also been implemented overseas in Oman and Tanzania.
- The Bank has implemented a Fraud Management Solution for two factor authentication for e-banking transactions in India. The roll out in International Territories will synchronize with the roll out of new versions of e-banking.
- The SMS Alerts Delivery gateway has been upgraded by the Bank for delivering Internet Banking alerts in India, UAE, Botswana, Uganda, New Zealand, Kenya, Mauritius and Seychelles. This will be further extended to all customers of the Bank shortly.
- Internet Payment Gateway services for debit cards/ credit cards are increasingly offered to merchants and internet shoppers as a safe and secure channel for online purchases.
- The Bank has made operational an ATM Switch in India, UAE, Oman, Mauritius, Fiji, Tanzania, Botswana, T&T and New Zealand. An integration with Paymark Switch in New Zealand National, Linx Switch Trinidad & Tobago, FIS switch in UK is planned to provide convenience to customers by increasing delivery points through ATMs covered under these switches. As a customer centric initiative, the Bank has implemented multiple accounts being linked to a single Debit Card (Verified by VISA, CVV2) and enabled e-Tax Payments through the ATMs. The Mobile ATMs have also been launched in Ahmedabad, Pune, Lucknow and New Delhi.
- Mobile Banking – BARODA M-CONNECT – has been implemented on a pilot basis in January 2011 and provides various facilities to customers, viz., Balance Enquiry, Mini Statement, Linking of Multiple Accounts, Fund Transfer, Request to the Bank, Bill Payments, Ticket Booking, Shopping, Feedback/ Complaints etc.
- Also, the Retail Depository Services are made available to the Bank's customers. With a centralized depository application, branches are equipped to provide depository services for both the NSDL as well as CDSL.
- The Bank has launched an Online Trading System for Institutional Trading. The Online Trading for Retail is in its final stage of implementation and will be launched during the year 2011-12.
- **The Bank's Cash Management System is a full-function web-enabled cash management solution offered to the Bank's customers, covering services like Receipt Management (Collections), Payment Management and Invoice Management (Receivable and Payable Management).**
- The CBS branches of the Bank are enabled for interbank remittances through RTGS and NEFT. The RTGS and NEFT have also been interfaced with the Bank's internet banking portal. The Straight-Through-Processing of NEFT inward messages have been implemented in July 2010.
- The SWIFT facility for worldwide inter-bank financial communication is provided at the Bank's Foreign Exchange Authorised Branches in India as also in overseas territories.



- The Bank has implemented a Payment Messaging Solution (PMS) in its 20 overseas territories and also in all authorised branches in India. The PMS facilitates validation and formatting of SWIFT messages generated from the CBS as per the SWIFT standards, and also goes through the AML check.
- The Bank has also implemented a new Credit Card Management System. The SMSes for all types of transactions viz., purchases, e-com transaction etc. are generated online and e-statements are being sent to customers.
- The Bank has implemented an Integrated Global Treasury Solution in its territories like UK, UAE, Bahamas, Bahrain, Hong Kong, Singapore, Belgium and in India, reducing the cost of operations and better funds management.
- For improving the Bank's service delivery, the Back Office functions have been centralised at City Back Offices and five Regional Back Offices (RBOs) have been set up at Baroda, Jaipur, Lucknow, Bhopal and Coimbatore. The roll out of Personalised Cheque Books has been implemented in the Bank's five RBOs. The Bank has also developed modules for the centralised FCNR operations.
- The Bank has implemented the Automated Cheque Processing Centre (Inward & Outward) in February 2011 in its Service Branch in Mumbai on a pilot basis, as a part of the Business Process Re-engineering project.
- For regulatory compliance, the Anti Money Laundering (AML) has been implemented in India and 20 overseas territories. The Bank has also implemented Risk Management solution.
- The Enterprise-wide GL Solution (EWGL) has been implemented by the Bank on 13<sup>th</sup> December 2010 in all of its CBS branches (domestic & overseas). This provides variety of inputs to the Bank for strategic decision making in business development and also generates enterprise wide consolidated reports.
- The Centralised Payroll, Salary module, e-TDS module and Leave Module have been implemented for all the Bank's offices in India.
- The Human Resource Networking for Employees Service has been implemented with the objective of creating a central database of Bank employees for facilitating decision-making, promotion and selection exercise as also for automating other HR processes.
- The Solar Power Generation System (SPGS) was implemented by the Bank during the year in some of its rural branches to ensure uninterrupted banking services to customers in rural branches. The SPGS is expected to provide an alternate source of energy through the UPS at branches that face acute power shortage or have large load shedding.
- A robust Information Security Management System has been put in place by the Bank to protect the technology against security threat.

- Other major projects of the Bank like Customer Relationship Management, Data Warehouse/OFSAs and Knowledge Management commenced during the year under review. While some phases of these projects are completed, some phases are still under implementation.

#### Future Plans in IT

- The Bank has plans for consolidation of IT infrastructure by way of Server Virtualisation, Storage Virtualisation, Backup Consolidation, Desktop Virtualisation for more efficient utilisation of resources and to refresh and upgrade the existing IT infrastructure.
- The Bank also proposes to upgrade the ATM switch to handle increased volume of ATM transactions and more ATMs.
- The Bank has planned a Contact Centre Solution implementation to enhance customer experience.
- The Bank has planned additional customer-centric initiatives through internet banking, ATM and other delivery channels to make possible seamless and efficient services across multiple channels.
- As a part of the Bank's Business Process Re-engineering exercise, it has strategically planned to centralise certain back office functions of the branches so as to facilitate conversion of branches into sales and service outlets.
- Five more Regional Back Offices at Delhi, Pune, Kokata, Jamshedpur and Mumbai have been planned to be set up during 2011-12.

#### E-business

The Bank's E-business department provides for different types of Alternate Delivery Channels (ADCs) such as ATMs, Internet Banking (Baroda Connect), RTGS/NEFT, Phone Banking, Internet Payment Gateway (IPG) etc. In addition to this, the Department looks after Depository Services, Cash Management Services, NRI Services and Sale of Gold Coins. Following are the highlights of the performance of various sections under the E-Business Department during 2010-11.

#### ATM/DEBIT Card Operations

| Particulars                 | 31/03/2010 | 31/03/2011 |
|-----------------------------|------------|------------|
| No. of ATMs operationalised | 1,315      | 1,561      |
| No. of Debit Cards Issued   | 45.95 lakh | 62.71 lakh |

#### New Initiatives in 2010-11

- Payment of taxes through ATMs.
- Cash withdrawal limit increased to Rs 25,000 per day from Rs 15,000 per day.

#### Baroda Connect (Internet Banking)

| Particulars         | 31/03/2010 | 31/03/2011 |
|---------------------|------------|------------|
| No. of Users        | 3,66,605   | 5,73,575   |
| No. of A/cs. Linked | 12,91,847  | 21,90,700  |



### New Initiatives in 2010-11

- Online subscription of IPO/FPO (ASBA) was enabled.
- Daily transaction limits were increased for the retail users.

### Phone Banking

- The Bank introduced this facility on 19<sup>th</sup> March, 2009.
- The number of users registered under this facility as on 31<sup>st</sup> March, 2011 was 4,13,234 indicating a new addition of 1,70,464 users during 2010-11.
- On this facility, the per day average hits were more than 600.

### Baroda RTGS/NEFT

| Particulars                        | 2009-10   |           | 2010-11   |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                    | RTGS      | NEFT      | RTGS      | NEFT      |
| No. of Inward Transactions         | 8,85,527  | 15,83,158 | 13,98,612 | 34,24,515 |
| No. of Outward Transactions        | 12,93,970 | 6,61,923  | 19,25,969 | 14,88,661 |
| Avg Transactions per day (Inward)  | 4,774     | 7,674     | 5,793     | 17,035    |
| Avg Transactions per day (Outward) | 6,516     | 3,105     | 7,235     | 8,015     |

### Baroda Cash Management Services

- During financial year 2010-11, the total number of transactions in BCMS were 10,08,000 with total turnover of Rs 11,027 crore.
- It is proposed to extend these services to 100 more centres in a phased manner.

### Non-Resident Indian (NRI) Services

- Total NRI Deposits increased to Rs 17,578 crore as on 31<sup>st</sup> March, 2011 from the level of Rs 16,792 crore as on 31<sup>st</sup> March, 2010, reflecting a modest growth of 4.68% during the year.
- This year also the Bank participated in Pravasi Bhartiya Divas-2011 in January 2011 at New Delhi.

### Baroda e-Gateway (Internet Payment Gateway)

- As on 31<sup>st</sup> March, 2011, 52 Merchants were registered for this facility and total turnover was Rs 11.73 crore.

### Sale of Gold Coins

- The Bank started selling the gold coins since October 2007.
- At present, gold coins in denomination of 2gm, 4gm, 5gm, 8gm, 10gm and 20gm are being sold. During the year 2010-11, 1,08,743 gold coins weighing 730.01 kg were sold.
- A profit of Rs 9.23 crore was earned from this activity during the year 2010-11.

### New Products to be Launched Shortly

- Extension of Mobile Banking
- Pre-paid Cards
- Establishing Contact Centres at Baroda and Lucknow.
- Launch of different variants of Debit Cards:
  - Platinum Debit Card
  - Maestro Debit Card
  - Combi Gold Debit Card
  - Debit Cards for Biometric ATMs.

As a customer centric initiative, the contact centres (Call Centres) are being established at Baroda and Lucknow.

### Human Resources

Human Resource strategies have been a key component of the Bank's overall efforts for business transformation and augmenting performance of its operational units. The prime objective of the HR function is to harness the employee potential for serving the customers better. The Bank is endowed with a competent and highly motivated employee base of around 39,385 who are engaged in handling the mammoth business operations of the Bank.

Some of the major HR initiatives taken by the Bank during 2010-11 were as follows.

### Implementation of HR Technology

The Bank has created a very comprehensive HR technology platform covering HRM, Training, Payroll & Leave modules enabling automation of various functionalities. Various other modules too were continued to be implemented during the year.

### HR Initiatives in Capability Building

Substantial training and developmental activities were carried out during 2010-11, which included comprehensive grooming programmes in the area of Credit, Forex Dealings, Branch Management, Planning, Risk Management, etc. besides all-round development and grooming of young officers and new recruits.

**The Bank conducted 1,544 training programmes in-house (through its network of 12 Training Centres across the country, one IT training center and an Apex Training College at Ahmedabad) and thereby trained 35,843 people during the year. Besides, the Bank also sent around 1,509 employees for undergoing training in various reputed external training institutes of the country and even abroad.**

### Leadership Development

Taking into account the critical need for building leadership competencies in people, the Bank has launched a comprehensive leadership development program 'Project UDAAN' covering Branch Heads of all Urban and Metro Branches and all the Assistant General Managers and Deputy General Managers with the objective of creating leaders for the future. Such a massive and comprehensive leadership development effort is



Project 'Udaan'- A comprehensive leadership development programme for developing leaders for the future inaugurated by Shri M.D. Mallya, CMD.

unparalleled in the industry and first of its kind for an Indian state-owned Bank.

### Recruitment Drive

Various recruitment exercises were undertaken to address the emerging manpower requirements in the Bank. Recruitment of Specialist agricultural officers, probationary officers, recruitment of young MBAs direct from the campuses of renowned Business Schools were initiated in large numbers to meet the needs of the Bank, both in terms of replacements for normal attrition and factoring in the business growth needs. The Bank recruited 1,871 Officers in various Grades/Scales (both Generalists & Specialists), 1,131 Clerks and 632 Subordinate staff members, thereby inducting a total of 3,634 new employees in the Bank during the period 2010-11. The recruitment process would continue in the year 2011-12 also with various recruitment projects underway for filling up almost 2,000 posts of officers and 2,000 posts of clerks.

### Framework for Career Progression

Special efforts were made during the year under review to fulfill the growing aspirations of the employees for faster career progression, thereby, motivating employees for higher productivity. Keeping this in view, a large number of promotion exercises were undertaken during the year 2010-11, the result of which are given below:

|  |      |
|--|------|
| Sub-Staff to Clerk                                       | 302  |
| Clerk to Officer   | 519  |
| JM-I to MM-II (Officer to Manager)                       | 1001 |
| MM-II to MM-III (Manager to Sr Manager)                  | 971  |
| MM-III to SM-IV (Sr. Manager to Chief Manager)           | 240  |
| SM-IV to SM-V (Chief Manager to Asstt. Gen. Manager)     | 70   |
| SM-V to TEG-VI (Asstt. Gen. Manager to Dy. Gen. Manager) | 33   |
| TEG-VI to TEG-VII (Dy. Gen. Manager to General Manager)  | 15   |

### Review of HR Policies and Systems

A focused review of all major HR policies and schemes was undertaken during the year 2010-11 in order to bring about more employee friendly rules, ease of processes and more transparency.

### Special Thrust on Development of SC/ST/Other Backward Communities

The Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for development and welfare of persons belonging to SCs, STs and other backward classes in society. The Bank is one of those banks in the entire banking industry that have the highest number of employees belonging to SCs and STs, which itself shows the commitment of the Bank towards their development and upliftment. Some of the highlights of the Bank's efforts for development and welfare of people belonging to SCs and STs are enumerated as under.

### Reservation in Employment

The Bank observes all guidelines stipulated by the Government of India for reservation of posts in employment in All India recruitment and local recruitment. Around 15.0% posts are reserved for SCs and 7.5% posts are reserved for STs in all India recruitments. For other recruitments made on regional basis, appropriate percentage prescribed for various States is being observed.

Special efforts are made like offering pre-recruitment orientation training to SC/ST applicants for recruitment in the Bank. Relaxation in age limit and qualifications are given and interviews of SC/ST candidates are taken on relaxed standards in order to ensure that appointment of candidates to the reserved posts happens. In the Interview Panel for recruitment, a member belonging to SC/ST is invariably associated. Candidates belonging to SC/ST, who are called for interview, are reimbursed traveling expenses. In addition to providing reservation in employment, the Bank is also providing reservation and other enabling mechanisms in career growth and promotions for SC and ST employees as per the guidelines in vogue. Pre-promotion training before participating in promotion exercises is also provided. Around 10.0% of the available residential accommodation of the Bank is also reserved for SC/ST candidates.

The staff strength and representation of SCs and STs as of 31<sup>st</sup> March 2011 is as under.

| Cadre    | Total  | SC    | SC %  | ST    | ST%  |
|----------|--------|-------|-------|-------|------|
| Officers | 15,759 | 2,743 | 17.41 | 1,024 | 6.50 |
| Clerks   | 15,628 | 2,317 | 14.83 | 943   | 6.03 |
| Substaff | 7,998  | 2,834 | 35.43 | 724   | 9.05 |
| Total    | 39,385 | 7,894 | 20.04 | 2,691 | 6.83 |

### SC/ST Cell

An exclusive SC/ST Cell in the Bank has been set up to monitor the reservation and other enabling provisions for SC/ST employees in the Bank. An Executive in the rank of General Manager is appointed as Chief Liaison Officer for SC/





ST employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to the SC/ST employees. A Liaison Officer for SC/ST has been appointed in each Zone of the Bank who takes care of all matters and grievance redressal of SC/ST employees of that Zone.

### Meeting with SC/ST Welfare Association

With a view to have direct dialogue and review of reservation and other special provisions for SC and ST, the Bank holds quarterly meetings with the representatives of SC/ST Welfare Association of our employees in the Bank. The Bank's Chairman and Managing Director and Senior Executives including the Chief Liaison Officer for SC/ST participate in the meeting.

### Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust

The Bank established the "Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust" in 1991 for promoting welfare activities for the benefit of SC/ST employees and their family members. Apart from scholarships to children of employees belonging to SC/ST, the Trust also provides scholarship to needy students belonging to SC/ST community, in general, in major centres of the country.

### Visit of National Commission for Scheduled Castes

The National Commission for Scheduled Castes visited the Bank on 17<sup>th</sup> March, 2011, had discussions and interactions and examined the level of implementation of policies and programmes. The suggestions and guidance of the Commission are being scrupulously observed by the Bank.

### Marketing

During the year 2010-11, the Bank focused on coming up with a breakthrough marketing communication path. In view of the competitive environment and multiple messages, the advertisements of different banks get cluttered, which results in lack of differentiation in the communication. To conquer the cut-throat environment and capture the mind space of viewers, the Bank's marketing communication focused on enhancing the recall value of the brand, thereby, providing absolute support to the field staff.



Shri M.D. Mallya, Chairman and Managing Director launching the Baroda-Next Reinforcement Campaign-II.

### Creation of Brand Recall

The year 2010-11 saw the launch of the "Reinforcement Campaign II" using the Bank's already recognized sub-brand "Baroda Next - State of the Art – Straight from the Heart". The twin objectives of this campaign were to remind the market of the product and services of the Bank, reinforced with a robust technological infrastructure for efficient and effective delivery and reach, and extend the scope of "Baroda Next" to a younger and tech savvy generation. The Bank, as a part of its strategy, created 360 degree campaign consisting of electronic, print, on-line, out-of-home, on-ground & in-branch activities which supported the Bank's drive to make more customers using its retail products (Saving Bank/Current Account/Retail Loans) strongly supported by the alternative electronic delivery channels.

The new "Reinforcement Campaign II" was innovatively designed using different forms of communication viz. animated characters weaving through real life sequences, attractively depicted with illustrations and pictorial presentations. The Bank felt that there was a need to move away from the regular photographic imagery of products and satisfied customers. The Bank came up with a revolutionary, eye catching visual element of a 'stick-man figure' which was accepted by its stakeholders and was highly appreciated in advertising and banking industry.



The success of the campaign, in terms of reach, impact and exposure was corroborated by the unaided feedback emanating from various target segments.

### Product Support

During the year 2010-11, a number of product promotion campaigns were conducted to promote Retail Loans, Current Deposits, Savings Deposits, SME products, NRI products and Sale of Gold Coins. A combination of all media vehicles (print, electronic and OOH media) was used to support the sales effort of field-level units. Their efforts were also aided by suitable in-branch publicity through display of banners, posters, leaflets and promotional events at the ground level.

### Focus on Selling

The City Sales Offices (CSO), along with Retail Loan Factory and SME Loan Factory, are envisaged to support the efforts of the branches in improving the sales performance under various product categories. As on 31<sup>st</sup> March, 2011, there are 26 CSOs operational across the country.

### Other Marketing Endeavours

Various on-ground activities undertaken by the Marketing Division greatly helped to broaden the Bank's competitive edge by improving visibility, image, prestige and credibility. The Bank organized and participated in many promotional



events. Some of the major events where Bank's branding was enhanced included Pravasi Bharti – New Delhi, Vibrant Gujarat Summit 2011, Mumbai Marathon, Polo Tournament, Vadodara Marathon, Mint, Annual Banking Conclave - "Banking & Beyond – New Challenges Facing India Financial System". The out-of-home media was also well leveraged to be on the radar of customers constantly.

### Out of the Box Thinking

- The Bank came up with a completely innovative idea by developing a micro site to aid the "Reinforcement Campaign II". The campaign objectives were to promote the usage of alternate delivery channels i.e. Internet Banking & ATMs and, also, to enhance the Bank's image as a tech savvy bank.
- This medium is now being continuously used to promote lead generation for Retail Loan and Saving Bank campaigns.
- The animated 'Stick man figure' has slowly evolved to capture the imagination of both the Bank's internal and external stakeholders as the first of its kind in the Banking segment.

### Awards and Industry Recognition for Bank of Baroda



Shri M.D. Mallya, CMD being awarded "The Banker of the Year- 2010" by Dr. Manmohan Singh, Hon'ble Prime Minister of India at New Delhi.

The Bank has received several awards during 2010-11, for its consistent outstanding and all-round performance (both business & financial), superior management, dedication to excellence and contribution to rural economy and financial inclusion.

Given below are a few select awards won by the Bank during the course of 2010-11.

- Business Standard- Best Banker Award given by Dr Manmohan Singh to the Bank's Chairman & Managing Director at New Delhi.
- Best SME Business Start-up Scheme Award in the Banker Middle East Product Awards 2011 ceremony held on 23<sup>rd</sup> March, 2011 at Emirates Towers in Dubai.
- Skoch Financial Inclusion Award- 2011

- President Zuma Award- For outstanding contribution to advancement of South Africa. – 9<sup>th</sup> Jan 2011 at Durban
- IBA- Banking Technology Award 2011 - Runner UP- Award given by Dr APJ Abdul Kalam.
- Consumer Super Brands Award for one of the top brands of Indian Status- by Consumer Super brands Volume 3- January 2010
- DSIJ PSU Award for Excellence in performance and contribution to the Indian economy by the PSUs – by Dalal Street Investment Journal - 6<sup>th</sup> April 2010
- Silver Award by Dainik Bhaskar group (DNA) under its Annual India Pride Award 2010
- Business India – Best Bank Award- 2010 – 5<sup>th</sup> October 2010
- National Award 2010 - for Excellence in the field of Khadi and Village Industries Central Zone for PMEGP.
- Bank of the Year 2010 (for India) by the Banker Magazine UK- London
- ABCI- Silver- Corporate Social Responsibility Column (Bobmaitri)
- ABCI- Silver- Bilingual Publication (Bobmaitri)
- ABCI- Silver- Indian Language Publications – Akshayam
- My FM Stars of the Industry Brand Leadership Award 2010

### Premises Re-Engineering and Ambience Enhancement

During 2010-11, the Bank made operational its second corporate building located in Bandra-Kurla Complex Mumbai that was constructed and fitted with latest gadgets and systems and with energy-efficient apparatus, christened as "Baroda Sun Tower". Various important departments of the Bank like Treasury Operations, Project Office, Data Center, E Business, and BPR team moved to this new location along with some other support departments during the year

Additionally, the Lucknow Zonal Office premises were handed over to the Bank's UPU Zone. The Zonal Office (UPU), Regional Office (Lucknow) and Zonal Inspection Centre Lucknow occupied the premises in May/June 2010.



The newly constructed Zonal Office building of UPU Zone, Lucknow



Similarly, the premises for Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS) at Pantnagar has been completed and handed over to the UP Zone. The premises for branch office and currency chest at Vishva Karma Industrial Area (VKI) Jaipur were also completed and handed over to the Bank's Rajasthan Zone.

Moreover, the Auditorium, with seating capacity of 1,000 plus seats, at Vadodara is almost complete and formalities for obtaining Occupation Certificate are under way.

Around 15 branches of the erstwhile Memon Co-operative Bank Ltd. in Mumbai taken over by the Bank during 2010-11 were remodeled, refurbished and renovated to bring them at par with the branches of the Bank in Mumbai. During the year under review, 120 branches were sanctioned for refurbishment by Estate Management Department over and above the branches sanctioned by the Zones for refurbishment.

### Other Initiatives in Estate Management

In tune with its philosophy to use the best technology for saving power and reducing expenditure, the Bank installed the Variable Air Volume (VAV) technology and Air balancing system in the Air Handling Units of the Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) system at the Baroda Sun Tower (BST) situated at Bandra Kurla Complex (BKC), Mumbai. In the Baroda Corporate Centre (BCC) situated at Bandra Kurla Complex (BKC), Mumbai, sewerage water was passed through a Sewerage Treatment Plant (STP) and several litre of cleaned water was put to alternative use like gardening etc.

In the canteens at BCC and BST, the Bank introduced a gas-based cooking system, instead of an electric power based cooking system and saved huge amount of electrical energy. Similarly the flow of water from various taps at BCC is monitored and the use is reduced to the minimum necessary, thereby, saving substantial amount of potable water every day.

The Bank installed light sensors on all the floors and solar lighting and windmill at the Baroda Sun Tower, BKC Mumbai to save on electricity expenses. The process of energy audit at all corporate offices in Mumbai was also initiated for maximising energy efficiency.

### Projects under Implementation

- Commercial complex at Mylapore for Zonal Office and a branch are in the advanced stage of completion.
- Residential complex for constructing 29 flats for Executives and Officers at Cenotaph Road, Chennai is in progress.
- Construction of the residential complex at Janakpuri and East of Kailash, New Delhi has commenced operation.
- The administrative office and residential complex at Ghod Dod Road Surat are also in the advanced stage of completion.
- The work for administrative office and residential complex at Jamshedpur is in progress

### Future Plans for Estate Management

To provide residential accommodation to the transferred officers in Mumbai and to take benefit of the State Government's policy on redevelopment of properties, the Bank has decided

to redevelop Bhandup staff quarters building and construct about 200 flats and also initiate redevelopment process for the dilapidated Jogeshwari staff quarters to construct a building for residential and commercial use.

The renovation of Bank of Baroda Institute of Information Technology (BOBIT) Centre at Gandhinagar is also on cards so as to make optimum use of the available space at the centre. Renovation and face-lifting of Mumbai Main Office (MMO) has also begun along with the facelift for Parliament Street premises at New Delhi.

In tune with the Bank's policy to have its administrative offices in owned premises, the Bank has purchased plot of land at Jaipur and Indore for construction of commercial building. The Bank has also initiated process to acquire a plot of land at New Raipur in the State of Chhatisgarh for commercial purpose.

The BCC Mumbai started functioning almost ten years back with a view to satisfy the needs of a span of a decade or so. Now, it has become necessary to redesign the seating arrangement and layout at BCC so as to accommodate the increased staff strength in all the departments in this building. Moreover, it has become necessary to consider a face lift of the Top Management floors and the Ground floor of BCC Mumbai so as to enhance the brand image of the Bank as India's International Bank.

### Branch Network

Given below is the information on the Bank's brick and mortar distribution channels as on 31<sup>st</sup> March, 2011, which are observed to be closer to common customers as compared to the E-Banking channels, which are generally preferred by the tech savvy urban masses.

| Area Classification (India) | Number of Branches | % Share in Total |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Metro                       | 730                | 22               |
| Urban                       | 631                | 19               |
| Semi-urban                  | 832                | 24               |
| Rural                       | 1,171              | 35               |
| Total                       | 3,364              | 100              |
| Overseas                    | 54                 | --               |

### Domestic Subsidiaries and Associates

The performance of "Subsidiaries, Joint Venture & Associates" of Bank of Baroda was satisfactory and in line with the expectations during 2010-11.

The BOBCARDS Limited has turned around and made profits during the year under review. A Memorandum of Understanding (MoU) was signed on 15<sup>th</sup> December 2010 by Bank of Baroda, Bobcards Ltd. and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), a leading international Bank, headquartered in Madrid, Spain to form a joint venture credit card business. Upon regulatory approval, the agreement between the entities will allow BBVA to acquire 51.0% stake in the existing credit card subsidiary of Bank of Baroda.

The BOB Capital Markets Ltd. has been activated by appointing a professional CEO and recruiting a professional team. The





Signing of MoU by Bank of Baroda, BOBCARDS Ltd. and BBVA, Madrid, Spain to form a JV Credit Card Business

focus is on Debt Syndication, Private Equity Syndication and marketing activities. The company commenced institutional broking business in October 2009 and will be commencing retail broking shortly.

The Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd. is in its third year of operation. The Company has launched five new products during 2010-11 - Baroda Pioneer Infrastructure Fund, Baroda Pioneer Short Term Bond Fund, Baroda Pioneer PSU Equity Fund, Baroda Pioneer FMP 90 days Series I and Baroda Pioneer FMP 380 days Series I.

The IndiaFirst Life Insurance Company Ltd., a joint venture company, has received an overwhelming response from the Bank's customers across the country making the fastest ever insurance company to reach Rs 100 crore premium collections in the first 100 days of its operations. The IndiaFirst is the first company to cross New Business Premium of Rs 202 crore in its first year of operations. With Rs 703 crore of new business in 2010-11 and Rs 200 crore in the four and a half months of 2009-10, IndiaFirst crossed Rs 900 crore mark of the total new business in exactly 500 days of commencement of its business operations on 16<sup>th</sup> November 2009.

(₹ lakh)

| Entity (with date of registration)                         | Country | Owned Funds | Total Assets | Net Profit | Offices | Staff |
|--|---------|-------------|--------------|------------|---------|-------|
| BOB Capital Market Ltd., 11 March, 1996                    | India   | 12,257.34   | 13,076.38    | 406.30     | 1       | 27    |
| BOBCARDS Ltd., 29 Sept., 1994                              | India   | 11,343.65   | 19,070.11    | 1,026.91   | 34      | 117   |
| Associate Baroda Pioneer Asset Mgmt Co. Ltd., 5 Nov., 1992 | India   | 4,933.81    | 7,362.97     | -1,538.37  | 1       | 59    |
| IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., 19 June, 2008          | India   | 33,826.93   | 1,68,079.07  | -6,475.25  | 13      | 1,181 |
| Nainital Bank Ltd., 31 July, 1922                          | India   | 32,298.84   | 3,29,206.83  | 4,568.76   | 101     | 816   |

### Implementation of Official Language (OL) Policy

During the year 2010-11, the Bank made significant progress in promoting and propagating the use of Official Language and ensured compliance of various other statutory requirements

framed under OL Act/OL Rules. The Bank could achieve all major targets set by the Government of India under its Annual Programme. In recognition of the Bank's outstanding performance, the Bank was appreciated at various levels.

The Town Official Language Implementation Committees functioning at Jaipur and Baroda under the convenorship of the Bank have discharged their responsibilities excellently and provided suitable guidance to their member Banks. Both the committees were awarded first prize by the Government of India for their outstanding performance and functioning. Besides, our Zonal Office, Jaipur and New Delhi were awarded with First Prize and Zonal Office Kolkata was awarded with second prize by the respective Regional O.L. Implementation office, Ministry of Home Affairs for implementation of O.L. Policy of Government of India in their area of operations.

The Bank successfully completed more than two years of computer training programme on use of Hindi based Unicode fonts for their employees with a view to promote use of Hindi in day-to-day Banking. During the year 2010-11, more than 550 employees were trained at the Bank's Corporate Office apart from the training imparted by various other administrative offices across the country.



Shri N. S. Srinath, Executive Director receiving an award under the "RBI Rajbhasha Shield" competition from Dr. D. Subbarao, Governor, Reserve Bank of India.

The Third Sub-Committee of Parliament on Official Language visited the Bank's Kasuli branch at the Regional Office, Mehsana, at the Zonal Office, Kolkata and the Kottayam branch (Kerala Region) and appreciated the efforts undertaken by the Bank in the area of Official Language Implementation.

The Bank was awarded with Second Prize in linguistic Region B and Fourth Prize in Linguistic Region A by the RBI under the "RBI Rajbhasha Shield" competition.

The Bank's in-house Hindi magazine "Akshayam" was awarded by the ABCI, Mumbai with Silver prize under the Indian Language Publication category. The Bank has launched Baroda Hindi.Com E-bulletin with a view to promote the use of Hindi through technology.





The members of the Bank's Top Management regularly give interviews in Hindi on Radio and various TV channels to reach a large audience of investors, analysts and also to promote financial literacy.

### Board of Directors

**Shri Ajay Mathur** was nominated as part time non-official director with effect from 5<sup>th</sup> May, 2010 by the Central Government u/s 9 (3) (g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

**Shri R. Gandhi** was nominated as a Director with effect from 30<sup>th</sup> July, 2010 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post until further orders. He was nominated as RBI nominee Director in place of Shri A. Somasundaram, who ceased to be the Director with effect from 30<sup>th</sup> July, 2010.

**Shri Satya Dev Tripathi** was nominated as part-time non-official Director with effect from 31<sup>st</sup> August, 2010 by the Central Government u/s 9 (3) (h) and (3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

**Shri V. B. Chavan** was nominated as Officer Employee Director with effect from 11<sup>th</sup> March, 2011 by the Central Government u/s 9 (3) (f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years or until he ceases to be an officer of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.

**Shri Milind N. Nadkarni**, appointed as a Workmen Employee Director with effect from 1<sup>st</sup> May, 2007 by the Central Government u/s 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, ceased to be Director with effect from 1<sup>st</sup> May, 2010, on completion of his term.

**Dr. Atul Agarwal** nominated as a part time non-official Director with effect from 23<sup>rd</sup> November, 2007 by the Central Government u/s 9 (3) (h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, ceased to be Director with effect from 23<sup>rd</sup> November, 2010, on completion of his term.

**Shri Ranjit Kumar Chatterjee** nominated as Officer Employee Director with effect from 20<sup>th</sup> December, 2007, by the Central Government u/s 9 (3) (f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, ceased to be Director with effect from 20<sup>th</sup> December, 2010, on completion of his term.

### Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2011:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of financial year and of the profit of the Bank for the year ended on March 31, 2011;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing Banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

### Acknowledgement

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities, various financial institutions, banks and correspondents in India and abroad for their valuable guidance and support.

The Directors acknowledge with appreciation the assistance and cooperation extended by all stakeholders of the Bank like customers, shareholders and well wishers in India and abroad.

The Directors place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the members of the Bank's staff at different levels, which enabled the Bank to record high quality, consistent growth year after year despite economic challenges and consolidate its position as one of the premier banks in the country.

For and on behalf of the Board of Directors,

**M. D. Mallya**

Chairman and Managing Director



## निदेशकों की रिपोर्ट

**आपके निदेशक गण बैंक की 103 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 11) के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं.**

### कार्यनिष्पादन की विशेषताएं

- कुल कारोबार (जमा एवं अग्रिम) बढ़कर रु. 5,34,116 करोड़ हो गया, इस प्रकार इनमें 28.30% की वृद्धि हुई.
- सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ क्रमशः रु.6981.61 करोड़ एवं रु. 4241.68 करोड़ रहा. शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 38.7% की वृद्धि हुई.
- ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के 84.47% की तुलना में 86.77% रहा.
- खुदरा ऋणों में 33.8% की वृद्धि हुई और यह 2010-11 में बैंक के सकल घरेलू ऋणों का 18.88% रहा.
- वैश्विक परिचालनों में शुद्ध ब्याज अंतर (एनआईएम) ब्याज अर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 3.12% एवं घरेलू परिचालनों में 3.72% के स्तर पर रहा.
- शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध गैर निष्पादक आस्तियां 0.35% रहीं जबकि पिछले वर्ष यह 0.34% थी.
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बासेल I के अनुसार 13.02% रहा जबकि बासेल II के अनुसार यह 14.52% रहा.
- शुद्ध मालियत सुधर कर रु. 19750.63 करोड़ हो गयी. इसमें 43.27% की वृद्धि दर्ज हुई.
- वर्ष के दौरान बही मूल्य रु. 378.44 से बढ़कर रु. 504.43 हो गया.
- वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी कारोबार रु. 981 लाख से बढ़कर रु. 1229 लाख हो गया.

### खंडवार कार्य निष्पादन

वर्ष 2010-11 के खंडवार परिणामों में राजकोषीय परिचालन (ट्रेजरी) का योगदान रु.882.51 करोड़, होलसेल / कार्पोरेट बैंकिंग का रु.1525.49 करोड़, खुदरा बैंकिंग का रु.1517.89 करोड़ तथा अन्य बैंकिंग परिचालनों का योगदान रु.2750.61 करोड़ रहा. बैंक ने रु.1026.18 करोड़ के गैर आर्बिटिटर खर्च घटाने और रु.1408.64 करोड़ का करों के लिए प्रावधान करने के बाद रु.4241.68 करोड़ का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया.

### लाभांश

बैंक के निदेशकों ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए रु.16.50 प्रति शेयर का (रु.10/- के अंकित मूल्य पर) लाभांश प्रस्तावित किया है. इसमें कर सहित लाभांश के रूप में कुल व्यय रु.753.35 करोड़ होगा.

### पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात काफी अच्छा है एवं 31 मार्च, 2011 को यह बासेल II के अन्तर्गत 14.52% है. वर्ष के दौरान बैंक ने अपने पूंजी आधार को रु.1500 करोड़ अप्रतिभूतित गौण बाण्डों के माध्यम से संगृहीत कर और मजबूत किया है और रु.711.50 करोड़ रुपए नवोन्मेषी बेमीयादी बॉण्ड्स के माध्यम से जुटाए हैं.

31 मार्च, 2011 को बैंक की शुद्ध मालियत रु.19750 करोड़ रही. इसमें चुकता पूंजी रु.392.81 करोड़ और प्रारक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन निधि को छोड़कर) रु.19,357.82 करोड़ शामिल है. रु.3488.33 करोड़ की राशि अर्जित लाभ में से प्रारक्षित निधि में अंतरित की गयी.

### सेवानिवृत्ति तथा अन्य लाभों के लिए प्रावधान

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने उपदान में अंशदान के रूप में (रु.382.90 करोड़) पेंशन निधि के रूप में (रु.788.55 करोड़) अवकाश नकदीकरण के रूप में (रु.21.20 करोड़) तथा अतिरिक्त सेवा निवृत्त लाभ के रूप में (रु.10.17 करोड़) की राशि का उपचय आधार पर प्रावधान किया है. इन चारों श्रेणियों में प्रावधान की कुल राशि वर्ष 2010-11 के दौरान रु.1160.42 करोड़ रही जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान यह प्रावधान राशि रु.402.71 करोड़ थी. मार्च, 2011 के अन्त में बैंक के पास इन शीर्षों के तहत उपलब्ध कुल आधारभूत निधि इस प्रकार थी: रु.1289.75 करोड़ (उपदान), रु.5177.08 करोड़ (पेंशन निधि), रु.506.31 करोड़ (अवकाश नकदीकरण) तथा रु.396.13 करोड़ (अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ).

### प्रमुख वित्तीय अनुपात

| विवरण  | 2010-11     | 2009-10     |
|--|-------------|-------------|
| औसत आस्तियों पर आय (आरओए) (%)                  | 1.33        | 1.21        |
| औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (रु.करोड़ में) | 2,80,098.94 | 2,15,886.21 |
| निधियों की औसत लागत (%)                        | 4.67        | 4.98        |
| औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (रु.करोड़ में)        | 2,82,109.79 | 2,16,735.54 |
| औसत आय (%)                                     | 7.76        | 7.70        |
| शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)                        | 3.12        | 2.74        |
| लागत आय अनुपात (%)                             | 39.87       | 43.57       |
| प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)                     | 504.43      | 378.44      |
| प्रति शेयर आय (रु.)                            | 116.37      | 83.96       |



## प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण

### आर्थिक परिदृश्य 2010-11

पिछले दो वर्षों की तुलना में जब विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण आर्थिक वृद्धि की गति धीमी बनी हुई थी, वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। वर्ष 2010-11 के दौरान यह सुधार/वृद्धि कृषि की स्थिति बेहतर होने तथा उद्योगों तथा सेवाओं के स्तर में निरन्तरता बने रहने से सम्भव हुई।

भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.5% की वृद्धि हुई। अच्छे मानसून के फलस्वरूप वर्ष 2010-11 के दौरान खरीफ (ग्रीष्मकालीन) तथा रबी (शीतकालीन) दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन अच्छा रहा। खाद्यान्न उत्पादन 235.88 मिलियन टन आंका गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8.15% अधिक है। उच्च कृषि वृद्धि दर के फलस्वरूप ग्रामीण आय की स्थिति बेहतर हुई तथा इससे समीक्षा वर्ष के दौरान कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति में सुधार की संभावनाएं प्रबल हुईं। हालांकि वर्ष 2010-11 में विनिर्माण क्षेत्र में 8.3% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वर्ष की द्वितीय छःमाही में मुख्यतः आधारभूत प्रभावों के कारण इस वृद्धि में कुछ कमी आई। तथापि वर्ष 2010-11 के दौरान निर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में उत्पादन स्थिति अच्छी रही और सत्रह में से पंद्रह उद्योगों में वृद्धि दर सकारात्मक रही। वर्ष 2010-11 में समष्टि आर्थिक नीति तथा आर्थिक विकास के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्त में क्षमता उपयोग दरों तथा रोजगार सृजन की दिशा में निश्चित सुधार देखा गया है। व्यापार, होटल व्यवसाय, परिवहन तथा संचार और वित्त, बीमा एवं भू संपदा आदि के क्षेत्र में सापेक्ष वृद्धि के फलस्वरूप सेवा क्षेत्र में भी वर्ष 2010-11 में 9.0% की उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है।

वर्ष 2010-11 में समग्र वास्तविक व्यय के आधार पर आकलित समग्र मांग में काफी वृद्धि हुई है तथा निजी उपभोग तथा निवेश व्यय भी तेजी से बढ़ा है। निजी उपभोग व्यय में वास्तविक आधार पर 8.2% की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई। वर्ष 2010-11 के दौरान सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल घरेलू उत्पाद का 31.6% रही जो कि एक अनुकूल स्थिति है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर खाद्यान्न ऋणों में इस वर्ष 21.4% की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई और ये बैंक भारतीय वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्तपोषण के मूल स्रोत हैं।

वैश्विक स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार के फलस्वरूप, भारत की वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात में वर्ष 2010-11 के दौरान 37.5% की उल्लेखनीय वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई तथा यह 245.87 बिलियन अमरीकी डालर हो गया अर्थात् यह सरकार के वर्ष के लिए लक्षित 225 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर को पार कर गया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण पिछले वर्ष अर्थात् 2009-10 में निर्यात में 4.7% की गिरावट दर्ज की गई थी। भारत के निर्यात में यह उल्लेखनीय वृद्धि श्रमप्रधान निर्माण इकाइयों के उत्पादों से इंजीनियरिंग तथा पेट्रोलियम क्षेत्र के उच्च मूल्य आधारित उत्पादों की ओर विचलन तथा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्था की नई संभावनाओं के फलस्वरूप सम्भव हो पायी। वर्ष 2010-11 के दौरान भारत का वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात 21.6% की वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष) से बढ़ा और यह 350.70 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इस प्रकार व्यापार घाटा वर्ष 2009-10 के 109.62 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से कम होकर 104.83 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत का चालू खाता घाटा (CAD) जो कि वर्ष 2010-11 की प्रथम छःमाही (H1) में सकल घरेलू

उत्पाद का 3.7% था। वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही में यह कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% हो गया। इस प्रकार वाणिज्यिक वस्तुओं तथा सेवा निर्यात दोनों स्थितियों में सुधार हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010-11 के पूर्ण वर्ष में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5% रहने का अनुमान है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010-11 के प्रथम 11 महीनों (अप्रैल-फरवरी) के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2009-10 के स्तर 33.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 25.9 बिलियन अमरीकी डालर रहा। तथापि शुद्ध विदेशी संस्थागत निवेशों में वर्ष 2009-10 के स्तर 29.0 बिलियन डालर की तुलना में वृद्धि हुई तथा ये वर्ष 2010-11 में बढ़कर 29.4 बिलियन डालर हो गए। यहां तक कि बाह्य वाणिज्यिक उधारियां अनुमोदन वर्ष 2009-10 के स्तर 20.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 25.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं।

वैश्विक अनिश्चितता की चुनौतियों, निरन्तर बनी हुई मुद्रा स्फीति की स्थिति, उच्च चालू खाता घाटा जैसी प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद भारतीय वित्तीय बाजार लगभग सामान्य बने रहे। भारत के बैंच मार्क सूचकांक – सेंसेक्स में 10.9% की वृद्धि हुई तथा इसका पी/ई अनुपात मार्च, 2010 के अन्त के स्तर 17.7% से परिवर्तित होकर मार्च, 2010 के अन्त में 17.3% हो गया। निरन्तर ऊंची बनी हुई मुद्रास्फीति दर तथा नकदी की कमी जैसी परिस्थितियों के कारण मांग मुद्रा बाजार, संपार्श्विक उधार और ऋणदायी बाध्यता (CBLO), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), सीडी तथा सरकारी प्रतिभूति बाजारों में ब्याज दरें अधिक बनी रही। वर्ष 2010-11 के दौरान घरेलू वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक संव्यवहारों के चलते स्थिति अत्यन्त उतार चढ़ाव भरी रही।

तथापि वर्ष 2010-11 में रुपया स्थिर बना रहा तथा अमरीकी डालर की तुलना में इसमें मामूली वृद्धि हुई। लेकिन व्यापार में मुद्रा स्फीति की उच्च दर बनी रहने के कारण वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में मामूली वृद्धि हुई। सकारात्मक पहलू के रूप में भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में वर्ष 2010-11 के दौरान 9.5% की उल्लेखनीय वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई तथा ये मार्च, 2011 के अन्त में बढ़कर 303.48 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं।

हाई स्पीड टेलीफोनी तथा ब्राडबैंड सेवाओं की थर्ड जेनरेशन स्पेक्ट्रम बिक्री से प्राप्त आशातीत राजस्व तथा मजबूत सकल घरेलू उत्पाद के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के वित्तीय घाटे को वर्ष 2009-10 के स्तर 6.4% से कम कर वर्ष 2010-11 में 5.1% तक लाने में मदद मिली। परिणामतः वर्ष 2010-11 के दौरान केन्द्र तथा राज्यों का सम्मिलित घाटा लगभग 8.1% तक सीमित रखा जा सका। वर्ष 2011-12 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय कुछ सुधारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त खातों, लिक्विडिटी पैट्रोलियम गैस तथा मिट्टी के तेल के लिए सीधे नकद राशि अन्तरण व्यवस्था करने का प्रयास किया गया जिससे इन वस्तुओं के दुरुपयोग को रोका जा सके। अन्ततः सरकार ने 21 मार्च, 2011 को संसद में वस्तु एवं सेवाकर लगाने सम्बंधी संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया।

2010-11 पूरे वर्ष मुद्रा स्फीति निरन्तर नीतिगत चिन्ता का कारण बनी रही। हालांकि मासिक वर्ष-दर-वर्ष मुद्रा स्फीति दरें वर्ष 2010 के मध्य में दहाई के आंकड़े तक पहुंच गईं तथापि अनुमान है कि यह दर समूचे वित्तीय वर्ष के लिए 9.2% होगी। वर्ष 2010-11 के दौरान मुद्रा स्फीति की यह स्थिति आपूर्ति में कमी तथा धीरे धीरे बने लागत दबाव के कारण बनी।



यद्यपि खाद्यान्नों की मुद्रा स्फीति में चौथी तिमाही में मामूली कमी आई तथा कई निर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि तथा अनियन्त्रित ईंधन मदों के मूल्यों के फलस्वरूप मुद्रा स्फीति की दर भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के स्तर से अधिक बनी रही. निरंतर बढ़ती मुद्रा स्फीति तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के चलते भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2010 के प्रारंभ में अपनी उदार नीति को वापिस ले लिया. वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी नीतिगत दरों में 8 बार वृद्धि की. इसका उद्देश्य वृद्धि तथा मुद्रा स्फीति को सन्तुलित बनाए रखना था. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में भी आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 25 मूल अंकों की वृद्धि की.

अन्य उभरते बाजारों की भांति भारत के प्रगतिशील परिदृश्य को वर्ष 2011-12 के दौरान वैश्विक तेल तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें प्रभावित करेंगी जिससे वृद्धि दर में कमी का खतरा बना रहेगा. तथापि, घरेलू मांग तथा निर्यात की लोचशीलता को देखते हुए भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011-12 के दौरान भी इसी स्तर के आसपास बना रहेगा.

### वर्ष 2010-11 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वर्ष 2008-10 की वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद कड़ी नियामक निगरानी के फलस्वरूप वर्ष 2010-11 के दौरान मजबूत बन कर उभरा है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत एवं सामयिक कार्यवाही तथा सरकार की ओर से आर्थिक सुधारों के समर्थन से वर्ष 2010-11 के दौरान बैंकिंग कारोबार में पर्याप्त वृद्धि हुई है.

चूंकि वर्ष 2010-11 के दौरान मुद्रा स्फीति नीतिगत चिन्ता का प्रमुख कारण बनी रही, भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रा स्फीति को रोकने सम्बंधी उपायों के फलस्वरूप मुद्रा तथा नकदी स्थितियां पूर्ववत बनी रही. मई 2010 के अन्त में 'नकदी सम्बंधी स्थितियां' भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सरकारी शेषों में अत्यधिक वृद्धि जो 3 जी/बी डब्ल्यू ए नीलामियों तथा अग्रिम कर आउट फ्लो के कारण हुई, के कारण घाटे की स्थिति बन गई है. वर्ष के दौरान अधिकांशतः जमा तथा ऋण वृद्धि में असंतुलन तथा अत्यधिक नकदी की मांग जैसे ढांचागत कारणों के चलते नकदी पर दबाव बना रहा. तथापि बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त नकदी सहायता तथा दैनिक आधार पर द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने नकदी के दबाव को कम करने का प्रयास किया है.

वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने नकदी निधियों की उपलब्धता की स्थिति को सुधारने के लिए खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तथा अन्य उपाय किये. सरकारी व्ययों में वृद्धि तथा दिसम्बर के मध्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से वर्ष 2010-11 की अन्तिम तिमाही के दौरान नकदी स्थितियों में संतोषजनक सुधार हुआ.

वर्ष की समग्र स्थिति के रूप में भारतीय बैंकिंग उद्योग ने उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन प्रस्तुत किया जिसमें ऋणों में आशा से अधिक वृद्धि, देयताओं की तुलना में आस्तियों के मामले में तीव्र पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप निवल ब्याज मार्जिन में सुधार तथा उच्च ऋण जमा अनुपात प्रमुख कारक रहे. वर्ष 2010-11 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के गैर खाद्यान्न ऋणों में 21.2% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2009-10 में यह वृद्धि दर 17.1% थी. इसी प्रकार समग्र जमाओं में वर्ष 2010-11 के दौरान 15.8% की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई जबकि 2009-10 के दौरान यह वृद्धि दर 17.2% थी.

बैंक के वाणिज्यिक क्षेत्र में कुल कार्य निष्पादन (गैर खाद्यान्न ऋण तथा गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश) में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा इसमें वर्ष 2010-11 के दौरान 21.3% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान यह दर 16.9% थी. वर्ष 2010-11 के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत बना रहा. पिछले वर्ष की तुलना में गैर बैंक स्रोतों द्वारा वित्त पोषण में मामूली कमी आई.

बैंक ऋणों के वितरण का क्षेत्र व्यापक बना रहा तथा इस संदर्भ में सेवाओं तथा वैयक्तिक ऋणों के रूप में ऋण वितरण की वृद्धि दर अधिक रही. विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए अग्रिमों के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि औद्योगिक क्षेत्र के तहत दिए गए ऋणों में प्रमुखतः इन्फ्रास्ट्रक्चर, धातु एवं धातु उत्पाद, कपड़ा, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण तथा जेम एवं ज्वेलरी के लिए ऋण प्रदान किये गए. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में दिए गए ऋणों में वृद्धि उल्लेखनीय है चूंकि इसका सुदृढ़ आधार है.

अधिकांश बैंकों की आस्ति गुणवत्ता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं सीमाओं के अन्तर्गत रही.

बैंकिंग सुधारों की प्रक्रिया को वर्ष 2010-11 के दौरान और बल मिला. उदाहरणतः सरकार ने इस वर्ष बैंकिंग नियम (संशोधन) बिल 2011 लोकसभा में प्रस्तुत किया. इस बिल में विद्यमान बैंकिंग नियम में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया है:

- राष्ट्रीयकृत बैंकों के शेयरधारकों के मतदान अधिकार मौजूदा 1.0% से बढ़ाकर 10.0% करना. निजी बैंकों के लिए मतदान अधिकार निवेशक शेयरधारिता के अनुपात में होंगे.
- निजी क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में बैंकिंग कम्पनी के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों की 10% के मतदान अधिकार की सीमा को हटाना.
- बैंकिंग व्यवसाय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को दो अतिरिक्त इन्स्ट्र्यूमेंट बोनस शेयर तथा राइट इश्यू जारी करने का अधिकार देना ताकि पूंजी बाजार से निधियां प्राप्त की जा सकें.
- किसी बैंकिंग कंपनी की 5.0% से अधिक की शेयर पूंजी अधिगृहीत करने के लिए यदि आवश्यक समझा जाए तो इस आशय का अनुमोदन देते समय भारतीय रिज़र्व बैंक को यथावश्यक शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देना.
- भारतीय रिज़र्व बैंक को इस आशय का अधिकार देना कि वह बैंकिंग कम्पनियों के सहयोगी उद्यमों से सूचनाएं एवं विवरणियां प्राप्त कर सके तथा उनका निरीक्षण कर सके.

संपदा क्षेत्र में बनी रही तेजी और लगातार उच्च ऋण मांग के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय बैंकिंग उद्योग का परिदृश्य सकारात्मक बना रहा.

### जोखिम प्रबंधन

विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिम उठाना बैंकिंग व्यवसाय के कार्यकलापों का अभिन्न अंग है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पास एक सुदृढ़ एवं एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि अनुमानित जोखिम परिभाषित मानदण्डों के अन्दर ही हो तथा यह पर्याप्त रूप से प्रतिपूरित रहे. बैंक के जोखिम प्रबंधन ढांचे में जोखिम प्रबंधन संरचना, जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली शामिल है.





## जोखिम प्रबंधन ढांचा

बैंक के पास विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय जोखिमों, जो कि मुख्यतः तीन श्रेणियों में यथा ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम विभाजित किये गए हैं, के प्रबंधन के लिए सुस्थापित जोखिम प्रबंधन ढांचा है।

बैंक का निदेशक मंडल सभी जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं कार्य योजनाओं का प्रमुख है तथा वह बैंक की समग्र जोखिम व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। कार्यदायित्वों के निर्वहन में एलएम तथा जोखिम प्रबंधन के लिए बोर्ड की उपसमिति इन्हें सहयोग प्रदान करती है तथा इनके सहयोग के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति की सेवाएं प्राप्त होती हैं।

**आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एलसीओ)** जमाओं तथा अग्रिमों के लिए उत्पाद लागत निर्धारण, आस्ति तथा देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक का ब्याज दर दृष्टिकोण, निधीयन नीति, मूल्य अन्तरण नीति तथा तुलनपत्र प्रबंधन नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप चर्चा करने के लिए आवधिक बैठकें आयोजित करती है।

**ऋण नीति समिति** के पास विभिन्न उद्यमवार ऋण जोखिम कार्ययोजना, ऋण नीति बनाने सहित विभिन्न योजनाएं तैयार करके उन्हें कार्यान्वित करने का अधिकार एवं जिम्मेदारी है तथा यह नियमित आधार पर ऋण जोखिम कार्यों की निगरानी भी करती है।

**परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)** एक कार्यपालक समिति है जिसका गठन सुनिश्चित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया तैयार कर उसकी समुचित निगरानी करते हुए संस्था के परिचालनगत जोखिमों का न्यूनतम करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

## जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम उठाने तथा जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में बैंक के सिद्धान्तों के सारांश को प्रस्तुत करती है। ये सिद्धान्त उत्कृष्ट प्रक्रियाओं तथा प्रारूपों का ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ताकि हितों के परस्पर टकराव/विरोध से बचा जा सके। बैंक ने विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन तथा इनकी मॉनिटरिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के रूप में विस्तृत जोखिम कार्यनीति तैयार की है। बैंक में जोखिम प्रबंधन से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों/ अधिकारियों को मार्गदर्शन देने के लिए तथा उनके तत्काल संदर्भ के लिए बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन तथा समूह जोखिम नीति, घरेलू ऋण नीति, मिड आफिस पालिसी, पिलर III प्रकटीकरण नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तथा आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (ICAAP), संपार्श्विक प्रबंधन तथा क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन एण्ड स्ट्रेस टेस्ट पालिसी तैयार की है जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।

## जोखिम प्रबंधन - कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग प्रणाली

वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में बैंक को पेश आनेवाले प्रमुख जोखिम नकदी जोखिम, ऋण जोखिम तथा परिचालन जोखिम हैं।

### नकदी जोखिम

बैंक के नकदी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त नकदी बनाए रखना है (नकदी निधियों को उचित लागत पर प्राप्त करने सहित) ताकि देय होने पर सभी अपेक्षाओं एवं प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके तथा सामान्य

बैंकिंग परिचालन संचालित किये जा सकें। बैंक के नकदी जोखिम के आकलन तथा इसकी मॉनिटरिंग की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता प्रबंधन समिति की है। बैंक नकदी जोखिम का प्रबंधन परम्परागत गैप पद्धति अथवा फ्लो पद्धति और स्टॉक पद्धति से करता है। परम्परागत गैप पद्धति अथवा फ्लो पद्धति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न टाइम बक्केट्स में नकदी असमानता का आकलन करने में सहायक होती है। आकलन तथा मॉनिटरिंग दैनिक आधार पर ढांचागत नकदी विवरणी तैयार कर तथा डायनामिक तरलता विवरणी तैयार कर डायनामिक आधार पर की जाती है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि नकारात्मक नकदी स्थिति निर्धारित सीमा में तथा एलएम तथा ग्रुप रिस्क पालिसी के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है। निर्धारित सीमाओं की अवहेलना की सूचना आस्ति देयता प्रबंधन समिति तथा इसके बाद निदेशक मंडल को दी जाती है। स्टॉक पद्धति में बैंक ने विभिन्न गतिविधियों यथा दैनिक कॉल लेंडिंग, दैनिक काल उधारियों निवल अल्पावधि उधारियों, ग्राहक जमा अनुपात में निवल क्रेडिट, मुख्य आस्ति अनुपात आदि के लिए (सीमा) कैंप की श्रृंखला निर्धारित की है। विदेशी मुद्रा में नकदी की स्थिति का आकलन बैंक की विशिष्ट एकीकृत ट्रेजरी शाखा करती है। विदेशी परिचालनों के लिए कार्पोरेट आस्ति देयता प्रबंधन नीति अलग से तैयार की गई है। इसके माध्यम से प्रत्येक विदेशी क्षेत्र की स्थिति की निर्धारित चलनिधि अन्तराल में निगरानी की जाती है।

‘स्ट्रेस टेस्ट पालिसी’ के तहत सम्बद्ध दिशानिर्देशों के अन्तर्गत नियमित अन्तराल पर बैंक की समग्र नकदी स्थिति की समीक्षा की जाती है। आस्ति देयता प्रबंधन तथा ग्रुप रिस्क पालिसी के अन्तर्गत आकस्मिक फंडिंग योजना तैयार की गई है जो कि घरेलू परिचालनों के लिए है। इसी प्रकार विदेशी परिचालनों के लिए कार्पोरेट आस्ति देयता प्रबंधन पालिसी है जो विभिन्न कठिन परिस्थितियों में नकदी के दबाव का सामना करने में बैंक की मदद करती है।

### ऋण जोखिम

ऋण जोखिम एक ऐसा जोखिम है जिसमें काउंटर पार्टी वित्तीय लेनदेनों के अपने दायित्व को पूरा नहीं करती है। परिणामस्वरूप बैंक को वित्तीय हानि होती है। ऋण जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में पहचान, आकलन, मॉनिटरिंग तथा ऋण एक्सपोजर पर नियंत्रण शामिल है।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन तथा जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल द्वारा गठित बोर्ड की एक उप समिति है जो कि विशेष रूप से बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों का समन्वयन करती है तथा इनकी देखरेख करती है। इस उप समिति को ऋण नीति समिति रिपोर्ट करती है जिसकी भूमिका विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियों को तैयार करना, लागू करना तथा बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित आधार पर निगरानी करना है।

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए प्रयुक्त तन्त्र एवं उपाय निम्नलिखित हैं -

- ऋण निवेश सीमा (एक्सपोजर सीलिंग) – ऋण एक्सपोजर सीमाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण उपायों को ध्यान में रखते हुए बैंक की पूंजीगत निधियों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित तथा बैंक द्वारा तैयार निर्धारित ये ऋण सीमाएं घरेलू ऋण नीति में दी गई हैं। ये सीमाएं एकल/ग्रुप उधारियों, उद्योग एक्सपोजरों, बेजमानती अग्रिमों, प्रमुख ऋणियों आदि से संबंधित हैं।



- ऋण अनुसंधान/संविभाग संवीक्षा: जोखिम प्रबंधन विभाग का कार्पोरेट अनुसंधान कक्ष उद्योग प्रोफाइल/उत्पाद प्रोफाइल, सभी उद्योगों/उत्पादों के अध्ययन का कार्य करता है तथा इसे बैंक के ऋण अधिकारियों को उपलब्ध कराता है। संविभाग समीक्षा कक्ष संविभाग संवीक्षा अध्ययन कार्य करता है जिसमें संवितरण, वृद्धि, संरचना, कमियां, ऋण गुणवत्ता, रेटिंग केन्द्रीकरण, धारित ब्याज दर तथा संविभाग स्तर पर ऋण जोखिम के आकलन में चूक की कीमत शामिल है। सम्बद्ध रिपोर्ट नियमित रूप से ऋण नीति समिति तथा आस्ति देयता प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड की उप समिति को प्रस्तुत की जाती है।
- जोखिम रेटिंग मॉडल: बैंक के पास व्यापक जोखिम रेटिंग मॉडल है जो कि एक विशिष्ट स्केल पर विशेष ऋण संव्यवहार के लिए ऋण जोखिम के स्तर को परिभाषित करता है। यह मॉडल सभी रेटिंग ग्रेड्स के लिए चूक की संभावना के स्तर का आकलन करता है। यह एक विशिष्ट ऋण नीति के लागत निर्धारण में भी सक्षम है।

इनके अलावा बैंक की स्ट्रेस टेस्टिंग पॉलिसी के अनुरूप ऋण जोखिम संविभाग के स्ट्रेस टेस्टिंग तथा परिदृश्य विश्लेषण भी नियमित अन्तराल पर किये जाते हैं।

### बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ब्याज दरों अथवा प्रतिभूतियों के मूल्य, विदेशी मुद्रा तथा इक्विटियों के बाजार स्तर में परिवर्तन तथा उतार चढ़ाव के कारण बैंक की आय तथा पूंजी को होने वाले जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। बाजार जोखिम प्रबंधन नकदी, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा तथा इक्विटी तथा बैंक के वस्तु मूल्य जोखिम के आकलन का व्यापक एवं गतिशील आधार/ढांचा उपलब्ध कराता है जिसका बैंक की व्यावसायिक कार्यनीति के अनुरूप समाकलन अपेक्षित है। व्यापार बही में बाजार जोखिम को विद्यमान समुचित नियंत्रण कार्यप्रणाली के तहत मानिटर एवं संचालित किया जाता है। इसका उल्लेख बैंक की निवेश नीति, मिड आफिस पॉलिसी तथा स्ट्रेस टेस्टिंग पॉलिसी में किया गया है। मानिटरिंग रिपोर्ट परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति/आस्ति देयता प्रबंधन तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी बोर्ड की उपसमिति को मासिक/तिमाही आधार पर भेजी जाती है।

बैंक के एक वित्तीय मध्यस्थ होने के कारण इसके लिए मुख्य जोखिम ब्याज दर जोखिम है। ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तनों का तत्काल प्रभाव बैंक की आय पर पड़ता है जो इसकी निवल ब्याज आय में परिवर्तन से होता है। ब्याज दरों में परिवर्तन का दीर्घकालीन प्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ता है।

ब्याज दर जोखिम को जब इन दो संभावनाओं के परिपेक्ष्य में देखा जाता है तो इन्हें आय प्रॉसपेक्टिव तथा आर्थिक मूल्य प्रॉसपेक्टिव के रूप में जाना जाता है। तदनुसार बैंक ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाता है।

1. परम्परागत गैप विश्लेषण जो कि दैनिक आधार पर ब्याज दर सेंसेटिव गैप रिपोर्ट तैयार कर किया जाता है।
2. आय जोखिम – ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने पर शुद्ध ब्याज आय पर होने वाले प्रभाव की गणना। इसके तहत कुछ निश्चित कारकों तथा प्रतिफल कर्व जोखिम, मूल जोखिम तथा सन्निहित विकल्प जोखिम को भी ध्यान में रखा जाता है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर होने वाले प्रभाव का आकलन बैंक द्वारा तिमाही आधार पर किया जाता है।

3. निवेश संविभाग की अवधि तथा इक्विटी की संशोधित अवधि
4. जोखिम मूल्य – ट्रेजरी के संदर्भ में जोखिम मूल्य की गणना 99% कान्फिडेंस लेवल पर 10 दिन की धारित अवधि के आधार पर की जाती है।

व्यापार बही स्ट्रेस टेस्टिंग नियमित रूप से अस्थिरता तथा परिस्थितिगत विश्लेषण के माध्यम से की जाती है।

### परिचालन जोखिम

अपर्याप्त अथवा असफल आन्तरिक परिचालन प्रक्रिया व्यक्तिशः तथा प्रणाली अथवा बाह्य कारकों के कारण होनेवाले हानि जोखिम को परिचालन जोखिम कहा जाता है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए बैंक मुख्यतः आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। इसके अलावा परिचालन जोखिमों का नियमित निगरानी करने के लिए बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन तथा जोखिम प्रबंधन के लिए गठित बोर्ड की उपसमिति की देखरेख में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है। बैंक छःमाही आधार पर परिचालन जोखिम सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रहण तथा विभिन्न पैरामीटरों/मानदण्डों पर इनका विश्लेषण करता है और जहां कहीं आवश्यक हो सुधार हेतु उपाय किये जाते हैं।

### बासेल II संबंधी बैंक का अनुपालन

बैंक ऑफ बड़ौदा बासेल II के स्वरूप को लागू करने में देश के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रणेता बैंकों में से एक है जिसने 31.03.2008 से इसे लागू किया है। वर्तमान में बैंक ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) के आकलन के लिए बाजार जोखिमों हेतु मानक अवधि दृष्टिकोण को अपना रहा है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप बासेल I और बासेल II के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात का आकलन समानांतर रूप में करता है।

बैंक के सीआरएआर को निम्नानुसार सांराशीकृत किया गया है।

| दिनांक     | बासेल I | बासेल II |
|------------|---------|----------|
| 31.03.2009 | 12.88%  | 14.05%   |
| 31.03.2010 | 12.84%  | 14.36%   |
| 31.03.2011 | 13.02%  | 14.52%   |

बैंक ने बासेल II के दिशानिर्देशों के अनुरूप अग्रिम दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा तैयार की है। बैंक की एक रेटिंग पद्धति है, जिसके तहत 'रेटिंग के माइग्रेशन,' 'पी डी व एल जी डी के आकलन' के लिए आंकड़े उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। जिससे कि ऋण जोखिम आकलन के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण में सहजता से अंतरण किया जा सके। बैंक में आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण में सामान्य बाजार जोखिम के जोखिम मूल्य (वीएआर) (अर्थात जोखिम पर मूल्य) के आकलन की भी पद्धति है।

बासेल II के मानदंडों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पिलर II दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन नीति (आइसीएपी), संपर्शिक प्रबंधन तथा ऋण जोखिम को कम करने और स्ट्रेस टेस्ट नीति तैयार की है। यह नीति अन्य जोखिमों (ऋण के अतिरिक्त बाजार व परिचालनगत जोखिम) के आकलन की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है और अस्थिरता तथा परिस्थितिगत विश्लेषण के आधार पर स्ट्रेस टेस्टिंग करती है। नीति के तहत यह भी अपेक्षा है कि जोखिम प्रबंधन विभाग



जोखिम आधारित पूंजी योजना भी तैयार करें. जिससे कि बैंक की पूंजी को जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके और निरंतर आधार पर स्ट्रूस परिवेश विकसित हो सके.

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को छमाही आधार पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आईसीएपी और स्ट्रूस टेस्ट परिणाम से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराता है. तीन वर्ष के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पूंजी योजना वार्षिक आधार पर तैयार की जाती है. भारतीय रिज़र्व बैंक के बाजार अनुशासन दिशानिर्देश के पिलर III के तहत प्रकटीकरण बैंक द्वारा तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर किया जाता है. पिछला प्रकटीकरण 31 मार्च 2011 को किया गया. 31 मार्च 2011 का वर्षान्त प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है और इसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है.

### ऋण निगरानी कार्य

निरंतर आधार पर ऋण निगरानी अग्रिमों की आस्तियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण घटक है. बैंक में नए स्लिपेज को रोकने, ऋण संविभाग की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए व समय पर सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु विभिन्न स्तरों पर अग्रिमों की मॉनीटरिंग करने के लिए मासिक निगरानी पद्धति है

ऋण निगरानी के लिए कार्पोरेट स्तर पर महाप्रबंधक की देख रेख में एक अलग से विभाग व क्षेत्रीय/अंचल स्तर पर एक विभाग का गठन किया गया है. वैश्विक वित्तीय संकट के पूर्ववर्ती संकेतकों को ध्यान में रखते हुए इन विभागों ने सितम्बर 2008 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक की आंतरिक ऋण नीति के तहत स्लिपेज को रोकने के लिए तथा प्रारम्भिक स्तर पर ही निर्धारित शर्तों के अनुरूप संभावित रुग्ण खातों के आवश्यक पुनर्गठन के लिए सभी अंचल/क्षेत्रीय कार्यालय में स्लीपेज निवारक कार्य-दलों का गठन किया गया है. बैंक ने आस्तियों की गुणवत्ता को सुधारने और विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों/शाखाओं के निर्धारण के लिए कार्यनीति तैयार करने और समयबद्ध रूप से उसे लागू करने पर विशेष ध्यान दिया है.

कार्पोरेट स्तर पर ऋण निगरानी विभाग के मूल उद्देश्य निम्न प्रकार निर्धारित किये गए हैं.

- प्रारम्भिक अवस्था में ऋण खाते की कमियों/सम्भावित चूक/ शुरुआती स्तर पर रुग्णता की स्थिति का पता लगाना

- जब कभी भी किसी खाते में ऋण गुणवत्ता की क्षति अर्थात् ऋण रेटिंग में गिरावट, एल सी /गारंटी देयताओं को पूरा करने में देरी करने और ब्याज/ क्रिश्तों आदि की अदायगी में विलंब होने के संकेत मिलते हैं तो उन्हें रोकने के लिए समय पर उपयुक्त एवं सुधारात्मक कदम उठाना
- कठोर अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण रेटिंग में आने वाली गिरावट को रोकना.
- ऋण खातों की पुनः संरचना/पुनः निर्धारण/पुनः नियतन करने के लिए उपयुक्त मामलों तथा ऋणी के सहयोग प्रदान करने के आधार पर उपयुक्त एवं वास्तविक मामलों में आगे और वित्त प्रदान करने के मामलों की पहचान करना.
- खातों की समीक्षा एवं नियम तथा शर्तों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाकर/नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही करके बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार लाना.
- ऋण रेटिंग में सुधार करने के प्रयास करना.

### अग्रिम खातों का पुनर्गठन

आस्तियों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने की सतत व्यावसायिक कार्यनीति के तहत बैंक उद्योगवार एवं प्रत्येक ऋणकर्तावार अग्रिम संविभाग की गुणवत्ता में सुधार करने और इसकी निरन्तर मॉनीटरिंग करने के बारे में प्रतिबद्ध है.

इन प्रयासों का उद्देश्य सम्भावित समस्याओं का विश्लेषण करना तथा अग्रिम खातों में आरंभिक चरण में ही कमियों/ सम्भावित चूक /शुरुआती अस्वस्थता का पता लगाना शामिल है ताकि ऋण गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें.

कार्पोरेट कार्यालय में ऋण निगरानी विभाग ने अग्रिम खातों में शुरुआती रुग्णता/संभावित चूक/कमजोरी की पहचान करने के लिए कई पहलों की हैं ताकि स्लिपेज को रोकने के लिए पात्र मामलों में पुनर्रचना सहित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके और उत्कृष्ट आस्ति गुणवत्ता बनायी रखी जा सके.

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने अनेक अग्रिम खातों का पुनर्गठन किया जिनका विवरण निम्नानुसार है.

### अग्रिम खातों का पुनर्गठन (घरेलू) - 2010-11

(₹ करोड़ों में)

| विवरण                    |                  | सी डी आर पद्धति | एस एम ई पुनर्गठन | अन्य   | कुल      |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|----------|
| पुनर्गठित मानक अग्रिम    | ऋणियों की संख्या | 3               | 198              | 9,764  | 9,965    |
|                          | बकाया राशि       | 166.01          | 382.68           | 889.74 | 1,438.43 |
| पुनर्गठित अव मानक अग्रिम | ऋणियों की संख्या | 1               | 21               | 129    | 151      |
|                          | बकाया राशि       | 154.24          | 4.38             | 4.42   | 163.04   |
| पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम | ऋणियों की संख्या | 0               | 13               | 108    | 121      |
|                          | बकाया राशि       | 0               | 0.04             | 2.32   | 2.36     |
| कुल                      | ऋणियों की संख्या | 4               | 232              | 10,001 | 10,237   |
|                          | बकाया राशि       | 320.25          | 387.10           | 896.48 | 1,603.83 |



साथ ही, अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 71 ऋणियों के ऋण खातों का पुनर्गठन किया जिनमें कुल बकाया राशि रु 2973.66 करोड़ थी।

बैंक ने उच्च मूल्य वर्ग के अग्रिम खातों में बैंक के ऋण संविभाग की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अग्रिम खातों की गहन समीक्षा, नियम एवं शर्तों का अनुपालन, ऋण रेटिंग आदि के उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करने की पहल भी की।

### आर्थिक आसूचना इकाई

बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में कार्यरत विशेष आर्थिक आसूचना इकाई, नीतिपरक व्यवसाय आयोजना, निवेशक संबंध एवं ऋण तथा आस्ति देयता प्रबंधन बाजार जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रबंधन वर्ग को सहयोग देती है। यह इकाई नियमित रूप से उच्च प्रबंधन वर्ग तथा बैंक की विभिन्न परिचालन इकाइयों को समय-समय पर प्रमुख क्षेत्रों में जैसे औद्योगिक एवं संगठनात्मक विकास, मुद्रा स्थिति ब्याज दर, स्टॉक संचालन, ऋण विस्तार एवं बैंकिंग उद्योग हेतु संसाधन जुटाना, तरलता एवं विनिमय दरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में आवधिक रूप से जानकारी प्रदान करती है।

व्यापक आर्थिक पहलुओं, कार्पोरेट और वित्तीय क्षेत्र की नीतियों के संबंध में बेहतर समझ प्रदान कर बैंक ऑफ बड़ौदा की आर्थिक आसूचना इकाई व्यावसायिक अवसरों का अधिकतम फायदा उठाने हेतु बैंक के प्रयासों और बाजार के समीकरणों के हिसाब से अपने को अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करती है।

आर्थिक आसूचना इकाई द्वारा व्यापक आर्थिक पहलुओं, विनिमय संबंधी प्रगति के संबंध में एक साप्ताहिक ई बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है। ताकि बैंकों, निवेशकों, नियामकों व अन्य शीर्ष उद्योगों को अपने सरोकारों से अवगत कराया जा सके। यह इकाई आर्थिक गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत करते हुए बैंक की बौद्धिक शक्ति के रूप में काम करती है जिसके आधार पर भविष्य में संतुलित कार्यनीतियां तैयार होती हैं।

### आंतरिक नियंत्रण पद्धति

चूंकि बैंक ने वर्ष दर वर्ष व्यावसायिक लक्ष्यों को पार कर विकास की तेज गति को निरंतर बनाए रखा है, केंद्रीय निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग (सीआईएडी) ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है कि परिचालनगत इकाइयों द्वारा बैंक की कार्यप्रणालियों, नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है। सीआईएडी, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, पुनः सुनिश्चित करता है कि तेज व्यावसायिक गति को बनाए रखते हुए नियंत्रण के स्तरों में कोई कमी नहीं आती है। सीआईएडी का यह ध्येय है कि शाखाओं को यथासंभव सहायता व मार्गदर्शन प्रदान कर अनुपालन को कार्य संस्कृति का एक हिस्सा बनाया जाए और यह व्यवसाय के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले।

सीआईएडी, प्रधान कार्यालय बड़ौदा में स्थित है और विभिन्न निरीक्षण/लेखा परीक्षा गतिविधियों का संचालन 207 निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो वरिष्ठ कार्यपालकों की देख रेख में कार्यरत दस अंचल निरीक्षण केंद्रों से संबद्ध हैं।

सीआईए.डी. यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) द्वारा अनुमोदित सुपरिभाषित लेखा नीतियों, निरीक्षण मैनुअल का

अनुपालन विभिन्न लेखा परीक्षा जैसे जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आईबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षा, सूचना पद्धति लेखा परीक्षा, विदेशी विनिमय व्यवसाय लेखा परीक्षा, एच आर लेखा परीक्षा, केवायसी - एएमएल लेखा परीक्षा, प्रबंधन लेखा परीक्षा में हो। जोखिम का स्तर और इसकी दिशा का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मैट्रिक्स द्वारा किया जाता है। जिससे अत्यंत जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान में सहायता मिलती है और जिन पर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है। जोखिमों के वर्गीकरण की स्थिति और संमिश्रित शाखा रेटिंग की समीक्षा तिमाही आधार पर एसीबी द्वारा की जाती है।

आरबीआईए और अन्य निरीक्षण/लेखा परीक्षा का मूल उद्देश्य निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन को बैंक परिचालन में जोखिम प्रबंधन की पर्याप्तता व प्रभावशीलता व नियंत्रण स्वरूप के बारे में पर्याप्त आश्वासन देना है। इनका अनुपालन मानिट्रिंग नियंत्रण कार्यालय के प्रमुख के हस्ताक्षरयुक्त सुधारात्मक प्रमाणपत्र की प्रस्तुति से की जाती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 8,538 लेखा परीक्षण कार्य सौंपे एवं सम्पन्न किये गए जिनमें आरबीआईए की 2534 शाखाएं, 60 रिटेल ऋण फैंक्टरी, 64 एसएमई ऋण फैंक्टरी, 255 विदेशी मुद्रा लेखा परीक्षण और 5625 अन्य लेखा परीक्षण शामिल हैं। जोखिम के संवर्ग को ध्यान में रखते हुए आगामी निरीक्षण की आवधिकता तय की जाती है।

दैनिक परिचालन में होने वाले जोखिम की पहचान करने, आकलन, मानिट्रिंग करने और जोखिम कम करने के लिए व्यावसायिक रूप से सक्षम सनदी लेखाकारों की फ़र्म के संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण निरंतर/दैनिक आधार पर किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप ऋण की गुणवत्ता और बड़े ऋणों के बारे में अनुपालन स्तर का आकलन करने के लिए हमारे बैंक में ऋण लेखा परीक्षा की पद्धति अपनाई गई है। ऋण लेखा परीक्षा पद्धति से पहले से ही संकेत, यदि कोई हो, मिल जाते हैं जिससे कि ऋण प्रशासन में समय रहते ही समुचित सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। वर्ष 2010-11 के दौरान 2,800 ऋण खातों की ऋण लेखा परीक्षा की गई जिनमें लगभग 1,60,815 करोड़ रुपए की निधि व गैर निधि ऋण सीमा का समावेश था। जो कि ऋण संविभाग का लगभग 70% है।

### पहल/कार्यनीति

- कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के अंतर्गत 100% शाखाएं होने के कारण बदली हुई अनुपालन अपेक्षाओं के अनुरूप निरीक्षण रिपोर्ट के प्रोफार्मा, उसके सार व स्कोरिंग के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है।
- कुछ अत्यंत जोखिम वाले मानदंडों को 'शून्य स्वीकार्यता' के रूप में निर्धारित किया गया है और इनका अनुपालन निरंतर आधार पर किया जाता है।
- केंद्रीय निरीक्षण प्रभाग कुछेक रिपोर्टें फिनाकल (अर्थात् सीबीएस सॉ फ्टवेअर) से जनरेट करता है तथा पाई गई अनियमितताओं के बारे में शाखाओं को सूचित करते हुए उचित सुधार हेतु ऑफ-साइट निगरानी करता है।
- संगामी लेखा परीक्षकों के साथ विभिन्न केन्द्रों पर नियमित बैठकें की जाती हैं। तथा लेखा परीक्षकों व लेखा परीक्षकों के स्टाफ के लिए फिनाकल कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।





## वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2010-11

- आरबीआईए(जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा) के दायरे का विस्तार किया गया है ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों, विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाली बी श्रेणी की शाखाओं तथा करेन्सी चेस्टों को कवर किया जा सके.
- कुछ विशिष्ट सेवा केन्द्रों जैसे रिटेल लोन फॅक्टरी, एसएमई लोन फॅक्टरी सिटी बैंक ऑफिस, रीजनल बैंक ऑफिस के निरीक्षण के लिए फार्मेट बनाए गए /संशोधित किये गए हैं ताकि अनुपालन में सुधार किया जा सके.

बैंक ने जोखिम प्रबंधन तथा जोखिम आधारित निरीक्षण कार्यकलापों को पूरा करने के लिए कुशल तथा प्रशिक्षित कार्मिकों की सूची बनाने हेतु सक्रिय कदम उठाए. बैंक ने अपने स्टाफ सदस्यों के लिए आन्तरिक नियंत्रण पद्धति के विभिन्न पहलुओं पर आन्तरिक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, साथ ही अपने स्टाफ को बाहरी प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा.

### परिचालन एवं सेवाएं

#### ग्राहकोन्मुखी प्रयास

उत्कृष्ट ग्राहक सेवा तथा ग्राहक संतुष्टि हमेशा से ही बैंक के रोजमर्रा परिचालन के मूल उद्देश्य रहे हैं. बैंक ग्राहकों की जरूरतों एवं संतुष्टि के प्रति हमेशा से ही अति संवेदनशील रहा है एवं ग्राहकों को सतत आधार पर उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं, उत्पादों एवं कर्मचारी कौशल के प्रति निरन्तर प्रतिबद्ध है.

हाल ही में बैंक ने शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु अनेक उपाय किये हैं. साथ ही इसने ग्राहक शिकायतों को तत्काल दूर करने हेतु ग्राहक शिकायत निपटान प्रणाली को सुदृढ़ किया है.

#### शाखाओं के स्तर पर ग्राहक सेवा में सुधार के प्रयास

शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठकों, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनरों सहित समाज के हरेक तबके को आमंत्रित किया जाता है, के



माध्यम से ग्राहक सेवा की गुणवत्ता के संबंध में फीड बैक प्रदान किया जाता है. इन बैठकों के दौरान प्राप्त सुझावों/विचारों को समेकित कर शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा के सुधार के संबंध में इनके कार्यान्वित किये जाने की व्यवहार्यता की जांच की जाती है.

बैंक सभी डिलीवरी चैनलों के माध्यमों से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर ध्यान दे रहा है तथा विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की विविध जरूरतों के लिए समुचित वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों तथा ई उत्पाद प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के द्वारा प्रदान करके ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. ग्राहकों के विविध हितों तथा आकांक्षाओं का विभिन्न प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में सुधार कर के ध्यान रखा जा रहा है.

### अनुपालन

बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है तथा बैंक ने बीसीएसबीआई द्वारा अगस्त 2009 में संशोधित ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता संहिता तथा माइक्रो एवं लघु उद्योगों के प्रति वचनबद्धता संहिता को अंगीकृत कर लिया है. बैंक की वेबसाइट पर संहिता प्रदर्शित की गई है और इसे शाखाओं में ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वर्ष 2010-11 की वार्षिक मुद्रा एवं ऋणनीति की घोषणा करते समय प्रस्ताव किया था कि सभी बैंकों को ग्राहक सेवा/ ग्राहक सरोकारों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श तथा समीक्षा करने के लिए 6 महीने में एक बार बोर्ड की बैठकों में समय देना चाहिए. इसके अनुपालन में बैंक के बोर्ड ने जनवरी- जून 2010 तथा जुलाई-दिसंबर 2010 में ऐसी दो समीक्षा बैठकें आयोजित की. ये बैठकें बैंक के बोर्ड की दिनांक 20 नवंबर 2010 तथा 26 मार्च 2011 को हुई बैठकों के दौरान आयोजित की गई.

### निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में ग्राहक सेवा के लिए निदेशक मंडल की उपसमिति का गठन किया है. 31 मार्च 2011 को इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे.

1. श्री एम.डी मल्या- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री राजीव कुमार बक्षी- कार्यकारी निदेशक
3. श्री एन एस श्रीनाथ - कार्यकारी निदेशक
4. डॉ मशरत शाहिद – निदेशक
5. श्री मौलिन वैष्णव- निदेशक

उप समिति द्वारा नीतियों का निर्माण एवं अनुपालन की समीक्षा की जाती है. जिससे ग्राहक सेवा में सतत सुधार सुनिश्चित होता है. समिति द्वारा जमाकर्ताओं/लॉकर धारकों/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं संबंधी मृतक व्यक्तियों के 15 दिनों की अवधि से अधिक अवधि के निपटाने हेतु लंबित दावों की स्थिति की निगरानी भी की जाती है. यह बैंकिंग लोकपाल के निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती है. समिति ऐसे निर्णयों में दर्शाई गई बैंक की संस्थागत कमियों, यदि कोई हो, का भी विवरण प्रदान करती है. निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति की बैठकों, जिनकी बैठकें वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान दिनांक 21 जून 2010, 4 दिसंबर 2010, 27 दिसंबर 2010 तथा 26 मार्च 2011 को हुई थी, में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है.



| निदेशक का नाम          | अवधि                        | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया |
|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| श्री एम.डी मल्या       | 1.04.2010 से<br>31.03.2011  | 4  | 4                                |
| श्री राजीव कुमार बक्षी | 1.4.2010 से<br>31.3.2011    | 4  | 4                                |
| श्री एन एस श्रीनाथ     | 1.4.2010 से<br>31.3.2011    | 4  | 4                                |
| डॉ मशरत शाहिद          | 1.04.2010 से<br>31.3.2011   | 4  | 4                                |
| श्री मौलिन वैष्णव      | 3.9.2010 से<br>31.3.2011    | 2  | 2                                |
| श्री ए. सोमसुन्दरम     | 01.04.2010 से<br>30.07.2010 | 1  | 1                                |

### ग्राहक सेवा संबंधी स्थाई समिति

बैंक ने ग्राहक सेवा संबंधी प्रक्रिया तथा निष्पादन लेखा परीक्षा की स्थाई समिति गठित की है। इस समिति में बैंक के दोनों कार्यकारी निदेशक, 4 महाप्रबंधकों सहित -3- प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्यों के रूप में शामिल हैं। यह समिति ग्राहक सेवा के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समय पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गठित की गई है। साथ ही यह बैंक में प्रचलित व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करने एवं निरन्तर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करते रहने का भी कार्य कर रही है।

शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समिति की बैठकों में जो सुझाव आते हैं उन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से तिमाही आधार पर प्रधान कार्यालय द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तथा इन्हें निष्पादक लेखा परीक्षा संबंधी स्थाई समिति के समक्ष रखा जाता है। फिर समिति की बैठकों का फीडबैक, निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

### ग्राहक केन्द्रित उपाय एवं शिकायतों का निपटान

- बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी तथा ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली बनाई है। बैंक से संबंधित शिकायतों के लिए प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक – प्रभारी परिचालन एवं सेवाएं विभाग, को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अंचल तथा क्षेत्रीय स्तरों पर अंचल प्रमुख तथा क्षेत्रीय प्रमुखों को, संबंधित अंचलों तथा क्षेत्रों में नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारियों के नाम तथा उनके टेलीफोन नम्बर सभी शाखाओं में प्रदर्शित किये गए हैं।
- ग्राहक सेवा तथा शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में समीक्षा नोट प्रत्येक तिमाही में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति तथा अवधि के दौरान ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दी जाती है।
- ग्राहक शिकायतों को पूरी तरह दूर करने तथा बाधा रहित ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण किया जाता है तथा समय पर समुचित कार्रवाई की जाती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो।

- बैंक के पास ग्राहक सेवा के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं तथा इन्हें बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

निचले स्तर पर ग्राहक समितियों तथा विभिन्न अध्ययनों/सर्वेक्षणों से प्राप्त फीडबैक/सुझावों के आधार पर बैंक ने समीक्षा वर्ष के दौरान शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए ग्राहकोन्मुख कदम उठाए तथा पहल की।

### केवाईसी/एमएल/सीएफटी

अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी) मानदंड धनशोधन निवारक (एमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना(सीएफटी) तथा पीएमएलए 2002 के अन्तर्गत बैंक का दायित्व

बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित केवाईसी- ए एम एल- सीएफटी पॉलिसी है। यह नीति बैंक के केवाईसी मानदंडों, एमएल मानकों, सीएफटी उपायों का तथा धन शोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अन्तर्गत उपायों का मूल आधार है।

बैंक में केवाईसी – एमएल- सीएफटी कार्यान्वयन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नकदी लेनदेन रिपोर्ट जनरेट करना और कंप्यूटर के माध्यम से इन्हें वित्तीय आसूचना इकाई को प्रस्तुत करना।
- प्रणाली आधारित संकेतों (एलर्टस) को जनरेट करने हेतु 'एमएल सोल्यूशन' का संस्थापन/कार्यान्वयन।
- संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों (एसटीआर) का प्रणाली आधारित तरीके से पता लगाना तथा वित्तीय आसूचना इकाई को प्रस्तुत करना।
- बैंक के ग्राहकों के खातों का प्रत्येक छमाही में प्रणाली आधारित जोखिम वर्गीकरण (एमएल के द्वारा) करना।
- जाली मुद्रा/ रिपोर्टों (सीसीआर) को वित्तीय आसूचना इकाई नई दिल्ली को प्रस्तुत करना।

केवाईसी के पूर्ण अनुपालन से स्टाफ के साथ साथ ग्राहक को भी शिक्षित करने में मदद मिलती है, जिसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

- बैंक ने ग्राहकों के लाभार्थ केवाईसी दस्तावेजों की सूची बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.com) पर प्रदर्शित की है।
- बैंक के इन्टरनेट पर केवाईसी - एमएल पेज उपलब्ध कराया गया है जिस पर केवाईसी एमएल सी एफ टी शिक्षण से संबंधित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
- बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में केवाईसी-एमएल-सीएफटी दिशानिर्देशों से संबंधित नियमित प्रशिक्षण पत्र आयोजित किए जाते हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।
- बैंक के प्रधान कार्यालय में दक्षता हासिल करने हेतु कार्पोरेट दृष्टिकोण तथा शाखाओं में केवाईसी ऑडिट हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।



## सरकारी कारोबार

बैंक के सरकारी कारोबार विभाग ने वर्ष 2010-11 के दौरान मुख्य रूप से तीन कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित किया है। ये हैं- नियन्त्रण एवं रखरखाव, व्यवसाय विकास एवं पेंशन बैंक आफिस।

विभाग ने अपने कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली में सहायक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में विशेष कक्ष की स्थापना की है ताकि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। वर्ष 2010- 11 के दौरान इस विभाग की उल्लेखनीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

1. बैंक को देश के सभी सेन्ट्रल सिविल पेन्शनरों के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया।
2. साथ ही, रेलवे बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, सीजीए ने सिंगल विन्डो स्कीम के तहत रेलवे पेंशनरों के पेंशन भुगतान के लिए प्राधिकृत कर दिया जिसके अन्तर्गत प्रदत्त पेंशन राशि की प्रतिपूर्ति सीएएस नागपुर से की जाएगी।
3. दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 55000 से अधिक रेलवे पेन्शनरों की पेंशन की प्रोसेसिंग, अब सिंगल विन्डो स्कीम के तहत सीपीपीसी द्वारा की जाएगी।
4. समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक को तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली में राज्य कर (स्टेट टैक्स) के लिए ई – भुगतान हेतु प्राधिकृत किया गया है।
5. ई स्टांपों की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग ऑफ इंडिया (एससीएचआईएल) के साथ करार हो चुका है। यह व्यवसाय गुजरात राज्य में शुरू हो चुका है।
6. पेंशनरों के लिए विशेष बैंक बचत उत्पाद 'बड़ौदा पेंशनर्स बचत बैंक खाता' शुरू किया गया जिसमें पेंशनर अपने दो माह की पेंशन राशि के समतुल्य का ओवर ड्राफ्ट ले सकते हैं।
7. तमिलनाडू तथा गुजरात राज्य में आरटीओ शुल्क की वसूली।
8. इसके अलावा, बैंक अब, रेलवे प्राप्तियों तथा भुगतान व्यवसाय हेतु, भारतीय स्टेट बैंक का सब - एजेन्ट होने के बजाय डायरेक्ट एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है।
9. सभी भारतीय ग्राहकों के लाभार्थ बैंक ने एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है जिसमें पी पी एफ / एस सी एस एस व्यवसाय के लिए 700 अतिरिक्त शाखाएं प्राधिकृत करने का अनुरोध किया गया है।
10. बैंक ने स्वचालित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत पोस्टल तथा रेलवे प्राप्तियों व भुगतान व्यवसाय हेतु संशोधित लेखा पद्धतियों और प्रणालियों को कार्यान्वित कर दिया ताकि नेगेटिव फ्लो के कारण होने वाली हानि से बचा जा सके।
11. ए टी एम के माध्यम से आयकर के भुगतान की शुरुआत करना।
12. ग्राहक इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा "बड़ौदा कनेक्ट" के माध्यम से जमा किये गए आयकर के 26 एस विवरण को देख सकते हैं।
13. बैंक को देश के सभी स्थानों पर ई- मोड के जरिए सीमा शुल्क की वसूली के लिए प्राधिकृत किया गया है

## सतर्कता

बैंक में सतर्कता संबंधी कार्यकलाप प्रबंधकीय कार्यकलापों का एक अविभाज्य अंग है जिनका प्रमुख उद्देश्य है -1 ईमानदारी सुनिश्चित करना 2. निर्दोषों को बचाना (अर्थात् गुणवत्तापूर्ण निर्णयों को समर्थन देना) 3. निष्ठा के लिए अराजक तत्वों को दूर करना 4. वित्तीय तथा बैंक की प्रतिष्ठा दोनों ही क्षेत्रों में हानियों से बचाव करना।

व्यवसाय हानि, जो सही वाणिज्यिक निर्णय के फलस्वरूप हुई है तथा असाधारण हानि, जो बदनीयत या लापरवाही से कर्तव्य का निर्वाह न करने कारण हुई है, के बीच विवेकपूर्ण भेद किया गया है। एक ओर तो हमें अपने कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रखना है, वहीं दूसरी ओर बेईमान व्यक्तियों के प्रयासों को विफल कर देना है। इसके लिए विभागीय कार्रवाई को निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।



श्री एम.डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैंकों से संबंधित सतर्कता पर तिमाही "बॉब विजिलेंस न्यूजलेटर" का विमोचन करते हुए।

बैंक में कम्प्यूटरीकृत / ई-बैंकिंग परिवेश में उभरते नए जोखिम के क्षेत्रों में सतर्कता मशीनरी अपनी भूमिका बढ़े ही प्रभावी ढंग से निभा रही है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों के स्टाफ को विभिन्न निवारक उपायों के बारे में जागृत किया जा रहा है। बैंक भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार, निवारक, निरोधक तथा दंडात्मक सतर्कता के लिए समुचित कदम उठा रहा है।

बैंक के सतर्कता विभाग ने स्टाफ सदस्यों के बीच जालसाजी की विभिन्न कार्यप्रणालियों को शेर करने की दृष्टि से तिमाही विजिलेंस न्यूजलेटर का शुभारंभ किया है ताकि वे सावधान रहें और इस प्रकार के प्रयासों के शिकार न बनें। बैंक ने कर्मचारियों में कार्य करने की प्रक्रिया में सतर्कता एवं चौकसी को बढ़ावा देने हेतु धोखाधड़ी के प्रयासों का पता करने अथवा विफल करने / धोखाधड़ी से बैंक को बचाने वाले कर्मचारियों के लिए पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारंभ की है। परिचालन स्टाफ को जागरूकता, सतर्कता एवं निष्ठापूर्व प्रयासों से अराजक तत्वों द्वारा वित्तीय वर्ष अप्रैल 2010 से मार्च 2011 के दौरान 58 धोखाधड़ी के प्रयास विफल कर दिए गए जिसके फलस्वरूप बैंक बहुत बड़ी वित्तीय हानि से बच गया।

## कारोबार निष्पादन

वर्ष 2010-11 के दौरान व्यवसाय विकास के क्षेत्र में बैंक की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।





## संसाधन संग्रहण एवं आस्ति विस्तार

31 मार्च, 2011 को कुल संसाधनों की तुलना में बैंक की जमा राशियों की अंशधारिता 85.22% रही. कुल जमा राशियां रु. 2,41,261.93 करोड़ के स्तर से बढ़कर रु. 3,05,439.48 करोड़ हो गई जो पिछले वर्ष से 26.60% की वृद्धि दर्शाती है. कम लागत वाली जमा राशियों में महत्वपूर्ण घटक बचत बैंक जमा राशियों में 22.67% की वृद्धि हुई और ये रु. 52543.92 करोड़ से बढ़कर रु. 64,454.04 करोड़ हो गई. कुल जमा राशियों (घरेलू तथा वैश्विक) में कम लागत वाली जमा राशियों (चालू एवं जमा) का अंश 28.68% रहा और घरेलू जमा राशियों में यह प्रतिशत 34.36% रहा.

वर्ष 2010-11 के दौरान भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिटेल मियादी जमा राशियों पर 200 से 250 आधार अंक बढ़ाकर बहुत ही आकर्षक ब्याज दरें प्रदान की गईं, जिससे कम लागत वाली जमा राशियों में आकर्षण कम रहा. वर्ष 2010-11 के दौरान बैंकिंग उद्योग में कम लागत वाली, जमा राशियों (कासा) का अंश कुल जमा राशियों की तुलना में बड़ी तेजी से नीचे आ गया. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में भी घरेलू कासा का अंश वर्ष दर वर्ष आधार पर 35.63% से गिरकर 34.36% पर आ गया.

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के वैश्विक अग्रिमों में बैंकिंग उद्योग के औसत से अधिक 30.65% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई. घरेलू अग्रिमों में 28.69% की वृद्धि तथा विदेशी अग्रिमों में 36.59% की वृद्धि दर्ज हुई.

भारतीय बैंकिंग उद्योग से भिन्न वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ऑफ़ बड़ौदा की कुल ऋण वृद्धि (30.65%) इसके कुल जमा वृद्धि (26.60%) के समान ही रही.

## निधियों की संरचना - वैश्विक

| विवरण       | मार्च 2010 को समाप्त रु. करोड़ | मार्च 2011 को समाप्त रु. करोड़ | वृद्धि |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| जमा राशियां | 2,41,261.93                    | 3,05,439.48                    | 26.60% |
| घरेलू       | 1,85,500.25                    | 2,33,323.30                    | 25.78% |
| विदेशी      | 55,761.68                      | 72,116.18                      | 29.33% |
| उधार        | 13,350.09                      | 22,307.85                      | 67.10% |

| वैश्विक अग्रिम |                                |                                |        |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| विवरण          | मार्च 2010 को समाप्त रु. करोड़ | मार्च 2011 को समाप्त रु. करोड़ | वृद्धि |
| अग्रिम         | 1,75,035.28                    | 2,28,676.36                    | 30.65% |
| घरेलू          | 1,31,643.62                    | 1,69,407.86                    | 28.69% |
| विदेशी         | 43,391.66                      | 59,268.50                      | 36.59% |

## होलसेल बैंकिंग

मजबूत कार्पोरेट ऋण कल्चर तथा औसत बैंकिंग उद्योग से अधिक ऋण में सतत वृद्धि ही बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रमुख विभेदक कारक हैं.



हैदराबाद में कार्पोरेट होलसेल ग्राहकों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम. डी. मल्या.

बैंक का होलसेल बैंकिंग प्रभाग सभी प्रकार के ऋण उत्पाद एवं सेवाएं जैसे मीयादी ऋण, अल्पावधि ऋण, मांग ऋण, कार्यकारी पूंजी सुविधाएं, व्यापार वित्त उत्पाद, ट्रेजरी उत्पाद, पूरक ऋण, सामूहिक ऋण, संरचनात्मक ऋण, विदेशी मुद्रा, ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ऋण, भावी किराया प्राप्तियों के पेटे ऋण, आदि अपने बड़े एवं मध्यम कार्पोरेट ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रदान कर रहा है. ऋण उत्पाद ग्राहकों की जोखिम प्रोफाइल एवं निर्दिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किये गए हैं.

बेहतर उत्पाद डिलीवरी, सेवा उन्मुख व्यवहार, ग्राहकोन्मुख दृष्टिकोण अपनाते हुए समय से व तत्काल मंजूरी प्रदान करके बैंक ने अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों, घरेलू व्यापारिक केन्द्रों तथा प्रमुख सार्वजनिक कंपनियों को अनेक होलसेल बैंकिंग उत्पाद मुहैया कराने की व्यवस्था की है.

होलसेल बैंकिंग विभाग को वर्ष 2010-11 में "कार्पोरेट संबंधों को मजबूत करने का वर्ष" के उद्देश्य तथा मौजूदा ग्राहकों से व्यवसाय का अंश सुधारने के साथ शुरू किया गया था. इस प्रकार उनके साथ संबंधों को मजबूत बनाना था तथा जो ग्राहक हमारे बैंक से अबतक बैंकिंग नहीं कर रहे थे उनके साथ नए संबंधों का निर्माण करना था.

होलसेल बैंकिंग के तहत कार्पोरेट ग्राहकों को बड़े एवं मध्यम कार्पोरेट के रूप में निर्धारित किया जाता है. रु. 500 करोड़ से अधिक की वार्षिक बिक्री टर्न ओवर वाली कंपनियों को बड़े कार्पोरेट तथा रु. 150 करोड़ से रु. 500 करोड़ तक की वार्षिक बिक्री टर्न ओवर वाली कंपनियों को मिड कार्पोरेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

2010-11 के दौरान होलसेल बैंकिंग प्रभाग ने अपनी फास्ट ट्रेक योजना के माध्यम से पहली बार रु. 36318.67 करोड़ के 239 नए प्रस्ताव मंजूर किये और मौजूदा खातों में रु. 41660.31 करोड़ की बढ़ोत्तरी की. इस प्रकार इस विभाग से कुल मंजूरी बढ़कर रु. 77978.98 करोड़ पर पहुंच गई. इन मंजूरीयों से पिछले वर्ष की तुलना में रु. 7900 करोड़ की वृद्धि हुई. नई स्वीकृतियां मुख्यतः लोहा एवं इस्पात, मेटल एवं मेटल से बने उत्पादों, वाणिज्यिक रीयल एस्टेट, तथा संरचनात्मक क्षेत्रों जैसे पावर, रोड, टेलीकम्यूनिकेशन आदि को प्रदान की गई.





## होलसेल बैंकिंग में टर्न एराउन्ड टाइम (निपटान समय) में कमी

विभाग ने ऋण प्रशासन में सक्षम चैनलों के माध्यम तथा बेहतर परम्पराओं को अपनाते हुए तेजी से सुपर्दगी पर ध्यान केन्द्रित किया। इस बात के भी प्रयास किये गए कि निर्णयों की गुणवत्ता से समझौता किये बिना त्वरित निर्णय लिए जाएं। ऋण प्रस्ताव के प्रारूप को सरल बना दिया गया ताकि सभी मुख्य मुख्य सूचनाएं उद्देश्य को ध्यान में रखकर एकत्रित की जा सकें। इससे निर्णय जल्दी लिए जा सकेंगे। इस प्रक्रिया ने बैंक की निपटान अवधि को काफी हद तक कम कर दिया। विभाग का यह प्रयास है कि निपटान अवधि को स्वीकृति की आवश्यकताओं के अनुरूप 25 दिन से कम कर दिया जाए।

## परियोजना वित्त प्रभाग

होलसेल बैंकिंग के एक भाग, परियोजना वित्त प्रभाग ने वर्ष 2010-11 के दौरान 156 टी ई वी (तकनीकी व्यवहार्यता एवं अध्ययन) तथा परियोजनाओं के पुनरीक्षण एवं सामूहिक सौदों के माध्यम से कुल रु. 19.14 करोड़ की शुल्क आय अर्जित की। यह 2009-10 के दौरान टी ई वी, परियोजना पुनरीक्षणों तथा सामूहिक सौदों से अर्जित की गई रु. 6.84 करोड़ की शुल्क की तुलना में है। प्रभाग ने पिछले वर्ष 3 सिन्डीकेशन डील की तुलना में इस वर्ष 15 सिन्डीकेशन सौदे फाइनल किये। इसी क्रम में शुल्क प्राप्तियां पिछले वर्ष रु. 3.98 करोड़ की तुलना में बढ़कर रु. 14.67 करोड़ हो गईं। रु. 30.42 करोड़ की कुल बुक हुई समूहन फीस में से रु. 14.67 करोड़ की राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है तथा शेष राशि रु. 15.75 करोड़ वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त की जाएगी।

## होलसेल बैंकिंग में मार्केटिंग प्रयास

विभाग की एक पूर्ण मार्केट आसूचना इकाई तथा जुझारू मार्केटिंग टीम स्थापित करने की योजना है ताकि महत्त्वपूर्ण व्यवसाय संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में खासकर ऋण सिन्डीकेशन में, नई कंपनियों को लक्षित किया जा सके। इस विभाग से जुड़ा परियोजना वित्त विभाग भावी परियोजनाओं को चिन्हित करने के लिए नियमित आधार पर "प्रोजेक्ट टुडे" डाटाबेस एकत्रित कर रहा है, तथा भावी नई परियोजनाओं की पहचान कर रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में तथा होलसेल बैंकिंग विभाग से जुड़े रिलेशनशिप अधिकारी अपने अपने राज्य में मौजूदा इकाइयों से लगातार संपर्क कर रहे हैं तथा उन राज्यों में नए ग्राहकों को लक्ष्य बना कर अंचल कार्यालयों की मदद कर रहे हैं

## अन्य पहलें

इसके अलावा बैंक के होलसेल प्रभाग ने वर्ष 2010-11 के दौरान अपने पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए।

1. बैंक के कार्पोरेट कार्यालय तथा बैंक की परिचालन इकाइयों के बीच परस्पर तालमेल / संपर्क व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किया गया। इसके लिए विभिन्न प्रयोजनों के लिए जैसे सिद्धान्ततः स्वीकृति, ऋण प्रस्ताव आदि में संशोधन / प्रस्तुतीकरण के लिए अलग से ई-मेल आई डी निर्मित किये गए।
2. नई कैम्पस भर्तियों सहित विभाग में कार्यरत अधिकारियों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

3. बड़ी संख्या में शाखाओं के ऋण पोर्टफोलियो को संचालित करने वाले ऋण अधिकारियों तथा फॉरेक्स अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया गया।
4. उत्तरी मुंबई, ग्रेटर नोएडा, तथा सूरत में अतिरिक्त कार्पोरेट वित्तीय सेवा शाखाएं खोलने के लिए योजना तैयार की गई।
5. यह विभाग अलग से व्यवसाय के रूप में सेगमेंट निर्धारित करने के लिए मिड कार्पोरेट सेगमेंट खातों को बारीकी से खोज कर रहा है। इसकी वर्ष 2011-12 के दौरान 14 एक्सक्लूसिव मिड कार्पोरेट शाखाएं खोलने की योजना प्रस्तावित है जिसके लिए भारतीय रि. जर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया है।
6. विभाग ने बहुत से ग्राहकों तथा कार्पोरेट के साथ बैंक के उच्च प्रबन्धन की वन टू वन बैठकें आयोजित की, ताकि उनके व्यवसाय तथा ऋण आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।
7. विभाग ने कैम्पस तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) से विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती में सक्रिय रुचि दिखाई तथा उन्हें शाखाओं / प्रशासनिक कार्यालयों में ऋण प्रशासन के क्षेत्रों में तैनात कराया ताकि नौकरी छोड़ने / सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्तियों को भरा जा सके।

## खुदरा (रिटेल) व्यवसाय

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, पहले की भांति व्यवसाय वृद्धि हेतु खुदरा व्यवसाय की भूमिका प्रमुख बनी रही। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान खुदरा बैंकिंग सेगमेंट में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार रहा -

## खुदरा ऋणों के तहत वृद्धि

31 मार्च, 2011 को बैंक के बकाया खुदरा ऋण रु. 32,434.84 करोड़ थे जबकि 31 मार्च, 2010 को ये रु. 24,247.71 करोड़ थे। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धि दर 33.76% (रु. 8187.12 करोड़) दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 23.53% (रु. 4619.76 करोड़) थी। पांच प्रमुख उत्पादों के अन्तर्गत (लाबोड / ओडीबीओडी आदि के अलावा) वृद्धि दर 21.56% (रु. 4094.72 करोड़) थी जबकि मार्च 2010 के अंत में यह रु. 18992.00 के स्तर पर थे। वित्तीय वर्ष 2009-10 की इसी अवधि के दौरान पांच प्रमुख उत्पादों के अन्तर्गत वृद्धि दर 22.65% (रु. 3507.36 करोड़) थी जबकि मार्च 2009 के अंत में यह रु. 15484.63 करोड़ के स्तर पर थे।

## खुदरा ऋण के अन्तर्गत एनपीए

31 मार्च, 2011 को खुदरा ऋणों के अन्तर्गत एनपीए की राशि रु. 579.83 करोड़ (1.79%) है जबकि 31 मार्च, 2010 को इसका स्तर रु. 511.77 करोड़ (2.11%) था।

## बचत बैंक जमाराशियां


31 मार्च, 2011 को बैंक की घरेलू बचत जमाराशियां रु. 62,959.07 करोड़ थी। बचत बैंक जमाओं में 31 मार्च, 2010 के स्तर रु. 51,257.55 करोड़ की तुलना में वृद्धि दर 22.83% (रु. 11,702 करोड़) रही।



## वर्ष 2010-11 के दौरान खुदरा बैंकिंग संबंधी पहलें

### नए उत्पादों की शुरुआत

- 2010-11 के दौरान "स्वर्ण आभूषणों / ज्वैलरी के पेटे बड़ौदा ट्रेडर्स लोन" नाम से नया रिटेल आस्ति उत्पाद शुरू किया गया। साथ ही बैंक की सभी मेट्रो तथा शहरी शाखाओं में इससे भिन्न "सोने के आभूषणों / ज्वैलरी के पेटे बड़ौदा अग्रिम" की शुरुआत की गई।
- बड़ौदा पर्सनल लोन के तहत रिटेल अग्रिम योजना की शुरुआत 4 दिसम्बर, 2010 से 11 दिसम्बर, 2010 तक सीमित अवधि के लिए की गई। इसे "पेंशन विकल्प के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ौदा लोन" नाम दिया गया।
- भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना (एज्युकेशन लोन इन्ट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम) की शुरुआत की गई।
- दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 को 444 दिनों के लिए 8.10% ब्याज दर पर एक नए मीयादी जमा (टर्म डिपोजिट) उत्पाद - "बड़ौदा उत्सव डिपोजिट स्कीम" की शुरुआत की गई जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा 1 मार्च, 2011 से ब्याज दर को बढ़ाकर 9.35% कर दिया गया। इस उत्पाद के अन्तर्गत मार्च 2011 की समाप्ति पर रु. 19,918/- करोड़ की नई जमाराशियां संगृहीत की गई।
- बचत बैंक सेगमेंट के अन्तर्गत दो नए रिटेल देयता उत्पादों की शुरुआत की गई जिसे "बड़ौदा पेंशनर्स बचत बैंक खाता" नाम दिया गया तथा इंडिया फर्स्टलाइफ इश्योरेंस कं. के साथ टाईअप व्यवस्था के अन्तर्गत एक जीवन बीमा सहबद्ध बचत उत्पाद दिनांक 15 जनवरी, 2011 को शुरू किया गया। इसे "बड़ौदा जीवन सुरक्षा बचत खाता" नाम दिया गया।



नए रिटेल देयता उत्पाद

### व्यवसाय संबंधी नवोन्मेषी पहलें

- कम लागत वाली जमाराशियां संगृहीत करने के लिए दिनांक 21 जून, 2010 को तीन माह की अवधि के लिए बचत बैंक जमा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के दौरान रु. 1,944 करोड़ की नई बचत बैंक जमा राशियां संगृहीत की गईं। दूसरा बचत बैंक अभियान दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक शुरू किया गया

जिसमें 10,14,589 खातों के तहत रु. 3,081 करोड़ की नई बचत बैंक जमा राशियां संगृहीत की गईं।

- रिटेल लोन पोर्टफोलियों के संवर्द्धन हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक रिटेल लोन फेस्टीवल अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के दौरान होमलोन तथा ऑटो लोन के तहत रु. 1,218 करोड़ के ऋण वितरित किये गए। दूसरा रिटेल लोन अभियान जो खासकर होम लोन तथा ऑटो लोन पर केन्द्रित था, दिनांक 1 फरवरी, 2011 से 31 मार्च, 2011 तक चलाया गया। इस अभियान के दौरान रु.891.74 करोड़ का नया व्यवसाय किया गया।
- आवर्ती जमा तथा यथाशक्ति जमा योजना के अन्तर्गत जमाओं की अधिकतम अवधि को 36 महीने से बढ़ाकर 120 महीने कर दिया गया।
- दिनांक 1 सितम्बर 2010 से कार ऋणों पर ब्याज दर ढांचे को मात्रा आधारित ब्याज दर से अवधि आधारित ब्याज दर में संशोधित कर दिया गया।
- ऋणकर्ताओं की सुविधा के लिए दिनांक 9 अगस्त, 2010 से ऑनलाइन ऑटो लोन आवेदन मॉड्यूल लाइव कर दिया गया।
- बैंक के होम लोन ऋण कर्ताओं को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए इंडियाफर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप व्यवस्था की गई।
- समूह ऋण बीमा योजना, के अन्तर्गत कोटक लाइफ इश्योरेंस व इंडियाफर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक के स्टाफ सदस्यों के लिए दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 से "पुरस्कार व सम्मान योजना" की शुरुआत की गई।
- बैंक ने वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही में नोएडा में नई जेन नेक्स्ट शाखा खोली। अब जेन नेक्स्ट शाखाओं की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।
- वर्ष 2010-11 के दौरान करोल बाग, नई दिल्ली, रायपुर, लुधियाना तथा नासिक में 5 नई रिटेल लोन फैक्टरियां खोली गईं जबकि जोधपुर में मौजूदा रिटेल लोन फैक्टरी को बंद कर दिया गया। इसके साथ बैंक की कुल रिटेल लोन फैक्टरियों की संख्या अब 35 हो गई है।
- मौजूदा आवास ऋण तथा शिक्षा ऋण खातों को कोटक लाइफ इश्योरेंस तथा इंडियाफर्स्ट लाइफ इश्योरेंस के साथ टाई अप व्यवस्था के तहत दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 से ग्रुप क्रेडिट लाइफ इश्योरेंस कवर की परिधि में लाया गया।

### धन संपदा प्रबन्धन सेवाएं

ग्राहकोन्मुख उपायों के रूप में बैंक जून 2004 से अपने उच्च मालियत वाले (एच एन आई) तथा समृद्ध एवं सम्पन्न ग्राहकों को एक ही स्थान पर सम्पूर्ण वित्तीय समाधान के रूप में धन संपदा प्रबन्धन सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में बैंक विभिन्न साझेदारों के साथ टाई अप व्यवस्था तथा जीवन बीमा व म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में बैंक संयुक्त उद्यमों (जेवी) के साथ अपनी शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा, जिसमें स्वास्थ्य बीमा म्यूचुअल फंड तथा इक्विटी ट्रेडिंग जैसे विभिन्न अन्य पक्षीय उत्पाद शामिल हैं, सेवाएं प्रदान कर रहा है।



इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों के दौरान बैंक ने म्यूचुअल फंड तथा लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के साथ मिलकर दो संयुक्त उद्यम स्थापित किये हैं।

म्यूचुअल फंड सेगमेंट में बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि. पायोनियर इनवेस्टमेंट कं. इटली की सहयोगी कंपनी है तथा जीवन बीमा क्षेत्र में इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. आन्ध्रा बैंक, एल एड जी यूके का संयुक्त उद्यम है, ने भारतीय बाजार में स्वयं को सफलता पूर्वक स्थापित किया है और प्रारंभिक चरण में अपना उत्साहवर्द्धक व्यवसाय किया है।

बैंक ने वर्ष के दौरान अपने ग्राहकों को मूल्य वर्धित सेवा प्रदान करने के लिए 2100 और शाखाओं में ए एस बी ए (ब्लॉक राशिवाले आवेदनों) अर्थात् (आईपीओ / एफपीओ, राइट इश्यू में आवेदन करने की पूरक प्रक्रिया) प्रारंभ की है। हमारा प्रयास है कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करें तथा उन्हें नई सेवाएं प्रदान करें। बैंक ने नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए वर्ष के दौरान, ऑन लाइन एसबीए सुविधा की शुरुआत की है जो बड़ौदा कनेक्ट (अर्थात् बैंक का इन्टरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म) के माध्यम से आईपीओ / एफपीओ / एनएफओ के लिए आवेदन करने के इच्छुक ग्राहकों को अपने घर / निवास से सरल, तत्काल, सुरक्षित तथा 24X7 सुविधा मुहैया कराता है।

बैंक ने व्यवसाय की दृष्टि से 13 चयनित केन्द्रों पर स्थित शाखाओं में "बड़ौदा गोल्ड लॉन्ज" की भी स्थापना की है। ये शाखाएं बैंक के उच्च मालियत वाले समृद्ध तथा संपन्न ग्राहकों (एचएनआई) को निदेश परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित सेवा स्थल हैं। धन प्रबंधन सेवाओं के तहत बैंक के विभिन्न नवोन्मेषी प्रयासों से बैंक की गैर-ब्याज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

### एमएसएमई व्यवसाय

माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) भारतीय अर्थ व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। यह व्यवसाय भारत के विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 40.0% कुल औद्योगिक निर्यात का 34.0%, औद्योगिक इकाइयों का 95% तथा कुल रोजगार में 35.0% का योगदान देता है। एस एम ई सेगमेंट में सेवा क्षेत्र का विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाओं, आतिथ्य सत्कार सेवाओं, पर्यटन, कूरियर परिवहन आदि का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

भारत में उभरते एसएमई संविभाग पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए बैंक एसएमई के साथ सम मूल्य पर रु.150 करोड़ तक के कारोबार के साथ अन्य व्यावसायिक इकाइयों पर विचार कर रहा है। एसएमई क्षेत्र



श्री एम.डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वाराणसी में एसएमई ग्राहकों को संबोधित करते हुए

के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने एक विशेष और अनूठे डिलीवरी माडल अर्थात् एसएमई लोन फैक्टरी की शुरुआत की है जिसे वर्तमान में बैंक के 36 केन्द्रों पर परिचालित किया गया है और इसे बाजार स्थल पर काफी स्वीकार्यता मिली है। प्रक्रिया को गतिशील करने और एसएमई ऋण प्रस्तावों की समयबद्ध मंजूरी के लिए एसएमई लोन फैक्टरी एक नवोन्मेषी माडल है। इस माडल में निर्धारित समयसीमा के अन्दर प्रस्तावों का शीघ्रतापूर्वक मूल्यांकन करने और मंजूरी प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग कक्ष है और साथ ही शाखाओं द्वारा जनरेट की गई लीड पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक बिक्री टीम है। पिछली सफलता के बलबूते पर बैंक आने वाले वर्षों में इस प्रकार की और लोन फैक्टरियां खोलने की योजना बना रहा है। बैंक के पास देश भर में सभी प्रमुख व्यवसाय केन्द्रों पर एसएमई लोन फैक्टरियां हैं। ये फैक्टरियां आगरा, अहमदाबाद, बेंगलूर, बरेली, बड़ौदा, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर, बलसाड़, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बतूर, देहरादून, दिल्ली में दो, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जमशेदपुर, जामनगर, जोधपुर, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई में तीन, नागपुर, नाशिक, पुणे, राजकोट, रायपुर, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम में हैं। इन एसएमई लोन फैक्टरियों ने पिछले वर्ष के रु.11071 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल मिलाकर रु.14,530 करोड़ के ऋण मंजूर किये।

### व्यवसाय में वृद्धि

31 मार्च, 2011 को एसएमई क्षेत्र में कुल बकाया रु.27.365/- करोड़ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रदान करने संबंधी स्थिति/वृद्धि दर निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

| वर्ष    | वृद्धि (% वर्ष-दर-वर्ष) |
|---------|-------------------------|
| 2008-09 | 24.18%                  |
| 2009-10 | 43.98%                  |
| 2010-11 | 29.63%                  |

वर्ष 2009-10 के दौरान एमएसएमई ऋण की प्रतिशत वृद्धि दर तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितम्बर, 2009 में जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खुदरा व्यापारियों को रु.20 लाख तक के अग्रिम अब माइक्रो और लघु उद्योग क्षेत्र में वर्गीकृत किये गए हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धि दर को सामान्य किया गया।

बैंक ने समीक्षा वर्ष के दौरान एसएमई व्यवसाय सेगमेंट में निम्नलिखित नवोन्मेषी प्रयास किये।

### 2010-11 के दौरान एमएसएमई के वित्त पोषण में नवोन्मेषी पहलें

1. इस वर्ष के दौरान बैंक ने आठ मौजूदा ग्राहक केन्द्रित तथा क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों के नवीकरण के साथ स्थानीय क्लस्टर जरूरतों से मेल खाते पांच नए ग्राहक-केन्द्रित, क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों का शुभारंभ किया।
2. बैंक ने एआईएमए द्वारा फरीदाबाद में उद्यमियों के लिए एसएमई द्वारा प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं स्रोत वित्त हेतु प्रबंधकीय कौशल विषय पर आयोजित कार्यशाला को प्रायोजित किया।





3. निपटान समय को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बैंक ने एसएमई ऋण प्रस्तावों के लिए "प्रोट्रेक" नामक ई-ट्रेकिंग प्रणाली की शुरुआत की.
4. एसएमई अग्रिमों को गतिशील करने के प्रयोजन से बैंक ने 1 जनवरी, 2011 से 28 फरवरी, 2011 तक एसएमई उत्सव मनाया. इस उत्सव अवधि के दौरान स्वीकृत ऋणों के लिए ब्याज दर तथा सेवा प्रभागों में कुछ रियायतों की घोषणा की गई.
5. बैंक ने माइक्रो एवं लघु उद्यमियों को बैंक ऋण तथा क्रेडिट गारंटी की भूमिका विषयों पर सीजीटीएमएसई द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया.
6. माइक्रो उद्यमों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ बैंक ने एसएमई को ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के लिए अधिक महत्ता प्रदान की.
7. बैंक ने एक विशेष अभियान के माध्यम से सीजीटीएमएसई योजना के तहत संपार्श्विक मुक्त ऋण पर ध्यान केन्द्रित किया.
8. बैंक ने वर्धित क्रास सेलिंग, स्थानीय बैठकों, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापार निकायों की सहभागिता के माध्यम से समग्र ग्राहक संबंधों का लक्ष्य प्राप्त किया.
9. बैंक ने बाहरी और आंतरिक प्रशिक्षण सुविधाओं के जरिए अपनी एसएमई फौजदारियों में कार्यरत प्रोसेसिंग/मार्केटिंग अधिकारियों के कौशल को विकसित करने तथा उनके ज्ञान को निरन्तर अद्यतन करने पर जोर दिया.

### ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग

बैंक हमेशा से ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कृषि ऋणों के क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा बैंक ने अपनी 1,171 ग्रामीण एवं 832 अर्ध शहरी शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण बाजार की विस्तृत संभावनाओं का दोहन करने का प्रयास किया है. बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में 157 नई शाखाएं खोली हैं. बैंक उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है. बैंक 45 जिलों में, जिसमें गुजरात राज्य में (12), राजस्थान में (12), उत्तर प्रदेश में (15), उत्तरांचल में (2), मध्य प्रदेश में (2) तथा बिहार में (2) जिले शामिल हैं, अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा है.

इसके अलावा बैंक के विभिन्न राज्यों में 5 प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हैं जिनमें कुल 1,223 शाखाएं हैं तथा मार्च, 2011 के अन्त तक कुल कारोबार 18,800 करोड़ रुपए से अधिक है.



बैंक द्वारा बारडोली, सूरत में मेगा क्रेडिट कैम्प का आयोजन.

### वर्ष 2010-11 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों की स्थिति

बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम मार्च, 2010 के अन्त में विद्यमान 48,552.36 करोड़ रु. की तुलना में मार्च, 2011 के अन्त में 57,363.60 करोड़ रु. हो गए जो कि समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 43.57% है जबकि अनिवार्यतः लक्ष्य 40.00% है.

बैंक के कृषि अग्रिम (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) पिछले वर्ष की तुलना में 13.47% की वृद्धि दर्ज हुई और ये मार्च, 2011 के अन्त में बढ़कर 24,529.22 करोड़ रुपए हो गए. तथापि, प्रत्यक्ष कृषि को बैंक के ऋणों में 28.72% (वर्ष-दर-वर्ष) की शानदार वृद्धि हुई और ये वर्ष 2010-11 के दौरान 17,157.83 करोड़ रुपए हो गए.

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने अपने प्रमुख कृषि ऋण उत्पाद "बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड" के तहत किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु 2,44,558 क्रेडिट कार्ड जारी किये. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 2,72,415 नए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की. माइक्रो वित्त पोषण संबंधी अपने नवोन्मेषी प्रयास के रूप में बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 19,257 स्वयं सहायता समूहों को 163.77 करोड़ रु. की राशि प्रदान की जिसके फलस्वरूप स्वयं सहायता समूह ऋण सहबद्धता की कुल संख्या बढ़कर 1,34,942 और राशि 956.96 करोड़ रु. हो गई.

### व्यवसाय और सामाजिक पहलें

स्वस्थ व्यवसायिक वृद्धि दर्ज करने के अतिरिक्त बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान ग्रामीण एवं कृषि ऋणों हेतु उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के प्रयोजन से अनेक नवोन्मेषी पहलों की शुरुआत की. इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

1. कृषि अग्रिमों को बढ़ाने के लिए बैंक ने विशेष अभियान अर्थात फसली ऋणों के लिए खरीफ एवं रबी अभियान चलाए जिनमें क्रमशः 2317 करोड़ रु. तथा 1,231 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई. निवेश क्रेडिट के लिए एक अन्य अभियान भी चलाया गया जिसके तहत 993 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई.
2. बैंक ने 3,323 ग्राम स्तरीय क्रेडिट कैंप आयोजित किये और वर्ष 2010-11 के दौरान 2,30,599 उधारकर्ताओं को 3,169 करोड़ रु. की राशि संवितरित की.
3. बैंक ने पूरे देश में 450 थ्रस्ट शाखाओं का चयन किया है जिसका उद्देश्य कृषि ऋणों को बढ़ाना है. इन शाखाओं ने मार्च 2011 के अंत तक कुल कृषि ऋण में 34.0% का योगदान किया है.
4. बैंक ने स्थानीय जरूरतों को, विशेष, रूप से ऐसे स्थानों पर जहां चावल मिल, कोल्ड स्टोरेज, कॉटन गिनिंग इकाई, मुर्गीपालन इकाई इत्यादि अधिक संख्या में हैं, पूरा करने के लिए क्षेत्र विशेष के अनुसार आवश्यकता आधारित (टेलर मेड) योजनाएं बनाई. इसके अतिरिक्त, अधिकतम व्यवसाय प्राप्त करने के लिए इन योजनाओं के तहत ब्याज दर, सेवाप्रभागों इत्यादि में उपयुक्त छूट की अनुमति प्रदान की. कृषि क्षेत्र में उधार बढ़ाने के लिए 22 क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं का शुभारंभ किया गया.
5. बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र (बीजीपी के) बैंक के नवोन्मेषी प्रयासों में से एक है जिसके माध्यम से बैंक ग्रामीण समुदाय को ऋण के संबंध में सलाह, वित्तीय शिक्षा तथा अन्य सेवाएं जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों के बारे में जानकारी, वैज्ञानिक ढंग से खेती इत्यादि सुविधाएं प्रदान करता है. बैंक 31 मार्च, 2011 तक 52 बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र स्थापित कर चुका है.





6. इसके अतिरिक्त समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 11 और बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, बड़ौदा आर-सेती केन्द्र खोले गये। इसके साथ ही बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थानों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। इसके अलावा, रायबरेली तथा अजमेर में खोले गये बड़ौदा स्व-रोजगार विकास संस्थान पूर्णतः महिला उद्यमियों के लिए हैं। बीएसवीएस मूलतः ऐसे संस्थान हैं जिनका प्रयोजन स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए



श्री एन. एस. श्रीनाथ, कार्यकारी निदेशक द्वारा पन्तनगर में बीएसवीएस आर-सेती का उद्घाटन

युवाओं को प्रशिक्षित करना और अपेक्षित कौशल के संबंध में ज्ञान प्रदान करना है। वर्ष 2010-11 के दौरान, लगभग 42,212 युवा लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 28,331 युवाओं ने स्व-रोजगार उद्यम स्थापित कर लिये हैं। यह उल्लेखनीय है कि इन केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित किये गये कुल 79,442 लाभार्थियों में से अब तक 50,035 लाभार्थियों ने अपने स्व-रोजगार उद्यम स्थापित कर लिये हैं।

### वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) - "सारथी"

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिशा-निर्देशों के आधार पर, बैंक ने 18 एफएलसीसी, जिन्हें "सारथी" नाम दिया गया है, जरूरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किये ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकें और साथ ही ऋण के बोझ तले आये वित्तीय संकट में जूझते लोगों को परामर्श सुविधाएं प्रदान की जा सकें। बैंक ने अपने बीएसबीएम ट्रस्ट के तहत इन केन्द्रों को खोला है। इनमें निःशुल्क परामर्श सेवाएं संबंधित लोगों को दी



श्री आर. के. बक्षी, कार्यकारी निदेशक द्वारा अजमेर में एफएलसीसी केन्द्र का उद्घाटन। इस अवसर पर श्री बी.पी. कानूनगो, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर भी उपस्थित थे।

जा रही हैं। बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 14 नये एफएलसीसी खोले जिन्हें मिलाकर मार्च 2011 के अंत तक एफएलसीसी की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है। बैंक यथासमय अपने अग्रणी जिलों में एफएलसीसी खोलने की योजना पर गंभीरता से सोच रहा है।

### व्यवसाय सुलभकर्ता मॉडल

यह मॉडल वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तेज करने और बैंक के कृषि ऋण में बढ़ोतरी के लिए पूरे देशभर में क्रियान्वित किया गया है। व्यवसाय सुलभकर्ता बैंक के लिए ऋण आवेदनपत्र कैनवास करेंगे और इसके लिए बैंक उन्हें मेहनताने का भुगतान करेगा। सेवानिवृत्त बैंकरों तथा सरकारी कर्मचारी, एनजीओ, कृषक क्लब तथा स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को एजेन्टों के रूप में लगाया जाता है ताकि वे ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक की पहुंच बढ़ सकें।

### माइक्रो लोन फैक्टरी

इसके साथ-साथ बैंक ने उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में माइक्रो लोन फैक्टरी खोली है। माइक्रो फायनांस लोन फैक्टरी के पास मोबाइल वैन है जिसमें स्वयं सहायता समूह वित्त पोषण संबंधी समस्त स्टेशनरी / दस्तावेज एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें ऐसे अधिकारी होते हैं जो स्वयं सहायता समूहों को यथास्थान तथा उनके पास जाकर उन्हें 25,000 रुपये तक के ऋण स्वीकृत एवं वितरित करने के लिए अधिकृत हैं :

### बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

बैंक ने निम्नलिखित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किये हैं -

- बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, रायबरेली
- बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, अजमेर
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, भरुक
- नैनीताल-अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, हलद्वानी
- झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, झाबुआ

इन पांचों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल व्यवसाय मार्च 2010 के अंत के 16,244.41 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में बढ़कर 18,803.05 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार इसमें 15.75% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई।

इन पांचों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2010-11 के दौरान 116.53 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान 118.93 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। इन पांचों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समग्र "शुद्ध मालियत" मार्च 2010 के अंत में 609.12 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में 729.96 करोड़ हो गई और "आरक्षित निधियां तथा अधिशेष" मार्च 2010 के अंत के 354.43 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में 452.68 करोड़ रुपये हो गया।

### वित्तीय समावेशन के लिए बैंक के प्रयास

बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2010 में जारी किये दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल के अनुमोदन से तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बनाया है। तथापि, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखकर राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों ने बैंक को 2000 में अधिक जनसंख्या वाले 2864 गांव आबंटित किये जिन्हें मार्च 2010



टोंक जिला, राजस्थान में वित्तीय समावेशन प्लान का शुभारंभ

तक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत शामिल करना है। इनमें से 1200 गांवों को मार्च 2011 तक वित्तीय समावेशन के तहत शामिल करने का लक्ष्य था। बैंक ने इस लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया और 2010-11 के दौरान 1228 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं शुरू कर दी हैं। शेष गांवों को वर्ष 2011-12 में वित्तीय समावेशन के तहत शामिल करना प्रस्तावित है।

बैंकिंग सुविधा से रहित ऐसे गांवों में बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए दो डिलीवरी चैनल अपनाये गये - अर्थात् व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल आधारित आईसीटी, जोकि बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड आधारित प्रौद्योगिकी के साथ एप्लीकेशन सेवा प्रदाता (एसपी) मॉडल पर आधारित है। इसमें व्यवसाय प्रतिनिधि संव्यवहार करने के लिए प्वाइंट ऑफ़ डिवाइसिज (पीओएस) के साथ गांवों का दौरा करता है। इस मॉडल के तहत ग्राहक बायोमेट्रिक अधिप्रमाणिकता के माध्यम से अपने स्मार्ट कार्डों का उपयोग करके अपने खातों का परिचालन कर सकते हैं। बैंक के स्टाफ के साथ वैन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सप्ताह में कुछ नियत दिनों में निर्धारित गांवों में जाती है। इस समय, मेहसाणा की चरडा शाखा में एक मोबाइल वैन लगायी गई है और इलाहाबाद, वाराणसी तथा बिहार में तीन और वैन लगाई गई हैं।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा कार्पोरेट महाप्रबंधक बैंक के वित्तीय समावेशन मिशन के क्रियान्वयन तथा उसकी प्रगति का अवलोकन करने लिए वित्तीय



श्री एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु लखनऊ में वित्तीय समावेशन मोबाइल वैन का शुभारंभ किया।

समावेशन कार्यक्रम वाले गांवों का नियमित दौरा कर रहे हैं।

## वर्ष 2010-11 के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों को अग्रिम

बैंक द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिये जाने वाले अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हो रही है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि इन समुदायों के लाभार्थियों को मंजूर किये गये अग्रिमों की राशि मार्च, 2010 के अंत तक के 3100 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 2011 के अंत में 3760 करोड़ रुपये हो गई।

वस्तुतः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कमजोर वर्ग के लोगों को मंजूर किये गये कुल अग्रिमों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को दिये गये अग्रिमों का अंश 28% है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं यथा स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इत्यादि के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के वित्त पोषण पर विशेष ध्यान दिया है।

यह उल्लेखनीय है कि बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान प्रशिक्षार्थियों का चयन करते समय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को वरीयता दे रहे हैं। अभी तक इन केन्द्रों ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 29,721 युवाओं को प्रशिक्षित किया है जिनमें से 18,735 युवाओं ने अपने स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर लिये हैं।

## अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय



वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा ऑकलैण्ड शाखा, न्यूजीलैण्ड का उद्घाटन. उनके साथ में हैं श्री एम.डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक.

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सुधार, विशेषकर विकसित देशों में मंदी से उबरने के ठोस आर्थिक संकेत तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिर वृद्धि ने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के व्यवसाय तथा लाभप्रदता में वृद्धि की। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में अपने लंबे अनुभव का लाभ, सशक्त तथा विश्वसनीय ग्राहक आधार, समय की कसौटी पर खरा व्यवसाय मॉडल, प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषी कार्यों ने बैंक की भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में प्रतिष्ठा में वृद्धि की।

वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के व्यवसाय तथा लाभ दोनों में अपेक्षा से अधिक वृद्धि हुई। आस्ति वृद्धि में भारतीय कार्पोरेटों की अपने विदेशी विस्तार में विदेशी मुद्रा आवश्यकता तथा संसाधनों की लागत में अंतर की बढ़त से भी सहायता मिली। बैंक ने उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विदेशी केन्द्रों में अपनी सशक्त क्रेडिट स्टोरी के बलबूते पर समयबद्ध ढंग से विदेशी मुद्रा संसाधनों का संग्रहण किया।



बैंक ने अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा करने के लिए विश्व की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हलचलों पर सतत निगाह रखी. बैंक ने अपने व्यवसाय मॉडल को सुव्यवस्थित किया और जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों को और सशक्त किया ताकि वह बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में किसी भी खतरे का सामना कर सके.

विदेशी शाखा नेटवर्क बढ़ाकर 85 शाखाओं / कार्यालयों में कर दिया गया ताकि व्यवसाय की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए नये अवसरों का लाभ उठाया जा सके.

### व्यवसाय तथा लाभ कार्य-निष्पादन

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक की विदेशी शाखाओं ने कुल व्यवसाय (जमाराशियां+अग्रिम) में 32.51% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की. ग्राहक जमाराशियों में 23.44% की बढ़ोतरी हुई. कुल जमाराशियों में 29.33% तथा अग्रिमों में 36.59% की वृद्धि हुई. बैंक के वैश्विक व्यवसाय में 31 मार्च, 2011 को अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का योगदान 24.6% था.

### कुल आस्तियां

बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन की कुल आस्तियां 68,375 करोड़ रुपये से बढ़कर 91,273 करोड़ रुपये हो गई. वर्ष के दौरान इनमें 33.49% की वृद्धि दर्ज की गई.

### शुद्ध लाभ

वर्ष 2010-11 के दौरान सकल लाभ में पिछले वर्ष के स्तर से 23.94% की स्वस्थ वृद्धि हुई. तथापि, प्रतिकूल सांख्यिकीय आधार इफेक्ट के कारण शुद्ध लाभ में 7.32% की गिरावट हुई. वर्ष 2009-10 के दौरान शुद्ध लाभ में निवेशों के "मार्क टू मार्केट" के तहत किये गये प्रावधानों के प्रत्यावर्तन के कारण तीव्र वृद्धि हुई थी. वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के शुद्ध लाभ में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का योगदान 19.15% रहा.

### आस्ति गुणवत्ता

अपनी पिछली पद्धतियों के अनुरूप बैंक ने आस्ति सृजन के समय सभी आवश्यक उपाय बरते और विश्व के आर्थिक परिदृश्य में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के मद्देनजर निरंतर आधार पर आस्तियों की निगरानी सुनिश्चित की.

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार पिछले वर्षों में पुनर्गठित किये गये खातों की वर्ष 2010-11 के दौरान सतत निगरानी रखी गई ताकि आस्ति गुणवत्ता में गिरावट को रोका जा सके. अनर्जक खातों में संबंधित देश के परिचालन मानदंडों के अनुसार अपग्रेडेशन / रिकवरी के लिए निरंतर प्रयास किये गये. इसके परिणामस्वरूप मार्च 2011 में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए 0.62% था. शुद्ध एनपीए भी 0.19% के सामान्य स्तर पर रहा.

### अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति

न्यूजीलैण्ड में परिचालन की शुरुआत के साथ बैंक की विदेशी उपस्थिति अब 26 देशों में 85 शाखाओं / कार्यालयों में हो गई है -

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| बैंक की विदेशी शाखाएं               | 54 |
| बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय          | 3  |
| बैंक की विदेशी अनुषंगियों की शाखाएं | 28 |
| कुल                                 | 85 |

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जाबिया में बैंक के एसोसिएट की 12 शाखाएं हैं.

### विदेशी शाखा विस्तार

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने सात नई शाखाएं / कार्यालय (अपनी विदेशी अनुषंगियों के लिए एक सहित) खोले. एक शाखा इलफोर्ड, एसेक्स (यू के) में तथा पांच इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा यूनिटें (ईबीएसयूएस) यूईई में, राकिया, रास अल खई माह, अल क्वासइस, दुबई, एस एच जावेद रोड, दुबई, अलकरमा दुबई तथा नेशनल पेन्टस, शारजाह में खोली गई. न्यूजीलैण्ड में अनुषंगी बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैण्ड) ने ऑकलैण्ड में शाखा खोलने के साथ परिचालन शुरू कर दिया है.

### विदेशी व्यवसाय में भावी योजनाएं

बैंक ने प्रवासी भारतीयों की बढ़ती जनसंख्या तथा दुनिया भर में मौजूद कार्पोरेटों की सेवा करने और अधिक विविधतापरक व्यवसाय जुटाने की दृष्टि से विदेशी विस्तार की एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी है. इसके तहत उन देशों में और शाखाएं खोलकर अपने नेटवर्क को विस्तार देना प्रस्तावित है जहां बैंक पहले से मौजूद है और नई टेरीटरी में प्रवेश भी करना चाहता है. यूईई में दो शाखाएं और दो ईबीएसयूएस, ओमान में एक शाखा तथा मारीशस में एक शाखा खोलने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यूगाण्डा, केन्या तथा न्यूजीलैण्ड में अनुषंगियां दो-दो शाखाएं खोलेंगी और बोटस्वाना तथा गुयाना में एक और शाखा खोली जायेगी.

सूरीनाम तथा कनाडा में एक अनुषंगी की स्थापना, कतार में एक शाखा खोलने तथा आस्ट्रेलिया में एक प्रतिनिधि कार्यालय को अपग्रेड करके शाखा में रूपांतरित करने के बारे में बैंक के आवेदन पत्र संबंधित देशों के नियामकों के विचाराधीन है. बैंक ने विदेशी विस्तार के विषय में नये केन्द्रों के निर्धारण हेतु पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है.

### समूहन केन्द्र

लंदन तथा दुबई में बैंक के वैश्विक समूहन केन्द्र, सिंगापुर में अपतटीय बैंकिंग यूनिट तथा प्रमुख वित्तीय केन्द्रों में दूसरी शाखाएं भारतीय तथा स्थानीय कार्पोरेटों की विदेशी मुद्रा निधियों संबंधी आवश्यकताओं की सक्रियता से पूरा कर रहे हैं. बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट बैंकिंग कक्ष (आईएमबीसी) भारतीय कार्पोरेटों द्वारा पर्याप्त संसाधनों की उगाही के कारण व्यवसाय में सक्रिय भूमिका निभाता है. अब आईएमबीसी ऋण ओरिजनेशन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है.

### उत्पाद तथा सेवाएं

अपने विदेशी परिचालन में कोर बैंकिंग सोल्यूशन के क्रियान्वयन के पश्चात् बैंक ने ग्राहकों के विविध समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई नये उत्पाद एवं सेवाओं का शुभारंभ किया. गहन बाजार अनुसंधान के पश्चात् विकसित नये उत्पादों को स्थानीय जनता ने व्यापक रूप से स्वीकार किया.

### विदेशी परिचालन में प्रौद्योगिकी उन्नयन

- विदेशी टेरीटरी तथा अनुषंगियों में एटीएम की संख्या 31 मार्च, 2010 के 55 (36 ऑनसाइट तथा 19 ऑफसाइट) से बढ़कर 31 मार्च, 2011 को 68 (42 ऑनसाइट तथा 26 ऑफसाइट) हो गई.
- यूके, यूईई, बहामास, बहारीन, हॉगकांग, सिंगापुर तथा बेल्जियम में वैश्विक ट्रेजरी सोल्यूशन क्रियान्वित किया गया. यूगाण्डा में बैंक की अनुषंगी ने भी परिचालन देश की आवश्यकताओं के अनुसार ट्रेजरी मोड्यूल के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी है.





- स्विफ्ट केन्द्रीकरण एक्टिविटी का क्रियान्वयन पूरा हो चुका है और मुंबई में बैंक के डाटा सेन्टर से इसका परिचालन शुरू हो गया है।
- यूके तथा यूएस टैरीटरी को छोड़कर, सभी टैरीटरियों / अनुषंगियों ने स्विफ्ट कक्ष / डाटा सेन्टर के माध्यम से अपने स्विफ्ट परिचालन शुरू कर दिये हैं। एक्सएमएम एप्लीकेशन एसएम तथा पीसी कनेक्ट के स्थान पर क्रियान्वित की गई।
- भुगतान संदेश प्रणाली भी क्रियान्वित कर दी गई। यह कोर बैंकिंग सोल्यूशन (फिनेकल) तथा स्विफ्ट के बीच मिडल वेयर है जोकि धन शोधन निवारण जांच के साथ आवक तथा जावक स्विफ्ट संदेशों के स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग में सहायता करता है। यूके तथा यूएस को छोड़कर सभी विदेशी टैरीटरियों / अनुषंगियों में इसका क्रियान्वयन किया गया।
- धनशोधन निवारक (बेच मोड) का बेलजियम तथा यूएमए को छोड़कर सभी विदेशी केन्द्रों में क्रियान्वयन किया गया।
- यूएसए को छोड़कर बैंक के सभी केन्द्रों में धनशोधन निवारण ऑनलाइन लिस्ट मेचिंग सोल्यूशन का भी क्रियान्वयन किया गया।

### ई बैंकिंग

- बैंक ने फिजी, ओमान, तंजानिया और यूनाइटेड किंगडम के परिचालनों में "व्यू आधारित ई बैंकिंग" उपलब्ध कराया है।
- बैंक ने यूगांडा, बोत्सवाना, संयुक्त अरब अमीरात, न्यूजीलैंड, केनिया, मॉरीशस और सेशेल्स में "संव्यवहार आधारित इंटरनेट बैंकिंग" को कार्यान्वित किया है।
- बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान इस सुविधा के तहत शेष सभी विदेशी केन्द्रों को लाने की योजना बनाई है।

### विदेशी परिचालनों में जोखिम प्रबंधन

बैंक ने समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, जिसमें निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की सक्रिय देखरेख के अनिवार्य घटक, समुचित नीतियां, कार्यप्रणालियां व सीमाएं, पर्याप्त प्रबंध सूचना प्रणाली और अपने विदेशी परिचालनों में जोखिम पहचान, जोखिम निर्धारण, जोखिम अनुप्रवर्तन और जोखिम नियन्त्रण के लिए व्यापक आंतरिक नियन्त्रण शामिल हैं। बैंक ने सभी विदेशी टैरीटरीज में 31 मार्च 2008 से बासल II मार्गनिर्देश लागू किये हैं और ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत कालावधि पद्धति और परिचालन जोखिम के लिए बेसिक इंडिकेटर अवधारणा को अपनाया है।

आधुनिक अवधारणाओं को अपनाने के लिए तैयारी के तौर पर बैंक ने अपने यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात टैरीटरीज के अनुरूप (कस्टमाइज्ड) बॉब रैम आंतरिक रेटिंग मोड्यूल विकसित किया है, जिसमें विदेशी व्यवसाय का अधिकतम अंश शामिल हैं। अन्य टैरीटरीज में बॉब रैम को चरण-बद्ध रूप से लागू किया जाएगा। विदेशी परिचालनों में आवश्यक जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियां लागू करने तथा संबंधित गृह देश के विनियामकों के प्रचलित मार्गनिर्देशों के अनुपालन के लिए सभी प्रमुख विदेशी टैरीटरीज में कुशलता और योग्यता प्राप्त जोखिम प्रबंधकों को नियुक्त किया गया है।

### विनियामक अनुपालन

बैंक की अनुपालन संरचना गृह देश के विनियामक के प्रचलित मार्गनिर्देशों पर आधारित है। सभी विदेशी टैरीटरीज ने केन्द्र-विशिष्ट अनुपालन नीतियां स्थापित की हैं, जो बैंक की कॉर्पोरेट अनुपालन नीति के अनुरूप हैं। टैरीटरी के नामित अनुपालन अधिकारी द्वारा अनुपालन संबंधी कार्य किये जाते हैं। संबंधित देश और गृह देश के अवैध धन शोधन निवारण (एंटी मनी लांडरिंग) और अपने ग्राहक को जानें मार्गनिर्देशों का बैंक कठोरता से पालन करता है।

### ट्रेजरी परिचालन

वर्ष 2010-11 के दौरान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य ने एक मिली- जुली तस्वीर पेश की। उभरते बाजारों की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत रहीं और अमरीका और यूरो क्षेत्रों में इसमें उछाल दिखाई दिया। तथापि, मध्यपूर्व और उत्तर अफ्रीका की घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्षभर में तेल की कीमतों में भारी वृद्धि ने वैश्विक विकास की गति में काफी अनिश्चितता पैदा की। खाद्यान्न और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के साथ साथ तेल की कीमतों में भारी उछाल ने मुद्रास्फीति की चिंताएं गहराईं। मुद्रास्फीति को काबू में लाना और साथ ही साथ आर्थिक विकास को बनाए रखना इन दोहरी चुनौतियों का संतुलित रूप से सामना करने के प्रयासों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2010 से नीतिगत दरों में वृद्धि लाना आरंभ किया। वर्ष 2010-11 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुल मिलाकर रेपो रेट में 175 आधार बिन्दुओं और रिवर्स रेपो रेट में 225 आधार बिन्दुओं की बढ़ोतरी की, यद्यपि इसे एक साथ नहीं बल्कि क्रमिक रूप से बढ़ाया गया।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए सकल देशी उत्पाद में वृद्धि का अग्रिम आकलन 8.6 % किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 10 वर्षीय अभिकल्पित जी-सेक प्रतिफल का उच्चतम स्तर 8.25% और निम्नतम स्तर 7.37% रहा, जिसका औसत लगभग 7.90% रहा। आय में वृद्धि और दरों में बढ़ोतरी की इस पृष्ठभूमि में बैंक ट्रेजरी का मुख्य ध्यान अपने सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) निवेशों पर समग्र रूप से आय में वृद्धि करने पर रहा। वर्षभर में देशी एसएलआर निवेशों पर औसत प्रतिफल 7.68% रहा। स्थूल आर्थिक स्थिति को ध्यान में लेते हुए "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के तहत एसएलआर निवेशों की संशोधित अवधि 2.62 वर्ष रखी गयी। वर्षभर में बैंक ने निवेशों पर ब्याज / बट्टे के रूप में 4645.83 करोड़ रु. अर्जित किये, निवेशों की बिक्री से लाभ के रूप में 457.24 करोड़ रु. और विदेशी मुद्रा अर्जन के रूप में 307.61 करोड़ रु. अर्जित किये गए। ट्रेजरी ने बाजार के उतार चढ़ाव का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया और ओवरसाइट इंडेक्स स्वैप्स को आईएनबीएमके स्वैप्स का उपयोग धन सुरक्षा और व्यापारिक अवसरों के लिए किया। ट्रेजरी आईआरएस, सीआईआरएस, फॉरवर्डस व ऑप्शन्स जैसी उपलब्ध लिखतों का उपयोग करते हुए ग्राहकों के अनुरूप सोल्यूशन्स पेश करती है, जो कॉर्पोरेट ग्राहकों की ब्याज दर और विदेशी विनिमय जोखिम घटाने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आस्तियों की विविध श्रेणियों के बीच, जिनमें मनी मार्केट, सीबीएलओ, मार्केट रेपो, सरकारी प्रतिभूतियां और अमरीकी डॉलर / भारतीय रुपये के स्वैप्स के माध्यम से प्राप्त होनेवाले संसाधन भी शामिल हैं, उपलब्ध क्रय विक्रय के अवसरों का भी ट्रेजरी ने सक्रिय तौर पर फायदा उठाया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ट्रेजरी ने शीर्षस्थ टियर II और निरंतर बांड लिखतों के माध्यम से बैंक के लिए दीर्घावधि संसाधन जुटाए। चार शाखाओं





में बैंक की मजबूत साख के इतिहास के आधार पर सबसे अच्छी शर्तों पर कुल 2211.50 करोड़ रु. जुटाए गए.

2008 के आर्थिक संकट के गुजर जाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार दूसरे वर्ष में सुदृढ़ वृद्धि प्रदर्शित की. तथापि, 2010-11 की दूसरी छःमाही में निविष्टियों की लागतों के दबाव के कारण औद्योगिक उत्पादन की गति धीमी हुई. निवेशकों के विश्वास का प्रतिबिंब बीएसई संवेदी सूचकांक में दिखाई दिया, जिसने वर्ष के दौरान 21,108 की ऊंचाई को छुआ. तथापि, इक्विटी निवेशकों ने लाभ कमा लिया और मध्यपूर्व और उत्तर अफ्रीका की घटनाओं, तेल की ऊंची कीमतों और लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण 2010-11 की अंतिम तिमाही में निवल रूप से एफआईआई का आउट फ्लो दिखाई दिया. बाजार के उतार चढ़ावों का फायदा लेते हुए बैंक की ट्रेजरी के इक्विटी डेस्क ने अपने संविभाग का सक्रिय मंथन किया और लाभ दर्ज किया. वर्ष के दौरान, बैंक के इक्विटी डेस्क के टर्नओवर में विगत वर्ष की तुलना में 60.0% वृद्धि हुई और इसने समवर्ती अवधि की तुलना में दुगुना लाभ दर्ज किया.

बैंक की ट्रेजरी के विदेशी मुद्रा डेस्क ने भी भारतीय बैंकिंग उद्योग में मुख्य बाजार प्रणेता की अपनी छाप बरकरार रखी. प्रोप्राइटी ट्रेडिंग डेस्क प्यूचर्स और ओवर द काउंटर (ओटीसी) मार्केट के बीच क्रय विक्रय का लाभ लेने में सक्रिय रहा. विदेशी मुद्रा डेस्क अस्थिरताओं का दक्षता से प्रबंध करते हुए अंतर्बैंक और मर्चेन्ट डेस्क दोनों के टर्नओवर में 25.0% से अधिक वृद्धि पाने में सफल रहा. बैंक के लिए अंतर्बैंक व मर्चेन्ट विदेशी मुद्रा टर्नओवर 2.85 के बाजार अनुपात की तुलना में 8.28 रहा.

वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में बड़ौदा सन टावर में अपने अत्याधुनिक डीलिंग रूम का उद्घाटन किया. इस डीलिंग रूम के माध्यम से आनेवाले वर्षों में ट्रेजरी परिचालनों का विस्तार करने के लिए बैंक पूर्णतः तैयार है. ट्रेजरी बैंक के देशी ट्रेजरी परिचालनों को संभालता है और विदेशी मुद्रा, ब्याज दर, निश्चित आय, इक्विटी और अन्य वैकल्पिक आस्तियों जैसे विविध बाजारों की गतिविधियों को भी संचालित करता है. अपने ग्राहकों को ब्याज दर और मुद्रा स्वैप्स सहित वित्तीय उत्पादों का उपहार पेश करने के लिए बैंक अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी प्लैटॉम का इस्तेमाल करता है. विस्तारित स्वचालित डीलिंग रूम के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों को भारत की अपनी प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से स्व सृजित रियल टाइम विदेशी मुद्रा दरें देने में सफल है.



बड़ौदा सन टावर में नई अत्याधुनिक विशेषीकृत ट्रेजरी शाखा में दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यकारी निदेशक श्री आर.के. बक्षी और साथ में हैं कार्यकारी निदेशक श्री एन. एस. श्रीनाथ डील करते हुए

व्यावसायिक कार्यप्रणालियों के पुनर्गठन (बीपीआर) के तहत बैंक ने प्रमुख वित्तीय केन्द्रों में वैश्विक ट्रेजरी सोल्यूशन को सफलतापूर्वक लागू किया. मुंबई, यूरोप (लंदन व ब्रूसेल्स), दुबई, बहारीन, सिंगापुर, बहामास और हांगकांग में वैश्विक ट्रेजरी प्लेटफॉर्म सुचारु रूप से कार्य कर रहा है. वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक के न्यूयॉर्क परिचालनों में वैश्विक ट्रेजरी प्लेटफॉर्म को कार्यन्वित करने का कार्य आरंभ किया गया.

ट्रेजरी मिड आफिस बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निश्चित किये गये बाजार जोखिमों तथा सीमाओं की तात्कालिक आधार पर निगरानी करता है. वेल्यू एट रिस्क (वीएआर) जैसे जोखिम प्रबंधन उपाय सभी पोर्टफोलियों में बाजार जोखिम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं. इन उपायों को पोर्ट फोलियों के स्ट्रेस परीक्षा और जोखिम प्रबंधन पर बैंक टेस्टिंग द्वारा सहायता मिलती है.

### कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

व्यवसाय की तरह बैंक कार्पोरेट जागरूकता में उत्कृष्टता हासिल करने का इच्छुक है. एक उत्तरदायी कार्पोरेट नागरिक होने के नाते समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक सशक्तीकरण का कार्य बैंक का लक्ष्य रहा है. समाज में व्यापक बदलाव के लिए बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखे.



कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में बैंक के नवोन्मेषी प्रयासों की एक झलक

बैंक ने बेरोजगार युवाओं को लाभप्रद स्वरोजगार देने तथा उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देने हेतु बड़ौदा स्व-रोजगार विकास संस्थान (बड़ौदा आर-सेती) स्थापित किये जिससे उन्हें अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में सहायता मिलती है.

अभी तक बैंक ऐसे 36 संस्थान स्थापित कर चुका है जिनमें 79,000 से अधिक युवा प्रशिक्षित हुए और लगभग 50,000 युवा लाभदायी स्वरोजगार कर रहे हैं.

बैंक ने देशभर में ग्रामीण लोगों को जानकारी, समस्याओं के निदान तथा ऋण संबंधी सलाह देने के लिए 52 बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र स्थापित किये. विभिन्न वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाओं के बारे में ग्रामीण जनता में



जागरूकता बढ़ाने तथा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 14 वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसीएस) स्थापित किये। अब वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्रों की कुल संख्या 18 हो गई है।

### आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू से ही प्रतिष्ठा अर्जित की है। वर्ष 2010-11 के दौरान भी बैंक ने अपने अनर्जक आस्ति (एमपीए) पोर्टफोलियों के कुशल तथा रणनीतिगत प्रबंधन के माध्यम से भारतीय बैंकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाये रखी।

एनपीए की वसूली हेतु सतत निगरानी तथा अनुवर्ती कार्यवाही के साथ स्लिपेज को रोकने के लिए पूर्व चेतावनी संकेत हासिल करने के सुपरिभाषित तंत्र ने बैंक को अपना एनपीए यथासंभव न्यूनतम स्तर पर रखने में सहायता की।

आर्थिक गिरावट के प्रतिकूल प्रभावों तथा वित्तीय संकेतकों में तीव्र उतार-चढ़ाव के कारण भारतीय बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः परिलक्षित उच्च स्लिपेजों के बावजूद बैंक ने 31 मार्च, 2011 को सकल अग्रिमों के 1.36% तक अपना सकल एनपीए रखा। पिछले वर्ष भी यही स्तर था। बैंक का शुद्ध एनपीए अनुपात भी 31 मार्च, 2010 के 0.34% की तुलना में 31 मार्च, 2011 को 0.35% पर रहा।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन में बैंक का उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन वर्ष 2009-10 के 1.17% के वृद्धिशील बकाया अनुपात की तुलना में 2010-11 में 1.09% के सामान्य स्तर के रूप में परिलक्षित हुआ। "वर्ष के शुरू में बैंक के स्टेण्डर्ड खातों के प्रारंभिक शेष में नये स्लिपेज के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त बकाया के रूप में" यह अनुपात निकाला गया है।

अपने पिछले रिकार्ड के अनुसार बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 70% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में अपने एनपीए पोर्टफोलियों पर उच्च ऋण हानि या प्रावधान कवरेज अनुपात को बनाये रखा। 31 मार्च, 2011 को बैंक का एनपीए कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2010 के 74.90% की तुलना में 74.91% था। तकनीकी बड़ेखाते में ऋण हानि या प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2011 को 85.0% है जबकि 31 मार्च, 2010 को यह 87.0% था।

बैंक ने तेज कानूनी कार्रवाई तथा समझौता / ओटीएस के माध्यम से अपने एनपीए की तेजी से वसूली / समाधान हेतु सशक्त अनुवर्ती तंत्र को भी अपनाया है। इस रणनीति से बैंक को वर्ष 2010-11 के दौरान 455.49 करोड़ रुपये की नकदी वसूली की जबकि पिछले वर्ष यह 383.27 करोड़ रुपये हुई थी। इसके अतिरिक्त 2010-11 के दौरान विवेकसम्मत / तकनीकी रूप में बड़ेखाते डाले गये खातों से नकदी वसूली 272.65 करोड़ रुपये हुई।

बैंक ने 10 लाख रुपये तक के बकाया शेष वाले छोटे खातों में तेजी से वसूली करने में अपने विशेष अभियानों के अनुभवों का लाभ उठाया। उदाहरणार्थ, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शुरू किये गये अभियान संकल्प के माध्यम से 77.78 करोड़ रुपये की नकदी वसूली हुई। बैंक ने 10 करोड़ रुपये तक के बकाया वाले अपने एसएमई खातों हेतु विशेष ओटीएस योजना "एसएमई ओटीएस 2010" का भी शुभारंभ किया था। यह योजना बहुत सफल रही और इससे 53.18 करोड़ रुपये की नकदी वसूली हुई।

भारतीय बैंकिंग उद्योग में उत्कृष्ट परिसंपत्ति गुणवत्ता की डिलीवरिंग में बैंक का सतत कार्य निष्पादन निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है -  
(₹ करोड़ में)

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| आस्ति श्रेणी (सकल)                 | 31 मार्च, 2011 | 31 मार्च, 2010 |
| मानक                               | 2,28,173.03    | 1,74,736.43    |
| सकल एनपीए                          | 3,152.50       | 2,400.69       |
| कुल                                | 2,31,325.53    | 1,77,137.12    |
| सकल एनपीए में निम्नलिखित शामिल हैं |                |                |
| अवमानक                             | 1,097.23       | 894.83         |
| संदिग्ध                            | 1,336.64       | 743.22         |
| हानि                               | 718.63         | 762.64         |
| सकल एनपीए का जोड़                  | 3,152.50       | 2,400.69       |

### सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने अपने घरेलू, विदेशी तथा अनुषंगियों के परिचालन में समग्र व्यवसाय तथा सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति को अपनाया है। बैंक की प्रौद्योगिकी संरचना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं -

- बैंक के भारतीय परिचालन की सभी शाखाएं तथा विस्तार पटल कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के प्लेटफार्म पर आ गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक के पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1218 शाखाओं तथा तीन विस्तार पटलों में रिकॉर्ड समय में सीबीएस क्रियान्वित किया गया। जहां तक बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन की बात है, वर्ष के दौरान न्यूजीलैंड तथा बेल्जियम टैरीटोरियों में सीबीएस क्रियान्वित किया गया। कुल मिलाकर 13 विदेशी टैरीटरी में 44 शाखाएं तथा 8 विदेशी अनुषंगियों में 28 शाखाएं सीबीएस पर हैं जो कि बैंक के विदेशी व्यवसाय के 97.00% को कवर कर रही हैं। अप्रैल 2011 में बैंक के न्यूयॉर्क कार्यालय में सीबीएस के क्रियान्वयन के साथ बैंक का समग्र विदेशी व्यवसाय सीबीएस के दायरे में आ गया।
- इसके अतिरिक्त बैंक का सूचना प्रौद्योगिकी सेट-अप खाता खोलने की प्रक्रिया तथा लेन-देन को ऑनलाइन तथा आफलाइन दोनों ढंग से करने के लिए विकसित किया गया है ताकि वित्तीय समावेशन में लगे व्यवसाय प्रतिनिधि वित्तीय समावेशन कर सकें। वित्तीय समावेशन की पहल के रूप में बैंक ने गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मोबाइल वैन बैंकिंग की भी शुरुआत की है।
- बैंक ने अपटाइम इंस्टीट्यूट टियर-3 मानक के अनुरूप अत्याधुनिक डाटा सेंटर के क्रियान्वयन के माध्यम से उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी ढांचा निर्मित किया है और साथ ही विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में डिजास्टर रिकवरी साइट भी स्थापित किये हैं जो ग्राहकों को अनवरत बैंकिंग सेवा डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दुर्घटना के समय अलग सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेंगे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने अपने मौजूदा डाटा सेंटर को बैंक के अपने परिसर में नये डाटा सेंटर में बैंकिंग परिचालन में बिना किसी व्यवधान के स्थानांतरित कर दिया। बैंक ने अपने नये डाटा सेंटर में कई ग्रीन सूचना प्रौद्योगिकी पहलें भी की हैं।



- बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा (बड़ौदा कनेक्ट) स्वयं के खातों में, तीसरी पार्टी (बैंक के अंदर) को तथा अंतर बैंक आधार पर निधियों के अंतरण की त्वरित और सुरक्षित सुविधा प्रदान करती है। अन्य उपलब्ध सुविधाएं हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का भुगतान तथा कुछ राज्य सरकार के करों, उपभोक्ता बिलों, रेल टिकटों, ऑनलाइन शॉपिंग, मंदिरों को दान तथा संस्थानों की फीस का ऑनलाइन भुगतान। कॉरपोरेट्स को इससे सीधा सैलरी अपलोड, व्यापार वित्त की सुविधा प्राप्त होती है। इसे वर्ष के दौरान राज्य कर भुगतान उदाहरणतया महाराष्ट्र वर्चुअल ट्रेजरी, महाराष्ट्र बिक्री कर, तमिलनाडु वाणिज्यिक कर, गुजरात साइबर ट्रेजरी (मोटर वाहन कर) हेतु सक्षम बना दिया गया है। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर एसएमएस अलर्ट्स, आरटीजीएस/एनईएफटी लेनदेनों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों एवं अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गमों के इक्विटी शेयरों में ऑनलाइन आवेदन हेतु बड़ौदा कनेक्ट में एसबीए (अप्लीकेशन सपोर्टेड बाइ ब्लॉकड अमाउंट) प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। यूगांडा, बोत्स्वाना, न्यूजीलैंड, यूएई, केन्या, मॉरीशस, सेशल्स तथा फिजी में भी लेन देन आधारित इंटरनेट बैंकिंग सुविधा कार्यान्वित की गई है जो कि स्वयं को एवं तीसरी पार्टी को निधि अंतरण बिल भुगतान, कार्पोरेट सैलरी अपलोड तथा ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओमान एवं तंजानिया में भी सूचना आधारित इंटरनेट बैंकिंग को कार्यान्वित किया गया है।
- बैंक ने भारत में किये जाने वाले ई बैंकिंग लेनदेनों के संबंध में दोहरे सत्यापन हेतु एक थोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की है। इसे अंतर्राष्ट्रीय परिचालन क्षेत्रों में ई बैंकिंग के नए स्वरूप (वर्जन) के साथ लागू किया जाएगा।
- बैंक ने भारत, यूएई, बोत्स्वाना, यूगांडा, न्यूजीलैंड, केन्या, मॉरीशस तथा सेशल्स में इंटरनेट बैंकिंग अलर्ट्स की डिलिवरी के लिए एसएमएस अलर्ट्स डिलिवरी गेटवे को अपग्रेड कर लिया है। इसे बैंक के सभी ग्राहकों को शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- मर्चेट एवं इंटरनेट शॉपों को ऑनलाइन खरीद के संबंध में डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड हेतु इंटरनेट भुगतान गेटवे सेवा का एक सुरक्षित माध्यम उपलब्ध करवाना।
- बैंक ने भारत, यूएई, ओमान, मॉरीशस, फिजी, तंजानिया, बोत्स्वाना, ट्रिनिनाड एंड टोबैगो एवं न्यूजीलैंड में एक एटीएम स्विच परिचालित किया है। इन स्विचों के तहत शामिल एटीएम के माध्यम से डिलिवरी बिंदुओं की संख्या को बढ़ाकर ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने हेतु न्यूजीलैंड नेशनल में पे मार्क स्विच, ट्रिनिनाड एंड टोबैगो में लिंक्स स्विच, यू के में एफआईएस स्विच के साथ एकीकरण प्रस्तावित है। बैंक ने ग्राहक केंद्री पहल के रूप में अनेक खातों को एक डेबिट कार्ड (वीसा, सीवीवी 2 द्वारा सत्यापित) से संबद्ध किया है एवं एटीएम के उपयोग द्वारा ई टैक्स का भुगतान करना संभव बनाया है। अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ एवं नई दिल्ली में मोबाइल एटीएम भी आरंभ किये गए हैं।
- जनवरी 2011 में प्रायोगिक तौर पर मोबाइल बैंकिंग- बड़ौदा एम. कनेक्ट आरंभ किया गया है जो कि जमाशेष पूछताछ, लघु विवरणी, अनेक खातों को लिंक करना, निधि अंतरण, बैंक को अनुरोध, बिल भुगतान, टिकट बुकिंग, शॉपिंग, अभिमत/शिकायत इत्यादि जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
- बैंक के ग्राहकों को रिटेल डिपोजिटरी सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्रीकृत डिपोजिटरी एप्लीकेशन के आधार पर शाखाएं एनएसडीएल एवं सीडीएसएल दोनों के लिए डिपोजिटरी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं।
- बैंक ने संस्थागत ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली आरंभ की है। रिटेल के संबंध में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली अपने कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है एवं इसे वर्ष 2011- 12 के दौरान आरंभ किया जाएगा।
- बैंक की नकदी प्रबंधन सेवा, बैंक के ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली संपूर्ण प्रकार्यों से युक्त वेब आधारित कैश मैनेजमेंट सेवा है। इसमें प्राप्ति प्रबंधन (वसूली), नकदी प्रबंधन तथा इनवॉयस प्रबंधन (प्राप्य एवं देय प्रबंधन) जैसी सेवाएं शामिल हैं।
- बैंक की सीबीएस शाखाएं आरटीजीएस एवं एनईएफटी के माध्यम से अंतर बैंक धन प्रेषणों के लिए सक्षम बनाई गई हैं। आरटीजीएस एवं एनईएफटी के लिए बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर भी इंटरफेस उपलब्ध कराया गया है। जुलाई 2010 में एनईएफटी के आवक संदेशों के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रॉसेसिंग कार्यान्वित किया गया है।
- विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय संप्रेषणों के लिए बैंक की भारत में स्थित विदेशी मुद्रा प्राधिकृत शाखाओं एवं विदेशी परिचालन क्षेत्रों में स्विफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई है;
- बैंक ने अपने 20 विदेशी परिचालन क्षेत्रों एवं भारत की सभी प्राधिकृत शाखाओं में पेमेंट मेसेजिंग सोल्यूशन लागू किया है। सीबीएस से प्राप्त होने वाले स्विफ्ट संदेशों को स्विफ्ट मानकों के अनुसार सत्यापित करने एवं फॉर्मेट करने में पीएमएस से मदद मिलती है एवं इससे एएमएल जांच का काम भी हो जाता है।
- बैंक ने एक नई क्रेडिट कार्ड प्रबंधन प्रणाली भी लागू की है; सभी प्रकार के लेनदेनों जैसे कि खरीद, ई-कॉमर्स लेनदेन इत्यादि के लिए ऑनलाइन एसएमएस जनरेट हो जाते हैं तथा ग्राहकों को ई विवरण भेजे जाते हैं।
- बैंक ने परिचालन लागत को कम करने तथा बेहतर निधि प्रबंधन हेतु यूके, यूएई, बहामास, बहरीन, हांगकांग, सिंगापुर, बेल्जियम जैसी टैरीटरिज तथा भारत में एकीकृत वैश्विक ट्रेजरी परिचालन कार्यान्वित किया है।
- बैंक द्वारा प्रदान किये जाने वाले सेवा स्तर में बढोत्तरी के लिए बैंक ऑफिस कार्यों को सिटी बैंक ऑफिस में केंद्रीकृत कर दिया गया है तथा बड़ौदा, जयपुर, लखनऊ, भोपाल एवं कोयंबतूर में पांच क्षेत्रीय बैंक ऑफिस स्थापित किये गए हैं। बैंक के पांच आरबीओ में निजीकृत चेक बुक को कार्यान्वित किया गया है। बैंक ने केंद्रीकृत एफसीएनआर परिचालनों के लिए भी मॉड्यूल्स विकसित किये हैं।
- बैंक ने बिजनेस प्रॉसेस रिइंजीनियरिंग परियोजना के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर मुंबई में अपनी सेवा शाखा में फरवरी 2001 में स्वचालित चेक प्रॉसेसिंग सेंटर (आवक एवं जावक) की शुरुआत की है।
- नियमित अनुपालन हेतु एंटी मनी लांड्रिंग (एएमएल) भारत एवं 20 विदेशी परिचालन क्षेत्रों में लागू की गई है। बैंक ने जोखिम प्रबंधन समाधान भी क्रियान्वित किया है।





- बैंक ने अपनी सभी सीबीएस शाखाओं (घरेलू एवं विदेशी) में 13 दिसंबर, 2010 को इंटरप्राइज वाइड जीएल सोल्यूशन (ईडब्ल्यूजीएल) लागू किया है। इससे बैंक को व्यवसाय विकास के संबंध में निर्णय लेने के संबंध में अनेक इनपुट प्राप्त होते हैं तथा इससे उद्यम स्तरीय समेकित रिपोर्टें भी जनरेट होती हैं।
- भारत में बैंक के सभी कार्यालयों में केंद्रीकृत पे रोल, सैलरी मॉड्यूल, ई-टीडीएस मॉड्यूल तथा छुट्टी मॉड्यूल कार्यान्वित किया जा चुका है;
- निर्णय लेने, पदोन्नति एवं चयन प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अन्य एच आर प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के उद्देश्य से बैंक के कर्मचारियों के केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने हेतु मानव संसाधन कर्मचारी सेवा नेटवर्किंग को कार्यान्वित किया गया है।
- ग्रामीण शाखाओं में ग्राहकों को बाधारहित बैंकिंग सेवा सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी कुछ शाखाओं में सोलर पावर जनरेशन सिस्टम (एसपीजीएस) लगाया है। एसपीजीएस उन शाखाओं में यूपीएस के माध्यम से उर्जा का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया जो बिजली की भारी कमी अथवा अत्यधिक लोड शेडिंग का सामना कर रही हैं।
- सुरक्षा संबंधी संकटों से प्रौद्योगिकी को बचाने के लिए बैंक ने एक मजबूत सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है।
- बैंक की वर्ष के दौरान आरंभ की गई अन्य परियोजनाएं हैं- ग्राहक संबंध प्रबंधन, डेटावेयरहाऊस/ओएफएसए तथा ज्ञान प्रबंधन। इन परियोजनाओं के कुछ चरण पूरे हो चुके हैं एवं कुछ चरण अभी कार्यान्वयनाधीन हैं।

### सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी भविष्य की योजनाएं

- बैंक ने सर्वर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, बैंक अप कौन्सोलिडेशन, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संरचना के समेकन की योजना तैयार की है ताकि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके एवं विद्यमान आई टी संरचना को अपग्रेड किया जा सके।
- एटीएम लेनदेनों की बढ़ी हुई मात्रा एवं अतिरिक्त एटीएम खोलने हेतु बैंक ने एटीएम स्विच को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा है।
- बैंक ने ग्राहक को एक सुखद अनुभव प्रदान करने हेतु संपर्क केंद्र सोल्यूशन के कार्यान्वयन की योजना तैयार की है।
- विभिन्न सेवा चैनलों के द्वारा बाधारहित एवं कुशल सेवा संभव बनाने हेतु बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम एवं अन्य डिलिवरी चैनलों के माध्यम से अतिरिक्त ग्राहककेंद्री पहलें करने की योजना तैयार की है।
- बिजनेस प्रॉसेस रिइंजीनियरिंग योजना के हिस्से के रूप में बैंक ने शाखाओं के बैंक ऑफिस कार्यों को केंद्रीकृत करने की योजना बनाई है ताकि शाखाएं बिक्री एवं सेवा केंद्रों के रूप में शीघ्र परिणत हो सकें।
- वर्ष 2011-12 के दौरान दिल्ली, पुणे, कोलकाता, जमशेदपुर एवं मुंबई में पांच और क्षेत्रीय बैंक ऑफिस खोलने की योजना बनाई गई है।

### ई- बिजनेस

बैंक का ई बिजनेस विभाग विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक डिलिवरी चैनल (एडीसी) जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग (बड़ौदा कनेक्ट), आरटीजीएस/

एनइएफटी, फोन बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी) इत्यादि उपलब्ध करवाता है। इसके अतिरिक्त विभाग के पास डिपोजिटरी सेवाओं, नकदी प्रबंधन सेवाओं, एनआरआई सेवाओं तथा स्वर्ण सिक्कों की बिक्री की देखरेख का कार्य भी है। वर्ष 2010-11 के दौरान ई-बिजनेस विभाग के विभिन्न खंडों के तहत कार्यानिष्पादन के प्रमुख विवरण नीचे दिए गए हैं :

### एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन

| विवरण                      | 31/03/2010 | 31/03/2011 |
|----------------------------|------------|------------|
| परिचालित एटीएम की संख्या   | 1315       | 1561       |
| जारी डेबिट कार्ड की संख्या | 45.95 लाख  | 62.71 लाख  |

### वर्ष 2010-11 के दौरान की गई नए पहलें

क) एटीएम के माध्यम से भुगतान

ख) नकद आहरण सीमा को 15,000 रु. से बढ़ाकर 25,000 रु. प्रतिदिन कर दिया गया।

### बड़ौदा कनेक्ट ( इंटरनेट बैंकिंग)

| विवरण                        | 31/03/2010 | 31/03/2011 |
|------------------------------|------------|------------|
| उपयोगकर्ताओं की संख्या       | 3,66,605   | 5,73,575   |
| लिंक किये गए खातों की संख्या | 12,91,847  | 21,90,700  |

### वर्ष 2010-11 के दौरान की गई नई पहलें

क) आईपीओ/एफपीओ के ऑनलाइन अंशदान (एएसबीए) को इनेबल किया गया

ख) रिटेल उपयोगकर्ताओं के लिए दैनिक लेनदेन सीमा को बढ़ाया गया।

### फोन बैंकिंग

क) बैंक ने यह सुविधा 19 मार्च 2009 को आरंभ की थी।

ख) इस सुविधा के तहत सूचीबद्ध उपयोगकर्ताओं की संख्या 31 मार्च, 2011 को 4,13,234 थी, इसमें 2010-11 के दौरान 1,70,464 नए उपयोगकर्ता जोड़े गए।

ग) इस सुविधा पर प्रतिदिन औसत हिट्स 600 से अधिक थे।

### बड़ौदा आरटीजीएस/एनइएफटी

| विवरण                      | 2009-10   |           | 2010-11   |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            | आरटीजीएस  | एनइएफटी   | आरटीजीएस  | एनइएफटी   |
| आवक लेनदेनों की संख्या     | 8,85,527  | 15,83,158 | 13,98,612 | 34,24,515 |
| जावक लेनदेनों की संख्या    | 12,93,970 | 6,61,923  | 19,25,969 | 14,88,661 |
| औसत लेनदेन प्रतिदिन (आवक)  | 4,774     | 7,674     | 5,793     | 17,035    |
| औसत लेनदेन प्रतिदिन (जावक) | 6,516     | 3,105     | 7,235     | 8,015     |





### बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं

- वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बीसीएमएस में 10,08,000 लेनदेन किये गए जिसका कुल टर्नओवर 11,027 करोड़ रुपये था।
- चरणबद्ध रूप से इन सेवाओं को 100 और केंद्रों पर विस्तारित करने की योजना है।

### अनिवासी भारतीय ( एनआरआई) सेवाएं

- कुल एनआरआई जमाएं 31 मार्च 2010 के 16,792 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़कर वर्ष के दौरान 4.68% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2011 को 17,578 करोड़ रुपये हो गईं।
- इस वर्ष भी बैंक ने नई दिल्ली में जनवरी 2011 में प्रवासी भारतीय दिवस - 2011 में भाग लिया।

### बड़ौदा ई गेटवे पेमेंट (इंटरनेट पेमेंट गेटवे)

31 मार्च 2011 को इस सुविधा के तहत 52 मर्चेट पंजीकृत थे एवं कुल टर्नओवर 11.73 करोड़ रुपये था।

### स्वर्ण सिक्कों की बिक्री

- बैंक ने अक्टूबर 2007 से स्वर्ण सिक्कों की बिक्री आरंभ की।
- वर्तमान में स्वर्ण सिक्के 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम तथा 20 ग्राम के वजन में बेचे जा रहे हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान 1,08,743 स्वर्ण सिक्के, जिनका वजन 730.01 कि.ग्राम था, बेचे गए।
- वर्ष 2010-11 के दौरान स्वर्ण सिक्कों की बिक्री से 9.23 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया।

### निकट भविष्य में आरंभ किये जाने वाले नए उत्पाद

1. मोबाइल बैंकिंग का विस्तार
2. प्रिपेड कार्ड
3. बड़ौदा एवं लखनऊ में संपर्क केंद्रों की स्थापना
4. डेबिट कार्ड के विभिन्न स्वरूपों का शुभारंभ :
  - क. प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड
  - ख. मैस्ट्रो डेबिट कार्ड
  - ग. कॉम्बी गोल्ड डेबिट कार्ड
  - घ. बायोमेट्रिक एटीएम के लिए डेबिट कार्ड

ग्राहक केंद्रीकृत पहल के रूप में बड़ौदा एवं लखनऊ में संपर्क केंद्र (कॉल सेंटर) स्थापित किये जा रहे हैं।

### मानव संसाधन

मानव संसाधन रणनीतियां, कारोबार रूपांतरण एवं परिचालन इकाइयों के कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने की दिशा में बैंक के समग्र प्रयासों का महत्वपूर्ण अंग रही हैं। मानव संसाधन कार्यों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी की क्षमताओं कुशल इस्तेमाल करते हुए ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। बैंक के पास 39,385 सक्षम एवं अत्यधिक समर्पित कर्मचारी हैं जिन्होंने बैंक के विशाल व्यावसायिक परिचालन को संभाल रखा है।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक द्वारा मानव संसाधन के संबंध में की गई पहलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

### एचआर प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन

बैंक ने एक व्यापक एचआर प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके तहत एचआरएम, प्रशिक्षण, पे रोल एवं छुट्टी मॉड्यूलों के माध्यम से विभिन्न कार्यों को स्वचालित किया गया है। वर्ष के दौरान विभिन्न अन्य मॉड्यूलों का कार्यान्वयन जारी रखा गया।

### सक्षमता निर्माण संबंधी एचआर पहलें

वर्ष 2010-11 के दौरान अनेक प्रशिक्षण एवं विकासात्मक गतिविधियां संपन्न की गईं जिनमें युवा अधिकारियों एवं नए भर्ती किये गए कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास एवं उन्नयन के अलावा ऋण, फॉरेक्स डीलिंग, शाखा प्रबंधन, आयोजना, जोखिम प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए।

बैंक ने वर्ष के दौरान 1544 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (देश भर के 12 प्रशिक्षण केंद्रों, एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र तथा अहमदाबाद स्थित शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय के माध्यम से) आयोजित किये एवं 35843 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। इसके अतिरिक्त बैंक ने अपने 1509 कर्मचारियों को देश के एवं यहां तक कि विदेश के भी विभिन्न बाहरी प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजा।

### नेतृत्व विकास

कर्मचारियों में नेतृत्व क्षमता के विकास की अत्यधिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए बैंक ने "प्रोजेक्ट उड़ान" के नाम से एक विस्तृत नेतृत्व विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जिसका लक्ष्य भविष्य के लिए



श्री एम.डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा भावी नेतृत्व प्रदाताओं के लिए व्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रम "उड़ान" का उद्घाटन

नेतृत्व तैयार करना है। इसके तहत सभी शहरी एवं महानगरीय शाखाओं के शाखा प्रमुखों तथा सभी सहायक महाप्रबंधकों एवं उप महाप्रबंधकों को शामिल किया गया है। नेतृत्व विकास का यह व्यापक एवं विस्तृत प्रयास उद्योग जगत में अनूठा एवं भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस तरह का पहला है।



## भर्ती अभियान

बैंक में मानव शक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनेक भर्ती अभियान चलाए गए. सामान्य सेवानिवृत्तियों एवं व्यावसायिक वृद्धि संबंधी बैंक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों के कैंपस से सीधे युवा एमबीए की भर्ती की कार्यवाही आरंभ की गई. बैंक ने विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों में 1871 अधिकारी (सामान्य एवं विशेषज्ञ दोनों), 1131 लिपिक तथा 632 अधीनस्थ स्टाफ सदस्य अर्थात् वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक में कुल 3634 नए कर्मचारी भर्ती किये. भर्ती की प्रक्रिया वर्ष 2011-12 के दौरान भी जारी रहेगी क्योंकि 2000 अधिकारियों के पद एवं 2000 लिपिकों के पद भरने संबंधी विभिन्न भर्ती परियोजनाएं कार्याधीन हैं.

## कैरियर प्रगति संबंधी संरचना

तीव्र कैरियर विकास के संबंध में कर्मचारियों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विशेष प्रयास किये गए ताकि कर्मचारियों को उच्च कार्यनिष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा सके. इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010-11 के दौरान, बड़ी संख्या में पदोन्नति की गई, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

|  |      |
|--|------|
| अधीनस्थ स्टाफ से लिपिक                                     | 302  |
| लिपिक से अधिकारी   | 519  |
| कप्र- I से मप्र -II ( अधिकारी से प्रबंधक)                  | 1001 |
| मप्र- II से मप्र -III ( प्रबंधक से वरिष्ठ प्रबंधक)         | 971  |
| मप्र- III से वप्र -IV (वरिष्ठ प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक)    | 240  |
| वप्र-IVसे वप्र-V (मुख्य प्रबंधक से सहायक महाप्रबंधक)       | 70   |
| वप्र-V से उकाश्रे - VI (सहायक महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक) | 33   |
| उकाश्रे- VI से उकाश्रे -VII (उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक)  | 15   |

## मानव संसाधन नीतियों एवं प्रणालियों की समीक्षा

कर्मचारी अनुकूल नियमों, प्रक्रियाओं को आसान बनाने तथा अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से वर्ष 2010-11 के दौरान सभी महत्वपूर्ण मानव संसाधन नीतियों एवं प्रणालियों की समीक्षा की गई .

## एससी/एसटी/ अन्य पिछड़े समुदायों के विकास पर विशेष ध्यान

बैंक समाज के एससी/एसटी/ अन्य पिछड़े समुदायों से संबद्ध व्यक्तियों के संवैधानिक सुरक्षा प्रावधानों तथा उनके विकास एवं कल्याण के सामाजिक उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित है. संपूर्ण बैंकिंग उद्योग में बैंक उन चुनिंदा बैंकों में से एक है जहां एससी एवं एसटी कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है, यह उनके विकास एवं उत्थान के प्रति बैंक की वचनबद्धता का प्रमाण है. बैंक द्वारा एससी एवं एसटी कर्मचारियों के

विकास एवं कल्याण के संबंध में किये गए महत्वपूर्ण प्रयासों का नीचे उल्लेख किया गया है.

## रोजगार में आरक्षण

बैंक अखिल भारतीय एवं स्थानीय भर्तियों के संबंध में भारत सरकार के नौकरियों में आरक्षण संबंधी निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. अखिल भारतीय भर्तियों में एस सी के लिए लगभग 15% एवं एसटी के लिए 7.5% पद आरक्षित होते हैं. क्षेत्रीय आधार पर की जाने वाली भर्तियों में विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित प्रतिशत का अनुपालन किया जाता है.

बैंक की भर्ती के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों के लिए भर्ती उन्मुख पूर्व प्रशिक्षण जैसे विशेष प्रयास बैंक द्वारा किये जाते हैं. आयु सीमा और अर्हता में विशेष छूट दी जाती है और अनु.जाति/जनजातियों के उम्मीदवारों के साक्षात्कार रियायती मानकों के आधार पर लिए जाते हैं ताकि आरक्षित पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती सुनिश्चित की जा सके. भर्ती के लिए साक्षात्कार पैनल में अनिवार्यतः एक सदस्य अनु.जाति/जनजातियों का होता है. साक्षात्कार के लिए बुलाए जानेवाले अनु.जाति/जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पदों में आरक्षण के अलावा, प्रचलित मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक अनु.जाति/जनजातियों कर्मचारियों को कैरियर विकास व पदोन्नतियों में आरक्षण और अन्य प्रकार से सहायक उपाय उपलब्ध कराता है. पदोन्नति प्रक्रिया के पूर्व पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाता है. बैंक के उपलब्ध आवासों में से लगभग 10% अनु.जाति/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किये जाते हैं.

31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार अनु.जाति और अनु. जनजातियों के सदस्यों की स्टाफ संख्या और प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है :

| श्रेणी        | कुल    | अनु.जाति | अनु.जाति % | अनु. जनजाति | अनु. जनजाति % |
|---------------|--------|----------|------------|-------------|---------------|
| अधिकारी       | 15,759 | 2,743    | 17.41      | 1,024       | 6.50          |
| लिपिक         | 15,628 | 2,317    | 14.83      | 943         | 6.03          |
| अधीनस्थ स्टाफ | 7,998  | 2,834    | 35.43      | 724         | 9.05          |
| कुल           | 39,385 | 7,894    | 20.04      | 2,691       | 6.83          |

## अनु.जाति / अनु.जनजाति कक्ष

बैंक के अनु.जाति/अनु.जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण तथा अन्य सहायक प्रावधानों के अनुप्रवर्तन के लिए बैंक में विशेष अनु.जाति/अनु.जनजाति कक्ष स्थापित किया गया है. महाप्रबंधक श्रेणी के कार्यपालक अनु.जाति/जनजाति के कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के तौर पर नियुक्त किये गए हैं, जो अनु.जाति/अनु.जनजाति कर्मचारियों से संबद्ध विविध मार्गनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं. बैंक के प्रत्येक अंचल में अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो उस अंचल के अनु.जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों से संबंधित मामलों तथा शिकायतों के निपटान पर ध्यान देते हैं.

## अनु.जाति / अनु. जनजाति कल्याण संगठन की बैठकें

प्रत्यक्ष संवाद और अनु.जाति / अनु. जनजाति के लिए आरक्षण तथा अन्य विशेष प्रावधानों की समीक्षा की दृष्टि से बैंक अपने कर्मचारियों के



अनु.जाति/ अनु. जनजाति कल्याण संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक तिमाही आधार पर आयोजित करता है. इस बैठक में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य संपर्क अधिकारी सहित वरिष्ठ कार्यपालक भाग लेते हैं.

### भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक न्यास

अनु.जाति/ अनु. जनजाति कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के हित में कल्याणकारी गतिविधियों के संवर्धन के लिए बैंक ने 1991 में “भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक न्यास” की स्थापना की. अनु. जाति/ अनु. जनजाति कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के अलावा यह न्यास सामान्य रूप से देश के बड़े शहरों में अनु.जाति/ अनु. जनजाति समुदाय के जरूरतमंद छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करता है.

### अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का दौरा

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने दि. 17 मार्च 2011 को बैंक का दौरा किया, चर्चा तथा विचार विमर्श के साथ नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के स्तर की जांच की. आयोग द्वारा दिए गए सुझाव और मार्गनिर्देशों का बैंक कठोरता से अनुपालन कर रहा है.

### मार्केटिंग

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक का मुख्य ध्यान मार्केटिंग संपर्क के लिए नायाब तरीके की खोज पर केंद्रित था. स्पर्धात्मक वातावरण और बहुविध संदेशों के दृष्टिगत विभिन्न बैंकों के विज्ञापन एक जैसे प्रतीत होते हैं और इनकी परस्पर संबद्धता को अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है. कड़ी प्रतिस्पर्धा में जीतने और दर्शकों के मन में जगह पाने की दृष्टि से ब्रांड वेल्यू में वृद्धि लाना और उसके द्वारा फील्ड स्टाफ को संपूर्ण संबल प्रदान करना बैंक के मार्केटिंग संवाद का मुख्य ध्येय रहा.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एम.डी. मल्या बडौदा-नेक्स्ट रिइन्फोर्समेंट अभियान-11 का शुभारंभ करते हुए

### ब्रांड वेल्यू बढ़ाना

वर्ष 2010-11 की विशेषता “पुनः प्रवर्तन अभियान अर्थात् रिइन्फोर्समेंट अभियान” जिसमें बैंक के पहले से स्वीकृत सब-ब्रांड /बडौदा नेक्स्ट - स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट/ का उपयोग किया गया. इस अभियान के दो उद्देश्य थे, प्रभावी सुपुर्दगी और पहुंच के लिए सुदृढ़ टेक्नॉलॉजी बुनियादी व्यवस्था के साथ पुनः प्रवर्तित बैंक के उत्पादों और सेवा और उत्पादों को बाजार में पुनः प्रचारित करना और “बडौदा नेक्स्ट” का विस्तार युवा और टेक्नॉलॉजीयुक्त पीढ़ी को शामिल करने के लिए करना. बैंक ने अपनी

कार्यनीति के अनुसार 360 डिग्री अभियान चलाया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, ऑन लाइन, आउट ऑफ होम, ऑन-ग्राउंड और शाखा के भीतर की गतिविधियां शामिल थीं. इन सबने मिलकर सशक्त वैकल्पिक डिलीवरी चैनल्स के साथ प्रवर्तित बैंक के रिटेल उत्पादों (बचत बैंक/चालू खाता/ रिटेल ऋण) का उपयोग करते हुए ग्राहक संख्या में बढ़ोतरी लाने के बैंक के अभियान को गति दी.

नये “रिइन्फोर्समेंट अभियान” की रूपरेखा संप्रेषण के विविध माध्यमों का उपयोग करते हुए नवोन्मेषी तरीके से बनाई गई थी, जिसमें वास्तविक जीवन का आभास देनेवाली भांति भांति की एनिमेटेड व्यक्तिरेखाएं शामिल थीं, जिन्हें रेखांकनों और चित्ररूप प्रस्तुतियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया था. बैंक ने महसूस किया कि उत्पादों और संतुष्ट ग्राहकों की आम फोटोग्राफिक कल्पनाओं से बाहर आना जरूरी हो गया है. बैंक ने क्रांतिकारी, आकर्षक दृश्य प्रभाव के साथ “स्टिकमेन की छवि” को अपनाया, जिसे बैंक के हिताधिकारियों ने स्वीकृति दी और विज्ञापन तथा बैंकिंग उद्योग में इसे खूब सराहा गया.



व्याप्ति, प्रभाव और दृश्यमयता के संदर्भ में इस अभियान की सफलता को विविध लक्ष्य समुदायों से मिलने वाले फीडबैक से आंका जा सकता है.

### उत्पाद समर्थन

वर्ष 2010-11 के दौरान रिटेल ऋण, चालू जमाराशियां, बचत जमाराशियां, एसएमई उत्पाद, एनआरआई उत्पाद और स्वर्णमुद्राओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अनेक उत्पाद संवर्धन अभियान आयोजित किये गए. फील्ड में काम करनेवाली इकाइयों के बिक्री के प्रयासों को समर्थन देने के लिए सभी माध्यमों (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउट ऑफ होम माध्यम) का मिला-जुला उपयोग किया गया. शाखा के भीतर बैनर, पोस्टर, लीफलेट्स प्रदर्शित कर और जमीनी स्तर पर संवर्धन गतिविधियों के माध्यम से उनके प्रयासों को समर्थन दिया गया.

### बिक्री पर विशेष ध्यान

रिटेल लोन फैंक्ट्री और एसएमई लोन फैंक्ट्री के साथ साथ सिटी सेल्स ऑफिस (सीएसओ) का कार्य उत्पादों की विविध श्रेणियों के तहत बिक्री का कार्यनिष्पादन बेहतर बनाने में शाखाओं के प्रयासों में सहायता देना था. 31 मार्च 2011 को देशभर में कुल 26 सीएसओ कार्यरत हैं.

### मार्केटिंग के अन्य प्रयास

मार्केटिंग प्रभाग द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों की वजह से बैंक की बेहतर उपस्थिति, छवि, प्रतिष्ठा और साख में पर्याप्त वृद्धि हुई. बैंक ने अनेक संवर्धनकारी आयोजन किये और इनमें भाग लिया. बैंक के ब्रांड के विस्तार में कुछ प्रमुख आयोजन हैं : प्रवासी भारतीय - नई दिल्ली, वायब्रंट गुजरात समित 2011, मुंबई मैराथन, पोलो टूर्नामेंट, वडोदरा मैराथन, मिंट, वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन - “बैंकिंग एंड बियांड - न्यू चैलेंजेस फेसिंग इंडियन फिनान्शियल सिस्टम” निरंतर ग्राहकों के सामने रहने के लिए आउट ऑफ होम मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया गया.





## लीक से हटकर सोचना

- रीइन्फोर्समेंट अभियान II की सहायता के लिए वेबसाइट बनाने की नवोन्मेषी कल्पना को बैंक ने कार्यान्वित किया। अभियान का उद्देश्य वैकल्पिक डिजीटल चैनल्स के उपयोग को बढ़ावा देना था, जिनमें इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम आते हैं। इसीके साथ बैंक अपने आप को टेक्नोलॉजी सम्पन्न बैंक के रूप में स्थापित कर सका।
- अब इस माध्यम का उपयोग निरंतर रूप से रिटेल ऋण अभियान और बचत खाता अभियान के तहत लीड जनरेशन के लिए किया जा रहा है।
- एनिमेटेड “स्टिकमैन की छवि” धीरे धीरे प्रभावी बनती गई और बैंक के आंतरिक तथा बाहरी हितधारकों की पसंद पर खरी उतरी, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में यह कल्पना अनूठी थी।

## बैंक ऑफ बडौदा को पुरस्कार और उद्योग जगत में मान्यता



माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम. डी. मल्या को “द बैंकर ऑफ द इयर-2010” पुरस्कार प्रदान किया।

बैंक के निरंतर उत्कृष्ट और सर्वांगीण कार्यनिष्पादन (व्यवसाय और वित्तीय, दोनों ही), श्रेष्ठ प्रबंधन, उत्कृष्टता के प्रति निष्ठा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय समावेशन में योगदान के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित गया।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक को प्राप्त कुछ मुख्य पुरस्कारों का विवरण आगे दे रहे हैं :

- बिजनेस स्टैंडर्ड - बेस्ट बैंकर पुरस्कार - नई दिल्ली में प्रधानमंत्री माननीय डॉ. मनमोहन सिंह ने बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदान किया।
- बेस्ट एसएमई बिजनेस स्टार्ट अप स्कीम पुरस्कार - 23 मार्च 2011 को दुबई के एमिरेट्स टावर्स में आयोजित बैंकर मिडल ईस्ट प्रॉडक्ट्स एवार्ड्स 2011 समारोह में।
- स्कॉच फाइनान्शियल इंकलुजन पुरस्कार - 2011
- प्रेसिडेंट झुमा पुरस्कार - दक्षिण अफ्रीका की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान के लिए - 9 जनवरी 2011 को डरबन में
- आईबीए- बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2011 - रनर अप पुरस्कार

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के हाथों प्रदान किया गया।

- कन्ज्यूमर सुपर ब्रैंड्स पुरस्कार - भारत के शीर्षस्थ सुपर ब्रैंड में से एक होने के लिए - कन्ज्यूमर सुपर ब्रैंड्स वॉल्यूम 3 - जनवरी 2010
- डीएसआईजे पीएसयू पुरस्कार - श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रेष्ठ योगदान के लिए - दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल - 6 अप्रैल 2010
- दैनिक भास्कर ग्रुप (डीएनए) द्वारा सिल्वर पुरस्कार - एन्युअल इंडिया प्राइड एवार्ड 2010 के तहत
- बिजनेस इंडिया - बेस्ट बैंक पुरस्कार 2010 - 5 अक्टूबर 2010
- नेशनल पुरस्कार 2010 - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी व ग्रामोद्योग केन्द्रीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए
- बैंक ऑफ द इयर 2010 (भारत के लिए) - बैंकर मैगज़ीन यूके - लंदन द्वारा
- एबीसीआई-सिल्वर- कॉर्पोरेट सामाजिक प्रतिबद्धता स्तंभ - (बॉबमैत्री)
- एबीसीआई - सिल्वर - द्विभाषी प्रकाशन (बॉबमैत्री)
- एबीसीआई - सिल्वर - भारतीय भाषा प्रकाशन - अक्षय्यम्
- माइ एफएम स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री ब्रांड लीडरशिप पुरस्कार 2010

## परिसर रि-इंजीनियरिंग और परिवेश सुधार

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई स्थित अपने दूसरे भवन में कार्य करना शुरू किया। इस परिसर को “बडौदा सन टावर” नाम दिया गया है जिसे नवीनतम तकनीक और प्रणालियों से निर्मित किया गया है और इसमें ऊर्जा किफायती उपकरण लगे हैं। वर्ष के दौरान इस नए परिसर में कुछ अन्य सहायक विभागों के साथ-साथ ट्रेजरी परिचालन, परियोजना कार्यालय, डाटा सेन्टर, ई-बिजनेस और बीपीआर जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों को स्थानान्तरित किया गया।

इसके अलावा लखनऊ अंचल कार्यालय परिसर को बैंक के उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड अंचल को सौंपा गया। अंचल कार्यालय (यूपीयू), क्षेत्रीय कार्यालय (लखनऊ) और अंचल निरीक्षण केन्द्र, लखनऊ मई/जून, 2010 में नए परिसर में स्थानान्तरित हो गए।



यू.पी.यू. अंचल, लखनऊ का नवनिर्मित भवन



इसी प्रकार पन्तनगर में बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बीएसवीएस) के लिए बनाए जाने वाले परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया जिसे उत्तर प्रदेश अंचल को सौंपा गया. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (वीकेआई) जयपुर में शाखा कार्यालय और करेंसी चेस्ट परिसर का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया और इसे बैंक के राजस्थान अंचल को सौंपा गया.

साथ ही वडोदरा में 1000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले आडिटीोरियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और इसका कब्जा प्रमाण पत्र लेने संबंधी औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं.

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक द्वारा मुंबई में पूर्ववर्ती मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लि. की लगभग 15 शाखाओं की पुनर्संज्जा/नवीनीकरण का कार्य पूरा किया गया ताकि उन्हें मुंबई में बैंक की शाखाओं के समकक्ष लाया जा सके. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नवीनीकरण हेतु अंचलों द्वारा स्वीकृत उपरोक्त शाखाओं के अतिरिक्त संपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 120 शाखाओं की साजसज्जा/नवीनीकरण की स्वीकृति दी गई.

### संपदा प्रबंधन विभाग की अन्य पहलें

ऊर्जा बचाने और खर्च को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के अपने सिद्धान्त के अनुरूप बैंक ने बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स (बीकेसी), मुंबई स्थित बड़ौदा सन टावर (बीसीटी) परिसर में हीटिंग वेंटीलेशन और एयर कंडीशनिंग ((एचवीएसी) सिस्टम की एयर हैंडलिंग यूनिटों में वेरियेबल एयर वॉल्यूम (वीएवी) प्रौद्योगिकी और हवा संतुलन प्रणाली स्थापित की है. बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स (बीकेसी), मुंबई स्थित बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर (बीसीसी) में सीवर के पानी को एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के माध्यम से निकाला जाता है और कई लीटर साफ पानी को बागवानी आदि जैसे वैकल्पिक प्रयोग के लिए रखा जाता है.

बीसीसी और बीएसटी की कैंटीन में बैंक ने बिजली ऊर्जा आधारित कुकिंग प्रणाली के स्थान पर गैस आधारित कुकिंग प्रणाली की शुरुआत की है और काफी मात्रा में बिजली ऊर्जा की बचत की है. इसी प्रकार बीसीसी के विभिन्न नलों से पानी के बहाव को मानीटर करके इसके प्रयोग को न्यूनतम आवश्यकता तक सीमित किया जाता है. इस प्रकार प्रतिदिन काफी मात्रा में साफ उपयोगी पानी की बचत की जाती है.

बिजली के खर्चों की बचत के लिए बैंक ने बड़ौदा सन टावर, बीकेसी मुंबई के सभी तलों पर लाइट सेंसर, सोलर लाइटिंग तथा विंड मिल लगाये गए हैं. मुंबई में सभी कार्पोरेट कार्यालयों में बिजली से संबंधित लेखा परीक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है ताकि बिजली की अधिकतम बचत की जा सके.

### कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं

- अंचल कार्यालय और एक शाखा के लिए मइलापुर, चेन्नै में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है.
- सेनोटॉप रोड, चेन्नै में कार्यपालकों और अधिकारियों के लिए 29 फ्लैटों के आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य चल रहा है.
- जनकपुरी और ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली में आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है.
- घोड़ दौड़ रोड, सूरत में प्रशासनिक कार्यालय और आवासीय कॉम्प्लेक्स भी पूरा होने के अंतिम चरण में आ गये हैं.

- जमशेदपुर में प्रशासनिक कार्यालय और आवासीय कॉम्प्लेक्स का कार्य चल रहा है.

### संपदा प्रबंधन के लिए भावी योजनाएं

मुंबई में स्थानांतरित अधिकारियों को रिहायशी आवास उपलब्ध करवाने और संपत्तियों के पुनर्विकास से संबंधित राज्य सरकार की नीति का लाभ उठाने की दृष्टि से बैंक ने भांडूप स्टाफ क्वार्टर्स भवन को पुनर्विकसित करने और 200 फ्लैटों का निर्माण करने का निर्णय लिया है और साथ ही जीर्ण-शीर्ण जोगेश्वरी स्टाफ क्वार्टर्स के लिए पुनर्विकास प्रक्रिया शुरू की गयी है ताकि इस पर आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भवन का निर्माण किया जा सके.

गांधीनगर में बैंक ऑफ बड़ौदा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (बीओबीआईआईटी) केन्द्र का नवीनीकरण कार्य भी प्रस्तावित है ताकि इस केन्द्र पर उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया जा सके. मुंबई मुख्य कार्यालय (एमएमओ) के नवीनीकरण और इसे आकर्षक बनाने का कार्य भी संसद मार्ग शाखा परिसर, नई दिल्ली को आकर्षक बनाने संबंधी कार्य के साथ-साथ शुरू हो गया है.

प्रशासनिक कार्यालयों को बैंक के स्वयं के परिसरों में ले जाने की बैंक की नीति के अनुसार बैंक ने जयपुर और इंदौर में व्यावसायिक भवन के निर्माण हेतु जमीन के प्लाट खरीदे हैं. बैंक ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के न्यू रायपुर में जमीन का एक प्लाट प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की है.

एक दशक अथवा अधिक समय की भावी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लगभग 10 वर्ष पहले बीसीसी, मुंबई ने कार्य करना शुरू किया था. अब बीसीसी में बैठने की व्यवस्था और ले-आउट को फिर से डिजाइन करना आवश्यक हो गया है ताकि इस भवन के सभी विभागों में बढ़ी हुई स्टाफ संख्या के व्यवस्थित रूप से बैठने की व्यवस्था की जा सके. साथ ही, बीसीसी, मुंबई के उच्च प्रबंधन के लिए निर्धारित तलों और भू-तल को सुधारने पर भी विचार करना आवश्यक हो गया है ताकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में बैंक की ब्रांड छवि में इजाजा किया जा सके.

### शाखा नेटवर्क

31 मार्च, 2011 को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले परम्परागत चैनलों का विवरण नीचे दिया गया है. ये चैनल (केन्द्र) शहरी टेक्नो सेवी लोगों द्वारा सामान्यतः अपनाए जाने वाले ई-बैंकिंग चैनलों की तुलना में ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं.

| क्षेत्र वर्गीकरण (भारत) | शाखाओं की संख्या | कुल शाखाओं में प्रतिशत हिस्सेदारी |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| महानगरीय                | 730              | 22                                |
| शहरी                    | 631              | 19                                |
| अर्ध शहरी               | 832              | 24                                |
| ग्रामीण                 | 1,171            | 35                                |
| कुल                     | 3,364            | 100                               |
| विदेशी                  | 54               | --                                |



## घरेलू अनुषंगियां और सहयोगी कंपनियां

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक और अपेक्षा के अनुरूप रहा।

बॉबकार्ड्स लिमिटेड ने गुणात्मक सुधार दर्ज करते हुए समीक्षाधीन अवधि के दौरान लाभ कमाया। एक संयुक्त उद्यम क्रेडिट कार्ड व्यवसाय गठित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बॉबकार्ड्स लिमिटेड और बीबीवीए (बैंको बिलबाओ विजकाया अर्जेन्टीरिया), जोकि एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय बैंक है और जिसका मुख्यालय मैड्रिड में है, द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। विनियामक अनुमोदन मिलने पर इन कंपनियों के बीच हुए करार से बीबीवीए को बैंक ऑफ बड़ौदा की वर्तमान क्रेडिट कार्ड अनुषंगी में 51.00% हिस्सेदारी प्राप्त करने की अनुमति होगी।



बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉबकार्ड्स लिमिटेड तथा बीबीवीए, मैड्रिड, स्पेन द्वारा जेवी क्रेडिट कार्ड व्यवसाय समझौता करार पर हस्ताक्षर

बॉब कैपिटल मार्केट लि. को एक व्यावसायिक सीईओ की नियुक्ति और व्यावसायिक टीम की भर्ती द्वारा सुदृढ़ किया गया है। मुख्य ध्यान ऋण समूहन, निजी इक्विटी समूहन और मार्केटिंग क्रियाकलापों पर होगा। कंपनी ने अक्टूबर, 2009 में संस्थागत ब्रोकिंग व्यवसाय शुरू किया था और अब यह शीघ्र ही रिटेल ब्रोकिंग व्यवसाय शुरू करेगी।

बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. अपने परिचालन के तीसरे वर्ष में है। इस कंपनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान बड़ौदा पायोनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, बड़ौदा पायोनियर शार्ट टर्म बांड फंड, बड़ौदा पायोनियर पीएसयू इक्विटी फंड, बड़ौदा पायोनियर एफएमपी 90 डेज़ सिरीज़ 1 और बड़ौदा पायोनियर एफएमपी 380 डेज़ सिरीज़ 1 नामक पांच नये उत्पादों का शुभारंभ किया।

इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., एक संयुक्त उद्यम कंपनी, को देश भर में बैंक के ग्राहकों से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली जिसने इसे अपने परिचालन के पहले सौ दिनों में 100 करोड़ रु. प्रीमियम संग्रहण तक पहुंचने वाली सबसे तेज बीमा कंपनी बना दिया। इंडिया फर्स्ट एक ऐसी पहली कंपनी है जिसने अपने परिचालन के पहले वर्ष में 202 करोड़ रु. के नये व्यवसाय प्रीमियम को पार कर लिया है। वर्ष 2010-11 में 703 करोड़ रु. के नये व्यवसाय और वर्ष 2009-10 के साढ़े चार महीनों में 200 करोड़ रु. के साथ इंडिया फर्स्ट ने 16 नवम्बर, 2009 को अपने परिचालन की शुरुआत के ठीक 500 दिन में 900 करोड़ रु. के कुल नये व्यवसाय आंकड़े को पार कर लिया।

(रु.लाख में)

| संस्था (पंजीकरण की तारीख के साथ)                                | देश  | स्वाधिकृत निधियां | कुल आस्तियां | शुद्ध लाभ | अधिकारी | स्टाफ |
|---|------|-------------------|--------------|-----------|---------|-------|
| बॉब कैपिटल मार्केट लि., 11 मार्च, 1996                          | भारत | 12,257.34         | 13,076.38    | 406.30    | 1       | 27    |
| बॉबकार्ड्स लि., 29 सितंबर, 1994                                 | भारत | 11,343.65         | 19,070.11    | 1,026.91  | 34      | 117   |
| एसोसिएट बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लि., 5 नवंबर, 1992 | भारत | 4,933.81          | 7,362.97     | -1,538.37 | 1       | 59    |
| इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., 19 जून, 2008            | भारत | 33,826.93         | 1,68,079.07  | -6,475.25 | 13      | 1,181 |
| नैनीताल बैंक लि., 31 जुलाई, 1922                                | भारत | 32,298.84         | 3,29,206.83  | 4,568.76  | 101     | 816   |

## राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय प्रगति की ओर राजभाषा अधिनियम/राजभाषा नियम के तहत विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया। बैंक ने भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के तहत निर्धारित सभी प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त किया। बैंक के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन की विभिन्न स्तरों पर सराहना हुई।

बैंक के संयोजन में जयपुर तथा बड़ौदा में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने अपने उत्तरदायित्वों को बखूबी निभाया और अपने सदस्य बैंकों का प्रभावशाली ढंग से मार्गदर्शन किया। भारत सरकार ने इन दोनों समितियों को उनके उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन तथा कामकाज हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय से हमारे अंचल कार्यालय, जयपुर तथा नई दिल्ली को प्रथम पुरस्कार तथा अंचल कार्यालय, कोलकाता को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

बैंक रोजमर्रा के बैंकिंग कार्य व्यवहार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से अपने कर्मचारियों के लिए हिंदी आधारित यूनिकोड फॉट कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले दो वर्ष से अधिक समय से सफलतापूर्वक आयोजित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान बैंक ने देशभर में विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त अपने कार्पोरेट कार्यालय में 550 से अधिक कर्मचारियों को हिंदी यूनिकोड में प्रशिक्षित किया।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने हमारी कसौली शाखा, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, मेहसाणा, अंचल कार्यालय, कोलकाता तथा कोट्टायम शाखा (केरल क्षेत्र) का दौरा किया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक द्वारा किये गए प्रयासों/कार्यों की सराहना की।

बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से भाषिक क्षेत्र ख में द्वितीय पुरस्कार तथा भाषिक क्षेत्र क में चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ।





भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव से "आरबीआई राजभाषा शील्ड" प्रतियोगिता के तहत पुरस्कार ग्रहण करते हुए कार्यकारी निदेशक श्री एन. एस. श्रीनाथ

बैंक की हिंदी गृह पत्रिका अक्षय्यम् को एबीसीआई, मुंबई से भारतीय भाषा प्रकाशन श्रेणी के तहत सिल्वर पुरस्कार प्राप्त हुआ. बैंक ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से बड़ौदा हिंदी.कॉम नामक ई-बुलेटिन का शुभारंभ किया.

बैंक का उच्च प्रबंधन रेडियो तथा विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर साक्षात्कार हिन्दी में देता है ताकि निवेशकों, विश्लेषकों के बड़े वर्ग तक पहुंचने के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके.

### निदेशक मंडल

श्री अजय माथुर को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 5 मई, 2010 से अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 (3)(जी) के तहत 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है.

श्री आर.गांधी को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2010 से निदेशक के रूप में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3)(सी) के तहत आगामी आदेशों तक पद धारण करने के लिए नामित किया गया था. उन्हें श्री सोमसुंदरम के स्थान पर, जो दिनांक 30 जुलाई, 2010 से निदेशक नहीं रहे थे, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है.

श्री सत्यदेव त्रिपाठी को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2010 से अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3)(एच) एवं (3-ए) के तहत तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है.

श्री वी.बी.चव्हाण को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2011 से अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9 (3)(एफ) के तहत तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी के पद पर बने रहने तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है.

केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ई) के तहत दिनांक 1 मई, 2007 से कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त श्री मिलिंद नाडकर्णी अपना सेवा-काल पूरा होने पर दिनांक 1 मई, 2010 से निदेशक नहीं रहे हैं.

केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3)(एच) के तहत दिनांक 23 नवम्बर, 2007 से अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त श्री अतुल अग्रवाल अपना सेवा-काल पूरा होने पर दिनांक 23 नवम्बर, 2010 से निदेशक नहीं रहे हैं.

केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3)(एफ) के तहत दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 से अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त श्री रंजीत कुमार चटर्जी अपना सेवा-काल पूरा होने पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 से निदेशक नहीं रहे हैं.

### निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशक इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय:

- महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हो, के समुचित स्पष्टीकरण सहित लेखा मानकों का पूर्णतः पालन किया गया है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का निरंतर पालन किया गया है.
- वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कार्यकलापों की स्थिति तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करने की दृष्टि से तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किये गये हैं.
- भारत में बैंकों पर लागू नियमों संबंधी प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखांकन रिकार्ड तैयार रखने के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है, तथा
- लेखों को उत्तरोत्तर जीवन्त (कंसर्न) आधार पर तैयार किया गया है.

### आभार

निदेशकगण, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा विदेशों एवं भारत स्थित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गये मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं.

निदेशकगण, बैंक के सभी हितधारकों जैसे ग्राहक, शेयरधारक एवं भारत तथा विदेशों में रहनेवाले शुभचिंतकों द्वारा दी गई सहायता एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं.

निदेशकगण, विभिन्न स्तरों पर सम्बद्ध स्टाफ सदस्यों की प्रतिबद्धता एवं कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं जिसके कारण बैंक को आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वर्ष-दर-वर्ष उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय अर्जित करने में सफलता हासिल हुई और बैंक ने देश के अग्रणी बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

एम. डी. मल्ल्या

एम. डी. मल्ल्या  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



## कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2010-11 Report on Corporate Governance 2010-11

### 1. गवर्नेंस संहिता के बारे में बैंक का दर्शन

बैंक, उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा बल्कि स्वेच्छापूर्वक कड़ी कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा, अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुपालन के प्रति भी प्रतिबद्ध है। बैंक अपने सभी साझेदारों, जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार और व्यापक तौर पर जनता भी शामिल है, को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 अर्थात् बैंककारी कम्पनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखण्ड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, जहां तक बैंककारी कम्पनी उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

### 2. निदेशक मंडल

#### 2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है।

| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name                                  | पदनाम Position Held   | 31.3.2011 को धारित बैंक ऑफ़ बडौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2011 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank. | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता संख्या No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies | टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2011 तक) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2011)   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|--|
| 1                | श्री एम. डी. मल्ल्या<br>Shri M. D. Mallya | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक)<br>Chairman and Managing Director (Executive) | शून्य<br>Nil   | 5   | 9   | 6  | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 07.05.2008 से नियुक्त. वे 30.11.2012 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षित की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.<br>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं :<br>(i) भारतीय निर्यात आयात बैंक<br>(ii) द न्यू इंडिया अश्युरेंस कं.लिमिटेड |



| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name | पदनाम Position Held | 31.3.2011 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों की संख्या<br>No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2011 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या<br>No. of member ship in Sub Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या<br>No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank. | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता संख्या<br>No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies | टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2011 तक)<br>Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2011)   |
|------------------|----------|---------------------|--|---|--|---|---|
|                  |          |                     |  |   |  |   | <p>(iii) कृषि वित्त निगम लिमिटेड<br/>(iv) बड़ौदा पायनियर आस्ति प्रबंधन कं.लि.<br/>(v) इंडिया फर्स्टलाइफ इश्योरंस कं.लि. - अध्यक्ष<br/>(vi) बॉबकार्ड्स लि.<br/>(vii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लि.<br/>(viii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. - अध्यक्ष<br/>(ix) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा लि.)</p> <p>वह निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति तथा प्रबंधन समिति के भी सदस्य हैं.<br/>वे भारतीय निर्यात-आयात बैंक की पारिश्रमिक समिति के सदस्य हैं. साथ ही वे दि न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. की लेखा परीक्षा समिति, निवेश समिति तथा पारिश्रमिक समिति के भी सदस्य हैं.<br/>वे निम्नलिखित गवर्निंग काउन्सिलों के भी सदस्य हैं :-</p> <p>(i) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)<br/>(ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)<br/>(iii) भारतीय बैंकिंग एवम वित्त संस्थान<br/>(iv) उपाध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) दिनांक 1.4.2011 से अध्यक्ष<br/>(v) भारतीय बैंक संघ की प्रबंधन समिति के सदस्य<br/>(vi) भारतीय बैंक संघ की जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष</p> <p>Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 07.05.2008 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the office till 30.11.2012 i.e. his date of superannuation or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is also Director on the Board of :</p> <p>(i) Export Import Bank of India<br/>(ii) The New India Assurance Co. Ltd.<br/>(iii) Agricultural Finance Corpn. Ltd.<br/>(iv) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.<br/>(v) IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. - (Chairman)<br/>(vi) BOBCARDS Ltd.<br/>(vii) Bank of Baroda (Botswana) Ltd.<br/>(viii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.- (Chairman)<br/>(ix) Bank of Baroda (Uganda) Ltd.</p> <p>He is also a member of the Audit Committee, Management Committee of the Board, Remuneration Committee of Export-Import Bank of India and a member of the Audit Committee, Investment Committee and Remuneration Committee of New India Assurance Co. Ltd.</p> <p>He is also a member of the Governing Council of :</p> <p>(i) National Institute of Bank Management<br/>(ii) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)<br/>(iii) Indian Institute of Banking &amp; Finance<br/>(iv) Deputy Chairman, Indian Banks' Association (IBA) – Chairman w.e.f. 01.04.2011<br/>(v) Member of Management Committee of IBA<br/>(vi) Chairman of Committee on Risk Management of IBA</p> |





| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name  | पदनाम Position Held  | 31.3.2011 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों की संख्या<br>No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2011 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या<br>No. of membership in Sub Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या<br>No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank. | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता संख्या<br>No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies | टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2011 तक)<br>Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2011)  |
|------------------|---|--|--|--|--|---|--|
| 2                | श्री राजीव कुमार बक्षी<br>Shri Rajiv Kumar Bakshi | कार्यकारी निदेशक (कार्यपालक)<br>Executive Director (Executive) | 50   | 5  | 5  | 4   | <p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 06.11.2008 की प्रभावी तारीख से नियुक्त. वे 31.10.2012 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी निदेशक हैं :</p> <p>(i) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि. - अध्यक्ष<br/>(ii) इंडो जाम्बिया बैंक लि.<br/>(iii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि. - अध्यक्ष<br/>(iv) इंडिया फर्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कं. लि.<br/>(v) बॉब कैपिटल मार्केट लि. - अध्यक्ष</p> <p>वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि. की लेखा परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं</p> <p>वह इंडो जाम्बिया बैंक लि. की ऋण समीक्षा समिति तथा लेखा परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं.</p> <p>वह इंडिया फर्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कं. लि. की पॉलिसी धारक संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं.</p> <p>Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 06.11.2008 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 31.10.2012 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is also a Director on the Board of :</p> <p>(i) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.- (Chairman)<br/>(ii) Indo Zambia Bank Ltd.<br/>(iii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd. – (Chairman)<br/>(iv) IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.<br/>(v) BOB Capital Markets Ltd. – (Chairman)</p> <p>He is also a member of Audit Committee of Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.</p> <p>He is also a member of Loan Review Committee and Audit Committee of Indo Zambia Bank Ltd.</p> <p>He is Chairman of Policy Holders Protection Committee of IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.</p> |
| 3                | श्री एन. एस. श्रीनाथ<br>Shri N. S. Srinath        | कार्यकारी निदेशक (कार्यपालक)<br>Executive Director (Executive) | शून्य<br>Nil   | 5  | 4  | 2   | <p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 7.12.2009 की प्रभावी तारीख से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में) नियुक्त. वे 31.5.2012 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के माह की अन्तिम तारीख अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी निदेशक हैं :</p> <p>(i) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबागो) लि. - अध्यक्ष<br/>(ii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि. - अध्यक्ष<br/>(iii) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि. (आईआईएफसीएल) (यूके) लंदन (भारत सरकार के नामित निदेशक दि. 01.12.2010 से)</p>  |



| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name                                       | पदनाम Position Held   | 31.3.2011 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों की संख्या<br>No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2011 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या<br>No. of member ship in Sub Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या<br>No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank. | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता संख्या<br>No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies | टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2011 तक)<br>Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2011)   |
|------------------|--|---|--|---|--|---|---|
|                  |  |   |  |   |  |   | <p>(iv) वित्तीय अस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सीईआरएसएआई) के तहत केन्द्रीय पंजीकरण वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबागो) लि. की नामांकन समिति के अध्यक्ष हैं.<br/>वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि. की लेखा परीक्षा समिति के भी अध्यक्ष हैं.</p> <p>Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 07.12.2009 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post up to 31.05.2012 i.e. the last day of the month in which he would attain the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is also a Director on the Board of :</p> <p>(i) Bank of Baroda (Trinidad &amp; Tobago) Ltd. -Chairman<br/>(ii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd. - Chairman<br/>(iii) India Infrastructure Finance Company Ltd. (IIFCL) (UK) London (Govt. of India Nominee Director w.e.f. 01.12.2010)<br/>(iv) Central Registry under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets &amp; Enforcement of Security Interest Act 2002 (CERSAI)</p> <p>He is Chairman of Nomination Committee of Bank of Baroda (Trinidad &amp; Tobago) Ltd.<br/>He is also Chairman of Audit Committee of Bank of Baroda (Ghana) Ltd.</p> |
| 4                | श्री अलोक निगम, आईएसएस<br>Shri Alok Nigam, IAS | निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि<br>Director (Non Executive) Representing Central Government | शून्य<br>Nil   | 5   | 3  | शून्य<br>Nil  | <p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 9.12.2009 की प्रभावी तारीख से नामित. वे आगामी आदेशों तक अपने पद पर रहेंगे.<br/>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी निदेशक हैं :</p> <p>(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी)<br/>(ii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)<br/>(ii) वित्तीय अस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सीईआरएसएआई) के तहत केन्द्रीय पंजीकरण</p> <p>Nominated as a Director w.e.f. 09.12.2009 by The Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.</p> <p>He is also a Director on the Board of :</p> <p>(i) National Housing Bank<br/>(ii) National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)<br/>iii) Central Registry under The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets &amp; Enforcement of Security Interest Act 2002 (CERSAI)</p>  |



| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name                                 | पदनाम Position Held  | 31.3.2011 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों की संख्या<br>No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2011 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या<br>No. of membership in Sub Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या<br>No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank. | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता संख्या<br>No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies | टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2011 तक)<br>Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2011)   |
|------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| 5                | श्री आर. गांधी<br>Shri R. Gandhi         | निदेशक (गैर कार्यपालक)<br>भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संस्तुत<br>Director (Non Executive)<br>Recommended by RBI           | शून्य<br>Nil   | 4  | 2  | शून्य<br>Nil  | <p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 30.07.2010 की प्रभावी तारीख से नामित. वे अगले आदेशों तक अपने पद पर रहेंगे.</p> <p>वह निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं-</p> <p>(i) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)</p> <p>(ii) बैंकिंग एवं प्रौद्योगिकी हेतु विकास एवं अनुसंधान संस्था.</p> <p>Nominated as a Director w.e.f. 30.07.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.</p> <p>He is also a Director on the Board of:</p> <p>(i) Institute of Banking Personnel Selection</p> <p>(ii) Institute for Development and Research in Banking Technology</p> |
| 6                | श्री वी. बी. चव्हाण<br>Shri V. B. Chavan | निदेशक (गैर कार्यपालक)<br>अधिकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि<br>Director (Non Executive)<br>Representing Officer Employees | 490  | शून्य<br>Nil   | शून्य<br>Nil   | शून्य<br>Nil  | <p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा 11.03.2011 की प्रभावी तारीख से नामित. वे तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा में अधिकारी रहने अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.</p> <p>Nominated as Officer Employee Director w.e.f. 11.03.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (f) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be officer of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.</p>  |
| 7                | श्री अजय माथुर<br>Shri Ajay Mathur       | निदेशक (गैर कार्यपालक)<br>Director (Non Executive)   | शून्य<br>Nil   | 4  | शून्य<br>Nil   | शून्य<br>Nil  | <p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत भारत सरकार द्वारा 05.05.2010 से तीन वर्षों की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो अंश कालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित.</p> <p>वह जी.एस. माथुर एंड कंपनी सनदी लेखाकार, नई दिल्ली में प्रबंध भागीदार भी हैं.</p> <p>Nominated as a part time non- official director w.e.f. 05.05.2010 by the Government of India u/s 9 (3) (g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is Managing Partner in G.S. Mathur &amp; Co., Chartered Accountants, New Delhi.</p>   |





| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name  | पदनाम Position Held  | 31.3.2011 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ाई के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2011 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank. | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता संख्या No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies | टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2011 तक) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2011)  |
|------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| 8                | डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद<br>Dr.(Smt.) Masarrat Shahid | निदेशक (गैर कार्यपालक)<br>Director (Non Executive)   | शून्य<br>Nil   | 3   | शून्य<br>Nil  | शून्य<br>Nil   | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) के तहत भारत सरकार द्वारा 29.10.2009 से दूसरी बार तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित.<br>वे पूर्व में 15.09.2005 से 14.09.2008 तक भी इसी पद पर रही.<br>Nominated as a part time non- official director w.e.f. 29.10.2009 by the Government of India u/s 9 (3) (h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a second term of three years or until further orders, whichever is earlier.<br>She held the same position earlier also w.e.f. 15.09.2005 to 14.09.2008.   |
| 9                | श्री सत्य देव त्रिपाठी<br>Shri Satya Dev Tripathi     | निदेशक (गैर कार्यपालक)<br>Director (Non Executive)   | शून्य<br>Nil   | 2   | शून्य<br>Nil  | शून्य<br>Nil   | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) व (3-ए) के तहत भारत सरकार द्वारा 31.08.2010 की प्रभावी तारीख से नामित. वे तीन वर्षों की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो अपने पद पर रहेंगे.<br>Nominated as a part time non- official director w.e.f. 31.08.2010 by the Government of India u/s 9 (3) (h) & (3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.   |
| 10               | डॉ. धर्मेंद्र भंडारी<br>Dr. Dharmendra Bhandari       | निदेशक (गैर कार्यपालक) केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित<br>Director (Non Executive)<br>Elected from amongst Shareholders, other than Central Government | 600  | 5   | 3   | 1  | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत 23.12.2008 को आयोजित ईजीएम में केंद्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 23.12.2011 तक 3 वर्ष के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित.<br>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं :<br>(i) मेसर्स जे.पी.मॉर्गन म्यूचुअल फंड इंडिया प्रा.लि.<br>(ii) मेसर्स हारमोनी फार सिल्वर फाउंडेशन<br>(iii) मेसर्स डिजिटल ब्रिज फाउंडेशन<br>वे मे.जे.पी.मॉर्गन म्यूचुअल फंड इंडिया प्रा. लि. की लेखा परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं.<br>वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. की अनुमोदन समिति के भी सदस्य हैं.<br>वे मे. अंजलि सुभाष एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स में पार्टनर हैं.<br>वे केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित होने पर बैंक के निदेशक मंडल के निदेशक 16.11.1999 से 15.11.2002 और 16.11.2005 से 15.11.2008 तक रहे हैं. |



| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name                                  | पदनाम Position Held  | 31.3.2011 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों की संख्या<br>No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2011 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या<br>No. of membership in Sub Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या<br>No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank. | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता संख्या<br>No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies | टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2011 तक)<br>Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2011)   |
|------------------|---|--|--|--|--|---|---|
|                  |   |  |  |  |  |   | <p>Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008 to 23.12.2011.</p> <p>He is also a Director on the Board of:</p> <p>(i) M/s J P Morgan Mutual Fund India Pvt. Ltd.</p> <p>(ii) M/s Harmony For Silver Foundation</p> <p>(iii) M/s Digital Bridge Foundation</p> <p>He is also member of Audit Committee of M/s J.P. Morgan Mutual Fund India Pvt. Ltd.</p> <p>He is also a member of Approval Committee of National Stock Exchange of India Limited.</p> <p>He is a Partner in M/s Anjali Subhash Associates, Chartered Accountants.</p> <p>He has held the position of a Director of the Bank elected by Shareholders other than Central Government w.e.f.16.11.1999 to 15.11.2002 and w.e.f.16.11.2005 to 15.11.2008.</p>   |
| 11               | डॉ. दीपक बी. फाटक<br>Dr. Deepak B. Phatak | निदेशक (गैर कार्यपालक) केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित<br>Director (Non Executive)<br>Elected from amongst Shareholders, other than Central Government | 100  | 2  | 1  | 2   | <p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत 23.12.2008 को आयोजित ईजीएम में केंद्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 23.12.2011 तक 3 वर्ष के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित.</p> <p>वे एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कं. लि. के निदेशक मंडल में निदेशक भी हैं.</p> <p>वे मै.एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कं.लि. की ग्राहक सेवा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं.</p> <p>वे निम्नलिखित गर्वनिंग कौंसिल के भी सदस्य हैं :</p> <p>(i) नेशनल इन्व्हेस्टमेंट्स अकादमी</p> <p>(ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)</p> <p>वे केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित होने पर 16.11.2005 से 15.11.2008 तक बैंक के निदेशक रहे हैं.</p> <p>Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 ((3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008 to 23.12.2011.</p> |



| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name  | पदनाम Position Held  | 31.3.2011 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ाई के शेयरों की संख्या<br>No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2011 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या<br>No. of membership in Sub Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या<br>No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank. | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता संख्या<br>No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies | टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2011 तक)<br>Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2011)  |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|
|                  |   |  |   |  |  |   | <p>He is also a Director on the Board of M/s HDFC Asset Management Co. Ltd.</p> <p>He is also a member of Customer Service Committee and Risk Management Committee of M/s HDFC Asset Management Co. Ltd.</p> <p>He is also a member of Governing Council of:</p> <p>(i) National Insurance Academy</p> <p>(ii) Institute of Banking Personnel Selection</p> <p>He also held the position of a Director of the Bank elected by Shareholders other than Central Government w.e.f.16.11.2005 to 15.11.2008.</p>   |
| 12               | श्री मौलिन ए. वैष्णव<br>Shri Maulin A. Vaishnav | निदेशक (गैर कार्यपालक) केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित<br>Director (Non Executive)<br>Elected from amongst Shareholders, other than Central Government | 125   | 4  | शून्य<br>Nil   | शून्य<br>Nil  | <p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत 23.12.2008 को आयोजित ईजीएम में केंद्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 23.12.2011 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित.</p> <p>निर्वाचित होने से पहले, वे बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए गए और त्याग-पत्र देने के कारण 28.11.2008 से निदेशक नहीं रहे.</p> <p>Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008 to 23.12.2011.</p> <p>Prior to his election, he was holding the position as a Director nominated by the Central Government under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, which he ceased to hold w.e.f. 28.11.2008 consequent upon his resignation.</p> |



## 2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / कार्यसमाप्ति

श्री अजय माथुर को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 05.05.2010 से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित किया गया।

श्री आर. गांधी को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 30.07.2010 से आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

श्री सत्य देव त्रिपाठी को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) एच व (3-ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 31.08.2010 से तीन वर्षों की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

श्री वी. बी. चव्हाण को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एफ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 11.03.2011 से तीन वर्षों की अवधि अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी रहने तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

श्री मिलिंद एन. नाडकर्णी जिन्हें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ई) के तहत 01.05.2007 से कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित किया था वे अपना टर्म पूरा करने के बाद 1 मई 2010 से बैंक के निदेशक नहीं रहे हैं।

श्री अतुल अग्रवाल, जिन्हें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) व 9(3-ए) के तहत 23.11.2007 से अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था. वे अपना टर्म पूरा करने के बाद 23.11.2010 से बैंक के निदेशक नहीं रहे हैं।

श्री ए. सोमसुंदरम, जिन्हें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 27.02.2007 से आगामी आदेशों के तहत निदेशक के रूप में नामित किया गया था, 30.07.2010 से बैंक के निदेशक नहीं रहे हैं. उनके स्थान पर श्री आर. गांधी का नामकन हुआ है।

श्री रंजीत कुमार चटर्जी जिन्हें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एफ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 20.12.2007 से तीन वर्षों की अवधि के लिए गैर कामगार निदेशक के रूप में बैंक के निदेशक मंडल में तीन वर्षों की अवधि के लिए नामित किया गया था, अपना टर्म पूरा करने के बाद 20.12.2010 से बैंक के निदेशक नहीं रहे हैं।

## 2.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल की 19 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 की धारा-12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 27.04.2010 | 28.04.2010 | 25.05.2010 | 21.06.2010 | 05.07.2010 |
| 20.07.2010 | 28.07.2010 | 29.07.2010 | 03.09.2010 | 04.10.2010 |
| 27.10.2010 | 28.10.2010 | 20.11.2010 | 27.12.2010 | 24.01.2011 |
| 28.01.2011 | 24.02.2011 | 05.03.2011 | 29.03.2011 |            |

## 2.2 Appointment / Cessation of Directors During The Year

Shri Ajay Mathur was nominated as a part time non-official director w.e.f. 05.05.2010 by the Government of India u/s 9 (3) (g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Shri R. Gandhi was nominated as a Director w.e.f. 30.07.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.

Shri Satya Dev Tripathi was nominated as a part time non-official director w.e.f. 31.08.2010 by the Government of India u/s 9 (3) (h) & (3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Shri V. B. Chavan was nominated as Officer Employee Director w.e.f. 11.03.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (f) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be officer of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.

Shri Milind N. Nadkarni who was appointed as a Workmen Employee Director with effect from 1st May 2007 by the Central Government u/s 9 (3) (e) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, ceased to be a Director w.e.f. 01-05-2010, on completion of his term.

Shri Atul Agarwal who was nominated as a part-time non-official Director on the Board of the Bank on 23-11-2007 by the Central Government under section 9(3) (h) & 9 (3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years, ceased to be a Director w.e.f. 23-11-2010, on completion of his term.

Shri A. Somasundaram who was nominated as a Director w.e.f. 27.02.2007 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders, ceased to be a Director w.e.f. 30.07.2010 upon nomination of Shri R. Gandhi in his place.

Shri Ranjit Kumar Chatterjee who was nominated as Non-Workmen Director on the Board of the Bank w.e.f. 20.12.2007 by the Central Government under section 9 (3) (f) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years, ceased to be a Director w.e.f. 20.12.2010, on completion of his term.

## 2.3 Board Meetings

During the Financial Year 2010-11, total -19- Board Meetings were held on the following dates as against minimum of -6- meetings prescribed under Clause 12 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.





उपर्युक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है, जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है :

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

| निदेशक का नाम            | Name of the Director         | अवधि<br>Period           | उनके कार्यकाल के दौरान<br>आयोजित बैठकें<br>Meetings held during<br>their tenure | बैठके जिनमें<br>भाग लिया<br>Meetings<br>attended |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|
| डॉ. एम. डी. मल्या        | Shri M. D. Mallya            | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 19  | 19   |
| श्री राजीव कुमार बक्षी   | Shri Rajiv Kumar Bakshi      | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 19  | 19   |
| श्री एन. एस. श्रीनाथ     | Shri N. S. Srinath           | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 19  | 18   |
| श्री अलोक निगम           | Shri Alok Nigam              | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 19  | 07   |
| श्री ए. सोमसुंदरम        | Shri A. Somasundaram         | 01.04.2010 to 29.07.2010 | 08  | 07   |
| श्री मिलिंद एन. नाडकर्णी | Shri Milind N. Nadkarni      | 01.04.2010 to 30.04.2010 | 02  | 01   |
| श्री रंजीत कुमार चटर्जी  | Shri Ranjit Kumar Chatterjee | 01.04.2010 to 19.12.2010 | 13  | 13   |
| डॉ. अतुल अगरवाल          | Dr. Atul Agarwal             | 01.04.2010 to 22.11.2010 | 13  | 13   |
| डॉ.(श्रीमती) मसररत शाहिद | Dr. (Smt.) Masarrat Shahid   | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 19  | 18   |
| डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी    | Dr. Dharmendra Bhandari      | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 19  | 10   |
| डॉ. दीपक बी. फाटक        | Dr. Deepak B. Phatak         | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 19  | 14   |
| श्री. मौलिन ए. वैष्णव    | Shri Maulin A. Vaishnav      | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 19  | 17   |
| श्री अजय माथुर           | Shri Ajay Mathur             | 05.05.2010 to 31.03.2011 | 17  | 15   |
| श्री आर. गांधी           | Shri R. Gandhi               | 30.07.2010 to 31.03.2011 | 11  | 08   |
| श्री सत्य देव त्रिपाठी   | Shri Satya Dev Tripathi      | 31.08.2010 to 31.03.2011 | 11  | 11   |
| श्री वी. बी. चव्हाण      | Shri V. B. Chavan            | 11.03.2011 to 31.03.2011 | 01  | 01   |

#### 2.4 आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक अर्थात् कोर प्रबंधन टीम, जिसमें सभी महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करार की खण्ड 49 की अनुपालना में, आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है. उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट [www.bankofbaroda.com](http://www.bankofbaroda.com) पर भी देखी जा सकती है. निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है.

#### 3. वार्षिक सामान्य बैठक

बैंक के शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक वड़ोदरा में सोमवार, दि. 5 जुलाई, 2010 को हुई थी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

#### 2.4 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads, has been approved by the Board of Directors in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website [www.bankofbaroda.com](http://www.bankofbaroda.com). All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the Code.

#### 3 Annual General Meeting

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Monday, 5th July, 2010 at Vadodara, where the following Directors were present.

|   |                          |                              |  |   |
|---|--------------------------|------------------------------|--|---|
| 1 | श्री एम.डी. मल्या        | Shri M. D. Mallya            | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक                                | Chairman and Managing Director                                      |
| 2 | श्री राजीव कुमार बक्षी   | Shri Rajiv Kumar Bakshi      | कार्यकारी निदेशक   | Executive Director  |
| 3 | श्री एन.एस. श्रीनाथ      | Shri N. S. Srinath           | कार्यकारी निदेशक   | Executive Director  |
| 4 | श्री ए. सोमसुंदरम        | Shri A. Somasundaram         | निदेशक   | Director  |
| 5 | श्री रंजीत कुमार चटर्जी  | Shri Ranjit Kumar Chatterjee | निदेशक (गैर कामगार)                                      | Director (Non-workmen)  |
| 6 | श्री अजय माथुर           | Shri Ajay Mathur             | निदेशक   | Director  |
| 7 | डॉ. अतुल अगरवाल          | Dr. Atul Agarwal             | निदेशक (अध्यक्ष - एसीबी)                                 | Director (Chairman-ACB)   |
| 8 | डॉ.(श्रीमती) मसररत शाहिद | Dr. (Smt.) Masarrat Shahid   | निदेशक   | Director  |
| 9 | श्री मौलिन ए. वैष्णव     | Shri Maulin A. Vaishnav      | निदेशक - केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों के प्रतिनिधि | Director - Representing Shareholders, other than Central Government |



#### 4. निदेशकों/कार्यपालकों की समिति

बैंक के निदेशक मंडल ने कार्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / भारत सरकार के दिशा- निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और / या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
- शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति
- शेयर अंतरण समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन की उप समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- निदेशकों की समिति
- बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

##### 4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के खंड -13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बड़ा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है.

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (गण) और धारा 9(3)(सी) एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तर्ण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के तहत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है.

31 मार्च 2011 को समिति की संरचना इस प्रकार है.

- (i) श्री एम.डी. मल्या
- (ii) श्री राजीव कुमार बक्षी
- (iii) श्री एन. एस. श्रीनाथ
- (iv) श्री आर. गांधी
- (v) श्री अजय माथुर
- (vi) श्री सत्य देव त्रिपाठी
- (vii) डॉ. धर्मेंद्र भंडारी
- (viii) डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) की निम्नांकित तारीखों को 29 बैठकें आयोजित हुईं.

#### 4. Committee of Directors / Executives

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India/SEBI/Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under:

- Management Committee of the Board
- Audit Committee of Board (ACB)
- Shareholders' / Investors' Grievances Committee
- Share Transfer Committee
- Sub committee of the Board on ALM & Risk Management
- Customer Service Committees
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- Committee of Directors
- Committee on High Value Frauds

##### 4.1 Management Committee of the Board

In pursuance of Clause 13 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Chairman and Managing Director, Executive Director (s) and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and 9 (3) (g) and three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The composition of the Committee as on 31st March 2011 is as under:

- (i) Shri M. D. Mallya
- (ii) Shri Rajiv Kumar Bakshi
- (iii) Shri N. S. Srinath
- (iv) Shri R. Gandhi
- (v) Shri Ajay Mathur
- (vi) Shri Satya Dev Tripathi
- (vii) Dr. Dharmendra Bhandari
- (viii) Dr. (Smt.) Masarrat Shahid

During the Financial Year 2010-11, the Management Committee of the Board (MCB) met on -29- occasions on the following dates:



|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 17.04.2010 | 27.04.2010 | 08.05.2010 | 25.05.2010 | 12.06.2010 | 22.06.2010 |
| 05.07.2010 | 20.07.2010 | 28.07.2010 | 14.08.2010 | 03.09.2010 | 15.09.2010 |
| 27.09.2010 | 04.10.2010 | 18.10.2010 | 27.10.2010 | 09.11.2010 | 20.11.2010 |
| 07.12.2010 | 14.12.2010 | 27.12.2010 | 10.01.2011 | 24.01.2011 | 11.02.2011 |
| 24.02.2011 | 10.03.2011 | 18.03.2011 | 26.03.2011 | 29.03.2011 |            |

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

| निदेशक का नाम             | Name of the Director      | अवधि<br>Period           | उनके कार्यकाल के दौरान<br>आयोजित बैठकें<br>Meetings held during<br>their tenure | बैठकें जिनमें<br>भाग लिया<br>Meetings<br>attended |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|---|
| श्री एम. डी. मल्या        | Shri M. D. Mallya         | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 29  | 29  |
| श्री राजीव कुमार बक्षी    | Shri Rajiv Kumar Bakshi   | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 29  | 29  |
| श्री एन. एस. श्रीनाथ      | Shri N. S. Srinath        | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 29  | 27  |
| श्री ए. सोमसुंदरम         | Shri A. Somasundaram      | 01.04.2010 to 29.07.2010 | 09  | 07  |
| श्री मिलिंद नाडकर्णी      | Shri Milind N. Nadkarni   | 01.04.2010 to 30.04.2010 | 02  | 01  |
| डॉ. अतुल अगरवाल           | Dr Atul Agarwal           | 01.04.2010 to 23.05.2010 | 03  | 03  |
| -वही-                     | -do-                      | 01.06.2010 to 22.11.2010 | 14  | 14  |
| डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद | Dr.(Smt.) Masarrat Shahid | 01.04.2010 to 28.07.2010 | 09  | 09  |
| -वही-                     | -do-                      | 01.02.2011 to 31.03.2011 | 06  | 06  |
| श्री अजय माथुर            | Shri Ajay Mathur          | 05.05.2010 to 31.03.2011 | 27  | 22  |
| श्री मौलिन ए. वैष्णव      | Shri Maulin A. Vaishnav   | 01.05.2010 to 31.10.2010 | 14  | 10  |
| डॉ. दीपक बी. फाटक         | Dr Deepak B. Phatak       | 01.08.2010 to 31.01.2011 | 14  | 10  |
| श्री आर. गांधी            | Shri R. Gandhi            | 03.09.2010 to 31.03.2011 | 19  | 13  |
| श्री सत्य देव त्रिपाठी    | Shri Satya Dev Tripathi   | 01.11.2010 to 31.03.2011 | 13  | 13  |
| डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी     | Dr Dharmendra Bhandari    | 01.12.2010 to 31.03.2011 | 11  | 04  |

#### 4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा- निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है जिसमें 6 निदेशक हैं. एक गैर कार्यकारी निदेशक, जो कि सनदी लेखाकार हैं, समिति के अध्यक्ष हैं.

31.03.2011 को समिति की संरचना इस प्रकार है.

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| (i) श्री अजय माथुर          | अध्यक्ष |
| (ii) श्री राजीव कुमार बक्षी | सदस्य   |
| (iii) श्री एन. एस. श्रीनाथ  | सदस्य   |
| (iv) श्री आलोक निगम         | सदस्य   |
| (v) श्री आर. गांधी          | सदस्य   |
| (vi) श्री मौलिन ए. वैष्णव   | सदस्य   |

#### 4.2 Audit Committee of the Board (ACB)

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board comprising of Six Directors. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2011 is as under:

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| (i) Shri Ajay Mathur         | Chairman |
| (ii) Shri Rajiv Kumar Bakshi | Member   |
| (iii) Shri N. S. Srinath     | Member   |
| (iv) Shri Alok Nigam         | Member   |
| (v) Shri R. Gandhi           | Member   |
| (vi) Shri Maulin A. Vaishnav | Member   |



वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एसीबी में निम्नलिखित निदेशक उनके समक्ष उल्लिखित तारीखों से सदस्य नहीं रहे.

- (i) डॉ. अतुल अगारवाल 16.11.2010  
(ii) श्री ए. सोमसुन्दरम 30.07.2010

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) की 11 बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं.

The following Directors ceased to be members of ACB during the Financial Year 2010-11 on the dates shown against their respective names:

- (i) Dr. Atul Agarwal 16.11.2010  
(ii) Shri A. Somasundaram 30.07.2010

During the Financial Year 2010-11, the Audit Committee of the Board (ACB) met on -11- occasions on the dates given below:

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 28.04.2010 | 25.05.2010 | 21.06.2010 | 28.07.2010 | 29.07.2010 | 03.09.2010 |
| 28.10.2010 | 09.11.2010 | 27.12.2010 | 28.01.2011 | 26.03.2011 |            |

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

| निदेशक का नाम          | Name of the Director    | अवधि<br>Period           | उनके कार्यकाल के दौरान<br>आयोजित बैठकें<br>Meetings held<br>during their tenure | बैठकें जिनमें<br>भाग लिया<br>Meetings<br>attended |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| श्री अजय माथुर         | Shri Ajay Mathur        | 05.05.2010 to 31.03.2011 | 10  | 09  |
| डॉ. अतुल अगारवाल       | Dr Atul Agarwal         | 01.04.2010 to 15.11.2010 | 08  | 08  |
| श्री राजीव कुमार बक्षी | Shri Rajiv Kumar Bakshi | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 11  | 11  |
| श्री एन. एस. श्रीनाथ   | Shri N. S. Srinath      | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 11  | 11  |
| श्री आलोक निगम         | Shri Alok Nigam         | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 11  | 05  |
| श्री ए. सोमसुंदरम      | Shri A. Somasundaram    | 01.04.2010 to 29.07.2010 | 05  | 04  |
| श्री. मौलिन ए. वैष्णव  | Shri Maulin A. Vaishnav | 01.04.2010 to 04.05.2010 | 01  | 01  |
| -वही-                  | -do-                    | 16.11.2010 to 31.03.2011 | 03  | 03  |
| श्री आर. गांधी         | Shri R. Gandhi          | 30.07.2010 to 31.03.2011 | 06  | 06  |

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं. यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है.

The main functions of Audit Committee, inter-alia, include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा- निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण कमियां और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक /बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण शामिल हैं.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/ निरीक्षकों के साथ विचार- विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों के अंतिम रूप देने से पूर्व केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है. यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).





#### 4.3 शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायत निवारण समिति

बैंक ने शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों, यदि कोई हों, के निवारण हेतु शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

इस समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं:

- (i) कार्यकारी निदेशकगण एवं
- (ii) चार अन्य गैर कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य और एक गैर - कार्यकारी निदेशक इसके अध्यक्ष हैं।

31.3.2011 तक समिति की संरचना इस प्रकार है:

|       |                        |         |
|-------|------------------------|---------|
| (i)   | श्री मौलिन ए. वैष्णव   | अध्यक्ष |
| (ii)  | श्री राजीव कुमार बक्षी | सदस्य   |
| (iii) | श्री एन. एस. श्रीनाथ   | सदस्य   |
| (iv)  | डॉ. धर्मेंद्र भंडारी   | सदस्य   |
| (v)   | श्री सत्य देव त्रिपाठी | सदस्य   |
| (vi)  | डॉ. दीपक बी. फाटक      | सदस्य   |

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर 04 बैठकें आयोजित की गईं :

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 25.05.2010 | 04.09.2010 | 27.12.2010 | 24.02.2011 |
|------------|------------|------------|------------|

समिति की उपरोक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

| निदेशक का नाम                              | Name of the Director                                 | अवधि<br>Period           | उनके कार्यकाल के दौरान<br>आयोजित बैठकें<br>Meetings held<br>during their tenure | बैठकें जिनमें<br>भाग लिया<br>Meetings<br>attended |
|--|--|--------------------------|---|---|
| श्री मौलिन ए. वैष्णव<br>(समिति के अध्यक्ष) | Shri Maulin A. Vaishnav<br>Chairman of the Committee | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 03  |
| श्री राजीव कुमार बक्षी                     | Shri Rajiv Kumar Bakshi                              | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 04  |
| श्री एन. एस. श्रीनाथ                       | Shri N. S. Srinath                                   | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 04  |
| श्री रंजीत कुमार चटर्जी                    | Shri Ranjit Kumar Chatterjee                         | 01.04.2010 to 19.12.2010 | 02  | 02  |
| डॉ. धर्मेंद्र भंडारी                       | Dr Dharmendra Bhandari                               | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 02  |
| श्री सत्य देव त्रिपाठी                     | Shri Satya Dev Tripathi                              | 03.09.2010 to 31.03.2011 | 03  | 03  |
| डॉ. दीपक बी. फाटक                          | Dr. Deepak B. Phatak                                 | 01.02.2011 to 31.03.2011 | 01  | 01  |

समिति यह सुनिश्चित करती है कि अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति-तारीख से एक माह के भीतर सभी प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाएं. समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है।

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया है।

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 01.04.2010 को बकाया<br>Pending as on 01.04.2010 | वर्ष के दौरान प्राप्त<br>Received during the year | वर्ष के दौरान निवारण<br>Resolved during the year | 31.03.2011 को बकाया<br>Pending as on 31.03.2011 |
| 24  | 9178  | 9174   | 28  |

#### 4.3 Shareholders' / Investors' Grievances Committee

The Shareholders' / Investors' Grievances Committee has been constituted by the Bank to redress shareholders and investors complaints, if any.

The Committee includes following members:

- (i) Executive Director (s) and
- (ii) Four Non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.

The composition of the Committee as on 31st March 2011 is as under:

|       |                          |          |
|-------|--------------------------|----------|
| (i)   | Shri Maulin A . Vaishnav | Chairman |
| (ii)  | Shri Rajiv Kumar Bakshi  | Member   |
| (iii) | Shri N. S. Srinath       | Member   |
| (iv)  | Dr. Dharmendra Bhandari  | Member   |
| (v)   | Shri Satya Dev Tripathi  | Member   |
| (vi)  | Dr. Deepak B. Phatak     | Member   |

The Committee met four times during the Financial Year 2010-11 on the following dates:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

The Committee monitors the issuance of share certificates within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:



वर्ष के दौरान बकाया सभी आवेदन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने से संबंधित अनुरोध पत्र थे तथा इनके संबंध में अपेक्षित प्रक्रिया/कार्रवाई की जा रही है।

श्री विनय ए. शाह, सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबंध के खंड 47 (ए) के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

#### 4.4 शेयर / बॉन्ड अंतरण समिति

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण से संबंधित समिति के अतिरिक्त, बैंक ने कार्यपालकों की एक शेयर अंतरण समिति गठित की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, 2 महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक (विधि) इसके सदस्य हैं। 15 दिन में समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित होती है जिसका प्रयोजन शेयरों/बॉन्डों के अंतरण की प्रक्रिया को तेज करना होता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की 49 बैठकें हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है :

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 05.04.2010 | 09.04.2010 | 16.04.2010 | 19.04.2010 | 07.05.2010 | 15.05.2010 |
| 19.05.2010 | 24.05.2010 | 05.06.2010 | 10.06.2010 | 17.06.2010 | 23.06.2010 |
| 30.06.2010 | 01.07.2010 | 20.07.2010 | 28.07.2010 | 09.08.2010 | 12.08.2010 |
| 14.08.2010 | 31.08.2010 | 01.09.2010 | 15.09.2010 | 21.09.2010 | 27.09.2010 |
| 01.10.2010 | 08.10.2010 | 21.10.2010 | 22.10.2010 | 02.11.2010 | 09.11.2010 |
| 12.11.2010 | 30.11.2010 | 03.12.2010 | 08.12.2010 | 20.12.2010 | 01.01.2011 |
| 08.01.2011 | 20.01.2011 | 27.01.2011 | 28.01.2011 | 02.02.2011 | 11.02.2011 |
| 14.02.2011 | 26.02.2011 | 03.03.2011 | 08.03.2011 | 10.03.2011 | 17.03.2011 |
| 26.03.2011 |            |            |            |            |            |

#### 4.5 आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की उप समिति

बैंक ने एक निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जो "आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की उपसमिति" के रूप में जानी जाती है तथा बैंक द्वारा पूर्वानुमानित संपूर्ण जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है।

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं तथा 31 मार्च 2011 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

|       |                        |         |
|-------|------------------------|---------|
| (i)   | श्री एम.डी. मल्या      | अध्यक्ष |
| (ii)  | श्री राजीव कुमार बक्षी | सदस्य   |
| (iii) | श्री एन. एस. श्रीनाथ   | सदस्य   |
| (iv)  | डॉ. धर्मेंद्र भंडारी   | सदस्य   |

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों को -4- बैठकें हुईं:

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 21.06.2010 | 04.09.2010 | 27.12.2010 | 10.03.2011 |
|------------|------------|------------|------------|

समिति की उपरोक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान उपस्थिति इस प्रकार रही :

All the pending cases as at the end of the year were pertaining to the request for issue of duplicate share certificates, in respect of which the necessary formalities were in process.

Shri Vinay A. Shah, Assistant General Manager & Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

#### 4.4 Share / Bond Transfer Committee

Besides the Shareholders' / Investors' Grievances Committee, the Bank has constituted a Share Transfer Committee comprising of Chairman and Managing Director, Executive Directors, -2- General Managers and Deputy General Manager (Legal) as members. The Committee meets at least once in 15 days to effect transfer of Shares / Bonds. The Committee met on -49- occasions during the Financial Year 2010-11, on the following dates:

#### 4.5 Sub Committee of the Board on ALM and Risk Management

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee known as 'Sub committee of the Board on ALM & Risk Management' to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee is headed by Chairman and Managing Director and its composition as on 31st March, 2011 is as under:

|       |                         |          |
|-------|-------------------------|----------|
| (i)   | Shri M. D. Mallya       | Chairman |
| (ii)  | Shri Rajiv Kumar Bakshi | Member   |
| (iii) | Shri N. S. Srinath      | Member   |
| (iv)  | Dr. Dharmendra Bhandari | Member   |

The Committee met -4- times during the Financial Year on the following dates:

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

| निदेशक का नाम          | Name of the Director    | अवधि<br>Period           | उनके कार्यकाल के दौरान<br>आयोजित बैठकें<br>Meetings held<br>during their tenure | बैठकें जिनमें<br>भाग लिया<br>Meetings<br>attended |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| श्री एम.डी. मल्ल्या    | Shri M. D. Mallya       | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 04  |
| श्री राजीव कुमार बक्षी | Shri Rajiv Kumar Bakshi | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 04  |
| श्री एन. एस. श्रीनाथ   | Shri N. S. Srinath      | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 04  |
| श्री ए. सोमसुन्दरम     | Shri A. Somasundaram    | 01.04.2010 to 29.07.2010 | 01  | 01  |
| डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी  | Dr Dharmendra Bhandari  | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 02  |

बैंक ने विभिन्न जोखिमों यथा क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम का पता लगाने, प्रबंधन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बैंक में समुचित जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है जिसमें जोखिम संरचनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखा परीक्षा शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को निरंतर बेहतर एवं कार्यकुशल बनाना है और बैंक की सुरक्षा पर ध्यान देना है।

#### 4.6 ग्राहक सेवा समितियां

##### (क) निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने निदेशक मंडल की एक उपसमिति का गठन किया है जो 'ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च 2011 को समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं।

|       |                          |                           |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| (i)   | श्री एम.डी. मल्ल्या      | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| (ii)  | श्री राजीव कुमार बक्षी   | कार्यकारी निदेशक          |
| (iii) | श्री एन. एस. श्रीनाथ     | कार्यकारी निदेशक          |
| (iv)  | डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद | सदस्य                     |
| (v)   | श्री मौलिन ए. वैष्णव     | सदस्य                     |

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है :

- सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि बीत जाने पर भी लागू न किये गये बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- मृत जमाकर्ताओं / लॉकर किरायेदारों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से संबंधित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक के बकाया दावों की संख्या की स्थिति संबंधी समीक्षा करना।

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank, nationally and internationally and to look after the safety of the Bank.

#### 4.6 Customer Service Committees

##### (a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee'. The Committee has the following members as on 31st March, 2011:

|       |                            |                                |
|-------|----------------------------|--------------------------------|
| (i)   | Shri M. D. Mallya          | Chairman and Managing Director |
| (ii)  | Shri Rajiv Kumar Bakshi    | Executive Director             |
| (iii) | Shri N. S. Srinath         | Executive Director             |
| (iv)  | Dr. (Smt.) Masarrat Shahid | Member                         |
| (v)   | Shri Maulin A. Vaishnav    | Member                         |

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- oversee the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services.
- review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- review the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors/ locker hirers/depositor of safe custody articles.



वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों की चार बैठकें हुईं :

During the Financial Year 2010-11, the Committee met -4- times on the following dates:

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 21.06.2010 | 04.09.2010 | 27.12.2010 | 26.03.2011 |
|------------|------------|------------|------------|

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

The details of attendance of the Directors are as under:

| निदेशक का नाम             | Name of the Director      | अवधि<br>Period           | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें<br>Meetings held during their tenure | बैठकें जिनमें भाग लिया<br>Meetings attended |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|---|
| श्री एम.डी.मल्ल्या        | Shri M. D. Mallya         | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 04  |
| श्री राजीव कुमार बक्षी    | Shri Rajiv Kumar Bakshi   | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 04  |
| श्री एन. एस. श्रीनाथ      | Shri N. S. Srinath        | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 04  |
| श्री ए.सोमसुन्दरम         | Shri A. Somasundaram      | 01.04.2010 to 29.07.2010 | 01  | 01  |
| डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद | Dr.(Smt.) Masarrat Shahid | 01.04.2010 to 31.03.2011 | 04  | 04  |
| श्री मौलिन ए. वैष्णव      | Shri Maulin A. Vaishnav   | 03.09.2010 to 31.03.2011 | 03  | 03  |

**(ख) ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उपसमिति के अतिरिक्त बैंक ने ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रियाओं तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है जिसमें बैंक के दोनों कार्यकारी निदेशक, 4 महाप्रबंधक तथा 3 अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल हैं.

इस समिति का गठन विशेष रूप से जनसामान्य को प्राप्त बैंकिंग सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा (i) सेवा के मौजूदा स्तर के बेंचमार्क (ii)आवधिक प्रगति की समीक्षा (iii) समयबद्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने (v) परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप समुचित प्रोत्साहन हेतु सुझाव देने की आवश्यकता पर ध्यान देने हेतु किया गया है.

**4.7 पारिश्रमिक समिति**

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या एफ नं.20/1/2005 बीओ. आई दिनांक 09 मार्च, 2007 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन की घोषणा की. यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, जिसमें गुणवत्ता और मात्रा दोनों का समावेश है, पर आधारित है. उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन तथा देय/अवाई की जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया.

समिति की 31 मार्च 2011 की संरचना इस प्रकार है :

- (i) श्री आलोक निगम
- (ii) श्री आर. गांधी
- (iii) श्री अजय माथुर
- (iv) डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी

**(b) Standing Committee on Customer Service**

Besides, the Sub Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services having three other eminent public personalities as members alongwith both the Executive Directors and four General Managers of the Bank, as per the guidelines of Reserve Bank of India.

This Committee has been set up to focus on the banking services available to the public at large and focusing on the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically, (iii) enhance the timelines and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, and (v) suggest appropriate initiatives to facilitate change on an ongoing basis.

**4.7 Remuneration Committee**

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded/paid during the year.

The composition of the Committee as on 31st March, 2011 is as under :

- (i) Shri Alok Nigam
- (ii) Shri R. Gandhi
- (iii) Shri Ajay Mathur
- (iv) Dr. Dharmendra Bhandari



वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की 8 मई 2010 को एक बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे. ऊपर उल्लिखित अधिसूचना की शर्तों के अनुरूप समिति ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित निदेशकों को प्रोत्साहनों का भुगतान करने का निर्णय लिया.

During the Financial Year 2010-11, the Committee met once on 8th May, 2010 wherein all members were present. In terms of the aforesaid notification, the Committee decided to pay incentives for the Financial Year 2009-10 to the following Directors as per details given below:

| क्र. सं<br>Sr. No | नाम / Name                                     | पद / Designation                                    | वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए कार्यनिष्पादन संबंध, प्रोत्साहन Performance Linked Incentives for the Financial Year 2009-10 (₹) |
|-------------------|--|---|--|
| 1                 | श्री एम.डी. मल्या<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | Shri M. D. Mallya<br>Chairman and Managing Director | 8,00,000.00  |
| 2                 | श्री वी. सन्तानरामन *<br>कार्यकारी निदेशक      | Shri V. Santhanaraman*<br>Executive Director        | 2,72,466.00  |
| 3                 | श्री राजीव कुमार बक्षी<br>कार्यकारी निदेशक     | Shri Rajiv Kumar Bakshi<br>Executive Director       | 6,50,000.00  |
| 4                 | श्री एन. एस. श्रीनाथ *<br>कार्यकारी निदेशक     | Shri N. S. Srinath*<br>Executive Director           | 2,04,795.00  |

\* प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक में उनके कार्यकाल के अनुपात में किया गया.

\* Incentive payment made in proportion to his respective tenure in the Bank.

#### 4.8 नामांकन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में चयन हेतु 'फिट एण्ड प्रॉपर' मानदण्ड निर्धारित किए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतन्त्र / गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हों. उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में एक 'नामांकन समिति' का गठन किया गया है.

31.03.2011 की स्थिति के अनुरूप समिति की संरचना इस प्रकार है :

- (i) श्री श्री आलोक निगम
- (ii) श्री अजय माथुर
- (iii) डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की दिनांक 27 अप्रैल 2010 को एक बैठक हुई जिसमें श्री आलोक निगम के अलावा सभी सदस्य उपस्थित थे. बैठक का आयोजन बैंक के चयनित शेयर धारक-3- निदेशकों (i) डॉ. धर्मेंद्र भंडारी (ii) डॉ. दीपक बी. फाटक तथा (iii) श्री मौलिन ए. वैष्णव का भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप समुचित अर्थात् फिट एण्ड प्रॉपर स्टेटस सुनिश्चित करना था. समिति ने सभी को "फिट एंड प्रॉपर" पाया.

#### 4.9 निदेशकों की समिति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशकों की एक समिति गठित की गई है जो वरिष्ठ स्तर के पदोन्नति संबंधी कार्य करती है. यह समिति सतर्कता संबंधी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य भी करती है.

#### 4.8 Nomination Committee

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/ non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a "Nomination Committee" has been constituted.

The composition of the Committee as on 31st March 2011 is as under:

- (i) Shri Alok Nigam
- (ii) Shri Ajay Mathur
- (iii) Dr. (Smt.) Masarrat Shahid

During the Financial Year 2010-11, the Committee met once on 27th April, 2010, wherein all members were present except Shri Alok Nigam. The meeting was convened to ascertain 'Fit and Proper' status of the elected Shareholder Directors as per RBI guidelines in respect of -3- directors under this category namely (i) Dr. Dharmendra Bhandari, (ii) Dr. Deepak B. Phatak and (iii) Shri Maulin A. Vaishnav. The Committee found all of them "Fit and Proper".

#### 4.9 Committee of Directors

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. This Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.



31 मार्च 2011 तक समिति की संरचना इस प्रकार है:

- (i) श्री एम.डी. मल्या
- (ii) श्री आलोक निगम
- (iii) श्री आर. गांधी

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की निम्नलिखित विवरण अनुसार 4 बैठकें हुईं.

The composition of the Committee as on 31st March 2011 is as under:

- (i) Shri M. D. Mallya
- (ii) Shri Alok Nigam
- (iii) Shri R. Gandhi

The Committee met -4- times during the Financial Year 2010-11 on the following dates:

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 09.05.2010 | 04.09.2010 | 27.12.2010 | 26.03.2011 |
|------------|------------|------------|------------|

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

The details of attendance of directors are as under:

| सदस्य का नाम      | Name                 | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या<br>Meetings held during their tenure | बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया<br>Meetings Attended |
|-------------------|----------------------|---|---|
| श्री एम.डी. मल्या | Shri M. D. Mallya    | 04  | 04  |
| श्री आलोक निगम    | Shri Alok Nigam      | 04  | 04  |
| श्री ए.सोमसुन्दरम | Shri A. Somasundaram | 01  | 01  |
| श्री आर. गांधी    | Shri R. Gandhi       | 03  | 03  |

#### 4.10 बड़ी राशि की धोखाधड़ी के बारे में समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपक्व आरबीआई /2004.15/डीबीएस. एफजीवी(एफ) क्र. 1004/23.04.01.ए/2003-04 दिनांक 14 जनवरी 2004 के निर्देशानुसार हमारे बैंक में रु. 1/- करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी संबंधी मामलों की मॉनीटरिंग के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया है.

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 1.00 करोड़ रुपये और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा शामिल है ताकि(क) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किये जा सकें (ख) धोखाधड़ी के पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग (ग) सीबीआई/पुलिस जाँच - पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति (घ) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, अविलंब हो (च) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना और (छ) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना.

निदेशक मंडल के 5 सदस्यों की गठित विशेष समिति में (क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित को शामिल नहीं करते हुए निदेशक मंडल के 2 अन्य सदस्यों का समावेश है.

31 मार्च 2011 को समिति की संरचना निम्नानुसार है.

- (i) श्री एम.डी. मल्या
- (ii) श्री आलोक निगम
- (iii) डॉ. धर्मेश्वर भंडारी
- (iv) डॉ. दीपक बी. फाटक
- (v) श्री मौलिन ए. वैष्णव

#### 4.10 Committee on High Value Frauds

As per RBI circular no.RBI/2004.15/.DBS.FGV(F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14th January, 2004 a Special Committee of the Board for monitoring high value frauds of ₹1.00 crore and above has been formed in our Bank.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of ₹1.00 crore and above so as to: (a) identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same (b) identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI (c) monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position (d) ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time (e) review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and (f) put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Committee consists of -5- members of the Board of Directors: (a) Chairman and Managing Director (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board excluding RBI Nominee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2011 is as under:

- (i) Shri M. D. Mallya
- (ii) Shri Alok Nigam
- (iii) Dr. Dharmendra Bhandari
- (iv) Dr. Deepak B. Phatak
- (v) Shri Maulin A. Vaishnav



वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं।  
विवरण इस प्रकार है:

The Committee met -4- times during the Financial Year 2010-11 as per the details below :

25.05.2010

04.09.2010

09.11.2010

26.03.2011

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

The details of attendance of directors are as under:

| सदस्य का नाम         | Name                    | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या<br>Meetings held during their tenure | बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया<br>Meetings Attended |
|----------------------|-------------------------|---|---|
| श्री एम.डी. मल्या    | Shri M. D. Mallya       | 04  | 04  |
| श्री आलोक निगम       | Shri Alok Nigam         | 04  | 03  |
| डॉ अतुल अग्रवाल      | Dr. Atul Agarwal        | 03  | 03  |
| डॉ. दीपक बी. फाटक    | Dr. Deepak B. Phatak    | 04  | 03  |
| श्री मौलिन ए. वैष्णव | Shri Maulin A. Vaishnav | 04  | 03  |
| डॉ. धर्मन्द्र भंडारी | Dr. Dharmendra Bhandari | 01  | 01  |

### 5. निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुरूप किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान वेतन एवं एरियर्स का भुगतान

### 5. Remuneration of Directors

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors (Three whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2010-11:

| क्र. सं.<br>Sr. No | नाम / Name  | पदनाम / Designation   | Amount (₹)   |
|--------------------|---|---|--------------|
| 1                  | श्री एम.डी. मल्या<br>Shri M. D. Mallya            | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक<br>Chairman and Managing Director | 13,87,200.00 |
| 2                  | श्री राजीव कुमार बक्षी<br>Shri Rajiv Kumar Bakshi | कार्यकारी निदेशक<br>Executive Director                      | 11,87,145.00 |
| 3                  | श्री एन. एस. श्रीनाथ<br>Shri N. S. Srinath        | कार्यकारी निदेशक<br>Executive Director                      | 11,52,552.00 |



ख. वर्ष 2010-11 के लिए दौरान भुगतान किए कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन:

B. Performance Linked Incentives paid during 2010-11:

| क्र. सं.<br>Sr. No | नाम / Name  | पदनाम / Designation   | कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन राशि वित्तीय वर्ष 2009-10 Performance Linked Incentives for the Financial Year 2009-10 (₹) |
|--------------------|---|---|--|
| 1                  | श्री एम. डी. मल्या<br>Shri M. D. Mallya           | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक<br>Chairman and Managing Director | 8,00,000.00  |
| 2                  | श्री वी. सन्तानरामन*<br>Shri V. Santhanaraman*    | कार्यकारी निदेशक<br>Executive Director                      | 2,72,466.00  |
| 3                  | श्री राजीव कुमार बक्षी<br>Shri Rajiv Kumar Bakshi | कार्यकारी निदेशक<br>Executive Director                      | 6,50,000.00  |
| 4                  | श्री एन. एस. श्रीनाथ*<br>Shri N. S. Srinath*      | कार्यकारी निदेशक<br>Executive Director                      | 2,04,795.00  |

\* प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक में उनके कार्यकाल की अवधि के अनुपात में किया गया.

\* Incentive payments made in proportion to his respective tenure in the Bank.

वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क विवरण निम्नलिखित अनुसार है (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है):

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2010-11 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India) :

| क्र. सं.<br>Sr. No. | निदेशक का नाम             | Name of the Director         | भुगतान की गई राशि (₹.)<br>Amount Paid in ₹ |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| 1                   | श्री ए. सोमसुन्दरम        | Shri A. Somasundaram         | 75,000.00                                  |
| 2                   | श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी | Shri Milind N. Nadkarni      | 7,500.00                                   |
| 3                   | श्री रंजीत कुमार चटर्जी   | Shri Ranjit Kumar Chatterjee | 70,000.00                                  |
| 4                   | डॉ. अतुल अग्रवाल          | Dr. Atul Agarwal             | 1,42,500.00                                |
| 5                   | डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद | Dr. (Smt.) Masarrat Shahid   | 1,40,000.00                                |
| 6                   | डॉ. धर्मेन्द्र भण्डारी    | Dr. Dharmendra Bhandari      | 75,000.00                                  |
| 7                   | डॉ. दीपक बी. फाटक         | Dr. Deepak B. Phatak         | 1,12,500.00                                |
| 8                   | श्री मौलिन ए. वैष्णव      | Shri Maulin A. Vaishnav      | 1,42,500.00                                |
| 9                   | श्री अजय माथुर            | Shri Ajay Mathur             | 1,55,000.00                                |
| 10                  | श्री सत्य देव त्रिपाठी    | Shri Satya Dev Tripathi      | 95,000.00                                  |
| 11                  | श्री वी. बी. चव्हाण       | Shri V. B. Chavan            | 5,000.00                                   |

**6. सामान्य सभा की बैठकें**

सामान्य सभा की गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

**6. General Body Meetings**

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:

| बैठक का स्वरूप<br>Nature of Meeting                         | दिनांक एवं समय<br>Date & Time                                       | स्थान<br>Venue   | प्रयोजन<br>Purpose  |
|---|---|--|---|
| बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक<br>12th Annual General Meeting | 28 जुलाई, 2008 को प्रातः 10.30 बजे<br>28th July, 2008 at 10.30 a.m. | प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेन्टर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, वड़ोदरा 390 002.<br>Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara 390 002 | बैंक के 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्य एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2007-08 के लिए लाभांश घोषित करना.<br>To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as on 31st March 2008, Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2008, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Dividend for the year 2007-08. |





| बैठक का स्वरूप<br>Nature of Meeting                         | दिनांक एवं समय<br>Date & Time  | स्थान<br>Venue   | प्रयोजन<br>Purpose  |
|---|--|--|---|
| असाधारण सामान्य बैठक<br>Extra Ordinary General Meeting      | 23 दिसंबर, 2008 को<br>प्रातः 10.00 बजे<br>23rd December, 2008<br>at 10.00 a.m. | प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम,<br>जनरल एजुकेशन सेन्टर,<br>महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा,<br>वड़ोदरा 390 002.<br>Prof. C.C. Mehta Auditorium,<br>General Education Centre,<br>Maharaja Sayajirao University<br>of Baroda, Vadodara 390 002 | बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) एवं बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के अनुपालन में केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से -3- निदेशकों का निर्वाचन.<br><br>Election of three Directors from amongst Shareholders other than Central Government in pursuance of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations 1998.  |
| तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक<br>13th Annual General Meeting | 2 जुलाई, 2009 को<br>प्रातः 10.30 बजे<br>2nd July, 2009<br>At 10.30 a.m.        | प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम,<br>जनरल एजुकेशन सेन्टर,<br>महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा,<br>वड़ोदरा 390 002<br>Prof. C.C. Mehta Auditorium,<br>General Education Centre,<br>Maharaja Sayajirao University<br>of Baroda, Vadodara 390 002  | बैंक के 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2008-09 के लिए लाभांश घोषित करना.<br>To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2009, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2009, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Dividend for the year 2008-09.  |
| 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक<br>14th Annual General Meeting   | 5 जुलाई, 2010 को<br>प्रातः 10.30 बजे<br>5th July, 2010<br>At 10.30 a.m.        | प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम,<br>जनरल एजुकेशन सेन्टर,<br>महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा,<br>वड़ोदरा 390 002<br>Prof. C.C. Mehta Auditorium,<br>General Education Centre,<br>Maharaja Sayajirao University<br>of Baroda, Vadodara 390 002  | बैंक के 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि का तुलनपत्र, 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश घोषित करना.<br>To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2010, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2010, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Dividend for the year 2009-10. |
| असाधारण सामान्य बैठक<br>Extra Ordinary General Meeting      | 29 मार्च, 2011 को<br>प्रातः 10.30 बजे<br>29th March, 2011<br>at 10.30 a.m.     | प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम,<br>जनरल एजुकेशन सेन्टर,<br>महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा,<br>वड़ोदरा 390 002<br>Prof. C.C. Mehta Auditorium,<br>General Education Centre,<br>Maharaja Sayajirao University<br>of Baroda, Vadodara 390 002  | सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2009 के अनुसार अधिमान आधार पर भारत सरकार को 2,72,79,579 इक्विटी शेयर जारी करने और आर्बाटिट करने के लिए शेयर धारकों का अनुमोदन लेना.<br>To seek approval of the shareholders for issuing and allotting 2,72,79,579 equity shares to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations 2009.  |



**7. प्रकटीकरण**

- (क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जिनके कारण बैंक के व्यापक हितों से मतभेद की संभावना बनती हो.
- (ख) सरकारी कारोबार के अलावा अन्य मदों से प्राप्त शुल्क, कमीशन, गारंटियों साखपत्रों पर कमीशन, विनिमय, दलाली, अतिदेय बिलों पर ब्याज तथा कम-धन वापसी की गणना वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है.
- (ग) अनुबंधियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसियेट के शेयरों पर लाभांश की गणना वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है.
- (घ) बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है.
- (ङ) वर्तमान में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' पूर्णतया परिचालित है.
- (च) निदेशकों ने सूचित किया है कि 31 मार्च 2011 तक निदेशकों के बीच किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध नहीं है.

**8. अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं**

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 में यथा उपबंधित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है :

| क्रम सं.<br>Sr. No. | गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं<br>Non-mandatory requirements  | कार्यान्वयन की स्थिति<br>Status of Implementation  |
|---------------------|--|--|
| 1                   | अध्यक्ष के कार्यालय का रख-रखाव, गैर कार्यपालक अध्यक्ष, कंपनी के खर्च पर करेंगे.<br>Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.  | लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है.<br>Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.  |
| 2                   | निदेशक मंडल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यकारी निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज संबंधी कंपनी की पारिश्रमिक नीति तैयार करेगी.<br>Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors. | लागू नहीं, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियत वेतन प्राप्त करते हैं. तथापि, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यरत कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति कार्यरत है.<br>Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive in terms of guidelines issued by the Central Government.            |
| 3                   | गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा शेयरधारकों को भेजना.<br>Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.                                       | 30.09.2010 को समाप्त छमाही के लिए बैंक ने गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन का छमाही परिणाम प्रत्येक शेयरधारक को भेज दिया है. इसके अतिरिक्त बैंक के वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर डाले जाते हैं.<br>The Bank has sent half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2010 including summary of significant developments during last six months to each shareholder. Besides the financial results are posted on Bank's website. |

**7. Disclosures**

- a) There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b) Income by way of Fees, Commission other than on Government Business, Commission on Guarantees, LCs, Exchange, Brokerage, Interest on overdue Bills, Advance Bills are accounted for on realization basis.
- c) Dividend on Shares in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates is accounted on actual realization basis.
- d) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- e) As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy in toto is in place.
- f) Directors have disclosed that they have no relationship between directors inter se as on 31st March 2011.

**8. Mandatory and Non-Mandatory Requirements**

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

| क्रम सं.<br>Sr. No. | गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं<br>Non-mandatory requirements   | कार्यान्वयन की स्थिति<br>Status of Implementation   |
|---------------------|---|---|
| 4                   | <p>कंपनी को अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए.</p> <p>Company may move towards regime of unqualified financial statements.</p>   | <p>बैंक ने अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने के लिए कई कदम उठाये हैं.</p> <p>The Bank has initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements.</p>   |
| 5                   | <p>कंपनी निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन और उनका सर्वोत्तम ढंग से निर्वहन करने के लिए कंपनी के व्यावसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ कंपनी के व्यावसायिक मानदंडों की जोखिम प्रोफाइल के बारे में प्रशिक्षित करे.</p> <p>Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.</p> | <p>निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ आचार संहिता की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की गई है. बैंक एडवांस्ड फाइनेंशियल लर्निंग हेतु निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु नामित करता है.</p> <p>A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board. The Bank nominates Directors for training at Centre for Advanced Financial Learning of RBI, Mumbai.</p> |
| 6                   | <p>निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर- कार्यपालक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और गैर-कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने रहने या अन्यथा निर्णय लेना.</p> <p>The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors.</p>   | <p>भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामांकन समिति का गठन किया गया है तथा चयनित/नामित निदेशकों पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तर्ण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन फिट एण्ड प्रॉपर दिशा-निर्देश लागू होते हैं.</p> <p>A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the elected directors under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition &amp; Transfer of Undertakings) Act, 1970 are subject to determination of fit &amp; proper status.</p>                          |
| 7                   | <p>कंपनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखा-धड़ी आदि के सदर्थ में प्रबंधन की चिंताओं के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली (बिसल ब्लोअर) नीति बनाए.</p> <p>The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud, etc.</p>   | <p>वर्तमान में केन्द्रीय सतर्कता कमीशन की पूर्व संकेत (बिसल ब्लोअर) नीति पूर्णतया परिचारित है.</p> <p>As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy in toto is in place.</p>   |

### 9. संप्रेषण के साधन

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारीयों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है.

बैंक के वित्तीय परिणामों को, निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं. ये परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक ऐसा समाचार पत्र होता है जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार गुजरात राज्य में हो, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है. बैंक छाप्पी आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है. बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए एनेलिस्ट बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है.

बैंक के तिमाही / इयर टू डेट / वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ एनेलिस्ट को दिए गए प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक समाचार बैंक की वेबसाइट <http://www.bankofbaroda.com> पर उपलब्ध रहती हैं.

### 9. Means of Communication

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the state of Gujarat where the Head Office of the Bank is situated. The Bank furnishes results to the Shareholders on Half Yearly basis. The Bank also organizes analysts'-meets, press conferences, etc. for announcing Bank's financial results and its future plans.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official news are posted on the Bank's Website – <http://www.bankofbaroda.com>



कार्पोरेट गवर्नेंस के तहत पर्यावरण उपायों के रूप में सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल आईडी हमारे पास या हमारे रजिस्ट्रार के पास जिसका पता इस रिपोर्ट अन्वयत्र दिया गया है, के पास पंजीकृत करवा दें ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेल के माध्यम से भेज सकें. वे शेयरधारक जिनके पास शेयर अर्भौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपने ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजिटररी प्रतिभागी के पास पंजीकृत करवा दें.

As a Green Initiative under Corporate Governance, all the shareholders having shares in physical form are requested to register their e-mail ids with us or our Registrars, at the address given elsewhere in this report, to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail. The shareholders holding shares in Demat form are requested to register their e-mail ID with their respective Depository Participant for the above purpose.

**10. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना**

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :

**10. Shareholders' Information**

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड<br>फिरोज जीजीभाई टावर्स<br>25 वां तल, दलाल स्ट्रीट<br>फोर्ट, मुंबई 400 001<br>बीएसई कोड : 532134                      | 1 | Bombay Stock Exchange Ltd.,<br>Phiroze Jeejeebhoy Towers<br>25th Floor, Dalal Street<br>Fort, Mumbai - 400 001<br>BSE CODE : 532134                 |
| 2 | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.<br>"एक्सचेंज प्लाजा"<br>बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,<br>बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.<br>एनएसई कोड : BANKBARODA | 2 | National Stock Exchange of India Ltd.,<br>"Exchange Plaza"<br>Bandra Kurla Complex,<br>Bandra, (East),<br>Mumbai - 400 051<br>NSE CODE : BANKBARODA |

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सम्बंध में अब तक के वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

**10.1 प्रतिभूतियों का अ-भौतिकीकरण**

बैंक के शेयर सेबी की अनिवार्य अर्भौतिक सूची के अंतर्गत आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अर्भौतिकीकरण के लिए नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटररी लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोजिटररी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है. शेयरधारक एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अर्भौतिकीकृत करवा सकते हैं.

**10.1 Dematerialization of Securities**

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

31 मार्च 2011 को बैंक के पास 391546079 इक्विटी शेयर थे जिनमें से 355589031 शेयर अ-भौतिक रूप में धारित है जिनका विवरण निम्नानुसार है.

As on March 31, 2011 the Bank has 391546079 Number of Equity Shares of which 355589031 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

| धारिता का स्वरूप | Nature of Holding | शेयरों की संख्या / Number of shares | प्रतिशत / Percentage |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| भौतिक            | Physical          | 35957048                            | 9.18                 |
| अ-भौतिक          | Dematerialized    | 355589031                           | 90.82                |
| कुल              | Total             | 391546079                           | 100.00               |

बैंक द्वारा वर्ष 2003 में 27,38,300 इक्विटी शेयर जब्त किए गए जिनमें से 31 मार्च 2011 तक 4,800 इक्विटी शेयर (एन्यूल्लड) अभिशून्य किए गए.

The Bank had forfeited 27,38,300 equity share in the year 2003 and out of the same 4800 equity shares were annulled up to 31st March 2011.

**10.2 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस)**

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) भुगतान का एक आधुनिक तरीका है जिसमें लाभांश / ब्याज इत्यादि की राशियां संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में सीधे ही जमा कर दी जाती हैं. बैंक ने अपने शेयरधारकों को भारतीय रिजर्व बैंक की नेशनल ईसीएस / ईसीएस सुविधा के तहत कवर सभी केंद्रों पर उपलब्ध इस सुविधा का इस्तेमाल करने के विकल्प के साथ सेवाएं पेश की है.

**10.2 Electronic Clearing Services (ECS)**

Electronic Clearing Services (ECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its National ECS/ ECS facility.

ईसीएस मंडेट प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

The ECS mandate form is appended with the Annual Report.

**10.3 शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण**

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों का अन्तरण सम्बंधी समस्त कार्य,

**10.3 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances**

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly





उनकी प्रस्तुति की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत् रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरों और बांडों के अंतरण तथा अन्य संबद्ध मामलों पर विचार करने के लिए शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति और शेयर अंतरण समिति गठित की है। ये समितियां नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित करती हैं और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं।

बैंक ने मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बांड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रॉसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियां सुनिश्चित करना है। निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतें निम्न पते पर रजिस्ट्रार को भिजवा सकते हैं :

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.

(इकाई : बैंक ऑफ बड़ौदा)

प्लॉट सं. 17 से 24, इमेज अस्पताल के पास

विडुलराव नगर, माधापुर

हैदराबाद - 500 081

फोन : (040) 23420815 से 820 तक, फैक्स : (040) 23420814

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

बैंक ने निवेशक सेवाएं विभाग की स्थापना कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में भी की है, जिसके प्रभारी कम्पनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, वड़ोदरा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं:

|  |   |
|--|---|
| <p>बैंक ऑफ बड़ौदा<br/>निवेशक सेवा विभाग<br/>प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर<br/>सी - 26, जी - ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स<br/>बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051<br/>टेलीफोन : (022) 66985000, 6698 5846<br/>फैक्स : (022) 2652 6660<br/>ई - मेल : investorservices@bankofbaroda.com<br/>(उक्त ई-मेल आईडी विशेष रूप से स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध होने के करार के खण्ड 47(एफ) के अनुसारण में निवेशकों की शिकायतों हेतु बनाया गया है।)</p> | <p>बैंक ऑफ बड़ौदा<br/>मुख्य प्रबंधक<br/>ग्राहक सेवा<br/>आठवां तल, सूरज प्लाजा -1,<br/>सयाजीगंज,<br/>वड़ोदरा 390 005.<br/>टेलीफोन : 0265 - 2361724<br/>फैक्स नं. : 0265 - 2361824<br/>ई - मेल : customerservice@bankofbaroda.com</p> |
|--|---|

## 11. कार्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग

बैंक ऑफ बड़ौदा पहला ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसे रेटिंग एजेन्सी आईसीआरए लि. द्वारा बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस कार्य पद्धति को रेटिंग प्रदान की गई है। आईसीआरए द्वारा पहली बार जुलाई, 2004 में सीजीआर2 (CGR2 रेटिंग) प्रदान की गई। बैंक को यही रेटिंग अर्थात् CGR2 रेटिंग पुनः फरवरी, 2006, सितम्बर, 2007 तथा अप्रैल 2010 में भी प्रदान की गई। उक्त रेटिंग स्केल CGR1 से CGR 6 में CGR1 सर्वोच्च रेटिंग कहलाती है। CGR-2 रेटिंग से अभिप्राय है कि रेटिंग एजेन्सी आईसीआरए की राय में बैंक ने उन पद्धतियों, परम्पराओं एवं संहिताओं को अपनाया है तथा उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। यह रेटिंग बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबन्धन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबन्धन पद्धतियों, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबन्धन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतन्त्र लेखा फर्मों द्वारा अपनायी जाती है, को दर्शाती है।

affected within a period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted Shareholders'/ Investors' Grievances Committee to monitor and review the progress in redressal of general shareholders' and investors' grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and Bonds and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Private Limited as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares / Bonds, dividend / interest payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/S Karvy Computershare Private Limited  
(Unit: Bank of Baroda)

Plot No.17 to 24, Near Image Hospital

Vittalrao Nagar, Madhapur

Hyderabad - 500 081

Phone: (040) 23420815 to 820, Fax : (040) 23420814

E Mail: einward.ris@karvy.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara :

|   |   |
|---|---|
| <p>Bank of Baroda<br/>Investors' Services Department<br/>1st Floor, Baroda Corporate Centre,<br/>C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex<br/>Bandra (East), Mumbai - 400 051.<br/>Telephone : (022) 66985000, 6698 5846<br/>Fax : (022) 2652 6660<br/>E-mail : investorservices@bankofbaroda.com<br/>(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)</p> | <p>Bank of Baroda<br/>Chief Manager,<br/>Customer Service,<br/>8th Floor, Suraj Plaza - I,<br/>Sayajiganj,<br/>Vadodara - 390 005<br/>Telephone : 0265 - 2361724<br/>Fax No. : 0265 - 2361824<br/>E-mail : customerservice@bankofbaroda.com</p> |
|---|---|

## 11. Corporate Governance Rating

Bank of Baroda is the first Public Sector Bank having been assigned a rating to its Corporate Governance Practices by ICRA Limited. The ICRA had assigned the rating of 'CGR2' (pronounced as CGR 2) in July 2004, which has been reaffirmed in February 2006, September 2007, April 2010 and March 2011 respectively. On a rating scale of CGR1 to CGR6 where CGR1 denotes the highest rating. The CGR2 rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The rating reflects Bank's transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.



**12. वित्तीय कैलेंडर**

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011

**12. Financial Calendar**

Financial Year 1st April, 2010 to 31st March, 2011

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| खातों (एकल) एवं लाभांश संबंधी सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक | 28 अप्रैल 2011   | Board Meeting for considering of Accounts (Standalone) and recommendation of dividend. | 28th April 2011   |
| खातों (समेकित) पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक                          | 27 मई, 2011  | Board Meeting for considering of Accounts (Consolidated).                              | 27th May 2011   |
| भारतीय रिजर्व बैंक को खातों की लेखा परीक्षित विवरणी की प्रस्तुति                      | 30 मई, 2011  | Submission of audited statement of accounts to RBI.                                    | 30th May 2011   |
| 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान                                    | 04 जुलाई, 2011 प्रातः 10:30 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा, शताब्दी वर्ष (2007-08), टी.पी.1, एफपी 549/1. जीईबी कॉलोनी, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020 | Date, Time & Venue of the 15th AGM   | 4th July 2011 at 10.30 a.m. Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-08), T.P. 1, F.P. 549/1. Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara-390 020. |
| वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण   | 3 से 6 जून, 2011   | Posting of Annual Report   | 3rd to 6th June 2011  |
| बहियां बंद करने की तारीख  | शनिवार, 25 जून 2011 से सोमवार, 4 जुलाई 2011 (दोनों दिन शामिल)  | Book Closure dates   | Saturday, 25th June 2011 to Monday, 04th July 2011 (both days inclusive)  |
| प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख  | 29 जून, 2011   | Last Date for receipt of Proxy Forms   | 29th June 2011  |
| लाभांश के लिए वारंट प्रेषित करने की संभावित तारीख                                     | 14 जुलाई 2011 से पूर्व   | Probable date of dispatch of warrants for Dividend                                     | Before 14th July 2011   |
| लाभांश भुगतान की तारीख  | 14 जुलाई 2011  | Payment date - Dividend  | 14th July 2011  |

**13. 31 मार्च 2011 को शेयरधारिता पैटर्न**

**13. Shareholding Pattern as on 31st March 2011**

| क्रम सं.<br>Sr. No. | विवरण                   | Description                     | शेयरधारकों की संख्या<br>No. of Share Holders | शेयर<br>Shares | इक्विटी का प्रतिशत<br>% to Equity |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| 1                   | भारत सरकार (प्रमोटर्स)  | Govt. of India (Promoters)      | 2  | 223279579      | 57.03                             |
| 2                   | म्यूच्युअल फंड/यूटीआई   | Mutual Funds/UTI                | 175  | 34378300       | 8.78                              |
| 3                   | वित्तीय संस्थाएं / बैंक | Financial Institutions / Banks  | 23   | 588219         | 0.15                              |
| 4                   | बीमा कंपनियां           | Insurance Companies             | 23   | 27648526       | 7.06                              |
| 5                   | विदेशी संस्थागत निवेशक  | Foreign Institutional Investors | 354  | 64851872       | 16.56                             |
| 6                   | बॉडी कॉर्पोरेट          | Bodies Corporate                | 1789   | 18397057       | 4.70                              |
| 7                   | निवासी वैयक्तिक         | Resident Individuals            | 166695                                       | 20117509       | 5.13                              |
| 8                   | अ-निवासी भारतीय         | Non Resident Indians            | 2993   | 2018422        | 0.52                              |
| 9                   | विदेशी कार्पोरेट निकाय  | Overseas Corporate Bodies       | 3  | 22000          | 0.01                              |
| 10                  | न्यास                   | Trusts                          | 19   | 36888          | 0.01                              |
| 11                  | समाशोधन सदस्य           | Clearing Members                | 237  | 207707         | 0.05                              |
|                     | कुल                     | Total                           | 172313                                       | 391546079      | 100.00                            |



**14. 31 मार्च 2011 को एस्करो / उचंत खातों में पड़े हुए शेयरों की स्थिति** **14. Status Of Shares Lying In Escrow/Suspense Account as on 31st March 2011**

| 01.04.2010 को ओपनिंग बैलंस<br>Opening Balance as on 01.04.2010 |               | वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या<br>No. of requests received during the Financial Year 2010-11 |               | वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान क्रेडिट किए गए शेयर<br>Shares credited during the Financial Year 2010-11 |               | 31 मार्च 2011 को अंतिम शेष<br>Closing Balance as on 31st March 2011 |  |
|--|---------------|--|---------------|--|---------------|---|--|
| मामले / Cases  | शेयर / Shares | मामले / Cases  | मामले / Cases | शेयर / Shares  | मामले / Cases | शेयर / Shares   |  |
| 268  | 30201         | 108  | 72            | 7573   | 196           | 22628*  |  |

\*ऐसे शेयरों के सही धारकों द्वारा दावा नहीं किए जाने तक इन शेयरों से संबंधित वोट देने का अधिकार रोका रखा जाए.

\*The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

**15. 31 मार्च 2011 को शेयर धारकों का श्रेणी-वार वितरण** **15. Distribution of Shareholders - Categorywise as on 31st March 2011**

| संवर्ग<br>Category | मामलों की संख्या<br>No. of Cases | मामलों का %<br>% of Cases | कुल शेयर<br>Total Shares | राशि (अंकित मूल्य)<br>Amount ₹<br>(Face Value) | राशि का %<br>% of Amount |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 - 5000           | 168567                           | 97.84                     | 17808789                 | 178087890.00                                   | 4.55                     |
| 5001 - 10000       | 2092                             | 1.21                      | 1683123                  | 16831230.00                                    | 0.43                     |
| 10001 - 20000      | 642                              | 0.37                      | 989381                   | 9893810.00                                     | 0.25                     |
| 20001 - 30000      | 191                              | 0.11                      | 496551                   | 4965510.00                                     | 0.13                     |
| 30001 - 40000      | 85                               | 0.05                      | 307803                   | 3078030.00                                     | 0.08                     |
| 40001 - 50000      | 71                               | 0.04                      | 340072                   | 3400720.00                                     | 0.09                     |
| 50001 - 100000     | 143                              | 0.08                      | 1101593                  | 11015930.00                                    | 0.28                     |
| 100001 & Above     | 522                              | 0.30                      | 368818767                | 3688187670.00                                  | 94.19                    |
| Total              | 172313                           | 100.00                    | 391546079                | 3915460790.00                                  | 100.00                   |

**16. 31 मार्च 2011 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्य-वार) वितरण** **16. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2011**

| क्रम सं.<br>Sr. No. | राज्य          | State             | मामले<br>Cases | शेयर<br>Shares | (शेयरों की संख्या)<br>% (No. of Shares) |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---|
| 1                   | आंध्र प्रदेश   | ANDHRA PRADESH    | 6211           | 844613         | 0.22                                    |
| 2                   | अरुणाचल प्रदेश | ARUNACHAL PRADESH | 14             | 1639           | 0.00                                    |
| 3                   | असम            | ASSAM             | 447            | 52591          | 0.01                                    |
| 4                   | बिहार          | BIHAR             | 2801           | 274064         | 0.07                                    |
| 5                   | चंडीगढ़        | CHANDIGARH        | 431            | 58679          | 0.01                                    |
| 6                   | दिल्ली         | DELHI             | 7120           | 224469686      | 57.33                                   |
| 7                   | गोवा           | GOA               | 1378           | 195456         | 0.05                                    |
| 8                   | गुजरात         | GUJARAT           | 40862          | 5223739        | 1.34                                    |
| 9                   | हरियाणा        | HARYANA           | 1862           | 217854         | 0.06                                    |
| 10                  | हिमाचल प्रदेश  | HIMACHAL PRADESH  | 238            | 24087          | 0.00                                    |



| क्रम सं.<br>Sr. No. | राज्य            | State           | मामले<br>Cases | शेयर<br>Shares | (शेयरों की संख्या)<br>% (No. of<br>Shares) |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 11                  | जम्मू एवं कश्मीर | JAMMU & KASHMIR | 195            | 25456          | 0.00                                       |
| 12                  | कर्नाटक          | KARNATAKA       | 7082           | 730578         | 0.19                                       |
| 13                  | केरल             | KERALA          | 2819           | 404589         | 0.10                                       |
| 14                  | मध्यप्रदेश       | MADHYA PRADESH  | 4727           | 661636         | 0.17                                       |
| 15                  | महाराष्ट्र       | MAHARASHTRA     | 51070          | 150724708      | 38.50                                      |
| 16                  | मेघालय           | MEGHALAYA       | 91             | 12542          | 0.00                                       |
| 17                  | नागालैंड         | NAGALAND        | 102            | 22687          | 0.00                                       |
| 18                  | उड़ीसा           | ORISSA          | 1038           | 105117         | 0.03                                       |
| 19                  | पंजाब            | PUNJAB          | 1516           | 195239         | 0.05                                       |
| 20                  | राजस्थान         | RAJASTHAN       | 10293          | 1225849        | 0.32                                       |
| 21                  | तमिलनाडु         | TAMIL NADU      | 11004          | 1942214        | 0.50                                       |
| 22                  | त्रिपुरा         | TRIPURA         | 114            | 16188          | 0.00                                       |
| 23                  | उत्तरप्रदेश      | UTTAR PRADESH   | 12204          | 1538011        | 0.40                                       |
| 24                  | पश्चिम बंगाल     | WEST BENGAL     | 5523           | 1083921        | 0.27                                       |
| 25                  | अन्य             | OTHERS          | 3171           | 1494936        | 0.38                                       |
|                     | कुल              | Total           | 172313         | 391546079      | 100.00                                     |

17. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर कीमत  
(01.04.2010 से 31.03.2011 तक)

17. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges  
(From 01.04.2010 to 31.03.2011)

| माह          | Month    | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)<br>National Stock Exchange of India Limited (NSE) |                             |  | बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)<br>Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) |                             |  |
|--------------|----------|--|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|
|              |          | उच्चतम (रु.)<br>Highest (₹)  | न्यूनतम (रु.)<br>Lowest (₹) | सौदों की मात्रा<br>(संख्या)<br>Volume Traded<br>(Nos.) | उच्चतम (रु.)<br>Highest (₹)   | न्यूनतम (रु.)<br>Lowest (₹) | सौदों की मात्रा<br>(संख्या)<br>Volume Traded<br>(Nos.) |
| अप्रैल 2010  | APR 2010 | 702.00   | 615.85                      | 14914982   | 701.95  | 616.00                      | 2603626  |
| मई 2010      | MAY 2010 | 726.00   | 653.60                      | 12861573   | 722.70  | 655.20                      | 2146775  |
| जून 2010     | JUN 2010 | 754.50   | 678.25                      | 12603181   | 753.35  | 678.50                      | 1836906  |
| जुलाई 2010   | JUL 2010 | 764.00   | 690.80                      | 9042643  | 762.40  | 695.50                      | 2320588  |
| अगस्त 2010   | AUG 2010 | 848.00   | 750.20                      | 8555922  | 848.00  | 750.30                      | 1985239  |
| सितंबर 2010  | SEP 2010 | 906.00   | 802.30                      | 5982809  | 905.30  | 803.95                      | 1126910  |
| अक्टूबर 2010 | OCT 2010 | 1049.00  | 872.60                      | 10923826   | 1048.65   | 875.30                      | 1991143  |
| नवंबर 2010   | NOV 2010 | 1051.90  | 836.25                      | 6881088  | 1050.00   | 835.00                      | 1586167  |
| दिसंबर 2010  | DEC 2010 | 999.50   | 862.00                      | 6704981  | 999.95  | 860.00                      | 1500897  |
| जनवरी 2011   | JAN 2011 | 906.95   | 805.25                      | 9929651  | 906.50  | 783.50                      | 2592608  |
| फरवरी 2011   | FEB 2011 | 969.00   | 795.25                      | 6603376  | 932.00  | 798.00                      | 1383035  |
| मार्च 2011   | MAR 2011 | 974.00   | 860.40                      | 8446660  | 973.00  | 869.00                      | 1145024  |





18. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय

18. Profile of Directors Appointed During the Financial Year 2010-11

18.1 श्री अजय माथुर

18.1 Shri Ajay Mathur

| नाम   | श्री अजय माथुर  | Name  | Shri Ajay Mathur   |
|---|---|---|--|
| पता   | 168, गोल्फ लिंक्स,<br>नई दिल्ली - 110003  | Address   | 168, Golf Links<br>New Delhi – 110003  |
| जन्मतिथि  | 22.09.1958  | Date of Birth   | 22.09.1958   |
| आयु   | 52 वर्ष   | Age   | 52 Years   |
| योग्यताएं   | 1. बी. कॉम (ऑनर्स)<br>2. एफ. सी. ए.   | Qualifications  | 1) B. Com. (Hons.)<br>2) F.C.A.  |
| निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप              | बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा (9) (3) (जी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 05.05.2010 से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो अंश कालिक अशासकीय निदेशक नामित.   | Nature of appointment as Director                           | Nominated as a part time non-official director w.e.f. 05.05.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.  |
| अनुभव   | श्री अजय कुमार माथुर को सनदी लेखाकार के रूप में 28 वर्षों का पेशेवर अनुभव प्राप्त है तथा कराधान, लेखापरीक्षा एवं एश्युरेन्स सेवाएं, कार्पोरेट परामर्श के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है.<br>वे केनरा बैंक के निदेशक मंडल में 3 वर्षों के लिए सरकार द्वारा नामित निदेशक भी थे. उनकी कार्पोरेट गवर्नेन्स के क्षेत्र में विशेष रुचि है तथा उनके नाम एक प्रकाशन भी प्रकाशित हुआ है. आईसीएआई के प्रकाशित जर्नल में "बैंकों में उत्कृष्ट कार्पोरेट गवर्नेन्स पद्धतियों को सुनिश्चित करने हेतु लेखा परीक्षा समिति की भूमिका" उनका नवीनतम प्रकाशित लेख है. | Experience  | Shri Ajay Mathur has over -28- years of professional experience as Chartered Accountant with specialisation in the area of Taxation, Audit and Assurance Services, Corporate Consulting as well as Mangement and Financial Consultancy.<br>He was also a Government Nominee Director on the Board of Canara Bank, for a period of -3- years.<br>He has keen interest in the field of Corporate Governance and has publication to his credit. The latest one on 'Role of Audit Committee in ensuring Good Corporate Governance Practices in Banks' published in ICAI journal. |
| अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य | शून्य   | Directorship or Committee Positions held in other Companies | NIL  |
| बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या         | शून्य   | No. of Shares held in Bank of Baroda                        | NIL  |



18.2 श्री आर. गांधी

18.2 Shri R. Gandhi

| नाम  | श्री आर. गांधी   | Name   | Shri R. Gandhi   |
|--|--|--|--|
| पता  | 01.04.2011 से कार्यकारी निदेशक<br>भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय,<br>17वां तल, शहीद भगत सिंह रोड,<br>मुंबई-400001   | Address  | Executive Director w.e.f. 01-04-2011<br>Reserve Bank of India, Central Office<br>17th Floor, Shahid Bhagat Singh Road<br>Mumbai – 400001   |
| जन्मतिथि   | 04.04.1956   | Date of Birth  | 04.04.1956   |
| आयु  | 54 वर्ष  | Age  | 54 Years   |
| योग्यता  | 1) एम. ए. (अर्थशास्त्र)<br>2) सी.ए.आई.आई.बी.<br>3) एमआईएस में स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र<br>(यूएसए)<br>4) सिस्टम प्रोग्रामिंग में सर्टिफिकेट (ऑस्ट्रेलिया)<br>5) गांधी विचारधारा में सर्टिफिकेट   | Qualifications   | 1) M. A. (Economics)<br>2) C.A.I.I.B.<br>3) P.G. Certificate in MIS (USA)<br>4) Certificate in System Programming<br>(Australia)<br>5) Certificate in Gandhian Thoughts  |
| निदेशक के रूप में<br>नियुक्ति का स्वरूप                      | बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं<br>अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा (9) (3)<br>(सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 30.07.2010<br>से निदेशक के रूप में नामित. वे आगामी<br>आदेशों तक इस पद पर बने रहेंगे.  | Nature of<br>appointment as<br>Director                              | Nominated as a Director w.e.f. 30.07.2010<br>(representing RBI) by the Central<br>Government u/s 9 (3) (c) of The Banking<br>Companies (Acquisition and Transfer of<br>Undertakings) Act, 1970 to hold the post<br>until further orders.   |
| अनुभव  | श्री गांधी को तीन दशकों का केन्द्रीय<br>बैंकिंग का व्यापक अनुभव प्राप्त है जिसमें<br>प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणालियां, पूंजी बाजार,<br>प्रतिभूतियां, फॉरेक्स, मनी मार्केट, मानव<br>संसाधन प्रबंधन तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग में<br>विशिष्ट अनुभव शामिल हैं. उन्होंने आईटी,<br>भुगतान प्रणालियां, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय<br>समावेशन तथा समृद्ध विकास संबंधी उपायों<br>संबंधी विभिन्न परियोजनाएं आरंभ की हैं.<br>श्री गांधी की सेबी में तीन वर्ष के लिए<br>प्रतिनियुक्ति से पूंजी बाजार के क्षेत्र में उनके<br>अनुभव से नए आयाम जुड़े हैं. | Experience   | Shri R. Gandhi brings with him a rich<br>experience of central banking of over three<br>decades having wide cross functional<br>exposure in technology, payment systems,<br>capital market, securities, forex, money<br>market, human resource management and<br>international banking. He has also piloted<br>several projects on IT, Payment Systems,<br>Financial Literacy, Financial Inclusion and<br>related developmental initiatives.<br>Shri Gandhi's deputaion to SEBI for a<br>three year assignment had added new<br>dimentions to his experience in the area<br>of Capital Market. |
| अन्य कंपनियों में निदेशक<br>अथवा अन्य समिति पदों<br>पर कार्य | शून्य  | Directorship<br>or Committee<br>Positions held in<br>other Companies | NIL  |
| बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित<br>शेयर्स की संख्या                | शून्य  | No. of Shares held<br>in Bank of Baroda                              | NIL  |

**18.3 श्री सत्य देव त्रिपाठी**
**18.3 Shri Satya Dev Tripathi**

| नाम  | श्री सत्य देव त्रिपाठी  | Name  | Shri Satya Dev Tripathi  |
|--|---|---|--|
| पता  | 18/62, इंदिरा नगर,<br>लखनऊ-226016   | Address   | 18 / 62, Indira Nagar<br>Lucknow – 226016  |
| जन्मतिथि   | 05.03.1944  | Date of Birth   | 05.03.1944   |
| आयु  | 66 वर्ष   | Age   | 66 Years   |
| योग्यता  | 1) एम. ए.<br>2) एलएल. बी.   | Qualifications  | 1) M. A.<br>2) LL. B.  |
| निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप                   | बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा (9) 3(एच) एवं (3-ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 31.08.2010 से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित.   | Nature of appointment as Director                           | Nominated as a part time non-official director w.e.f. 31.08.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (h) & (3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a term of three years or until further orders, whichever is earlier.  |
| अनुभव  | श्री सत्य देव त्रिपाठी 1971 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं.<br>श्री त्रिपाठी ने यूनिवर्सिटी तथा समाज सेवा में सार्वजनिक जीवन में विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व पदों पर कार्य किया.<br>उन्होंने 1989 से 1992 तक नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया में वाइस प्रेसीडेंट का पद भी संभाला है.<br>उन्हें उत्तर प्रदेश के इटावा चुनाव क्षेत्र से एमएलए के रूप में चुना गया तथा वे उत्तर प्रदेश में गृह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के पद पर थे. | Experience  | Shri Satya Dev Tripathi has been practising Law in Allahabad High Court since 1971.<br>Shri Tripathi held various leadership positions in the University and public life in the social service.<br>He also held the position of Vice-President – National Co-operative Union of India in 1989 to 1992.<br>He was elected as MLA from Etawah constituency in UP and was Minister of State for Home (with Independent charge) in UP. |
| अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य | शून्य   | Directorship or Committee Positions held in other Companies | NIL  |
| बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या              | शून्य   | No. of Shares held in Bank of Baroda                        | NIL  |



18.4 श्री वी. बी. चव्हाण

18.4 Shri V. B. Chavan

| नाम  | श्री वी. बी. चव्हाण   | Name  | Shri V. B. Chavan  |
|--|---|---|--|
| पता  | बैंक ऑफ बड़ौदा<br>रिटेल लोन फैक्ट्री (पुणे)<br>1187, 69/2, प्रगति चैम्बर्स<br>घोले रोड, पुणे-411005   | Address   | Bank of Baroda<br>Retail Loan Factory (Pune)<br>1187, 69/2, Pragati Chambers<br>Ghole Road<br>Pune - 411 005   |
| जन्मतिथि   | 15.01.1954  | Date of Birth   | 15.01.1954   |
| आयु  | 57 वर्ष   | Age   | 57 years   |
| योग्यता  | 1) बी.एससी (कृषि)<br>2) सीआईआईबी (भाग 1)  | Qualifications  | 1) B. Sc. (Agriculture)<br>2) CAIIB (Part I)   |
| निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप                   | बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा (9) (3) (एफ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 11.03.2011 से तीन वर्ष की अवधि अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी के पद पर रहने अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित.  | Nature of appointment as Director                           | Nominated as Officer Employee Director w.e.f. 11.03.2011 by The Central Government u/s 9 (3) (f) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a Period of three years or till he ceases to be officer of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.      |
| अनुभव  | उन्होंने कृषि अधिकारी के रूप में 07 नवंबर 1977 को कार्यभार संभाला तथा बैंक में उनको तीन दशकों का अनुभव है. उन्होंने कई शाखाओं, वसूली एवं एनपीए विभाग में कार्य किया है. विदेशी विनिमय विभाग के प्रभारी के रूप में कार्य किया है, सीएसओ के प्रमुख के रूप में कार्य किया है तथा वर्तमान में वे पुणे स्थित रिटेल लोन फैक्ट्री के प्रमुख हैं. | Experience  | He joined on 7th November, 1977 as Agriculture Officer and has over 3 decades of experience in the Bank. He has worked in various Branches, Recovery and NPA Department, worked as In-Charge of Foreign Exchange Department, worked as Head of CSO and presently working as Head of Retail Loan Factory at Pune. |
| अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य | शून्य   | Directorship or Committee Positions held in other Companies | NIL  |
| बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या              | 490   | No. of Shares held in Bank of Baroda                        | 490  |





## कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

### बैंक ऑफ बड़ौदा के सदस्यों के लिए,

हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस शर्तों के संदर्भ में बैंक द्वारा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

### To: The Members of Bank of Baroda,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda, for the year ended 31st March 2011, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 000497 एन  
(संजीव नारायण)  
भागीदार  
एम. नं.: 84205

For Ashwani & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 000497N  
(Sanjeev Narayan)  
Partner  
M. No. 84205

कृते एस. के. कपूर एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 000745 सी  
(संजीव कपूर)  
भागीदार  
एम. नं.: 70487

For S. K. Kapoor & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000745C  
(Sanjiv Kapoor)  
Partner  
M. No. 70487

कृते एन. सी. बनर्जी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302081 ई  
(बी. के. बिस्वास)  
भागीदार  
एम. नं.: 055623

For N. C. Banerjee & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 302081E  
(B. K. Biswas)  
Partner  
M. No. 055623

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 103523 डब्ल्यू  
(राकेश राठी)  
भागीदार  
एम. नं.: 045228

For Haribhakti & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 103523W  
(Rakesh Rathi)  
Partner  
M. No. 045228

कृते खिमजी कुंवरजी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 105146 डब्ल्यू  
(गौतम शाह)  
भागीदार  
एम. नं.: 117348

For Khimji Kunverji & Co  
Chartered Accountants  
FRN: 105146W  
(Gautam Shah)  
Partner  
M No.117348

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 000511 एस  
(के. जितेंद्र कुमार)  
भागीदार  
एम. नं.: 201825

For Brahmayya & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000511S  
(K. Jitendra Kumar)  
Partner  
M No.201825



बीसीसीआईएसडी:103/361  
प्रिय शेयरधारको,

24.05.2011

**विषय : कार्पोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) उपाय**

कार्पोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्पोरेट कार्यों के मंत्रालय (एमसीए) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों की अनुपालना में अपने परिपत्रांक 17/2011 दिनांक 21 अप्रैल, 2011 के द्वारा कम्पनियों को पेपर रहित कार्य अनुपालन की अनुमति प्रदान कर दी है।

**पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) उपायों के लाभ :**

1. कागज की खपत में कमी
2. हरित परिवेश के लिए योगदान
3. त्वरित संप्रेषण सुनिश्चित करना
4. डाक पहुंचने में लगने वाले समय की बचत
5. कागज तथा डाक व्यय की लागतों की बचत

इस संदर्भ में हमारे बैंक के शेयर धारकों को भेजे जाने वाले बैठकों के नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य संदेश बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकों) विनियम-1998 सूचीकरण करार तथा अन्य प्रयोजन अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित करने का प्रस्ताव है। कृपया नोट करें कि हमारा बैंक इन दस्तावेजों को बैंक की वेबसाइट : [www.bankofbaroda.com](http://www.bankofbaroda.com) पर भी अपलोड करेगा।

**ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर डिमेट फार्म में हैं :**

1. विभिन्न डिपोजिटरीज के पास उपलब्ध हिताधिकारी स्वामी (बीओ) डाटा का अवलोकन करने से पता चलता है कि हमारे कई शेयरधारकों के पास शेयर डिमेट फार्म में हैं तथा उन्होंने अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास अपनी इलेक्ट्रॉनिक मेल आइडेंटिफिकेशन डायरेक्टरी (ईमेल आइडी) रजिस्टर करवायी है।
2. यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो कृपया अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ईमेल आइडी रजिस्टर करवा दें ताकि आपको सभी सूचनाएं/संदेश ई मेल के माध्यम से मिल सकें।
3. वित्तीय वर्ष 2011-12 से हमारा बैंक विभिन्न प्रलेख भेजने के लिए डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास रजिस्टर ई मेल आइडी का उपयोग करेगा।
4. फिर भी, यदि आप संबद्ध प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तथा इन्हे भौतिक रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमें इस आशय का ई मेल [investorservices@bankofbaroda.com](mailto:investorservices@bankofbaroda.com) पर भेज दें। कृपया अपने नाम तथा डिमेट खाता विवरण (डी पी आईडी, डी पी नाम तथा ग्राहक आइडी) का उल्लेख अवश्य करें।

**ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं :**

हमारे ऐसे शेयर धारक जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं तथा वे संदेश सूचनाएं ई मेल के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो वे कृपया यहां दिए गए आवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर कर निम्नलिखित को भिजवा दें।

- (क) बैंक ऑफ़ बड़ौदा की निकटतम शाखा  
(ख) इस पत्र / पृष्ठ के नीचे दिए गए पते पर स्थित निवेशक सेवाएं विभाग को भेज दें।  
(ग) हमारे रजिस्ट्रार को नीचे दिए गए पते पर  
मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि. (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)  
प्लॉट नं. 17 से 24, इमेज हॉस्पिटल के पास, विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081  
फोन नं. 040-2342 0815 से 820, फैक्स नं. 040-2342 0814  
ई मेल : [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com)

हमारे शेयरधारकों के लिए बैंक के कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) प्रयास में सहभागी बनने का यह उचित अवसर है।

हमें आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है।

भवदीय

**राजीव बक्षी**

(आर. के. बक्षी)

कार्यकारी निदेशक

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, निवेशक सेवाएं विभाग, पहली मंजिल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051  
फोन नं. 91-22-66985812/49, फैक्स नं. 91-22-26526660, ई मेल [companysecretary.bcc@bankofbaroda.com](mailto:companysecretary.bcc@bankofbaroda.com)

कंपनी सचिव

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

निवेशक सेवाएं विभाग, पहली मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर,

सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

प्रिय महोदय,

मैं / हम \_\_\_\_\_ बैंक ऑफ़ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) उपायों के एक प्रयास के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई मेल आइडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते हैं। मेरे / हमारे पास बैंक के \_\_\_\_\_ शेयर भौतिक रूप में हैं।

फोलियो नम्बर : \_\_\_\_\_ ई मेल आइडी : \_\_\_\_\_

मैं / हम इस आशय का वचन देता हूँ / देते हैं कि मेरे / हमारे ई मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा। मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई मेल हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम बैंक ऑफ़ बड़ौदा, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे।

धारक के हस्ताक्षर

दिनांक





BCC:ISD:103/361

24<sup>th</sup> May 2011

Dear Shareholder,

**Sub: Green Initiative in Corporate Governance**

In order to promote the "Green Initiative in Corporate Governance", the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circular No.17/2011 dated 21 April 2011 has allowed paperless compliances by the Companies pursuant to the provisions of the Information Technology Act, 2000.

**Advantages of Green Initiative**

1. Reduction in paper consumption
2. Contribution towards a greener environment
3. Ensure prompt receipt of communication
4. Avoid loss in postal transit
5. Savings in paper and postage costs

In this connection, our Bank proposes to send Notices of the Meetings, Annual Reports and other communication to the shareholders under the provisions of the Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations - 1998, Listing Agreement and other applicable enactments, in electronic form. Please note that our Bank would be also uploading these documents in its website: [www.bankofbaroda.com](http://www.bankofbaroda.com)

**Shareholders holding Shares in Demat form:**

1. It is observed from the data of Beneficiary Owners (BO) with the Depositories that many of our shareholders are holding shares in demat form and have registered an Electronic Mail Identification Directory (email ID) with their Depository Participant.
2. Please **register your e-mail ID with your Depository Participant**, if not done so far to receive all the communication through e-mail.
3. Henceforth our Bank shall be using the e-mail ID registered with Depository Participants for service of documents from the financial year 2011-12.
4. However, in case you **do not wish** to receive the documents electronically and prefer to receive the same in physical mode, please email to us at [investorservices@bankofbaroda.com](mailto:investorservices@bankofbaroda.com). Kindly quote your Name and Demat account particulars (DP ID, DP Name and Client ID).

**Shareholders holding Shares in Physical form:**

Our shareholders holding physical shares and who intend to receive communication through e-mail are requested to send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to:

- (a) Nearest Bank of Baroda branch
- (b) Investor Services Dept. at the address given in the footer of this Communication or
- (c) Our Registrars at their address given hereunder:

M/S Karvy Computershare Private Ltd., (Unit: Bank of Baroda), Plot No.17 to 24, Near Image Hospital, Vittalrao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081, Phone No. 040 – 2342 0815 to 820, Fax No. 040 – 2342 0814  
e-mail : [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com)

**This is also the right opportunity for shareholders to contribute to the Green initiative of the Bank as part of Corporate Social Responsibility.**

**Looking forward to your active support.**

Yours sincerely,

**(R. K. Bakshi)**  
**Executive Director**

**Baroda Corporate Centre**, Investors' Services Department, 1<sup>st</sup> Floor, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051  
Tel.: 91 22 66985812 / 46, Fax : 91 22 26526660, E-mail : [companysecretary.bcc@bankofbaroda.com](mailto:companysecretary.bcc@bankofbaroda.com)

The Company Secretary  
Bank of Baroda  
Investors' Services Department, 1<sup>st</sup> floor,  
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Date:

Dear Sir,

I/ We \_\_\_\_\_ holding \_\_\_\_\_ shares of Bank of Baroda in physical form, intend to receive all communication from Bank of Baroda through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of Baroda.

Folio Number: \_\_\_\_\_ Email ID: \_\_\_\_\_

I/ We also undertake that the communication received through my/ our email ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of Baroda. I/ We further undertake that we would not hold Bank of Baroda, any of its employees, Registrars or its employees, responsible in case the communication is not properly received at my/ our email ID due to any technical/ other failures.

\_\_\_\_\_  
Signature of First Holder



### घोषणा-पत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार की धारा 49(I) (डी) के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से घोषणा

घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 (I) (डी) में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है।

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा

*एम. डी. मल्ल्या*

(एम. डी. मल्ल्या)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 20 मई, 2011

### DECLARATION

Declaration of the Chairman and Managing Director pursuant to clause 49 (I) (D) of Listing Agreement with Stock Exchanges.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2011 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

*M. D. Mallya*

(M. D. Mallya)  
Chairman and Managing Director

Place : Mumbai  
Date : 20th May, 2011



## बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण Basel II Pillar 3 disclosures

दिनांक 31.03.2011 को भारतीय रिज़र्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अनुसार पिलर 3 के अंतर्गत प्रकटीकरण (सोलो आधार पर)

Disclosures (on solo basis) under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel II) of Reserve Bank of India as on 31.03.2011

### I. अनुप्रयोग का क्षेत्र

- क. प्रकटीकरण का फ्रेमवर्क बैंक ऑफ बड़ौदा पर सोलो आधार पर लागू होता है, जो कि समूह में सर्वोच्च बैंक है।
- ख. बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार की अनुषंगियां, सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उद्यम हैं :

### I. Scope of application

- a. The framework of disclosures applies to Bank of Baroda, on solo basis, which is the top bank in the group
- b. The Bank has following Subsidiaries Associates and Joint ventures – both domestic and foreign:

| क्रम संख्या<br>Sr. No. | अनुषंगी का नाम                                 | Name of the subsidiary                  | स्वामित्व की सीमा<br>Extent of ownership |
|------------------------|--|---|--|
|                        | <b>अनुषंगी (घरेलू)</b>                         | <b>SUBSIDIARY (DOMESTIC)</b>            |  |
| i                      | नैनीताल बैंक लिमिटेड                           | Nainital Bank Limited                   | 98.57%                                   |
| ii.                    | बॉबकार्ड्स लिमिटेड                             | BOBCARDS Limited                        | 100.00%                                  |
| iii.                   | बॉब केपिटल मार्केट लिमिटेड                     | BOB Capital Market Limited              | 100.00%                                  |
|                        | <b>अनुषंगी (विदेशी)</b>                        | <b>SUBSIDIARY (FOREIGN)</b>             |  |
| iv.                    | बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के.) लिमिटेड                | Bank of Baroda (U.K.) Ltd               | 100.00%                                  |
| v.                     | बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगान्डा) लिमिटेड              | Bank of Baroda (Uganda) Ltd.            | 80.00%                                   |
| vi.                    | बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड                | Bank of Baroda (Kenya) Ltd.             | 86.70%                                   |
| vii.                   | बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) इंक.                   | Bank of Baroda (Guyana) Inc.            | 100.00%                                  |
| viii.                  | बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लिमिटेड            | Bank of Baroda (Botswana) Ltd.          | 100.00%                                  |
| ix.                    | बैंक ऑफ बड़ौदा (तंज़ानिया) लिमिटेड             | Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.          | 100.00%                                  |
| x.                     | बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो) लिमिटेड | Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. | 100.00%                                  |
| xi.                    | बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड                  | Bank of Baroda (Ghana) Ltd              | 100.00%                                  |
| xii.                   | बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड           | Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.       | 100.00%                                  |

बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी सहायक इकाइयां भी हैं।

The Bank also has following Associates both domestic and foreign:

| क्रम संख्या<br>Sr. No. | सहायक इकाई का नाम                            | Name of the associate                           | स्वामित्व की सीमा<br>Extent of ownership |
|------------------------|--|---|--|
|                        | <b>सहायक इकाइयां (घरेलू)</b>                 | <b>ASSOCIATES (DOMESTIC)</b>                    |  |
| i                      | बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | Baroda Pioneer Asset Management Company Limited | 49.00%                                   |
| ii                     | झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक             | Jhabua Dhar K G Bank                            | 35.00%                                   |
| iii                    | नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक      | Nainital Almora K G Bank                        | 35.00%                                   |
| iv                     | बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक                   | Baroda Gujarat Gramin Bank                      | 35.00%                                   |
| v                      | बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक                 | Baroda Rajasthan Gramin Bank                    | 35.00%                                   |
| vi                     | बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक                     | Baroda U P Gramin Bank                          | 35.00%                                   |
|                        | <b>सहायक इकाइयां (विदेशी)</b>                | <b>ASSOCIATE (FOREIGN)</b>                      |  |
| vii                    | इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड                  | Indo Zambia Bank Limited                        | 20.00%                                   |

बैंक के निम्नलिखित घरेलू संयुक्त उद्यम हैं।

The Bank has following domestic Joint Venture.

| क्रम संख्या<br>Sr. No. | संयुक्त उद्यम का नाम                       | Name of the Joint Venture                 | स्वामित्व की सीमा<br>Extent of ownership |
|------------------------|--|---|--|
|                        | <b>संयुक्त उद्यम (घरेलू)</b>               | <b>Joint Venture (DOMESTIC)</b>           |  |
| i                      | इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | IndiaFirst Life Insurance Company Limited | 44.00%                                   |
|                        | <b>संयुक्त उद्यम (विदेशी)</b>              | <b>Joint Venture (FOREIGN)</b>            |  |
| i                      | इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.    | India International Bank (Malaysia) Bhd.  | 40.00%                                   |



भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखा मानदंड क्रमशः 21, 23 तथा 27 के अनुसार समेकित खाता विवरणी में अनुषंगियों, सहायक इकाइयों तथा संयुक्त उद्यमों को पूर्णतः समेकित किया गया है.

- ग. किसी अनुषंगी के मामले में पूंजी की कोई कमी नहीं है.
- घ. बैंक का बीमा संस्थान में निम्न विवरणानुसार हित शामिल है.
  - I. बीमा संस्थान में बैंक के कुल निवेश (हित) का विद्यमान बही मूल्य - ₹148.81 करोड़.
  - II. नाम- इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड.
  - III. निगमित देश - भारत.
  - IV. स्वामित्व के हित का अनुपात - 44%.

बैंक ने अपनी पूंजी में से ₹148.81 करोड़ आहरित कर अपनी शेयर धारिता के रूप में इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. में निवेश किए हैं.

## II. पूंजीगत ढांचा

- क. बैंक की टियर - I पूंजी में शेयर पूंजी, नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत तथा विभिन्न प्रकार की प्रारक्षित निधियां शामिल हैं. टियर - II पूंजी में पुनर्मूल्यांकन निधियां (भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार डिस्काउण्टेड), सामान्य हानि निधि, मानक अस्तियों पर प्रावधान, उच्च टियर - II तथा निम्न टियर - II पूंजी शामिल हैं. उच्च टियर II पूंजी में विदेशी बाजार में जारी एमटीएन बॉण्ड भी शामिल हैं. बेजमानती प्रतिदेय ऋणों की अवधि इस प्रकार हैं :

उच्च टियर 2 पूंजी :

| शृंखला                        | Series                       | ब्याजदर Interest Rate (%) | परिपक्वता की तारीख Date of maturity   | राशि करोड़ रु. में Amount in ₹ Crs. |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| शृंखला VII                    | Series VII                   | 9.30                      | 28.12.2022  | 500.00                              |
| शृंखला VIII                   | Series VIII                  | 9.30                      | 04.01.2023  | 1000.00                             |
| शृंखला IX                     | Series IX                    | 9.15                      | 04.03.2024  | 1000.00                             |
| शृंखला XI                     | Series XI                    | 8.38                      | 08.06.2024  | 500.00                              |
| शृंखला XII                    | Series XII                   | 8.54                      | 08.07.2024  | 500.00                              |
| शृंखला XIII                   | Series XIII                  | 8.48                      | 31.05.2025  | 500.00                              |
| शृंखला XIV                    | Series XIV                   | 8.48                      | 30.06.2025  | 500.00                              |
| शृंखला XV                     | Series XV                    | 8.52                      | 10.08.2025  | 500.00                              |
| एमटीएन टियर II बॉण्ड (विदेशी) | MTN Tier II Bonds (Overseas) | 6.625                     | 25.05.2022<br>( 25.5.2017 को कॉल ऑप्शन के साथ with call option on 25.05.2017) | 1337.88                             |
| कुल TOTAL                     |                              |                           |   | 6337.88                             |

निम्न टियर 2 पूंजी

Lower Tier 2 Capital:

| शृंखला    | Series    | ब्याजदर Interest Rate (%) | परिपक्वता की तारीख Date of maturity | राशि करोड़ रु. में Amount in ₹ Cr |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| शृंखला IV | Series IV | 5.85                      | 02.07.2014                          | 300.00                            |
| शृंखला V  | Series V  | 7.45                      | 28.04.2015                          | 770.00                            |
| शृंखला VI | Series VI | 8.95                      | 15.05.2016                          | 920.00                            |
| शृंखला X  | Series X  | 8.95                      | 12.04.2018                          | 500.00                            |
| कुल TOTAL |           |                           |                                     | 2490.00                           |

The Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are consolidated in the Consolidated Statement of Accounts as per Accounting Standard 21, 23 and 27 respectively of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

- c. There is no deficiency of capital in respect of any subsidiary.
- d. The Bank has interest in the Insurance entity as per the details given below.
  - I. The current Book value of Bank's total interest in the insurance entity – ₹148.81 crores.
  - II. Name – IndiaFirst Life Insurance Company Limited.
  - III. Country of Incorporation – India
  - IV. The proportion of ownership interest – 44%

The bank has deducted the investment of Rs.148.81 crores from its capital in respect of its equity holding in IndiaFirst Life Insurance Company Limited.

## II . Capital structure

- a. The Tier-I capital of the Bank consists of equity capital, Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) and various types of reserves. The Tier-II capital consists of Revaluation Reserves (discounted as per provisions of RBI), General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier II Capital and Lower Tier II capital. Upper Tier II capital also consists of MTN Bonds issued in overseas market. The terms of unsecured redeemable debts are as under:

Upper Tier 2 Capital:



ख. बैंक की टियर - I पूंजी इस प्रकार है :

b. The Tier 1 capital of the bank is as under:

(राशि करोड़ रु. में Amount in ₹ Crore)

| i   | कुल टियर - I पूंजी जिसमें से                                  | i   | Total Tier I Capital Out of which:      | 21612.95 |
|-----|---|-----|---|----------|
| ii  | प्रदत्त शेयर पूंजी  | ii  | Paid up share capital                   | 392.81   |
| iii | पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों के अलावा प्रारक्षित निधियां | iii | Reserves excluding revaluation reserves | 19308.44 |
| iv  | नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत                                    | iv  | Innovative Perpetual Debt Instrument    | 1911.70  |
| v   | कटौतियां  | v   | Deductions                              | 638.72   |
| vi  | पात्र टियर I पूंजी  | vi  | Eligible Tier I Capital                 | 20974.23 |

ग. बैंक की कुल टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी में से शुद्ध कटौती) 9509.19 करोड़ रूपए है.

c. The Total amount of Tier 2 capital of the bank (net of deduction from tier 2 capital) is Rs. 9509.19 Crore.

घ. उच्च टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं:

d. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital are:

(करोड़ रु. में Rs. in Crores)

|   |   |         |
|---|---|---------|
| बकाया कुल राशि  | Total amount outstanding                        | 6337.88 |
| जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि                | Of which amount raised during the current year  | 1500.00 |
| पूंजीगत निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि | Amount eligible to be reckoned as capital funds | 6337.88 |

ङ. निम्न टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं :

e. Subordinated debt capital instruments eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital are:

b. (करोड़ रु. में Rs. in Crores)

|   |   |         |
|---|---|---------|
| बकाया कुल राशि  | Total amount outstanding                        | 2490.00 |
| जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि                | Of which amount raised during the current year  | 0.00    |
| पूंजीगत निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि | Amount eligible to be reckoned as capital funds | 2216.00 |

च. पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए टियर I और टियर II पूंजी में से निम्नानुसार कटौती की गई है.

f. For computation of Capital Adequacy, deductions as under have been done from Tier I and Tier II capital:

(करोड़ रु. में Rs. in Crores)

| क्रम संख्या<br>Sr. No. | कटौती का स्वरूप                                      | Nature of Deduction   | टियर I से कटौती<br>Deduction from Tier I | टियर II से कटौती<br>Deduction from Tier II |
|------------------------|--|---|--|--|
| 1.                     | प्रतिभूतिकरण लेन देन के बारे में ऋण बढ़ोत्तरी गारंटी | Credit enhancement guarantee in respect of securitization transaction | 5.74                                     | 5.74                                       |
| 2.                     | अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम/सहयोगी इकाइयों में निवेश    | Investment in subsidiaries/ JV / Associates                           | 632.98                                   | 632.98                                     |
| 3.                     | कुल  | Total   | 638.72                                   | 638.72                                     |



छ. कुल पात्र पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं :

g. The total eligible capital comprises of:

(करोड़ रु. में Rs. in Crores)

|                 |                   |          |
|-----------------|-------------------|----------|
| टियर - I पूंजी  | Tier – I Capital  | 20974.23 |
| टियर - II पूंजी | Tier – II Capital | 9509.19  |
| कुल             | TOTAL             | 30483.42 |

### III. पूंजी पर्याप्तता

क. बैंक जमाकर्ताओं तथा सामान्य ऋणदाताओं को अप्रत्याशित हानियों से सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोजरों, व्यवसाय इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम से बचाव के लिए पूंजी की व्यवस्था रखता है, बैंक के पास नियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों के लिए एकीकृत जोखिम / पूंजी मॉडल तैयार करने हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है ताकि सभी जोखिमों एवं उचित पूंजी आबंटन को व्यापक रूप से मूल्यांकित किया जा सके.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है.

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक ज़रूरतों तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है. बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है. पूंजीगत आयोजन की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता.
- कारोबार रणनीति, नीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा धारणीय पूंजी
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है.

पूंजीगत योजना को वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है. बैंक की नीति आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (न्यूनतम 12% पूंजी पर्याप्तता अनुपात या समय-समय पर बैंक के निर्णयानुसार) में निर्धारित पूंजी को बनाए रखना है, इसके साथ ही बैंक की नीति भविष्य में कारोबार वृद्धि के लिए पूंजी को बनाये रखना है ताकि आवश्यक न्यूनतम पूंजी को सतत आधार पर बनाए रखा जा सके. अनुमान के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से टियर - I या टियर - 2 में पूंजी संगृहीत करता है. बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा की जाती है. और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को भी प्रस्तुत किया जाता है.

ख) 31.03.2011 तक बैंक के जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए), न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता तथा वास्तविक पूंजी पर्याप्तता की स्थिति निम्नानुसार है.

### III. Capital Adequacy

a. Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document all risks and to provide appropriate capital so as to evolve a fully integrated risk/ capital model for both regulatory and economic capital.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at the times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy, policy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

The capital plan is revised on an annual basis. The policy of the bank is to maintain capital as prescribed in the ICAAP Policy (minimum 12% Capital Adequacy Ratio or as decided by the Bank from time to time). At the same time, Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with due approval of its Board of Directors. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis and the same is submitted to RBI also.

b. The position of Bank's Risk Weighted Assets (RWA), Minimum Capital requirement and Actual Capital Adequacy as on 31.03.2011 are as under:



| (i) ऋण जोखिम :   | (i) credit risk :   | आरडब्ल्यूए (बासेल-II)/पूँजी RWA(Basel-II)/Capital (राशि करोड़ ₹ में/ Amount in ₹ Crore) |
|--|---|---|
| ऋण जोखिम के संबंध में मानकीकृत पद्धति के अध्यक्षीन संविभाग (आरडब्ल्यूए)                  | Portfolios subject to standardised approach in respect of credit risk               | 187744.44   |
| प्रतिभूतिकरण एक्पोजर (आरडब्ल्यूए)  | Securitisation exposures (RWA)  | शून्य/NIL   |
| ऋण जोखिम में कुल जोखिम धारित आस्तियां  | Total RWAs in Credit Risk   | 187744.44   |
| आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से ऋण जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता                    | Minimum Capital Requirement for Credit Risk @9.00% of the RWAs                      | 16896.99  |
| <b>(ii) बाजार जोखिम :</b>  | <b>(ii) market risk :</b>   |   |
| ब्याज दर जोखिम (आरडब्ल्यूए)  | Interest rate risk (RWA)  | 6021.44   |
| विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) (आरडब्ल्यूए)                                    | Foreign exchange risk (including gold) (RWA)  | 225.00  |
| इक्विटी जोखिम  | Equity risk (RWA)   | 4568.38   |
| बाजार जोखिम के संबंध में कुल आरडब्ल्यूए  | Total RWAs in respect of Market Risk  | 10814.82  |
| आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता                 | Minimum Capital Requirement for Market Risk @9.00% of the RWAs                      | 973.33  |
| <b>(iii) परिचालन जोखिम :</b>   | <b>(iii) operational risk :</b>   |   |
| आधारभूत संकेतक पद्धति  | Basic indicator approach (RWA)  | 11331.22  |
| आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता               | Minimum Capital Requirement for Operational Risk @9.00% of the RWAs                 | 1019.81   |
| <b>(iv) कुल आरडब्ल्यूए, पूँजी एवं सीआरएआर</b>  | <b>(iv) Total RWA, Capital &amp; CRAR</b>   |   |
| ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के लिए कुल आरडब्ल्यूए  | Total RWAs in respect of Credit, Market & operational Risk                          | <b>209890.48</b>  |
| आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता | Minimum Capital Requirement for Credit Market & Operational Risk @9.00% of the RWAs | 18890.14  |
| <b>(v) वास्तविक स्थिति</b>   | <b>(v) Actual Position</b>  |   |
| पात्र टियर I पूँजी   | Eligible Tier I Capital   | 20974.23  |
| पात्र टियर II पूँजी  | Eligible Tier II Capital  | 9509.19   |
| कुल पात्र पूँजी  | Total Eligible Capital  | <b>30483.42</b>   |
| बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कुल पूँजीगत अनुपात   | Total capital ratio for Bank of Baroda:   |   |
| सीआरएआर  | CRAR  | <b>14.52%</b>   |
| कुल आरडब्ल्यूए के लिए टियर I पूँजी   | Tier I capital to Total RWA   | 9.99%   |
| कुल आरडब्ल्यूए के लिए टियर II पूँजी  | Tier II capital to Total RWA  | 4.53%   |

#### IV. ऋण जोखिम के संदर्भ में सामान्य प्रकटीकरण

क. बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :

**गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) :** गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए मूलधन का ब्याज तथा / या किस्त. अतिदेय हो जाती है.
- ओवर ड्राफ्ट / नकद उधार (ओ डी / सी सी) के संबंध में खाता अनियमित रहता है.
- खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया अतिदेय रहते हैं.

#### IV. General disclosures in respect of Credit Risk

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

**NON PERFORMING ASSETS (NPA):** A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,



- iv) अल्पावधि फसलों के लिए दो फसली मौसमों हेतु मूल राशि की किस्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है.
- v) लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसली मौसम हेतु मूल राशि की किस्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है.

किसी भी खाते को 'अनियमित' खाते के रूप में माना जाएगा यदि खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि 90 दिन से अधिक बकाया रहती हो. ऐसे मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहाँ तुलन-पत्र की तारीख को निरन्तर रूप से 90 दिनों के लिए अथवा उसी अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज की वसूली हेतु जमा राशि शेष नहीं हो तो ऐसे खातों को 'अनियमित' खाते की श्रेणी में माना जायेगा.

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी ऐसी राशि को 'अतिदेय' माना जायेगा यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख को अदा नहीं की जाती है.

### गैर निष्पादक निवेश (एन पी आई)

प्रतिभूतियों के संबंध में जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है, बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए समुचित प्रावधान करता है.

गैर निष्पादक निवेश (एनपीआई) जो गैर निष्पादक अग्रिम (एनपीए) के समान ही है, उसे कहते हैं जहाँ :

- (i) ब्याज / किस्त (परिपक्व प्राप्ति) सहित देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदा रहता है.
- (ii) यह अधिमान शेषों पर जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होता है.
- (iii) इक्विटी शेषों के मामले में, जहाँ किसी कंपनी के शेषों के निवेश करने पर मूल्य प्रति कंपनी 1/- रुपये किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार अद्यतन तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण उन इक्विटी शेषों की गणना भी एनपीआई के रूप में की जाती है.
- (iv) यदि निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए है तो उस निर्गमकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में निवेश को एनपीआई तथा विलोमतः माना जाएगा.
- (v) डिबेंचर / बांड में निवेश जो कि अग्रिम के रूप में माने जाते हैं, निवेश पर लागू होने वाले एनपीआई मानदंड के अधीन हैं.

बैंक की गैर निष्पादक अस्तियों को आगे निम्नलिखित -3- श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.

#### ● अवमानक अस्तियां

अवमानक अस्ति से अभिप्राय, ऐसी अस्ति से है जो कि 12 महीनों की अवधि से कम अथवा उस के समतुल्य अवधि के लिए गैर निष्पादक अस्ति रही हो.

#### ● संदिग्ध अस्तियां

किसी भी अस्ति को, 12 महीनों के लिए अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में उसे संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा.

#### ● हानि वाली अस्तियां

हानि वाली अस्ति से अभिप्राय ऐसी अस्ति से है जहां हानि बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पता चली हो. हानि वाली अस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, बकाया शेष / देयों का 10% से अधिक नहीं होता है.

- IV. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- V. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

### Non Performing Investments (NPI)

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- (i) Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- (ii) This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- (iii) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- (iv) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- (v) The investments in debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

**Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:**

#### ● Sub standard Assets

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

#### ● Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

#### ● Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection. In loss assets realizable value of security available is less than 10% of balance outstanding/ dues.

**ख. कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं**

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति एवं निवेश नीति है जो निम्नानुसार है :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर (ऋण) सीमाएं, ऋणियों के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप और उद्योग
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता
- बैंक में विभिन्न स्तरों के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार
- ऋण वितरण प्रक्रिया- स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली आदि के संबंध में प्रक्रियाएं
- मूल्य निर्धारण

**ग. ऋण जोखिम दर्शन, बैंक की संरचना और प्रणाली निम्नानुसार हैं**
**ऋण जोखिम दर्शन**

- जोखिम प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा, कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि शेयर धारकों के आर्थिक मूल्य में बढ़ोत्तरी हो तथा सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों.
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनायें ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके.
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के अभिनियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य प्राप्त किए जाएं.
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टॉफ को सहयोग प्रदान करना.
- विभिन्न ऋणी वर्गों को आवश्यकता पर आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना.
- स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत मानिटरिंग, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कदम उठाते हुए ऋण प्रबंधन कौशल को प्रभावी बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके.
- गुणवत्ता मूल्यांकन एवं तत्परता के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुपातना अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हुए ऋण प्रस्तावों पर कार्यवाही करना.
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं की विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य प्राधिकारियों, निवेश मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देश, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना.

**बैंक की संरचना और प्रणालियां**

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है.
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, ऋण प्रदान करने संबंधी नीतियों और बैंक की उद्यमवार जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देखरेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है.

**b. Strategies and Processes**

The bank has a well defined Loan Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit – pre-sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

**c. The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under**
**Credit Risk Philosophy**

- To optimize the risk and return envisaged in order to see that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speedy delivery, in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

**Architecture and Systems of the Bank**

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.



- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना.
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष निर्धारित सीमाओं के तहत पहचान, स्तर, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखते हैं.
- बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार किए गए जोखिम मानदंड तथा संभावना सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना.
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस का विकास करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देखरेख, समस्याओं की पहचान, कमी को पूरा करना.
- संविभाग मूल्यांकन करना, अर्थव्यवस्था, उपयोग पर तुलनात्मक विवेचना तैयार करना, ऋण संविभाग पर लचीलेपन का परीक्षण करना.
- तैयार किए गए नियमों और मार्ग निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना.

**घ. जोखिम रिपोर्टिंग की संभावनाएं व प्रकृति और/अथवा आकलन पद्धति**

बैंक के पास अपने ऋण जोखिम के लिए कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली उपलब्ध है. ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता देखरेख, बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न मानदंडों को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमतों को लचीला बनाना शामिल हैं.

बैंक की कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जा रहे स्वरूप और विश्व की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह बैंक को ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं का निर्धारण करने तथा चूक की गंभीरता का पता लगाने में सहयोग करती हैं और इस प्रकार यह प्रणाली बैंक को पद्धति निर्माण तथा आस्ति गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करती है.

**इ. ऋण जोखिम के संबंध में मात्रात्मक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:**

| उद्योग   | Industry  | निधि आधारित<br>Fund based | गैरनिधि आधारित<br>Non Fund Based | कुल<br>Total |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| (i) कुल सकल ऋण जोखिम बकाया शेष (वैश्विक)           | (i) Total gross credit risk outstanding balance (global)      | 231325.53                 | 42065.47                         | 273391.00    |
| (ii) बकाया शेष का भौगोलिक वितरण                    | (ii) Geographic distribution of outstanding balance           |                           |                                  |              |
| 1. घरेलू   | 1. Domestic   | 171801.48                 | 33094.97                         | 204896.45    |
| 2. ओवरसीज  | 2. Overseas   | 59524.05                  | 8970.50                          | 68494.55     |
| (iii) बकाया शेष का उद्योग के रूप में वितरण (घरेलू) | (iii) Industry distribution of outstanding balance (Domestic) |                           |                                  |              |
| उद्योग   | Industry  |                           |                                  |              |
| कोयला  | COAL  | 89.42                     | 80.59                            | 170.01       |
| खनन  | MINING  | 800.19                    | 225.39                           | 1025.58      |
| लोहा एवं इस्पात                                    | IRON & STEEL  | 8081.70                   | 3262.02                          | 11343.72     |
| अन्य धातु एवं धातु उत्पाद                          | OTHER METALS & METAL PRODUCT                                  | 2555.81                   | 668.36                           | 3224.17      |
| सभी इंजीनियरिंग                                    | ALL ENGINEERING   | 5427.73                   | 4339.55                          | 9767.28      |

- Formulating policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, monitoring quality of loan portfolio, identification of problems and correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.,
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

**d. The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System**

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

The bank's robust credit risk rating system is based on internationally adopted frameworks and global best practices and assists the bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allow the bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

**e. The Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk are as under:**

31.03.2011 को As on 31.03.2011  
(शेष राशि करोड़ रु. में Balance Amount in Rs. Crores)





| उद्योग                                 | Industry                        | निधि आधारित<br>Fund based | गैरनिधि आधारित<br>Non Fund Based | कुल<br>Total |
|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स               | OF WHICH : ELECTRONICS          | 1491.55                   | 344.48                           | 1836.03      |
| इलेक्ट्रिसिटी (जेनरेशन एवं ट्रांसमिशन) | ELECTRICITY (GEN. & TRANS.)     | 8018.35                   | 232.82                           | 8251.17      |
| कॉटन टेक्सटाइल्स                       | COTTON TEXTILES                 | 3538.88                   | 305.73                           | 3844.61      |
| जूट टेक्सटाइल्स                        | JUTE TEXTILES                   | 112.06                    | 41.51                            | 153.56       |
| अन्य टेक्सटाइल्स                       | OTHERS TEXTILES                 | 4849.66                   | 805.18                           | 5654.84      |
| चीनी                                   | SUGAR                           | 803.47                    | 8.22                             | 811.69       |
| चाय                                    | TEA                             | 33.40                     | 0.54                             | 33.94        |
| फूड प्रोसेसिंग                         | FOOD PROCESSING                 | 2065.33                   | 211.26                           | 2276.59      |
| वेजिटेबल ऑयल (वनस्पति सहित)            | VEGETABLE OILS (INCL.VANASPA    | 474.59                    | 906.99                           | 1381.58      |
| तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद             | TOBACCO & TOBACCO<br>PRODUCTS   | 144.32                    | 2.77                             | 147.09       |
| कागज एवं कागज उत्पाद                   | PAPER & PAPER PRODUCTS          | 1058.45                   | 241.42                           | 1299.86      |
| रबर, एवं रबर उत्पाद                    | RUBBER & RUBBER PRODUCTS        | 725.48                    | 91.53                            | 817.01       |
| केमिकल, ड्राई पेंट्स एवं फार्मा.       | CHEMICALS,DYES,PAINTS &<br>PHAR | 5013.88                   | 1439.04                          | 6452.91      |
| इनमें से                               | OF WHICH :                      |                           |                                  |              |
| फर्टिलाइजर्स                           | FERTILIZERS                     | 483.09                    | 547.83                           | 1030.92      |
| पेट्रो केमिकल्स                        | PETRO-CHEMICALS                 | 325.87                    | 120.11                           | 445.98       |
| ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स              | DRUGS & PHARMACEUTI             | 1990.71                   | 205.60                           | 2196.31      |
| सीमेंट                                 | CEMENT                          | 838.68                    | 106.82                           | 945.50       |
| लेदर एवं लेदर उत्पाद                   | LEATHER & LEATHER PRODUCTS      | 329.27                    | 88.00                            | 417.28       |
| जेम्स एवं ज्वेलरी                      | GEMS & JEWELLERY                | 856.40                    | 58.14                            | 914.54       |
| निर्माण                                | CONSTRUCTION                    | 3641.64                   | 794.98                           | 4436.62      |
| पेट्रोलियम                             | PETROLEUM                       | 3422.14                   | 36.56                            | 3458.70      |
| ट्रक सहित ऑटोमोबाइल                    | AUTOMOBILES INCLUDING<br>TRUCKS | 1553.87                   | 546.84                           | 2100.71      |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर                    | COMPUTER SOFTWARE               | 108.66                    | 65.79                            | 174.44       |
| आधारभूत सुविधाएँ                       | INFRASTRUCTURE                  | 18714.01                  | 4579.26                          | 23293.26     |
| इनमें से                               | OF WHICH:                       |                           |                                  |              |
| पॉवर                                   | POWER                           | 5981.65                   | 1631.46                          | 7613.11      |
| संचार                                  | TELECOMMUNICATION               | 5066.72                   | 590.16                           | 5656.88      |
| सड़क                                   | ROADS                           | 3642.45                   | 1697.08                          | 5339.53      |
| बंदरगाह                                | PORTS                           | 1180.30                   | 93.09                            | 1273.39      |
| अन्य आधारभूत सुविधाएँ                  | OTHER INFRASTRUCTURE            | 2842.88                   | 567.47                           | 3410.35      |
| गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों          | NBFCs                           | 8450.63                   | 4.12                             | 8454.75      |
| ट्रेडिंग                               | TRADING                         | 7766.94                   | 4444.35                          | 12211.29     |
| अन्य उद्योग                            | OTHER INDUSTRIES                | 4383.19                   | 1738.90                          | 6122.10      |
| जिसमें से : पेय पदार्थ                 | OF WHICH: BEVERAGES             | 234.61                    | 5.16                             | 239.77       |
| लकड़ी                                  | WOOD                            | 369.94                    | 74.34                            | 444.28       |
| ग्लास                                  | GLASS                           | 528.14                    | 115.26                           | 643.40       |
| प्लास्टिक                              | PLASTIC                         | 1959.74                   | 453.21                           | 2412.96      |
| कुल                                    | TOTAL                           | 93858.15                  | 25326.68                         | 119184.84    |



उद्योगों में ऋण एक्सपोजर, जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के कुल घरेलू ऋण एक्सपोजर के 5% से अधिक है, इस प्रकार है,

Credit exposure in industries where out standing exposure is more than 5% of the total domestic credit exposure of the bank are as follows:

| क्रम संख्या<br>Sr no | उद्योग<br>Industry  | एक्सपोजर राशि (करोड़ रु. में)<br>Exposure amt. (in cr.) | कुल घरेलू एक्सपोजर का %<br>% of Total Domestic Exposure |
|----------------------|---|---|---|
| 1                    | लोहा और इस्पात Iron and Steel                                 | 11343.72  | 9.52  |
| 2                    | ट्रेडिंग Trading  | 12211.29  | 10.24   |
| 3                    | विद्युत (जेनरेशन एवं ट्रांस) Electricity (generation & Trans) | 8251.17   | 6.92  |
| 4                    | केमिकल, ड्राई पेंट्स तथा फार्मा. Chem., Dyes, Paints & Pharma | 6452.91   | 5.41  |
| 5                    | पॉवर Power  | 7613.11   | 6.39  |
| 6                    | एनबीएफसी NBFC   | 8454.75   | 7.09  |

च. अस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का विश्लेषण

f. Residual maturity breakdown of assets

| समयावधि          | Time bucket  | अग्रिम Advances |                       |          |           | निवेश Investments |         |           | विदेशी मुद्रा अस्तियां<br>Other Foreign Currency Assets |          |           | कुल अस्तियां<br>Total Assets<br>(A+B+C) | प्रतिशत<br>%age |
|------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------|---------|-----------|---|----------|-----------|---|-----------------|
|                  |              | Domestic Rupee  | Domestic Fgn Currency | Int'l    | Total (A) | Domestic          | Int'l   | Total (B) | Domestic  | Int'l    | Total (C) |   |                 |
| 1 दिन            | 1 Day        | 1186.80         | 14.27                 | 1988.15  | 3189.22   | 308.78            | 0.00    | 308.78    | 9.00  | 7638.87  | 7647.87   | 11145.87                                | 3.26%           |
| 2-7 दिन          | 2-7 Days     | 3160.64         | 56.19                 | 838.37   | 4055.21   | 987.36            | 34.01   | 1021.37   | 98.23   | 4149.38  | 4247.61   | 9324.19                                 | 2.72%           |
| 8-14 दिन         | 8-14 Days    | 3652.65         | 39.70                 | 1027.53  | 4719.87   | 164.08            | 97.86   | 261.94    | 334.88  | 1613.21  | 1948.09   | 6929.90                                 | 2.03%           |
| 15-28 दिन        | 15-28 Days   | 2402.46         | 88.68                 | 2674.75  | 5165.89   | 336.91            | 136.82  | 473.73    | 160.74  | 2453.02  | 2613.76   | 8253.38                                 | 2.41%           |
| 29 दिन-90 दिन    | 29-90 Days   | 14534.43        | 1231.21               | 11291.31 | 27056.95  | 2611.74           | 277.00  | 2888.74   | 1803.04   | 10254.57 | 12057.61  | 42003.30                                | 12.27%          |
| 3 महीने-6 महीने  | 3-6 months   | 16902.58        | 1510.14               | 10811.09 | 29223.81  | 555.02            | 522.87  | 1077.89   | 0.00  | 3871.13  | 3871.13   | 34172.83                                | 9.99%           |
| 6 महीने-12 महीने | 6-12 months  | 19417.59        | 1145.57               | 9597.38  | 30160.55  | 1672.34           | 322.36  | 1994.70   | 0.00  | 5121.81  | 5121.81   | 37277.06                                | 10.89%          |
| 1 वर्ष-3 वर्ष    | 1-3 years    | 34565.53        | 74.45                 | 8674.65  | 43314.63  | 6539.49           | 761.61  | 7301.10   | 99.44   | 1167.03  | 1266.47   | 51882.20                                | 15.16%          |
| 3 वर्ष-5 वर्ष    | 3-5 years    | 19949.56        | 28.84                 | 9012.85  | 28991.24  | 13188.01          | 733.93  | 13921.94  | 0.00  | 913.01   | 913.01    | 43826.19                                | 12.81%          |
| 5 वर्ष से अधिक   | Over 5 years | 49437.27        | 9.31                  | 3352.41  | 52798.99  | 41300.64          | 709.80  | 42010.44  | 0.00  | 2564.68  | 2564.68   | 97374.11                                | 28.46%          |
| कुल              | TOTAL        | 165209.51       | 4198.36               | 59268.49 | 228676.36 | 67664.37          | 3596.26 | 71260.63  | 2505.33   | 39746.71 | 42252.04  | 342189.03                               | 100.00%         |

छ. गैर निष्पादक अग्रिमों एवं निवेशों के बारे में प्रकटीकरण

g. Disclosures in respect of Non Performing Advances and Investments

| क्रमांक<br>Sr. No. | आस्ति श्रेणी | Asset Category  | राशि करोड़ ₹ में<br>Amount in ₹ Crores |
|--------------------|--------------|-----------------|--|
| i                  | एनपीए (सकल)  | i NPAs (Gross): | 3152.50                                |
|                    | अवमानक       | Substandard     | 1097.23                                |
|                    | संदिग्ध 1    | Doubtful 1      | 857.66                                 |
|                    | संदिग्ध 2    | Doubtful 2      | 390.44                                 |
|                    | संदिग्ध 3    | Doubtful 3      | 88.54                                  |
|                    | हानि         | Loss            | 718.63                                 |

| क्रमांक<br>Sr. No. | आस्ति श्रेणी   | Asset Category   | राशि करोड़ ₹ में<br>Amount in ₹ Crores |
|--------------------|--|--|--|
| ii                 | शुद्ध एनपीए  | ii Net NPAs  |  |
|                    | कुल  | Total  | 790.88                                 |
| iii                | एनपीए अनुपात   | iii NPA Ratios   |  |
|                    | सकल अग्रिमों में सकल एनपीए                                 | Gross NPAs to gross advances   | 1.36%                                  |
|                    | निवल अग्रिम में निवल एनपीए                                 | Net NPAs to net advances   | 0.35%                                  |
| iv                 | एनपीए (सकल) का मूवमेंट                                     | iv Movement of NPA(Gross)  |  |
|                    | प्रारंभिक शेष  | Opening balance  | 2400.69                                |
|                    | जोड़   | Additions  | 1897.01                                |
|                    | घटाव   | Reductions   | 1145.20                                |
|                    | अन्तिम शेष   | Closing balance  | 3152.50                                |
| v                  | एनपीए के लिए प्रावधान का मूवमेंट                           | v Movement of provisions for NPAs  |  |
|                    | प्रारंभिक शेष  | Opening balance  | 1798.37                                |
|                    | वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान                            | Provisions made during the year  | 1178.86                                |
|                    | बढ़े खाते/अधिक प्रावधान का पुनरांकन                        | Write off/ Write back of excess provision                                  | 615.61                                 |
|                    | अन्तिम शेष   | Closing balance  | 2361.62                                |
| vi                 | गैर निष्पादक निवेश   | vi Non Performing Investments  |  |
|                    | गैर निष्पादक निवेश राशि                                    | Amount of Non-Performing Investments                                       | 275.63                                 |
|                    | गैर निष्पादक निवेश के लिए रखे गये प्रावधान की राशि         | Amount of provisions held for non-performing investment                    | 242.46                                 |
| vii                | वर्ष के दौरान निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का मूवमेंट | vii Movement of provisions for depreciation on investments during the year |  |
|                    | प्रारंभिक शेष  | Opening balance  | 527.21                                 |
|                    | अवधि के दौरान किया गया प्रावधान                            | Provisions made during the period  | *112.03                                |
|                    | पुनरांकन   | Write-back   | 159.71                                 |
|                    | अन्तिम शेष   | Closing balance  | 479.53                                 |

\* रु. 7.74 करोड़ के विनिमय उतार-चढ़ाव को अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के लिए समायोजित किया गया है।

\*Exchange fluctuation of Rs. 7.74 cr has been adjusted for international exposure.

#### V. ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के तहत पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण

मानकीकृत पद्धति के तहत बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सभी ईसीएआई (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान) यथा सीएआरई, क्रिसिल, फिच (इंडिया), और आइसीआरए की घरेलू ऋण एक्सपोजर हेतु रेटिंग को स्वीकार करता है। विदेशी ऋण एक्सपोजर के लिए बैंक स्टेण्डर्ड एवं पूअर, मूडी, तथा फिच की रेटिंग स्वीकार करता है।

बैंक कार्पोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान के उधारकर्ताओं को ईसीएआई से रेटिंग लेने को प्रोत्साहित करता है और उसने जहाँ कहीं ऐसी रेटिंग उपलब्ध है। वहाँ जोखिम पर आस्तियों की गणना करने के लिए इन रेटिंगों का उपयोग किया है।

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम समूहों में मानकीकृत पद्धति (मूल्यांकित और गैर मूल्यांकित) के अनुसार जोखिम कम करने के पश्चात, जोखिम राशियाँ इस प्रकार हैं।

#### V. Credit risk : Disclosures for portfolios subject to the standardised approach

Under Standardized Approach the bank accepts rating of all RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) namely CARE, CRISIL, Fitch (India), and ICRA for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch.

The bank encourages Corporate and Public Sector Entity (PSE) borrowers to solicit credit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

The exposure amounts after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:



**VI. अग्रिम जोखिम न्यूनीकरण**

**VI. Credit risk mitigation:**

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

| जोखिम भार की श्रेणी    | Category of Risk Weight     | बकाया एक्सपोजर<br>Outstanding Exposure |
|------------------------|-----------------------------|--|
| 100% जोखिम भार से कम   | Below 100 % risk weight     | 151082.94                              |
| 100% जोखिम भार         | 100 % risk weight           | 92095.02                               |
| 100% जोखिम भार से अधिक | More than 100 % risk weight | 12891.89                               |
| कुल सीआरएम कटौती       | Total CRM Deducted          | 17321.15                               |
| कुल एक्सपोजर           | Total Exposure              | 273391.00                              |

क. बैंक अपने उधारकर्ताओं पर एक्सपोजर (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (जो कि संपार्श्विक रूप में भी हो सकती हैं) प्राप्त करते हैं. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ अग्रिम जोखिम न्यून करने के बारे में एक्सपोजर में कमी की नीति को अपनाया है, जहां कहीं कार्पोरेट गारंटी अग्रिम जोखिम न्यून करने के रूप में उपलब्ध है, अग्रिम जोखिम उपलब्ध गारंटी की सीमा तक गारंटीदाताओं को अंतरित किया जाता है. सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियाँ (मुख्य प्रतिभूतियाँ अथवा संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ) ली जाती हैं.

1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल अस्तियाँ.
2. भूमि, बिल्डिंग, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल अस्तियाँ.
3. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर
4. बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ.
5. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, एलआईसी पॉलिसियाँ, केन्द्रीय/राज्य सरकारों आदि द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ इत्यादि
6. ऋण प्रतिभूतियां - कतिपय शर्तों के साथ अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग प्राप्त
7. ऋण प्रतिभूतियां कतिपय शर्तों के साथ बैंक द्वारा जारी की गई- गैर-रेटिंग प्राप्त
8. म्यूचुअल फंडों की यूनितें
9. गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन.
10. स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण

बैंक ने, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संबंध में बेहतर नीति तैयार की है.

बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 4 से 10 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत पद्धति बासेल-II के अन्तर्गत ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है.

बैंक के ऋण जोखिम के एवज में गारंटियों के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटिया)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा-राशियों के पेटे ऋणों में और सरकारी प्रतिभूतियों, एलआईसी पॉलिसियों के पेटे ऋणों में उपलब्ध होते हैं अर्थात ये कुल सीआरएम का प्रमुख भाग होते हैं.

a. Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Bank has adopted reduction of exposure in respect of certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever corporate guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk is transferred to the guarantor to the extent of guarantee available. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Shares as per approved list
4. Bank's own deposits
5. NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
6. Debt securities - rated by approved credit rating agency- with certain conditions
7. Debt securities- not rated- issued by a bank- with certain conditions
8. Units of Mutual funds
9. Cash Margin against Non-fund based facilities
10. Gold and Gold Jewelry.

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank.

The securities mentioned at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants for on-balance sheet netting under Basel-II standardized approach for credit risk.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporates
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGTMSE

CRM collaterals available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies constitute a major percentile of total CRM.



सीआरएम प्रतिभूतियां, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

बैंक के एक्सपोजर्स के संबंध में सीआरएम के रूप में उपलब्ध पात्र गारंटियों (बासेल II के अनुसार) में केन्द्रीय/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीटीएसआई, कंट्री पार्ट की अपेक्षा कम जोखिम भार वाले बैंक व प्राथमिक डीलर तथा अन्य संस्थाएं (मुख्यतः पेरेंट, अनुषंगी तथा संबंध कंपनियों) जिन्हें एए (-) या बेहतर रेटिंग दी गई है, शामिल हैं।

ख. प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर, जो कि पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया गया है, मार्जिन को लगाने के पश्चात निम्नानुसार है:

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Eligible guarantors (as per Basel-II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGTSE, Banks & Primary Dealers with a lower risk weight than the counter party AND other entities (mainly parent, subsidiary and affiliate companies) rated AA(-) or better.

b. For each credit risk portfolio, total exposure that is covered by eligible financial collateral, after application of haircut is as under:

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

| ऋण जोखिम संविभाग          | Credit Risk Portfolio  | वित्तीय संपार्श्विक (मार्जिन पश्चात्)<br>Financial Collateral (post haircut) |
|---------------------------|------------------------|--|
| देशी गारंटी               | Domestic Sovereign     | 0.15   |
| विदेशी गारंटी             | Foreign Sovereign      | 34.65  |
| सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां | Public Sector Entities | 839.83   |
| बैंकों पर दावे            | Claims on Banks        | 142.70   |
| प्राथमिक डीलर्स           | Primary Dealers        | 0.02   |
| कॉर्पोरेट्स               | Corporates             | 10254.40   |
| क्षेत्रीय रिटेल संविभाग   | Reg Retail Portfolio   | 5028.11  |
| आवासीय संपत्ति            | Residential Property   | 106.74   |
| वाणिज्यिक रियल इस्टेट     | Commercial Real Estate | 21.14  |
| विशिष्ट श्रेणियां         | Sepeicified Categories | 304.21   |
| अन्य आस्तियां             | Other Assets           | 589.20   |
| कुल                       | TOTAL                  | 17321.15   |

ग. एक्सपोजरों जो कि गारंटियों द्वारा कवर किए गए हैं, (आरबीआई द्वारा अनुमति प्राप्त) उनका विवरण

c. Details of exposures that are covered by Guarantees (permitted by RBI)

| आस्ति श्रेणी                 | Asset category       | ईसीजीसी पर दावा<br>Claims on ECGC | सीजीटीएमएसई पर दावा<br>Claims on CGTMSE | एए और ऊपर रेटिंग<br>Rated AA and above | राज्य सरकार द्वारा गारंटी<br>Guarantee by State Govt | केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटी<br>Guarantee by Central Govt | अन्य बैंक द्वारा गारंटी<br>Guarantee by other Bank |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| देशी गारंटियां               | Domestic Sovereigns  | 0.00                              | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां | Public Sector Entity | 0.13                              | 0.00                                    | 49.97                                  | 4548.40  | 3108.47  | 2.30   |
| बैंकों पर दावे               | Claims on Banks      | 0.00                              | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 429.48   |
| प्राथमिक डीलर्स              | Primary Dealers      | 0.00                              | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| कॉर्पोरेट्स                  | Corporates           | 3799.06                           | 0.00                                    | 65.21                                  | 0.00   | 29.91  | 664.47   |
| विनियामक रिटेल               | Regulatory Retail    | 405.97                            | 39.40                                   | 0.00                                   | 0.00   | 0.03   | 106.56   |
| आवासीय संपत्ति               | Residential Property | 0.00                              | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| वाणिज्यिक रियल इस्टेट        | Comm. Real Estate    | 0.00                              | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| विशिष्ट श्रेणियां            | Specified Categories | 0.06                              | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| अन्य आस्तियां                | Other Assets         | 0.00                              | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| कुल                          | TOTAL                | 4205.22                           | 39.40                                   | 115.19                                 | 4548.40  | 3138.42  | 1202.81  |



**VII. प्रतिभूतिकरण**

क. बैंक की एक प्रतिभूति नीति है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है. नीति के अनुसार प्रतिभूत किये जाने वाले संविभाग की प्रकृति रिटेल ऋण (आवास ऋण, ऑटो ऋण, परिसंपत्तियों के पेटे अग्रिम, वैयक्तिक ऋण तथा क्रेडिट कार्ड्स) एसएसआई एवं आधारभूत परियोजना ऋण है.

दिनांक 31 मार्च, 2011 तक बैंक के पास अपनी आस्तियों को प्रतिभूत करने का कोई मामला नहीं है.

ख. प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक ने दिनांक 31.3.2011 को रुपये 11.47 करोड़ की राशि के लिए 'ऋण संवर्धन प्रदाता' के रूप में कार्य किया है जिसे बैंक की पूंजी से काटा गया है.

ग. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रतिधारित एक्सपोजर का कोई मामला नहीं है.

बैंक द्वारा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की राशि निम्नानुसार है:

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

| विदेशी ऋण रेटिंग के अनुसार जोखिम भार श्रेणी | Risk weight category as per external credit rating | बही मूल्य Book value | बैंकिंग बुक के अन्तर्गत रखी गयी राशि Amt held under banking book | जोखिम भार % RW % | जोखिम समायोजित मूल्य Risk adjusted value |
|---|--|----------------------|--|------------------|--|
| एएए - क्रिसिल                               | AAA – CRISIL                                       | 66.64                | 66.64  | 100              | 66.44                                    |
| <b>कुल</b>                                  | <b>Total</b>                                       | <b>66.64</b>         | <b>66.64</b>   | <b>100</b>       | <b>66.64</b>                             |

घ. टीयर I और टीयर II प्रत्येक की पूंजी से ऋण संवर्धन के 50% के रूप में रुपये 5.74 करोड़ राशि की कटौती की गयी है.

च. बैंक की वर्ष 2010-11 के दौरान अपनी किसी भी मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण करने की कोई योजना नहीं है.

**VIII. व्यापार बही में बाजार जोखिम**

बैंक, बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है.

- ब्याज दर जोखिम
- करेंसी जोखिम
- मूल्य जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे सकल निपटान सीमाएं, क्षति रोध सीमाएं, और जोखिम सीमाओं पर मूल्य आदि. जोखिम सीमाएं, खुली बाजारगत स्थितियों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रित करती हैं. क्षति रोध हानि सीमा, वसूलीकृत और अवसूलीकृत हानियों के रूप में ली जाती है.

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए एक समुचित पद्धति तैयार की है अर्थात मानकीकृत अवधि पद्धति. इस प्रकार आकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है. ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को बासेल-II के अन्तर्गत बैंक के सीआरएआर निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है.

**VII. Securitisation**

a. The Bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. As per the Policy the nature of portfolio to be securitized are retail loans (housing loans, auto loans, advance against properties, personal loans and credit cards) SSI and Infrastructure projects loans.

The Bank does not have any case of its assets securitised as on 31st March, 2011.

b. In the process of securitization bank has acted as "provider of credit enhancement" for an amount of Rs.11.47 crores as on 31.03.2011 which has been deducted for the capital of the Bank.

c. There is no case of retained exposure in respect of securitization.

Amount of securitization exposure purchased by the bank is as under:-

d. An amount of Rs.5.74cr has been deducted from each of Tier I and Tier II capital as 50% of credit enhancement.

e. The bank does not presently plan to securitise any of its standard assets during the year 2010-11.

**VIII. Market risk in trading book**

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are identified as Market risk:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board has laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits help to check the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for calculating the Bank's CRAR under Basel-II.



दिनांक 31 मार्च 2011 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि पद्धति के अनुसार) संबंधी पूंजी प्रभार तथा जोखिम वाली आस्तियां निम्नानुसार हैं।

Risk Weighted Assets and Capital Charge on Market Risk (as per Standardised Duration Approach) as on 31st March 2011 are as under: (रु. करोड़ में Rs. in Cr.)

|                      |                       | जोखिम भार आस्तियां<br>RWAs | पूंजी प्रभार<br>Capital Charge |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ब्याज दर जोखिम       | Interest Rate Risk    | 6021.44                    | 541.93                         |
| इक्विटी स्थिति जोखिम | Equity Position Risk  | 4568.38                    | 411.15                         |
| विदेशी मुद्रा जोखिम  | Foreign Exchange Risk | 225.00                     | 20.25                          |
| कुल पूंजी प्रभार     | Total Capital Charge  | 10814.82                   | 973.33                         |

### IX. परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए आधारभूत सूचक पद्धति अपनायी है। मूल पद्धति के अन्तर्गत, गत 3 वर्षों की औसत आय को जोखिम भारित आस्तित्व तक लाने को ध्यान में रखा गया है।

### X. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

क ब्याज दर जोखिम को दो पद्धतियों के माध्यम से निर्धारित व मानीटर किया जाता है।

(i) जोखिम पर आय (पारंपरिक अन्तर विश्लेषण) (अल्पावधि)  
इस पद्धति के तहत ब्याज दरों में परिवर्तनों का बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर पड़ने वाले तत्काल प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। जोखिम पर आय को विभिन्न परिदृश्यों में निम्नानुसार विश्लेषित किया गया है।

1. आय रेखा जोखिम : आस्तियों और देयताओं के लिए 1% समानांतर परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है।
2. आस्तियों के लिए श्रेणी-वार भिन्न आय परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है और ये देयताओं पर भी लागू होते हैं।
3. ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुसार आधार जोखिम एवं समाहित विकल्प जोखिम का अनुमान लगाया गया है।

(ii) इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि)

यह कार्य आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि की गणना करके किया जाता है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि का निर्धारण किया जा सके।

- इस पद्धति को आय में दिए परिवर्तन हेतु आय रेखा में समान्तर शिफ्ट माना जाता है।
- इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को जैसा भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्लेषित किया है, नियमित अंतरालों पर 200 आधार अंकीय दर हेतु विश्लेषित किया जाता है।
- संबंधित परिपक्वता के लिए बाजार सहबद्ध आय को संशोधित अवधि की गणना में प्रयुक्त किया जाता है।

बैंकिंग बहियों में बैंक के ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण दोनों घरेलू तथा विदेशी परिचालनों के लिए किया जाता है। घरेलू परिचालनों के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य का आकलन तथा निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

ख. ब्याज-दरों में 100 आधार अंकीय मूवमेंट के पेटे बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर शुद्ध प्रभाव घरेलू परिचालनों के लिए रु. 172.11 करोड़ है (रुपया संसाधन एवं परियोजन) जबकि अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए यह 50.42 करोड़ रुपए है।

### IX. Operational risk

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Under Basic Indicator Approach, average income of last 3 years is taken into consideration for arriving at Risk Weighted Asset.

### X. Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

a. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analysed under this approach.

The Earning at Risk is analysed under different scenarios:

1. Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
2. Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.
3. Basis risk and embedded option risk are assumed as per historical trend.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

It is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to finally arrive at the modified duration of equity.

- This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield.
- Impact on the Economic Value of Equity is also analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI.
- Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the modified duration.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both the domestic as well as overseas operations. The Economic value of equity for domestic operations is measured and monitored on a quarterly basis.

b. The net impact on Net Interest Income (NII) of the bank against 100 bps increase in interest rates is increase of Rs. 172.11 Crore in the Domestic Operations (Rupee resources and deployment) and Rs. 50.42 Crore in International Operations.



## महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक Key Financial Indicators

| क्र.सं.<br>S.No. | विवरण<br>Particulars  | प्रतिशत में<br>(In Percentage) | 31.03.2007 | 31.03.2008 | 31.03.2009 | 31.03.2010 | 31.03.2011 |
|------------------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                | ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)<br>Interest Income / Average Working Funds (AWF)   |                                | 7.22%      | 7.63%      | 7.78%      | 6.86%      | 6.97%      |
| 2                | ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ<br>Interest expenses / AWF  |                                | 4.35%      | 5.10%      | 5.14%      | 4.42%      | 4.16%      |
| 3                | शुद्ध ब्याज मार्जिन<br>Net Interest Margin (NIM)  |                                | 3.05%      | 2.90%      | 2.91%      | 2.74%      | 3.12%      |
| 4                | ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ<br>Interest spread / AWF   |                                | 2.87%      | 2.53%      | 2.64%      | 2.44%      | 2.80%      |
| 5                | गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ<br>Non-Interest Income / AWF  |                                | 1.11%      | 1.32%      | 1.42%      | 1.15%      | 0.89%      |
| 6                | परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ<br>Operating expenses / AWF   |                                | 2.04%      | 1.96%      | 1.84%      | 1.56%      | 1.47%      |
| 7                | लागत-आय अनुपात<br>Cost Income Ratio   |                                | 51.30%     | 50.89%     | 45.38%     | 43.57%     | 39.87%     |
| 8                | सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ<br>Gross (Operating) profit / AWF  |                                | 1.94%      | 1.89%      | 2.22%      | 2.03%      | 2.22%      |
| 9                | शुद्ध लाभ / एडब्ल्यूएफ<br>Net profit / AWF  |                                | 0.82%      | 0.93%      | 1.15%      | 1.26%      | 1.35%      |
| 10               | शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ<br>Return on Net Worth   |                                | 12.17%     | 15.07%     | 19.48%     | 22.19%     | 21.48%     |
| 11               | आस्तियों पर प्रतिलाभ<br>Return on Assets  |                                | 0.72%      | 0.80%      | 0.98%      | 1.10%      | 1.18%      |
| 12               | औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ<br>Return on Average Assets  |                                | 0.80%      | 0.89%      | 1.10%      | 1.21%      | 1.33%      |
| 13               | अग्रिमों पर प्रतिफल<br>Yield on Advances  |                                | 8.37%      | 9.53%      | 9.50%      | 8.55%      | 8.49%      |
| 14               | जमाराशियों की लागत<br>Cost of Deposits  |                                | 4.77%      | 5.69%      | 5.71%      | 4.90%      | 4.56%      |
| 15               | लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित)<br>Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)  |                                | 24.59%     | 23.75%     | 17.22%     | 20.90%     | 17.76%     |
| 16               | ऋण - जमा अनुपात<br>Credit -- Deposit Ratio  |                                | 74.35%     | 77.32%     | 81.94%     | 84.47%     | 86.77%     |
| 17               | ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात<br>Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) -- Deposit Ratio |                                | 80.21%     | 82.78%     | 87.44%     | 88.74%     | 90.29%     |
| 18               | पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल I)<br>Capital Adequacy Ratio (BASEL I)   |                                | 11.80%     | 12.91%     | 12.88%     | 12.84%     | 13.02%     |
|                  | टीयर Tier - I   |                                | 8.74%      | 7.63%      | 7.79%      | 8.22%      | 8.96%      |
|                  | टीयर Tier - II  |                                | 3.06%      | 5.28%      | 5.09%      | 4.62%      | 4.06%      |
| 19               | पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल II)<br>Capital Adequacy Ratio (BASEL II)   |                                | --         | 12.94%     | 14.05%     | 14.36%     | 14.52%     |
|                  | टीयर Tier - I   |                                | --         | 7.64%      | 8.49%      | 9.20%      | 9.99%      |
|                  | टीयर Tier - II  |                                | --         | 5.30%      | 5.56%      | 5.16%      | 4.53%      |





| क्र.सं.<br>S.No. | विवरण<br>Particulars   | प्रतिशत में<br>(In Percentage) | 31.03.2007 | 31.03.2008 | 31.03.2009 | 31.03.2010 | 31.03.2011 |
|------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                | कर्मचारी (संख्या)<br>Employees (number)  |                                | 38086      | 36774      | 36838      | 38960      | 40046      |
| 2                | शाखाएं (संख्या)<br>Branches (number)   |                                | 2772       | 2899       | 2974       | 3148       | 3418       |
| 3                | प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु.करोड़ में)<br>Business per employee (Rs. in crore)            |                                | 5.15       | 6.65       | 8.63       | 9.81       | 12.29      |
| 4                | प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु.करोड़ में)<br>Average Business per employee (Rs in crore) |                                | 4.64       | 5.94       | 7.57       | 8.94       | 11.26      |
| 5                | प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु.लाखों में)<br>Gross Profit per employee (Rs. in lakhs)        |                                | 6.34       | 7.96       | 11.69      | 12.67      | 17.43      |
| 6                | प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. लाखों में)<br>Net Profit per employee (Rs. in lakhs)        |                                | 2.70       | 3.90       | 6.05       | 7.85       | 10.59      |
| 7                | प्रति शाखा व्यवसाय (रु.करोड़ में)<br>Business per branch (Rs. in crore)                  |                                | 75.23      | 89.25      | 112.86     | 132.24     | 156.27     |
| 8                | प्रति शाखा सकल लाभ (रु.करोड़ में)<br>Gross Profit per branch (Rs. in crore)              |                                | 0.87       | 1.01       | 1.45       | 1.57       | 2.04       |
| 9                | प्रति शाखा शुद्ध लाभ (रु.करोड़ में)<br>Net Profit per branch (Rs. in crore)              |                                | 0.37       | 0.50       | 0.75       | 0.97       | 1.24       |
| 10               | प्रति शेयर आय (रुपयों में)<br>Earnings per share (Rupees)                                |                                | 28.18      | 39.40      | 61.14      | 83.96      | 116.37     |
| 11               | प्रति शेयर बहीमूल्य (रुपयों में)<br>Book Value per share (Rupees)                        |                                | 231.59     | 261.54     | 313.82     | 378.44     | 504.43     |

स्रोत : विविध वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (जहां उचित लगा, पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है)

Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate)



## शब्दावली / Glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)  | : कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत;  | <b>Average Working Funds (AWF)</b>  | : Fortnightly Average of Total Assets  |
| औसत जमाराशियां   | : कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत;  | <b>Average Deposits</b>   | : Fortnightly Average of Total Deposits  |
| औसत अग्रिम   | : कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत;  | <b>Average Advances</b>   | : Fortnightly Average of Total Advances  |
| औसत व्यवसाय  | : औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग;  | <b>Average Business</b>   | : Total of Average Deposits Plus Average Advances  |
| औसत निवेश  | : कुल निवेश का पाक्षिक औसत;   | <b>Average Investments</b>  | : Fortnightly Average of Total Investments   |
| ब्याज आय/(एडब्ल्यूएफ)  | : कुल ब्याज आय का औसत कार्यशील निधियों से विभाजन;   | <b>Interest Income/AWF</b>  | : Total Interest Income Divided by AWF   |
| ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ  | : कुल ब्याज व्यय भाग दें एडब्ल्यूएफ;  | <b>Interest expenses/AWF</b>  | : Total Interest Expenses Divided by AWF   |
| शुद्ध ब्याज मार्जिन  | : (कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) औसत ब्याज अर्जक आस्तियों से विभाजित करें;                                   | <b>Net Interest Margin</b>  | : Total interest earned minus total interest paid divided by average interest earning assets               |
| ब्याज विस्तार/एडब्ल्यूएफ   | : (कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) एडब्ल्यूएफ से विभाजित करें;   | <b>Interest Spread/AWF</b>  | : (Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF                                     |
| गैरब्याज आय/एडब्ल्यूएफ   | : कुल गैर ब्याज आय विभाजित करें औसत कार्य निधि से;  | <b>Non-Interest Income/AWF</b>  | : Total Non-Interest Income Divided by AWF   |
| परिचालन व्यय   | : कुल खर्च घटा ब्याज खर्च   | <b>Operating Expenses</b>   | : Total Expenses minus Interest Expenses   |
| परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ  | : कुल परिचालन व्यय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;   | <b>Operating Expenses/AWF</b>   | : Operating Expenses Divided by AWF  |
| लागत आय अनुपात   | : परिचालन व्यय विभाजित करें (गैरब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से;   | <b>Cost Income Ratio</b>  | : Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)                                 |
| सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ   | : परिचालन लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;   | <b>Gross (Operating) Profit/AWF</b>   | : Operating Profit divided by AWF  |
| शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ   | : शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ;  | <b>Net Profit/AWF</b>   | : Net Profit Divided by AWF  |
| शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ   | : शुद्ध लाभ विभाजित करें शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि को छोड़कर);                                   | <b>Return on Net Worth</b>  | : Net Profit Divided by Net Worth (excluding Revaluation Reserves)   |
| आस्तियों पर प्रतिलाभ   | : शुद्ध लाभ विभाजित करें कुल आस्तियों से;   | <b>Return on Assets</b>   | : Net Profit Divided by Total Assets   |
| औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ   | : शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;   | <b>Return on Average Assets</b>   | : Net Profit Divided by AWF  |
| अग्रिमों पर प्रतिफल  | : अग्रिमों पर अर्जित ब्याज विभाजित करें औसत अग्रिम से;  | <b>Yield on Advances</b>  | : Interest Earned on Advances Divided by Average Advances  |
| जमाराशियों की लागत   | : जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज विभाजित करें औसत जमाराशियों से;   | <b>Cost of Deposits</b>   | : Interest paid on Deposits Divided by Average Deposits  |
| लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित)   | : लाभांश कारपोरेट लाभांश कर सहित; विभाजित करें शुद्ध लाभ से;  | <b>Dividend Payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)</b>                             | : Dividend including Corporate Dividend Tax Divided by Net Profit  |
| ऋण जमा अनुपात  | : कुल अग्रिम विभाजित करें ग्राहकों की जमाराशियां (कुल जमाराशियां - घटाएँ अंतर बैंक जमा राशियां)                     | <b>Credit - Deposit Ratio</b>   | : Total Advances Divided by Customer Deposits (i.e., Total Deposits minus Inter Bank Deposits)             |
| ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) जमाराशि - अनुपात; | : (कुल अग्रिम + गैर सांविधिक तरल अनुपात निवेश - घटाएँ अनुषंगी इकाइयों में निवेश) विभाजित करें ग्राहकों की जमाओं से; | <b>Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio</b> | : (Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in Subsidiaries) Divided by Customer Deposits |
| प्रति कर्मचारी व्यवसाय   | : समग्र जमाराशियां + कुल अग्रिम विभाजित करें, कुल कर्मचारियों की संख्या से  | <b>Business Per Employee</b>  | : Aggregate Deposits plus Total Advances Divided by Total No. of Employees                                 |
| प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय   | : औसत जमाराशियां औसत अग्रिम/विभाजित करें कुल कर्मचारी संख्या से   | <b>Average Business Per Employee</b>  | : Average Deposits plus Average Advances divided by Total No. of Employees                                 |
| प्रति कर्मचारी सकल लाभ   | : सकल लाभ को विभाजित करें, कुल कर्मचारी संख्या से;  | <b>Gross Profit Per Employee</b>  | : Gross Profit Divided by Total No. of Employees   |
| प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ   | : शुद्ध लाभ को विभाजित करें कर्मचारियों की संख्या से;   | <b>Net Profit Per Employee</b>  | : Net Profit Divided by total No. of Employees   |
| प्रति शाखा कारोबार   | : कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;  | <b>Business Per Branch</b>  | : Total Deposits plus Total Advances divided by No. of Branches  |
| प्रति शाखा सकल लाभ   | : सकल लाभ को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;  | <b>Gross Profit per Branch</b>  | : Gross Profit Divided by No. of Branches  |
| प्रति शाखा शुद्ध लाभ   | : शुद्ध लाभ विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;   | <b>Net Profit per Branch</b>  | : Net Profit Divided by No. of Branches  |
| प्रति शेयर आय  | : शुद्ध लाभ को विभाजित करें इक्विटी से X दस;  | <b>Earnings Per Share</b>   | : Net Profit divided by Equity Multiplied by Ten   |
| प्रति शेयर बही मूल्य   | : शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि को छोड़कर) को विभाजित करें इक्विटी से X दस.                          | <b>Book Value Per Share</b>   | : Net Worth (excluding Revaluation Reserves) divided by Equity Multiplied by Ten.                          |



31 मार्च, 2011 का तुलन-पत्र  
Balance Sheet as on 31st March, 2011

(000's अनंकित omitted)

|   | अनुसूची<br>SCHEDULE                                    | 31 मार्च 2011 को<br>As on<br>31st Mar, 2011<br>₹ | 31 मार्च 2010 को<br>As on<br>31st Mar, 2010<br>₹ |
|---|--|--|--|
| <b>पूंजी और देयताएं</b>   | <b>CAPITAL &amp; LIABILITIES</b>                       |  |  |
| पूंजी   | Capital  | 392,80,73  | 365,52,77  |
| प्रारक्षित निधियां और अधिशेष  | Reserves and Surplus                                   | 20600,30,46                                      | 14740,85,50                                      |
| जमाराशियां  | Deposits   | 305439,48,19                                     | 241261,92,52                                     |
| उधार ली गई राशियां  | Borrowings   | 22307,85,48                                      | 13350,08,50                                      |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान   | Other Liabilities and Provisions                       | 9656,72,68                                       | 8598,30,99                                       |
| जोड़  | TOTAL  | <b>358397,17,54</b>                              | <b>278316,70,28</b>                              |
| <b>आस्तियां</b>   | <b>ASSETS</b>  |  |  |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम  | Cash and Balances with Reserve Bank of India           | 19868,17,89                                      | 13539,96,91                                      |
| बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि  | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 30065,88,89                                      | 21927,08,85                                      |
| निवेश   | Investments  | 71260,63,09                                      | 61182,37,54                                      |
| अग्रिम  | Advances   | 228676,36,09                                     | 175035,28,59                                     |
| अचल आस्तियां  | Fixed Assets   | 2299,71,83                                       | 2284,76,48                                       |
| अन्य आस्तियां   | Other Assets   | 6226,39,75                                       | 4347,21,91                                       |
| जोड़  | TOTAL  | <b>358397,17,54</b>                              | <b>278316,70,28</b>                              |
| आकस्मिक देयताएं   | Contingent Liabilities                                 | 127163,87,03                                     | 87836,07,99                                      |
| वसूली के लिए बिल  | Bills for Collection                                   | 18844,71,94                                      | 18185,57,81                                      |
| उल्लेखनीय लेखा नीतियां  | Significant Accounting Policies                        | 17   |  |
| लेखों पर टिप्पणियां   | Notes on Accounts                                      | 18   |  |
| ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं।<br>The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet. |  |  |  |

श्री एम.डी. मल्या  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
श्री आर. के. बक्षी  
कार्यकारी निदेशक  
श्री एन. एस. श्रीनाथ  
कार्यकारी निदेशक  
श्री के. के. शुक्ला  
महाप्रबंधक  
(कार्पो. खाते, कराधान एवं  
अनुपालन अधिकारी-भा. रि. बैं.)  
श्री वी. के. गुप्ता  
उप महाप्रबंधक  
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान)  
स्थान : मुंबई,  
दिनांक : 28.04.2011

निदेशक  
श्री आलोक निगम  
श्री आर. गांधी  
श्री वी. बी. चव्हाण  
श्री अजय माथुर  
डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद  
श्री सत्य देव त्रिपाठी  
डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी  
डॉ. दीपक बी. फाटक  
श्री मौलिन ए. वैष्णव

लेखा परीक्षक  
सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार  
कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 000497 एन  
(आदित्य कुमार)  
भागीदार  
एम. नं.: 0506955  
कृते हरिभक्ति एण्ड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 103523 डब्ल्यू  
(राकेश राठी)  
भागीदार  
एम. नं.: 045228  
कृते एस. के. कपूर एण्ड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 000745 सी  
(संजीव कपूर)  
भागीदार  
एम. नं.: 70487  
कृते खिमजी कुबेरजी एण्ड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 105146 डब्ल्यू  
(गौतम शाह)  
भागीदार  
एम. नं.: 117348  
कृते एन.सी. बनर्जी एण्ड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 302081 इ  
(पी. के. सरकार)  
भागीदार  
एम. नं.: 060543  
कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 000511 एस  
(के. जितेन्द्र कुमार)  
भागीदार  
एम. नं.: 201825



**31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा**  
**Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2011**

(000's अनंकित omitted)

|  | अनुसूची<br>SCHED-<br>ULE  | 31 मार्च 2011 को<br>Year ended<br>31 <sup>st</sup> March 2011<br>₹ | 31 मार्च 2010 को<br>Year ended<br>31 <sup>st</sup> March 2010<br>₹ |
|--|---|--|--|
| <b>I. आय</b>   | <b>INCOME</b>   |  |  |
| अर्जित ब्याज   | Interest Earned   | 13   | 21885,91,56  |
| अन्य आय  | Other Income  | 14   | 2809,18,60   |
| जोड़   | T O T A L   |  | 24695,10,16  |
| <b>II. व्यय</b>  | <b>EXPENDITURE</b>  |  |  |
| खर्च किया गया ब्याज  | Interest Expended   | 15   | 13083,65,77  |
| परिचालन व्यय   | Operating Expenses  | 16   | 4629,83,49   |
| प्रावधान और आकस्मिक व्यय                                     | Provisions and Contingencies  | 18 (A 4.1)   | 2739,92,93   |
| जोड़   | T O T A L   |  | 20453,42,19  |
| <b>III. लाभ</b>  | <b>PROFIT</b>   |  |  |
| वर्ष का शुद्ध लाभ  | Net Profit for the year   |  | 4241,67,97   |
| विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि                                    | Available for Appropriation   |  | 4241,67,97   |
| <b>विनियोजन</b>  | <b>Appropriations</b>   |  |  |
| निम्नलिखित में अन्तरण :                                      | Transfer to :   |  |  |
| क) सांविधिक प्रारक्षित निधि                                  | a) Statutory Reserve  |  | 1060,41,99   |
| ख) पूंजीगत प्रारक्षित निधि                                   | b) Capital Reserve  |  | 20,99,56   |
| ग) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां                        | c) Revenue and Other Reserves   |  |  |
| I) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित                               | I) Investment Fluctuation Reserve   |  | -  |
| II) सामान्य प्रारक्षित निधि                                  | II) General Reserve   |  | 2100,45,56   |
| III) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित          | III) Special Reserve u/s 36 (1) (viii)  |  | 335,39,00  |
| IV) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)                        | IV) Statutory Reserve (Foreign)   |  | 2,46,92  |
| घ) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)                        | d) Proposed Dividend (including Dividend Tax)                                       |  | 753,35,20  |
| ङ) निवेश प्रारक्षित खाता                                     | e) Investment Reserve Account   |  | (31,40,26)   |
| जोड़   | T O T A L   |  | 4241,67,97   |
| प्रति शेयर मूल एवं न्यून अर्जन (₹)                           | Basic & Diluted Earnings per Share (₹)  | 18 (B.5)   | 116.37   |
| उल्लेखनीय लेखा नीतियां                                       | Significant Accounting Policies   | 17   |  |
| लेखों पर टिप्पणियां  | Notes on Accounts   | 18   |  |
| ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का अभिन्न भाग है. | The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account. |  |  |

Shri M. D. Mallya  
Chairman & Managing Director  
Shri R. K. Bakshi  
Executive Director  
Shri N. S. Srinath  
Executive Director  
Shri K. K. Shukla  
General Manager  
Corporate A/cs, Taxation  
& Compliance Officer - RBI  
Shri V. K. Gupta  
Dy. General Manager  
Corporate A/cs & Taxation

**DIRECTORS**  
Shri Alok Nigam  
Shri R. Gandhi  
Shri V. B. Chavan  
Shri Ajay Mathur  
Dr. (Smt.) Masarrat Shahid  
Shri Satya Dev Tripathi  
Dr. Dharmendra Bhandari  
Dr. Deepak B. Phatak  
Shri Maulin A Vaishnav

**AUDITORS**  
As per our separate report of even date attached

|  |  |   |
|--|--|---|
| For Ashwani & Associates<br>Chartered Accountants<br>FRN: 000497N<br>(Aditya Kumar )<br>Partner<br>M No.506955 | For S. K. Kapoor & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN: 000745C<br>(Sanjiv Kapoor )<br>Partner<br>M No. 070487 | For N C Banerjee & Co<br>Chartered Accountants<br>FRN: 302081E<br>(P. K. Sarker )<br>Partner<br>M No.060543     |
| For Haribhakti & Co<br>Chartered Accountants<br>FRN: 103523W<br>(Rakesh Rathi)<br>Partner<br>M No. 045228      | For Khimji Kunverji & Co<br>Chartered Accountants<br>FRN: 105146W<br>(Gautam Shah)<br>Partner<br>M No. 117348  | For Brahmayya & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN: 000511S<br>( K. Jitendra Kumar)<br>Partner<br>M No. 201825 |

Place : Mumbai  
Date : 28.04.2011





## तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Balance Sheet

(000's अनंकित omitted)

|   |   | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2011 |            | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2010 |            |
|---|---|---|------------|---|------------|
|   |   | ₹   | ₹          | ₹   | ₹          |
| <b>अनुसूची -1 पूंजी</b>   | <b>SCHEDULE - 1 CAPITAL</b>   |   |            |   |            |
| <b>प्राधिकृत पूंजी</b>  | <b>AUTHORISED CAPITAL</b>   |   |            |   |            |
| प्रति ₹ 10/- के 300,00,00,000 शेयर<br>(पिछले वर्ष 300,00,00,000/- प्रति शेयर ₹ 10/- के)   | 300,00,00,000 Shares of ₹10/- each<br>(previous year 300,00,00,000/- shares of ₹10/- each)  |   |            |   |            |
|   |   |   | 3000,00,00 |   | 3000,00,00 |
| <b>निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी</b>   | <b>ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL</b>  |   |            |   |            |
| प्रति ₹ 10/- के 39,42,79,579 इक्विटी शेयर<br>(पिछले वर्ष 36,70,00,000 इक्विटी शेयर प्रति ₹ 10/- के)   | 39,42,79,579 Equity Shares of ₹10/- each<br>(previous year 36,70,00,000/- equity shares of ₹10/- each)  |   |            |   |            |
|   |   |   | 394,27,96  |   | 367,00,00  |
| <b>मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी</b>   | <b>CALLED-UP &amp; PAID-UP CAPITAL</b>  |   |            |   |            |
| 22,32,79,579 इक्विटी शेयर सहित प्रति ₹ 10/- के 39,15,46,079 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 36,42,66,500) जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रतिशेयर ₹ 10/- के 22,32,79,579 इक्विटी शेयर, जिनकी राशि ₹ 223.28 करोड़ है, शामिल है. | 39,15,46,079 (Previous Year 36,42,66,500) Equity Shares of ₹10 each including 22,32,79,579 Equity Shares (Previous year 19,60,00,000 Shares) amounting to ₹223.28 crores held by Central Government |   |            |   |            |
|   |   |   | 391,54,61  |   | 364,26,65  |
| जोड़ें : जब्त किए गए शेयर   | Add : Forfeited Shares  |   | 1,26,12    |   | 1,26,12    |
| जोड़  | Total   |   | 392,80,73  |   | 365,52,77  |
| <b>अनुसूची-2</b>  | <b>SCHEDULE - 2</b>   |   |            |   |            |
| <b>प्रारक्षित निधियां और अधिशेष</b>   | <b>RESERVES &amp; SURPLUS</b>   |   |            |   |            |
| <b>I सांविधिक प्रारक्षित निधियां</b>  | <b>I Statutory Reserves</b>   |   |            |   |            |
| प्रारम्भिक शेष  | Opening Balance   | 3551,75,43  |            | 2787,17,15  |            |
| अवधि के दौरान परिवर्धन  | Additions during the period   | 1060,41,99  | 4612,17,42 | 764,58,28   | 3551,75,43 |
| <b>II प्रारक्षित पूंजी</b><br>(पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित)  | <b>II Capital Reserves</b><br>(including Revaluation Reserve)   |   |            |   |            |
| प्रारम्भिक शेष  | Opening Balance   | 2079,07,35  |            | 2079,58,28  |            |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन  | Additions during the year   | 20,99,56  |            | 126,58,95   |            |
| अन्य समायोजन  | Other Adjustments   | 79,05   |            | 1,62,54   |            |
|   |   | 2100,85,96  |            | 2207,79,77  |            |
| <b>कटौतियां :</b>   | <b>Deductions:</b>  |   |            |   |            |
| लाभ-हानि खाते में अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्य हास  | Depreciation on revalued fixed assets transferred to Profit & Loss account  | (79,55,26)  | 2021,30,70 | (128,72,42)   | 2079,07,35 |
| <b>III शेयर प्रीमियम</b>  | <b>III Share Premium</b>  |   |            |   |            |
| प्रारम्भिक शेष  | Opening Balance   | 2273,88,56  |            | 2273,88,56  |            |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन  | Additions during the year   | 2433,72,03  | 4707,60,59 | -   | 2273,88,56 |



(000's अनंकित omitted)

|   |  | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2011 |   | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2010 |   |
|---|--|---|---|---|---|
|   |  | ₹   | ₹ | ₹   | ₹ |
| <b>अनुसूची-2 प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)</b>                          |  |   |   |   |   |
| <b>SCHEDULE - 2 RESERVES &amp; SURPLUS (Contd.)</b>                           |  |   |   |   |   |
| IV राजस्व और अन्य प्रारक्षित /<br>निधियां                                     | IV Revenue & Other<br>Reserves                             |   |   |   |   |
| क) सांविधिक प्रारक्षित निधियां<br>(विदेशी)                                    | a) Statutory Reserve<br>(Foreign)                          |   |   |   |   |
| प्रारंभिक शेष   | Opening Balance  | 85,55,83  |   | 92,35,13  |   |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन  | Additions during the<br>year                               | 2,46,92   |   | 90,22   |   |
| अन्य समायोजन  | Other Adjustments  | 1,18,90   |   | (7,69,52)   |   |
|   |  | <u>89,21,65</u>                                       |   | <u>85,55,83</u>                                       |   |
| ख) आयकर अधिनियम की<br>धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत<br>विशेष प्रारक्षित निधियां | b) Special Reserve u/s<br>36(1)(viii) of Income<br>Tax Act |   |   |   |   |
| प्रारंभिक शेष   | Opening Balance  | 690,00,00   |   | 420,00,00   |   |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान<br>परिवर्धन  | Add: Additions during<br>the year                          | 335,39,00   |   | 270,00,00   |   |
|   |  | <u>1025,39,00</u>                                     |   | <u>690,00,00</u>                                      |   |
| ग. विदेशी मुद्रा प्रारक्षित<br>निधियां  | c) Foreign Currency<br>Translation Reserve                 |   |   |   |   |
| प्रारंभिक शेष   | Opening Balance  | (13,43,51)  |   | 44,18,18  |   |
| वर्ष के दौरान<br>परिवर्धन   | Additions during the<br>year                               | 12,37,09  |   | (57,61,69)  |   |
|   |  | <u>(1,06,42)</u>                                      |   | <u>(13,43,51)</u>                                     |   |
| घ. प्रारक्षित निवेश खाता  | d) Investment Reserve<br>Account                           |   |   |   |   |
| प्रारंभिक शेष   | Opening Balance  | -   |   | -   |   |
| वर्ष 2009-10 के अन्य<br>प्रारक्षित निधि से<br>अंतरण                           | Transferred from<br>Other Reserve for<br>F.Y.2009-10       | 100,13,99   |   | -   |   |
| लाभ-हानि विनियोजन<br>खाते में अंतरण   | Transferred to P&L<br>Appropriation A/c.                   | (31,40,26)  |   | -   |   |
|   |  | <u>68,73,73</u>                                       |   | <u>-</u>  |   |
| ङ. अन्य प्रारक्षित निधियां  | e) Other Reserves  |   |   |   |   |
| प्रारंभिक शेष   | Opening Balance  | 6074,01,84  |   | 4817,02,23  |   |
| वित्तीय वर्ष 2009-10<br>के लिए प्रारक्षित<br>निवेश खाते को<br>अन्तरित         | Transferred to IRA for<br>F.Y 2009-10                      | (100,13,99)   |   | -   |   |
| वर्ष के दौरान<br>परिवर्धन   | Additions during the<br>year                               | 2100,45,56  |   | 1256,99,61  |   |
| वर्ष के दौरान<br>समायोजन  | Adjustments during<br>the year                             | 2,60,38   |   | -   |   |
|   |  | <u>8076,93,79</u>                                     |   | <u>6074,01,84</u>                                     |   |
| जेड़ - IV (क, ख, ग, घ और ङ)   | TOTAL - IV (a, b, c, d & e)                                | 9259,21,75  |   | 6836,14,16  |   |
| जोड़ (I से IV)  | TOTAL (I to IV)  | <u>20600,30,46</u>                                    |   | <u>14740,85,50</u>                                    |   |



(000's अनंकित omitted)

|  |   | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2011   |              | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2010 |              |
|--|---|---|--------------|---|--------------|
|  |   | ₹   | ₹            | ₹   | ₹            |
| <b>अनुसूची-3 जमाराशियां</b>            |   | <b>SCHEDULE - 3 DEPOSITS</b>  |              |   |              |
| क. I                                   | मांग-जमाराशियां   | A. I Demand Deposits  |              |   |              |
|  | i) बैंकों से  | i) From Banks   |              | 875,98,04   | 1107,57,64   |
|  | ii) अन्य से   | 22258,68,51   | 23134,66,55  | 17816,00,96   | 18923,58,60  |
| II                                     | बचत बैंक जमाराशियां   | II Savings Bank Deposits  |              | 64454,03,09   | 52543,92,44  |
| III                                    | मीयादी जमाराशियां   | III Term Deposits   |              |   |              |
|  | i) बैंकों से  | i) From Banks   |              | 41032,90,53   | 32928,34,46  |
|  | ii) अन्य से   | 176817,88,02  | 217850,78,55 | 136866,07,02  | 169794,41,48 |
|  | जोड़ (I से III)   | TOTAL (I to III)  |              | 305439,48,19  | 241261,92,52 |
| ख. I                                   | भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां   | B. I Deposits of branches in India  |              | 233323,30,01  | 185500,24,69 |
| II                                     | भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां   | II Deposits of branches outside India   |              | 72116,18,18   | 55761,67,83  |
|  | जोड़ (I और II)  | TOTAL (I & II)  |              | 305439,48,19  | 241261,92,52 |
| <b>अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां</b> |   | <b>SCHEDULE - 4 BORROWINGS</b>  |              |   |              |
| I.                                     | भारत में उधार ली गयी राशियां  | I. Borrowings in India  |              |   |              |
| i)                                     | भारतीय रिज़र्व बैंक   | i) Reserve Bank of India  |              | 350,00,00   | -            |
| ii)                                    | अन्य बैंक   | ii) Other Banks   |              | 114,48,74   | 108,18,70    |
| iii)                                   | अन्य संस्थान एवं एजेंसियां  | iii) Other Institutions and Agencies  |              | 471,56,24   | 340,97,47    |
| iv)                                    | नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)   | iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)  |              | 1911,70,00  | 1200,20,00   |
| v)                                     | गौण बांड  | v) Subordinated Bonds   |              | 7490,00,00  | 5990,00,00   |
|  | जोड़ (i to iv)  | TOTAL (i to iv)   |              | 10337,74,98   | 7639,36,17   |
| II.                                    | भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां (₹ 1337.88 करोड़ के एमटीएन बांड सहित) (पिछले वर्ष ₹ 1347.00 करोड़) | II. Borrowings outside India (includes MTN Bonds of ₹1347.00 crs (previous year ₹1347.00 crs) ) |              | 11970,10,50   | 5710,72,33   |
|  | जोड़ - उधार ली गई राशियां (I एवं II)  | Total - Borrowings (I & II)   |              | 22307,85,48   | 13350,08,50  |
|  | उपरोक्त में शामिल जमानती उधार राशियां   | Secured Borrowings included in above  |              | 71,56,24  | 140,97,47    |



(000's अनंकित omitted)

|  |  | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2011 |                    | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2010 |                    |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------|
|  |  | ₹   | ₹                  | ₹   | ₹                  |
| अनुसूची - 5  | <b>SCHEDULE - 5</b>  |   |                    |   |                    |
| अन्य देयताएं और प्रावधान :                                 | <b>OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS</b>                      |   |                    |   |                    |
| I देय बिल  | I Bills Payable  |   | 1651,81,07         |   | 1444,92,43         |
| II अन्तर कार्यालय<br>समायोजन (शुद्ध)                       | II Inter Office Adjustments (Net)                            |   | -                  |   | 35,60,93           |
| III उपचित ब्याज  | III Interest Accrued   |   | 2138,29,54         |   | 1720,97,16         |
| IV मानक अग्रिमों की एवज में<br>आकस्मिक प्रावधान            | IV Contingent Provision against<br>Standard Advances         |   | 911,35,00          |   | 688,71,28          |
| V अन्य (प्रावधानों सहित)                                   | V Others (including provisions)                              |   | 4955,27,07         |   | 4708,09,19         |
| जोड़ (I से V)  | TOTAL (I to V)   |   | <u>9656,72,68</u>  |   | <u>8598,30,99</u>  |
| अनुसूची - 6  | <b>SCHEDULE - 6</b>  |   |                    |   |                    |
| नकदी और भारतीय रिज़र्व<br>बैंक के पास शेष                  | <b>CASH AND BALANCES WITH<br/>RESERVE BANK OF INDIA</b>      |   |                    |   |                    |
| I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा<br>नोटों सहित)               | I Cash in hand (including foreign<br>currency notes)         |   | 1357,06,76         |   | 1173,06,57         |
| II भारतीय रिज़र्व बैंक के<br>पास चालू खाते में शेष<br>राशि | II Balances with Reserve Bank of<br>India in Current Account |   | 18511,11,13        |   | 12366,90,34        |
| जोड़ (I और II)   | TOTAL (I & II)   |   | <u>19868,17,89</u> |   | <u>13539,96,91</u> |





(000's अनंकित omitted)

|   |   | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2011 |             | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2010 |             |
|---|---|---|-------------|---|-------------|
|   |   | ₹   | ₹           | ₹   | ₹           |
| अनुसूची -7<br>बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग<br>एवं अल्प सूचना पर देय राशि | SCHEDULE - 7<br>BALANCES WITH BANKS AND<br>MONEY AT CALL & SHORT NOTICE |   |             |   |             |
| I भारत में  | I In India  |   |             |   |             |
| i) बैंकों के पास शेष राशि   | i) Balances with Banks  |   |             |   |             |
| क) चालू खातों में   | a) in Current Accounts  | 247,67,89   |             | 372,68,84   |             |
| ख) अन्य जमा खातों में   | b) in Other Deposit Accounts  | 1519,88,03  | 1767,55,92  | 541,61,77   | 914,30,61   |
| ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि   | ii) Money at call and short notice with                                 |   |             |   |             |
| क) बैंकों के पास  | a) Banks  | -   |             | 240,00,00   |             |
| ख) अन्य संस्थानों के पास  | b) Other institutions   | -   | -           | -   | 240,00,00   |
| जोड़ (i और ii )   | TOTAL (i and ii)  |   | 1767,55,92  |   | 1154,30,61  |
| II भारत से बाहर   | II Outside India  |   |             |   |             |
| i) चालू खातों में   | i) in Current Accounts  | 4869,00,14  |             | 1346,24,59  |             |
| ii) अन्य जमा खातों में  | ii) in Other Deposit Accounts   | 11276,17,90   |             | 9713,26,29  |             |
| iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प<br>सूचना पर देय राशि                       | iii) Money at Call and Short Notice<br>with Banks                       | 12153,14,93   |             | 9713,27,36  |             |
| जोड़ (i, ii और iii)   | TOTAL (i, ii and iii)   |   | 28298,32,97 |   | 20772,78,24 |
| कुल जोड़ (I और II)  | GRAND TOTAL (I and II)  |   | 30065,88,89 |   | 21927,08,85 |



(000's अनंकित omitted)

|   |  | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2011 |   | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2010 |   |
|---|--|---|---|---|---|
|   |  | ₹   | ₹ | ₹   | ₹ |
| <b>अनुसूची-8 निवेश</b>  |  | <b>SCHEDULE - 8 INVESTMENTS</b>                       |   |   |   |
| I भारत में निवेश (सकल)  | I Investments in India (Gross)   | 68001,33,76   |   | 57911,71,40   |   |
| घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान   | Less: Provision for Depreciation   | 336,96,44   |   | 350,07,08   |   |
| भारत में शुद्ध निवेश  | Net Investments in India   | 67664,37,32   |   | 57561,64,32   |   |
| अलग-अलग विवरण   |  | <b>BREAK - UP</b>                                     |   |   |   |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां  | i) Government Securities   | 59288,92,72   |   | 49442,45,06   |   |
| (क्वियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में लॉज किए गए ₹90.00 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹60.00 करोड़) के ₹90.25 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹61.01 करोड़) शामिल है                                  | [includes ₹90.25 Crores (Previous year-₹61.01 Crores) face value of ₹90.00 Crores (Previous year-₹60.00 Crores) lodged with Clg. Corp. of India]   |   |   |   |   |
| [एमसीएक्स के साथ लॉज किए गए ₹15.30 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹5.30) के ₹15.34 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹5.46)]   | [includes ₹15.34 Crores (Previous year ₹5.46) face value of ₹15.30 Crores (Previous year ₹5.30) lodged with MCX]   |   |   |   |   |
| [एनएसई के पास लॉज किए गए ₹20.00 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष शून्य) के ₹20.06 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य)] शामिल है   | [includes ₹20.06 crores (Previous year NIL) face value of ₹20.00 crores (Previous year NIL) lodged with NSE]   |   |   |   |   |
| [यूएसई में जमा 5.25 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष शून्य) के ₹5.27 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य)] शामिल है  | [includes ₹5.27 crores (Previous year NIL) face value of ₹5.25 crores (Previous year NIL) lodged with USE]   |   |   |   |   |
| [सीसीआईएल, एमसीएक्स, एफडब्ल्यूडी में जमा 5.00 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष शून्य) के ₹5.02 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य)]   | [includes ₹5.02 crores (Previous year NIL) face value of ₹5.00 crores (Previous year NIL) lodged with CCIL MCX FWD]  |   |   |   |   |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां  | ii) Other Approved Securities  | 536,27,94   |   | 795,38,83   |   |
| iii) शेयर   | iii) Shares  | 1325,16,67  |   | 1231,91,69  |   |
| iv) डिबेंचर और बांड   | iv) Debentures and Bonds   | 2356,11,49  |   | 2351,81,30  |   |
| v) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उद्यम (इसमें बैंक का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अग्रिम के रूप में शेयर पूंजी अंशदान पेंडिंग अलाटमेंट ₹94.62 करोड़) (पिछले वर्ष ₹101.27 करोड़) शामिल हैं. | v) Subsidiaries and/or Joint Ventures [includes Bank's share of contribution as advance of ₹94.62 Crores (Previous year ₹101.27 Crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment] | 863,42,26   |   | 774,31,30   |   |
| vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्रों, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों, यूटीआई यूनिटों, और अन्य म्यूचुअल फंड, पास-थ्रू प्रमाण पत्र आदि में)  | vi) Other Investments (Commercial Papers, I.V.P., KVP, Units of UTI & Other Mutual Funds, Pass Through Certificates etc.)  | 3294,46,24  |   | 2965,76,14  |   |
|   |  | <u>67664,37,32</u>                                    |   | <u>57561,64,32</u>                                    |   |



(000's अनंकित omitted)

|  |   | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2011 |              | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2010 |              |
|--|---|---|--------------|---|--------------|
|  |   | ₹   | ₹            | ₹   | ₹            |
| <b>अनुसूची-8 निवेश (जारी)</b>  |   |   |              |   |              |
| <b>SCHEDULE - 8 INVESTMENTS (contd.)</b>                             |   |   |              |   |              |
| II भारत के बाहर निवेश (सकल)  | II Investments Outside India (Gross)                                    | 3739,46,94  |              | 3798,46,24  |              |
| घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान                                    | Less: Provision for Depreciation  | 143,21,17   |              | 177,73,02   |              |
| भारत के बाहर शुद्ध निवेश   | Net Investments Outside India   |   | 3596,25,77   |   | 3620,73,22   |
| <b>अलग-अलग विवरण</b>   |   | <b>BREAK - UP</b>                                     |              |   |              |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)                    | i) Government Securities (Including Local Authorities)                  | 916,44,02   |              | 1001,23,42  |              |
| ii) विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम                     | ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad                           | 402,54,39   |              | 311,14,77   |              |
| iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बांड आदि)                                  | iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)                         | 2277,27,36  |              | 2308,35,03  |              |
|  |   | 3596,25,77  |              | 3620,73,22  |              |
| जोड़ (I और II)   | TOTAL (I and II)  |   | 71260,63,09  |   | 61182,37,54  |
| <b>अनुसूची-9 अग्रिम</b>  |   | <b>SCHEDULE - 9 ADVANCES</b>                          |              |   |              |
| क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल  | A. i) Bills Purchased and Discounted                                    | 29689,90,20   |              | 19265,93,26   |              |
| ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण                   | ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand              | 97804,86,18   |              | 79631,46,89   |              |
| iii) मीयादी ऋण   | iii) Term Loans   | 101181,59,71  |              | 76137,88,44   |              |
| जोड़ क (i से iii)  | TOTAL A(i to iii)   |   | 228676,36,09 |   | 175035,28,59 |
| ख. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूतित (बही-ऋण की एवज में अग्रिमों सहित) | B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts) | 145684,45,22  |              | 109231,65,64  |              |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित                                     | ii) Covered by Bank/Government Guarantees                               | 33889,56,62   |              | 23099,51,80   |              |
| iii) गैर-जमानती  | iii) Unsecured  | 49102,34,25   |              | 42704,11,15   |              |
| जोड़ ख (i से iii)  | TOTAL B(i to iii)   |   | 228676,36,09 |   | 175035,28,59 |
| ग. I भारत में अग्रिम   | C. I Advances in India  |   |              |   |              |
| i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र   | i Priority Sector   | 54909,27,21   |              | 46121,88,55   |              |
| ii सार्वजनिक क्षेत्र   | ii Public Sector  | 23053,89,13   |              | 18542,45,32   |              |
| iii बैंक   | iii Banks   | 520,78,73   |              | 12,05,70  |              |
| iv अन्य  | iv Others   | 90923,91,42   | 169407,86,49 | 66967,22,81   | 131643,62,38 |
| II भारत से बाहर अग्रिम   | II Advances Outside India   |   |              |   |              |
| i बैंकों से प्राप्य  | i Due from Banks  | 119,49,70   |              | 192,07,73   |              |
| ii अन्य से प्राप्य   | ii Due from Others  |   |              |   |              |
| क) खरीदे और भुनाए गए बिल   | a) Bills Purchased & Discounted   | 25851,45,42   |              | 16422,35,27   |              |
| ख) सिंडीकेट ऋण   | b) Syndicated Loans   | 9529,92,14  |              | 7704,66,98  |              |
| ग) अन्य  | c) Others   | 23767,62,34   | 59268,49,60  | 19072,56,23   | 43391,66,21  |
| जोड़ ग(I और II)  | TOTAL C(I & II)   |   | 228676,36,09 |   | 175035,28,59 |



(000's अनंकित omitted)

|   |  | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2011 |                   | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2010 |                   |
|---|--|---|-------------------|---|-------------------|
|   |  | ₹   | ₹                 | ₹   | ₹                 |
| <b>अनुसूची-10 अचल आस्तियां</b>  | <b>SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS</b>  |   |                   |   |                   |
| <b>I परिसर</b>  | <b>I Premises</b>  |   |                   |   |                   |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत/<br>पुनर्मूल्यांकित राशि पर  | At cost/revalued amount as<br>on 31st March of the<br>preceding year   | 2442,16,11  |                   | 2415,03,75  |                   |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन/<br>समायोजन  | Additions/adjustments<br>during the year   | <u>48,22,01</u>                                       |                   | <u>27,23,54</u>                                       |                   |
|   |  | 2490,38,12  |                   | 2442,27,29  |                   |
| वर्ष के दौरान<br>कटौतियां/समायोजन   | Deductions/adjustments during<br>the year  | <u>1,93,85</u>  |                   | <u>11,18</u>  |                   |
|   |  | 2488,44,27  |                   | 2442,16,11  |                   |
| आज की तारीख तक मूल्यहास/<br>परिशोधन   | Less: Depreciation/<br>Amortisation to date  | <u>712,12,97</u>                                      | 1776,31,30        | <u>607,78,64</u>                                      | 1834,37,47        |
| <b>II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं<br/>फिक्सचर को मिलाकर) पिछले वर्ष<br/>के 31 मार्च को लागत /पुनर्मूल्यांकित<br/>राशि पर</b> | <b>II Other Fixed Assets<br/>(including Furniture &amp; Fixtures)<br/>At cost/valued amount as on<br/>31st March of the preceding<br/>year</b> | 1810,48,05  |                   | 1539,09,28  |                   |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन/<br>समायोजन  | Additions/adjustments during the<br>year   | <u>310,09,44</u>                                      |                   | <u>311,47,60</u>                                      |                   |
|   |  | 2120,57,49  |                   | 1850,56,88  |                   |
| घटाएं : वर्ष के दौरान<br>कटौतियां/समायोजन   | Less: Deductions/adjustments<br>during the year  | <u>60,85,77</u>                                       |                   | <u>40,08,83</u>                                       |                   |
|   |  | 2059,71,72  |                   | 1810,48,05  |                   |
| घटाएं : आज की तारीख तक<br>मूल्यहास  | Less : Depreciation to date  | <u>1536,31,19</u>                                     | 523,40,53         | <u>1360,09,04</u>                                     | 450,39,01         |
| <b>III पट्टे पर दी गयी आस्तियां (अनुषंगी<br/>इकाई बंद करने पर अधिगृहीत)</b>   | <b>III Assets given on Lease<br/>(Acquired on winding up of a<br/>subsidiary)</b>  |   |                   |   |                   |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च की<br>लागत /पुनर्मूल्यांकित राशि पर  | At cost/valued amount as on<br>31st March of the preceding<br>year   | 13,95,89  |                   | 13,95,89  |                   |
| घटाएं : आज की तारीख तक<br>मूल्यहास  | Less : Depreciation to date  | <u>13,95,89</u>                                       | -                 | <u>13,95,89</u>                                       | -                 |
| जोड़ (I से III)   | TOTAL (I to III)   |   | <u>2299,71,83</u> |   | <u>2284,76,48</u> |





(000's अनंकित omitted)

|   |  | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2011 |             | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31 <sup>st</sup> Mar, 2010 |             |
|---|--|---|-------------|---|-------------|
|   |  | ₹   | ₹           | ₹   | ₹           |
| <b>अनुसूची -11</b>  | <b>SCHEDULE - 11</b>   |   |             |   |             |
| <b>अन्य आस्तियां</b>  | <b>OTHER ASSETS</b>  |   |             |   |             |
| I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)                              | I Inter-Office Adjustments (Net)                                   | 274,24,46   |             | -   |             |
| II उपचित ब्याज  | II Interest Accrued  | 2433,59,22  |             | 1650,66,83  |             |
| III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल) | III Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions) | 1316,28,35  |             | 1293,48,94  |             |
| IV लेखन सामग्री और स्टाम्प                                  | IV Stationery & Stamps   | 7,08,28   |             | 6,97,44   |             |
| V अन्य  | V Others   | 2195,19,44  |             | 1396,08,70  |             |
| जोड़ (I से V)   | TOTAL (I to V)   | <u>6226,39,75</u>                                     |             | <u>4347,21,91</u>                                     |             |
| <b>अनुसूची -12</b>  | <b>SCHEDULE - 12</b>   |   |             |   |             |
| <b>आकस्मिक देयताएं</b>                                      | <b>CONTINGENT LIABILITIES</b>                                      |   |             |   |             |
| I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया        | I Claims against the Bank not acknowledged as Debts                | 232,56,06   |             | 251,54,73   |             |
| II आंशिक चुकता निवेशों के लिये देयता                        | II Liability for partly paid Investments                           | 28,00   |             | 75,04,43  |             |
| III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता               | III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts | 78432,99,31   |             | 56089,25,80   |             |
| IV संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियां :                      | IV Guarantees given on behalf of Constituents :                    |   |             |   |             |
| क) भारत में   | a) In India  | 11780,04,65   |             | 8561,01,12  |             |
| ख) भारत से बाहर   | b) Outside India   | <u>7678,15,84</u>                                     | 19458,20,49 | <u>4953,62,66</u>                                     | 13514,63,78 |
| V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व                      | V Acceptances, Endorsements and Other Obligations                  | 14890,95,28   |             | 9764,02,56  |             |
| VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता हैं,          | VI Other items for which the Bank is Contingently liable           | 14148,87,89   |             | 8141,56,69  |             |
| जोड़ (I से VI)  | TOTAL (I to VI)  | <u>127163,87,03</u>                                   |             | <u>87836,07,99</u>                                    |             |



**लाभ हानि लेखे की अनुसूचियां**  
**Schedules to Profit & Loss Account**

(000's अनंकित omitted)

|  |  | 31 मार्च, 2011 को<br>Year Ended<br>31 <sup>st</sup> Mar, 2011 |           | 31 मार्च, 2010 को<br>Year Ended<br>31 <sup>st</sup> Mar, 2010 |           |
|--|--|---|-----------|---|-----------|
|  |  | ₹   | ₹         | ₹   | ₹         |
| <b>अनुसूची-13</b>  | <b>SCHEDULE - 13</b>   |   |           |   |           |
| <b>अर्जित ब्याज</b>  | <b>INTEREST EARNED</b>   |   |           |   |           |
| I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा  | I Interest / Discount on Advances / Bills  | 16203,46,57   |           | 12541,22,07   |           |
| II निवेशों पर आय   | II Income on Investments   | 4774,78,27  |           | 3655,87,77  |           |
| III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष रकम और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज                            | III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds                               | 474,79,06   |           | 355,05,72   |           |
| IV अन्य  | IV Others  | 432,87,66   |           | 146,18,68   |           |
| जोड़ (I से IV)   | TOTAL (I to IV)  | <u>21885,91,56</u>  |           | <u>16698,34,24</u>  |           |
| <b>अनुसूची -14</b>   | <b>SCHEDULE - 14</b>   |   |           |   |           |
| <b>अन्य आय</b>   | <b>OTHER INCOME</b>  |   |           |   |           |
| I कमीशन, विनिमय और दलाली   | I Commission, Exchange and Brokerage   | 1020,63,83  |           | 897,28,96   |           |
| II निवेशों के विक्रय पर लाभ  | II Profit on sale of Investments   | 472,95,89   |           | 746,91,63   |           |
| घटाएं : निवेशों की बिक्री पर हानि  | Less: Loss on sale of Investments  | <u>29,25,53</u>   | 443,70,36 | <u>23,68,49</u>   | 723,23,14 |
| III भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ  | III Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets   | 1,37,25   |           | 1,26,50   |           |
| घटाएं : भूमि इमारतों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि  | Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets   | <u>1,54,68</u>  | (17,43)   | <u>1,21,21</u>  | 5,29      |
| IV विनिमय लेन-देन पर लाभ   | IV Profit on Exchange Transactions   | 515,14,49   |           | 386,27,56   |           |
| घटाएं : विनिमय लेन-देन पर हानि   | Less: Loss on Exchange Transactions  | <u>37,46</u>  | 514,77,03 | <u>31,01</u>  | 385,96,55 |
| V विदेशों/भारत में अनुषंगी इकाइयों कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय | V Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/ or Joint Ventures abroad/ in India | 28,46,80  |           | 29,18,85  |           |
| VI विविध आय  | VI Miscellaneous Income  | 801,78,01   |           | 770,62,86   |           |
| जोड़ (I से VI)   | TOTAL (I to VI)  | <u>2809,18,60</u>   |           | <u>2806,35,65</u>   |           |



(000's अनंकित omitted)

|  |   | 31 मार्च, 2011 को<br>Year Ended<br>31 <sup>st</sup> Mar, 2011 |           | 31 मार्च, 2010 को<br>Year Ended<br>31 <sup>st</sup> Mar, 2010 |           |
|--|---|---|-----------|---|-----------|
|  |   | ₹   | ₹         | ₹   | ₹         |
| <b>अनुसूची-15</b>  | <b>SCHEDULE - 15</b>  |   |           |   |           |
| <b>खर्च किया गया ब्याज</b>   | <b>INTEREST EXPENDED</b>  |   |           |   |           |
| I जमाराशियों पर ब्याज  | I Interest on Deposits  | 11862,60,66   |           | 9880,74,64  |           |
| II भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक<br>उधार राशियों पर ब्याज                                     | II Interest on Reserve Bank of<br>India / Inter Bank Borrowings   | 345,34,80   |           | 174,93,20   |           |
| III अन्य   | III Others  | 875,70,31   |           | 703,17,82   |           |
| जोड़ (I से III)  | TOTAL (I to III)  | <u>13083,65,77</u>  |           | <u>10758,85,66</u>  |           |
| <b>अनुसूची-16</b>  | <b>SCHEDULE - 16</b>  |   |           |   |           |
| <b>परिचालन व्यय</b>  | <b>OPERATING EXPENSES</b>   |   |           |   |           |
| I कर्मचारियों को भुगतान और<br>तत्संबंधी प्रावधान   | I Payments to and Provisions<br>for Employees   | 2916,78,26  |           | 2350,88,04  |           |
| II किराया, कर और बिजली   | II Rent, Taxes and Lighting   | 357,10,18   |           | 301,85,99   |           |
| III छपाई और लेखन सामग्री   | III Printing and Stationery   | 32,46,90  |           | 28,02,32  |           |
| IV विज्ञापन एवं प्रचार   | IV Advertisement and Publicity  | 57,51,10  |           | 44,46,22  |           |
| V बैंक की सम्पत्ति पर<br>मूल्यहास  | V Depreciation on Bank's<br>Property  | 322,59,36   |           | 359,58,47   |           |
| घटायें : अचल सम्पत्तियों के<br>पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित<br>पूँजी से समायोजित मूल्यहास | Less Depreciation adjusted<br>from capital reserve on<br>account of revaluation of<br>immoveable properties | 79,55,26  | 243,04,10 | 128,72,42   | 230,86,05 |
| VI निदेशकों की फीस, भत्ते<br>और खर्च   | VI Directors' Fees, Allowances<br>and Expenses  | 85,91   |           | 1,02,49   |           |
| VII लेखा परीक्षकों की फीस और खर्च<br>(शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं<br>खर्च सहित)             | VII Auditors' Fees and Expenses<br>(including Branch Auditors'<br>Fees and Expenses)                        | 38,85,46  |           | 37,25,39  |           |
| VIII विधि प्रभार   | VIII Law Charges  | 18,87,90  |           | 17,69,41  |           |
| IX डाक, तार और<br>टेलीफोन आदि  | IX Postages, Telegrams,<br>Telephones etc.  | 88,08,74  |           | 78,16,01  |           |
| X मरम्मत और रखरखाव   | X Repairs and Maintenance   | 110,44,95   |           | 118,02,17   |           |
| XI बीमा  | XI Insurance  | 229,68,16   |           | 179,59,76   |           |
| XII अन्य खर्च  | XII Other Expenditure   | 536,11,83   |           | 422,74,28   |           |
| जोड़ (I से XII)  | TOTAL (I to XII)  | <u>4629,83,49</u>   |           | <u>3810,58,13</u>   |           |



## अनुसूची-17 : वर्ष 2010-2011 की उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

### Schedule - 17 : Significant accounting policies for the year ended march 31, 2011

#### 1. तैयारी का आधार :

वित्तीय विवरणियां, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार की गई हैं। ये भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांत (जीएपी)के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणाली का अनुपालन किया गया है।

#### 2. आकलनों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई अस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। भावी परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/संशोधन वर्तमान एवं भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा कोई उल्लेख न हो।

#### 3. निवेश :

##### 3.1 वर्गीकरण

बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें

- (क) "परिपक्वता तक धारित" में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ख) "व्यापार हेतु धारित" में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ग) "बिक्री हेतु उपलब्ध" में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

##### 3.2 वर्गीकरण का आधार

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारत औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बांड, जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए अस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिल, कर्माशियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण-पत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है।

संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन हास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

वीसीएफ इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए "परिपक्वता तक धारित" संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित

#### 1. BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

#### 2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

#### 3. INVESTMENTS

##### 3.1 Classification

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the RBI guidelines, into:

- a. "Held to Maturity" comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- b. "Held for Trading" comprising Investments acquired with the intention to trade.
- c. "Available for Sale" comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

##### 3.2 Basis of Classification

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost.



किया जाता है. सवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे 'बिक्री के लिए उपलब्ध' में अंतरित कर दिया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार 'बाजार' के रूप में चिन्हित किया जाता है.

### 3.3 अधिग्रहण लागत

निवेश की अधिग्रहण लागत में प्रोत्साहन, प्रारंभिक शुल्क एवं कमीशन राशि सम्मिलित है.

### 3.4 निवेशों का निस्तारण

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारत औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखे में लिया जाता है तथा “परिपक्वता तक धारित” वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत प्रारक्षित खाते में समायोजित की गई है.

'बिक्री के लिए उपलब्ध' और व्यापार के लिए धारित निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ हानि खातों में प्रभारित किया जाता है.

### 3.5 मूल्यांकन

“व्यापार के लिए धारित” एवं “बिक्री के लिए उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत निवेश, स्क्रिप्ट बाजार के रूप में चिन्हित किये जाते हैं और तुलन पत्र में घोषित परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई हो, को “लाभ हानि खाते” के हिसाब में लिया जाता है, जबकि यदि कोई मूल्य वृद्धि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है.

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा व्यापार के लिए धारित संवर्ग के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का मूल्यांकन 'फिमडा' द्वारा घोषित मूल्यों के अनुसार तिमाही आधार पर किया जाता है. यदि इससे शुद्ध मूल्यहास हो तो इसे 'लाभ/हानि खाते' में आकलित किया जाता है और यदि कोई मूल्य वृद्धि हो, उसे छोड़ दिया जाता है.

“व्यापार के लिए धारित” तथा “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए, बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई)/फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है.

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें/उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

|   |   |
|---|---|
| क) सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां         | - “परिपक्वता प्रतिफल” के आधार पर  |
| ख) इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर | - अद्यतन तुलन-पत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा ₹1/- प्रति कंपनी. |
| ग) अधिमान शेयर                          | - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर                        |
| घ) पीएसयू बांड                          | - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर.                       |
| ङ) म्यूचुअल फंड की यूनिटें              | फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/ एन.ए.वी. पर                |

After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

### 3.3 Acquisition Cost

Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

### 3.4 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as “Held to Maturity” is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in “Held to Maturity” classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

### 3.5 Valuation

Investments classified as “Held for Trading” and “Available for Sale” are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category are marked-to-market on quarterly basis based on the FIMMDA prices declared and the resultant net depreciation if any, is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

For the purpose of valuation of quoted investments in “Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under :

|  |  |
|--|--|
| a. Government / Approved securities      | - on Yield to Maturity basis.  |
| b. Equity Shares, PSU and Trustee shares | - at book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company. |
| c. Preference Shares                     | - on Yield to Maturity basis. with appropriate credit spread mark-up.                                      |
| d. PSU Bonds                             | - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.                                       |
| e. Units of Mutual Funds                 | - at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.                     |



च) उद्यम पूंजी लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार घोषित एनएवी या अलग-अलग एनएवी जो कि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हो तो प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) - 1/- ₹

f. Venture Capital - Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.

3.6 निपटान दिवस आधार पर किए गए निवेश के लिए बैंक एकरूप लेखांकन पद्धति अपनाता है।

3.6 The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.

3.7 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा उस देश के दिशा-निर्देशों को, जो भी ज्यादा सख्त हों, का पालन किया गया है। विदेशों में स्थित उन शाखाओं के मामले में जहां पर दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।

3.7 In respect of Investments at Overseas Branches, RBI guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the RBI are followed.

3.8 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की जाती है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया जाता है।

3.8 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.9 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी गई है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

3.9 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.

### 3.10 पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद

### 3.10 REPO / Reverse REPO

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर)। पुनः खरीद एवं प्रत्यावर्तित पुनः खरीद संव्यवहारों को संपार्श्विक उधार/ऋणदान के अंतर्गत माना जाता है जिसमें सहमत शर्तों पर पुनःखरीद का करार किया जाता है। पुनः खरीद के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और प्रत्यावर्तित पुनः खरीद प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता। लागत एवं राजस्व को ऋण ब्याज व्यय/आय को यथास्थिति वर्गीकृत किया जाता है।

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे/जमा की जाती हैं और संव्यवहार की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की जाती हैं। खर्च किये ब्याज/उस पर अर्जित आय को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

### 3.11 डेरिवेटिव्स :

### 3.11 Derivatives

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप्स हैं।

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options and Currency swaps.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशनस मार्केड टू मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है। लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है। ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर लाभ/हानि समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है।

The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivative are accounted on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

मूल्यांकन के लिए, कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

तुलन पत्र दिनांक को 'फेडरैड' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अर्न्तगत वर्गीकृत किया जाता है।

#### 4. अग्रिम :

- 4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हों, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है।
- 4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उंचत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल है।
- 4.3 पुनर्निधारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है।
- 4.4 अस्तित्व पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) /प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया जाता है बल्कि इसे अन्य गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने पर कमी/हानि को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।

#### 5. अचल आस्तियां :

- 5.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, सामान्यतः परम्परागत मूल्य पर ली गयी हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। तथा इस पर मूल्यहास को इसमें से घटाया जाता है।
- 5.2 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

#### 6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष :

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

#### 7. राजस्व का निर्धारण :

- 7.1 आय को उपचय आधार पर जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखांकित किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय / व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गई है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।
- 7.2 गैर निष्पादित आस्तियों / निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।
- 7.3 सरकारी कारोबार, गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज तथा कर रिफंड पर अर्जित ब्याज को छोड़कर शुल्क, कमीशन के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

#### 4. ADVANCES

- 4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per the Prudential Norms of the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with stringent of the Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made.
- 4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.
- 4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for dimunition in fair value of restructured advances is measured in present value terms as per RBI guidelines.
- 4.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is not reversed but is utilised to meet the shortfall /loss on account of Sale of other non-performing financial assets.

#### 5. FIXED ASSETS

- 5.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except revalued premises. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.
- 5.2 Premises includes land & building under construction.

#### 6. RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

#### 7. REVENUE RECOGNITION

- 7.1 Income / expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 7.2 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.
- 7.3 Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, LCs, Exchange, Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on



कंपनियों के शेयरों पर डिविडेंड वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

- 7.4 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 19 (पट्टे) के अनुसार लीज शर्त पर लीज भुगतानों को, जिसमें परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों की लागत वृद्धि शामिल है, लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

## 8. कर्मचारियों को लाभ :

### 8.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि अंशदान योजना की व्याख्या की गई है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

### 8.2 उपदान

उपदान देयता की व्याख्या लाभ (हित) के रूप में व्याख्या की गई है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और एक पृथक न्यास इसका प्रबंधन करता है।

### 8.3 पेंशन

पेंशन देयता की एक परिभाषित लाभ बाध्यता के रूप में व्याख्या की गई है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार इसका प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और एक पृथक न्यास इसका प्रबंधन करता है।

### 8.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश (अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश सहित) का संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

### 8.5 अन्य कर्मचारी लाभ (हित)

अन्य कर्मचारी हित (लाभ) यथा छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है।

## 9. मूल्यहास :

- 9.1 भारत में अचल आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को छोड़कर (निम्न वर्णित अनुच्छेद 9.3 व 9.4 के अलावा) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में उल्लिखित मूल्यहासित मूल्य पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है। इसमें पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर अधिक मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।
- 9.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 9.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
- 9.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों पर मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, का पूर्ण मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया जाता है।
- 9.4 एटीएम पर मूल्यहास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% दर से किया जाता है।
- 9.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है जबकि बिक्री/निपटान के वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on actual realisation basis.

- 7.4 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit & Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

## 8. EMPLOYEE BENEFITS

### 8.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a defined contribution scheme as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit & Loss A/c.

### 8.2 GRATUITY

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

### 8.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

### 8.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL) and Sick Leave (including un-availed casual leave) is provided for based on actuarial valuation.

### 8.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Medical Benefits etc. are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

## 9. DEPRECIATION

- 9.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred to in Para 9.3 & 9.4 below] is provided on the written down value method in accordance with Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.
- 9.2 Depreciation on Fixed Assets outside India except [other than those referred to in Para 9.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.
- 9.3 Depreciation on Computers in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33%, as per the guidelines of RBI. Computer software not forming an integral part of hardware is depreciated fully during the year of purchase.
- 9.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20%.
- 9.5 Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale / disposal.





9.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एम्पॉर्टाईज) की जाती है।

9.6 Cost of leasehold land & leasehold improvements are amortised over the period of lease.

#### 10. आस्तियों का अनर्जन :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर अनर्जक हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के अनर्जन के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का अनर्जन") के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

#### 10. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with the AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

#### 11. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

11.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन (विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव) संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक एस 11 के अनुरूप किया गया है।

#### 11. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11 (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by ICAI.

11.2 लेखा मानक - एस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालनों एवं (ख) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।

11.2 As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as

- Integral Operations and
- Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

11.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :

11.3 Translation in respect of Integral Operations:

- संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।
- परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।
- व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा संविदाओं के तुलन पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाज़िर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेट' दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

- The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
- Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.
- Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

11.4 गैर समाकलित परिचालनों के संबंध में अंतरण :

11.4 Translation in respect of Non Integral Operations:

- आस्तियों एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया गया है।
- तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा आकस्मिक देयताओं को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाज़िर व वायदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टर पोलेटड' दरों पर अंतरित किया जाता है।

- Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- Foreign Exchange Spot and Forward contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.



- (ग) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई औसत तिमाही दरों पर अंतरित किया गया है।
- (घ) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है तथा इसे सम्बद्ध विदेशी शाखाओं में शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा अंतरण निधि" में रखा जाता है।

#### 11.5 वायदा विनिमय करार

लेखा मानक एस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को तुलन पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

#### 12. आय पर कर :

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

#### 13. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारत औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गई है।

#### 14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रूप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो।

- c. Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- d. The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment in the respective foreign branches.

#### 11.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

#### 12. TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change

#### 13. EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued in this regard by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

#### 14. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued in this regard by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

## अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां Schedule -18 Notes on accounts

क. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण  
1. पूंजी

A. Disclosure in terms of RBI requirements  
1. Capital

| विवरण  | Particulars   | चालू वर्ष<br>Current Year |                     | पिछला वर्ष<br>Previous Year |                     |
|--|---|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|  |   | बेसल I<br>Basel I         | बेसल II<br>Basel II | (बेसल I)<br>Basel I         | बेसल II<br>Basel II |
| i) सी आर ए आर (%)                                  | CRAR (%)  | 13.02                     | 14.52               | 12.84                       | 14.36               |
| ii) सी आर ए आर - टियर I पूंजी (%)                  | CRAR - Tier I Capital (%)                                 | 8.96                      | 9.99                | 8.22                        | 9.20                |
| iii) सी आर ए आर - टियर II पूंजी (%)                | CRAR - Tier II Capital (%)                                | 4.06                      | 4.53                | 4.62                        | 5.16                |
| iv) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत   | Percentage of the shareholding of the Government of India | 57.03                     | 57.03               | 53.81                       | 53.81               |
| v) आईपीडीआई निर्गमित कर प्राप्त राशि               | Amount raised by issue of IPDI                            | ₹ 711.50 Crores           |                     | ₹ 900.00 Crores             |                     |
| vi) अपर टियर II लिखतों को निर्गमित कर प्राप्त राशि | Amount raised by issue of Upper Tier II instruments       | ₹ 1500 Crores.            |                     | ₹ 1000.00 Crores            |                     |

2. निवेश

2. Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण  | Particulars   | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| (1) निवेशों का मूल्य   | (1) Value of Investments  |                           |                             |
| (i) निवेशों का सकल मूल्य   | (i) Gross Value of Investments  |                           |                             |
| (क) भारत में   | (a) In India  | 68001.34                  | 57911.71                    |
| (ख) भारत से बाहर   | (b) Outside India,  | 3739.46                   | 3798.46                     |
| (ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान  | (ii) Provisions for Depreciation  |                           |                             |
| (क) भारत में   | (a) In India  | 336.96                    | 350.07                      |
| (ख) भारत से बाहर   | (b) Outside India,  | 143.21                    | 177.73                      |
| (iii) निवेशों का निवल मूल्य  | (iii) Net Value of Investments  |                           |                             |
| (क) भारत में   | (a) In India  | 67664.38                  | 57561.64                    |
| (ख) भारत से बाहर   | (b) Outside India.  | 3596.25                   | 3620.73                     |
| (2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन             | (2) Movement of provisions held towards depreciation on investments     |                           |                             |
| (i) प्रारम्भिक शेष   | (i) Opening balance   | 527.80                    | 917.33                      |
| (ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान                          | (ii) Add: Provisions made during the year                               | 112.08                    | 64.41                       |
| (iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टाकरण/पुनरांकन | (iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year | 159.71                    | 453.94                      |
| (iv) अंतिम शेष   | (iv) Closing balance  | <b>480.17</b>             | <b>527.80</b>               |



2.1 रिपो संव्यवहार (अंकित मूल्य में)

2.1 (क) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रिपो संव्यवहार (एलएएफ)

2.1 Repo Transactions (in face value terms)

2.1 a. Repo Transactions (LAF) with RBI

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|  |   | वर्ष के दौरान<br>न्यूनतम बकाया शेष<br>Minimum<br>outstanding<br>during the year | वर्ष के दौरान<br>अधिकतम बकाया शेष<br>Maximum<br>outstanding<br>during the year | वर्ष के दौरान दैनिक<br>औसत बकाया शेष<br>Daily Average<br>outstanding<br>during the year | 31 मार्च 2011 को<br>बकाया शेष<br>Outstanding<br>as on<br>March 2011 |
|--|---|---|--|---|---|
| रिपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां         | Securities sold under repo              |   |  |   |   |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियां                  | i. Government securities                | 1000.00   | 8000.00  | 1465.75   | 3000.00   |
| (ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां           | ii. Corporate debt securities           | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां | Securities purchased under reverse repo |   |  |   |   |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियां                  | i. Government securities                | 500.00  | 5500.00  | 314.25  | 0.00  |
| (ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां           | ii. Corporate debt securities           | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  |

2.1 (क) रिपो संव्यवहार - मार्केट

2.1 b. Repo Transactions - Market

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|  |   | वर्ष के दौरान<br>न्यूनतम शेष<br>Minimum<br>outstanding<br>during the year | वर्ष के दौरान<br>अधिकतम शेष<br>Maximum<br>outstanding<br>during the year | वर्ष के दौरान<br>दैनिक औसत शेष<br>Daily Average<br>outstanding<br>during the year | 31 मार्च<br>2011 को शेष<br>Outstanding<br>as on<br>March 2011 |
|--|---|---|--|---|---|
| रिपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां         | Securities sold under repo              |   |  |   |   |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियां                  | i. Government securities                | 5.00  | 100.00   | 17.95   | 0.00  |
| (ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां           | ii. Corporate debt securities           | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां | Securities purchased under reverse repo |   |  |   |   |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियां                  | i. Government securities                | 25.00   | 101.64   | 16.93   | 0.00  |
| (ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां           | ii. Corporate debt securities           | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  |

2.2 गैर - एस एल आर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर - एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता घटक

2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| सं.<br>No. | जारीकर्ता                       | Issuer                                 | राशि<br>Amount | निजी प्लेसमेंट<br>की सीमा<br>Extent of<br>Private<br>Placement | निवेश ग्रेड के नीचे<br>की प्रतिभूतियों<br>की सीमा<br>Extent of 'Below<br>Investment<br>Grade' Securities | अनरेटेड<br>प्रतिभूतियों<br>की सीमा<br>Extent of<br>'Unrated'<br>Securities | असूचीबद्ध<br>प्रतिभूतियों<br>की सीमा<br>Extent of<br>'Unlisted'<br>Securities |
|------------|---------------------------------|--|----------------|--|--|--|---|
| (1)        | (2)                             | (3)                                    | (4)            | (5)  | (6)  | (7)  |   |
| (i)        | पीएसयू                          | PSUs                                   | 962.68         | 353.75   | 65.00  | 0.00   | 18.01   |
| (ii)       | एफआई                            | FIs                                    | 687.76         | 492.72   | 78.47  | 5.00   | 83.46   |
| (iii)      | बैंक                            | Banks                                  | 2958.19        | 1114.33  | 208.37   | 55.55  | 23.15   |
| (iv)       | निजी निगम                       | Private Corporate                      | 1482.11        | 884.05   | 501.04   | 132.06   | 185.92  |
| (v)        | अनुषंगियां /<br>संयुक्त उद्यम   | Subsidiaries / Joint<br>Ventures       | 1265.97        | 1265.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| (vi)       | अन्य                            | Others                                 | 4188.02        | 306.91   | 21.63  | 159.76   | 761.99  |
| (vii)      | मूल्यहास हेतु<br>धारित प्रावधान | Provision held towards<br>depreciation | -464.41        | 0  | -16.13   | -48.63   | -68.99  |
|            | कुल                             | Total                                  | 11080.32       | 4417.73  | 858.38   | 303.74   | 1003.54   |





ii) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

ii) Non-performing Non-SLR investments

( ₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण                              | Particulars                               | चालू वर्ष<br>Current year | पिछला वर्ष<br>Previous year |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| प्रारंभिक शेष                      | Opening balance                           | 231.58                    | 157.80                      |
| 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन | Additions during the year since 1st April | 21.71                     | 89.41                       |
| उपरोक्त अवधि के दौरान कटौतियां     | Reductions during the above period        | 2.59                      | 15.63                       |
| अंतिम शेष                          | Closing balance                           | 250.70                    | 231.58                      |
| कुल धारित प्रावधान                 | Total provisions held                     | 227.53                    | 228.71                      |

2.3 डेरीवेटिव्स

2.3 Derivatives

2.3.1 फारवर्ड दर समझौते / ब्याज दर स्वैप

2.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

( ₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण  | Particulars  | चालू वर्ष<br>Current year | पिछला वर्ष<br>Previous year |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| i) स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि   | The notional principal of swap agreements  | 13745.00                  | 7585.15                     |
| ii) समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि | Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements | 142.89                    | 103.79                      |
| iii) स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित कोलैटरल   | Collateral required by the bank upon entering into swaps   | -                         | -                           |
| iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण   | Concentration of credit risk arising from the swaps  | 601.40                    | 182.89                      |
| v) स्वैप बही का उचित मूल्य   | The fair value of the swap book  | 256.29                    | 187.57                      |

2.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स :

2.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

( ₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| सं. क्र.<br>Sr. No. | विवरण   | Particulars   | राशि<br>Amount |
|---------------------|---|---|----------------|
| (i)                 | वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि (लिखतवार)   | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)             | शून्य<br>NIL   |
| (ii)                | वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की 31 मार्च 2011 के अनुसार (लिखतवार) बकाया नोशनल प्रिंसिपल राशि                     | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2011 (instrument-wise)      | शून्य<br>NIL   |
| (iii)               | नोशनल प्रिंसिपल राशि वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया नोशनल प्रिंसिपल राशि "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखतवार) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) | शून्य<br>NIL   |
| (iv)                | एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर की मार्क-टू-मार्केट कीमत डेरीवेटिव्स बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखतवार)                                | Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)      | शून्य<br>NIL   |



2.3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की ट्रेजरी नीति में डेरीवेटिव्स लेन देनों के कार्य के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टाप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गई हैं.

बैंक अपने तुलन पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाजार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन देनों का उपयोग करता है, मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने के एवं प्रोपराइटी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

बैंक को जिन जोखिमों का खतरा रहता है, वे हैं : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक की मूल्य जोखिम, जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गई हैं. इनको बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है.

लेन देनों की काउन्टर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं. अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं. डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टु-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जब बैंक को काउन्टर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रूपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

कल्पित मूल राशि पर लागू किया जाने वाला रूपांतरण घटक

| अवशिष्ट परिपक्वता | Residual Maturity  | ब्याज दर संविदा<br>Interest Rate Contract | विनिमय दर संविदा<br>Exchange Rate Contract |
|-------------------|--------------------|---|--|
| एक वर्ष से कम     | Less than one year | 0.50%                                     | 2.00%                                      |
| एक वर्ष और अधिक   | One year and above | 1.00%                                     | 10.00%                                     |
| पांच वर्ष से अधिक | Over five years    | 3.00%                                     | 15.00%                                     |

हेज तथा गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन देनों को अलग से दर्ज किया जाता है. हेजिंग डेरीवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग डेरीवेटिव्स पोजिशन (एमटीएम) को मार्क की जाती है और परिणामस्वरूप लाभ-हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में ली जाती है. लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है. ब्याज दर स्वेप्स से संबंधित ब्याज और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग स्वेप के समाप्त होने पर लाभ /हानि समाप्ति की तारीख पर आय /व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं.

2.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives :

(i) Qualitative Disclosure

The Treasury Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transactions.

The Bank uses financial derivative transactions for hedging its on or off balance sheet exposures as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, VaR and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Chairman and Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.



(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ii) Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| सं. क्र.<br>Sr. No. | विवरण   | Particulars  | करेंसी डेरिवेटिव्स<br>Currency<br>Derivatives | ब्याज दर डेरिवेटिव्स<br>Interest rate<br>Derivatives |
|---------------------|---|--|---|--|
| (i)                 | डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)                                     | Derivatives (Notional Principal Amount)                            | <b>53.32</b>                                  | <b>7067.12</b>                                       |
|                     | क) हैजिंग के लिए  | a) For hedging   | NIL   | 1665.00  |
|                     | ख) ट्रेडिंग के लिए  | b) For trading   | 53.32   | 5402.12  |
| (ii)                | मार्कड टू मार्केट पोजिशन (1)                                      | Marked to Market Positions [1]                                     | <b>0.35</b>                                   | <b>-4.53</b>   |
|                     | क) आस्तियां (+)   | a) Asset (+)   | 2.27  | 98.42  |
|                     | ख) देयताएं (-)  | b) Liability (-)   | -1.92   | -102.95  |
| (iii)               | ऋण जोखिम (2)  | Credit Exposure [2]  | 7.03  | 177.24   |
| (iv)                | ब्याज दर में 1% होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) | Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) | <b>0.92</b>                                   | <b>175.86</b>  |
|                     | क) हैजिंग डेरिवेटिव्स पर  | a) On hedging derivatives  | --  | 53.01  |
|                     | ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर  | b) On trading derivatives  | 0.92  | 122.85   |
| (v)                 | वर्ष के दौरान पाए गए न्यूनतम तथा अधिकतम 100*पीवी01                | Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year           | <b>1.527 &amp; NIL</b>                        | <b>133.75 &amp; 52.66</b>                            |
|                     | क) हैजिंग पर  | a) On hedging  | 0.11 & NIL                                    | 70.10 & 52.66  |
|                     | ख) ट्रेडिंग पर  | b) On trading  | 1.53 & 0.92                                   | 133.75 & 108.27                                      |

2.4 आस्ति गुणवत्ता

2.4 Asset Quality

2.4.1 गैर निष्पादक आस्तियां

2.4.1 Non-Performing Asset

क. गैर निष्पादक आस्तियों का संचलन

A. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|  |  | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 अप्रैल 2010 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)                     | Gross NPAs as on 1st April 2010 (Opening Balance)                  | 2400.69                   | 1842.92                     |
| वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए)                                 | Additions (Fresh NPAs) during the year                             | 1897.01                   | 1671.22                     |
| उप जोड़ (क)  | Sub-Total (A)  | 4297.70                   | 3514.14                     |
| घटाएं :  | Less : -   |                           |                             |
| (i) अपग्रेडेशन *   | (i) Up-gradations  | 189.17                    | 215.37                      |
| (ii) वसूलियां (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर) | (ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts) | 455.49                    | 383.27                      |
| (iii) बड़े खाते डाली गई राशि                                   | (iii) Write-offs   | 500.54                    | 514.81                      |
| उप जोड़ (ख)  | Sub-total (B)  | 1145.20                   | 1113.45                     |
| 31 मार्च 2011 के सकल एनपीए अंतिम शेष (क - ख)                   | Gross NPAs as on 31st March 2011 (Closing balance) (A-B)           | 3152.50                   | 2400.69                     |



ख) गैर निष्पादक आस्तियां

B) Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण  | Particulars  | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| (i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)                                     | Net NPAs to Net Advances (%)   | 0.35                      | 0.34                        |
| (ii) एनपीए का संचलन (सकल)  | Movement of NPAs (Gross)   |                           |                             |
| (क) प्रारंभिक शेष  | (a) Opening balance  | 2400.69                   | 1842.92                     |
| (ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए   | (b) Additions during the year  | 1897.01                   | 1671.22                     |
| (ग) वर्ष के दौरान घटाए गए  | (c) Reductions during the year   | 1145.20                   | 1113.45                     |
| (घ) अंतिम शेष  | (d) Closing balance  | 3152.50                   | 2400.69                     |
| (iii) शुद्ध एनपीए का संचलन   | Movement of Net NPAs   |                           |                             |
| (क) प्रारंभिक शेष  | (a) Opening balance  | 602.32                    | 449.04                      |
| (ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए   | (b) Additions during the year  | 718.15                    | 1085.95                     |
| (ग) वर्ष के दौरान घटाए गए  | (c) Reductions during the year   | 529.59                    | 932.67                      |
| (घ) अंतिम शेष  | (d) Closing balance  | 790.88                    | 602.32                      |
| (iv) एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन<br>(मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर) | Movement of provisions for NPAs<br>(excluding provisions on standard assets) |                           |                             |
| (क) प्रारंभिक शेष  | (a) Opening balance  | 1798.37                   | 1393.88                     |
| (ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए   | (b) Provisions made during the year  | 1178.86                   | 648.96                      |
| (ग) आधिक्य प्रावधानों को बट्टे खाते<br>डालना/पुनःहिसाब में लेना            | (c) Write-off/ write-back of<br>excess provisions                            | 615.61                    | 244.47                      |
| (घ) अंतिम शेष  | (d) Closing balance  | 2361.62                   | 1798.37                     |

ग) क्षेत्रवार एनपीए

C) Sector-wise NPAs

| क्रमांक<br>Sl.<br>No. | क्षेत्र                                  | Sector                                     | क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत<br>Percentage of NPAs to Total<br>Advances in that sector |      |
|-----------------------|--|--|---|------|
|                       |  |  | चालू वर्ष<br>Current Year   |      |
|                       |  |  | पिछला वर्ष<br>Previous Year   |      |
| 1                     | कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां              | Agriculture & allied activities            | 3.47  | 3.33 |
| 2                     | उद्योग (माइक्रो एवं लघु, मध्यम एवं बड़े) | Industry (Micro & small, Medium and Large) | 1.76  | 1.06 |
| 3                     | सेवाएं                                   | Services                                   | 1.22  | 0.82 |
| 4                     | व्यक्तिगत ऋण                             | Personal Loans                             | 1.72  | 3.68 |

घ) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

D) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण        | Particulars   | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|--------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| कुल आस्तियां | Total Assets  | 91261.86                  | 68343.19                    |
| कुल एन पी ए  | Total NPAs    | 366.27                    | 204.63                      |
| कुल राजस्व   | Total Revenue | 3165.98                   | 2646.07                     |



**2.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण**
**2.4.2 Particulars of Accounts Restructured.**
*( ₹ करोड़ में / ₹ in Crores)*

|                               |   |                          |  | सीडीआर<br>कार्यप्रणाली<br>CDR<br>Mechanism | एसएमई ऋण<br>पुनर्निर्धारण<br>SME Debt<br>Restructuring | अन्य<br>Others |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|----------------|
| पुनर्गठित<br>मानक अग्रिम      | Standard<br>advances<br>restructured        | ऋण कर्ताओं की संख्या     | No. of Borrowers                         | 3  | 203  | 9786           |
|                               |   | बकाया राशि               | Amount outstanding                       | 166.01                                     | 487.22   | 2189.38        |
|                               |   | छूट (उचित मूल्य में कमी) | Sacrifice (diminution in the fair value) | 11.06                                      | 4.91   | 52.74          |
| पुनर्गठित<br>अवमानक<br>अग्रिम | Sub<br>standard<br>advances<br>restructured | ऋण कर्ताओं की संख्या     | No. of Borrowers                         | 1  | 22   | 129            |
|                               |   | बकाया राशि               | Amount outstanding                       | 154.24                                     | 12.90  | 4.42           |
|                               |   | छूट (उचित मूल्य में कमी) | Sacrifice (diminution in the fair value) | 4.50                                       | 0.16   | 0.10           |
| पुनर्गठित<br>संदिग्ध अग्रिम   | Doubtful<br>advances<br>restructured        | ऋण कर्ताओं की संख्या     | No. of Borrowers                         | 0  | 13   | 109            |
|                               |   | बकाया राशि               | Amount outstanding                       | 0  | 0.01   | 11.91          |
|                               |   | छूट (उचित मूल्य में कमी) | Sacrifice (diminution in the fair value) | 0  | 0.01   | 0.12           |
| जोड़                          | TOTAL                                       | ऋण कर्ताओं की संख्या     | No. of Borrowers                         | 4  | 238  | 10024          |
|                               |   | बकाया राशि               | Amount outstanding                       | 320.25                                     | 500.13   | 2205.71        |
|                               |   | छूट (उचित मूल्य में कमी) | Sacrifice (diminution in the fair value) | 15.56                                      | 5.08   | 52.96          |

**2.4.3 प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी अथवा आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण**
**2.4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company or Asset Reconstruction**
*( ₹ करोड़ में / ₹ in Crores)*

| विवरण   | Particulars   | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| (i) खातों की संख्या   | No. of accounts   | 3                         | 33                          |
| (ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों की कुल कीमत (प्रावधानों का नेट)             | Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / R C                      | -                         | -                           |
| (iii) कुल प्रतिफल   | Aggregate consideration   | 5.05                      | 15.43                       |
| (iv) आरंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल | Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | -                         | -                           |
| (v) शुद्ध बही कीमत पर कुल लाभ/(हानि)  | Aggregate gain / (loss) over net book value   | 5.05                      | 15.43                       |



2.4.4 खरीदी गई / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

2.4.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold

क. खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण :

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण  | Particulars   | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| 1. क. खरीदे गए खातों की संख्या                         | (a) No. of accounts purchased during the year                 | -                         | -                           |
| ख. समग्र बकाया   | (b) Aggregate outstanding                                     | -                         | -                           |
| 2. क. इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या | (a) Of these, number of accounts restructured during the year | -                         | -                           |
| क. सकल बकाया   | (b) Aggregate outstanding                                     | -                         | -                           |

ख. बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण                      | Particulars                      | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. बेचे गए खातों की संख्या | No. of accounts sold             | -                         | 35                          |
| 2. समग्र बकाया             | Aggregate outstanding            | -                         | 67.31                       |
| 3. समग्र प्रतिफल प्राप्ति  | Aggregate consideration received | -                         | 21.54                       |

2.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

2.4.5 Provisions on Standard Asset

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| मदें   | Item  | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| आरबीआई मानदण्डों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | Provisions towards Standard Assets as per RBI norms | 911.35                    | 688.71                      |
| मानक आस्तियों के लिए अन्य आकस्मिक प्रावधान               | Other contingent provision towards Standard Assets  | -                         | 6.07                        |

2.5 व्यावसायिक अनुपात

2.5 Business Ratios

| विवरण  | Particulars   | चालू वर्ष<br>Current year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| (i) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय      | Interest Income as a percentage to Average Working Funds      | 6.97                      | 6.86                        |
| (ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय | Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds  | 0.89                      | 1.15                        |
| (iii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ | Operating Profit as a percentage To Average Working Funds     | 2.22                      | 2.03                        |
| (iv) आस्तियों पर प्रतिफल                                     | Return on Assets  | 1.33                      | 1.21                        |
| (v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में)    | Business (Deposits plus advances) per employee ( ₹ In Crores) | 13.33                     | 9.81                        |
| (vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)                        | Profit per employee ( ₹ In Crores)                            | 0.11                      | 0.08                        |



2.6 आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप (प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा व्यक्त विश्वास के अनुरूप)

2.6 Maturity pattern of certain items of assets and liabilities (As compiled by the management and relied upon by the auditors)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|                        |                              | 1 दिन<br>1 day | 2 से 7<br>दिन<br>2 to 7<br>days | 8 से 14<br>दिन<br>8 to 14<br>days | 15 से 28<br>दिन<br>15 to 28<br>days | 29 दिन से<br>3 माह<br>29 days<br>to 3<br>months | 3 महीनों से<br>ज्यादा तथा 6<br>महीनों तक<br>Over 3<br>months<br>& up to 6<br>months | 6 महीनों से<br>ज्यादा तथा<br>1 वर्ष तक<br>Over 6<br>months<br>& up to 1<br>year | 1 वर्ष से<br>ज्यादा तथा<br>3 वर्ष तक<br>Over 1<br>year & up<br>to 3 years | 3 वर्ष से<br>ज्यादा तथा<br>5 वर्ष तक<br>Over 3<br>years & up<br>to 5 years | 5 वर्ष से<br>अधिक<br>Over 5<br>years | कुल<br>Total |
|------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--------------|
| जमा राशियां            | Deposits                     | 6810.06        | 15685.48                        | 14159.61                          | 11574.86                            | 35087.60  | 31880.74  | 78769.36  | 58293.15  | 10417.81   | 42760.81                             | 305439.48    |
| अग्रिम                 | Advances                     | 3189.22        | 4055.21                         | 4719.87                           | 5165.89                             | 27056.95  | 29223.81  | 30160.55  | 43314.63  | 28991.24   | 52798.99                             | 228676.36    |
| निवेश                  | Investments                  | 308.78         | 1021.37                         | 261.94                            | 473.73                              | 2888.74   | 1077.89   | 1994.70   | 7301.10   | 13921.93   | 42010.44                             | 71260.63     |
| उधार                   | Borrowings                   | 324.42         | 451.79                          | 71.92                             | 293.75                              | 1543.06   | 2305.30   | 46.24   | 2739.36   | 1862.08  | 12669.91                             | 22307.85     |
| विदेशी मुद्रा आस्तियां | Foreign Currency assets      | 9641.29        | 5077.95                         | 2778.30                           | 5353.27                             | 23054.09  | 16715.24  | 16187.12  | 10677.74  | 10688.62   | 6636.20                              | 106809.82    |
| विदेशी मुद्रा देयताएं  | Foreign Currency liabilities | 9591.30        | 8928.37                         | 3231.94                           | 6057.93                             | 16073.17  | 18028.63  | 13464.97  | 11483.17  | 11853.45   | 10247.89                             | 108960.83    |

2.7 एक्सपोजर

2.7 Exposure

2.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

2.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| श्रेणी  | Category   | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर   | a) Direct exposure   |                           |                             |
| (i) आवासीय बंधक -   | (i) Residential Mortgages -  |                           |                             |
| आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है/होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण सुरक्षित कर्ज देना. इनमें से (व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों के लिए पात्र है, को अलग से दर्शाया जाए)   | Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately)  | 13085.20                  | 10601.48                    |
| (ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट  | ii) Commercial Real Estate -   | 6082.45                   | 4607.13                     |
| वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा सुरक्षित कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, मल्टी पर्पस कमर्शियल परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार कमर्शियल परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन, अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि) एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एन एफ बी) सीमाएं शामिल हो सकती हैं. | Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits; |                           |                             |
| (iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों में निवेश (एम बी एस) तथा अन्य प्रतिभूतित प्रकटीकरण -  | (iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -  |                           |                             |
| क. आवासीय   | a. Residential,  | 17.84                     | 50.64                       |
| ख. वाणिज्यिक रियल एस्टेट  | b. Commercial Real Estate.   | 43.54                     | 97.84                       |
| ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर  | b) Indirect Exposure   |                           |                             |
| निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर-   | Fund based and non-fund based exposures  |                           |                             |
| (i) नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) तथा   | (i) National Housing Bank (NHB)  | 10.00                     | 14.62                       |
| (ii) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी)   | (ii) Housing Finance Companies (HFCs)  | 4618.91                   | 7201.26                     |
| रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर  | Total Exposure to Real Estate Sector   | 23857.95                  | 22572.97                    |



2.7.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम

2.7.2 Exposure to Capital Market

( ₹ करोड़ में / ₹ in Crores )

| विवरण  | Items   | चालू वर्ष<br>Current<br>year | पिछला वर्ष<br>Previous<br>Year |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|
| (i) इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों, जिनके कॉरपस कार्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किए गए हों, में प्रत्यक्ष निवेश   | (i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;  | 1361.79                      | 1219.72                        |
| (ii) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी), परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बंध आधार पर दिए गए अग्रिम  | (ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;  | 12.16                        | 5.68                           |
| (iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.   | (iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;   | 4.80                         | 450.28                         |
| (iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जोकि शेयरों, परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपाश्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है. | (iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds `does not fully cover the advances | 5.37                         | 2.74                           |
| (v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां   | (v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers  | 206.46                       | 140.69                         |
| (vi) कार्पोरेट को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी को प्रमोटर के अंशदान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम  | (vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;  | 123.74                       | -                              |
| (vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण   | (vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;   | 0.13                         | -                              |
| (viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं   | (viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;  | -                            | -                              |
| (ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना   | (ix) Financing to stockbrokers for margin trading   | 150.11                       | -                              |
| (x) वैचर पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत) का जोखिम  | (x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)   | 741.88                       | 725.73                         |
| पूंजी बाजार में कुल जोखिम  | Total Exposure to Capital Market  | 2606.44                      | 2544.84                        |

पूंजी बाजार में रुपये 2606.44 करोड़ का ऋण कुल ऋण की सीमा राशि रुपये 7900.25 करोड़ के भीतर है. (अर्थात् बैंक की शुद्ध मालियत रुपये 19750.63 करोड़ का 40%). पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष ऋण जोखिम रुपये 2394.61 करोड़ है और बैंक की निवल मालियत (रुपये 3950.12 करोड़) की 20% के भीतर है.

The exposure to Capital Market of Rs 2606.44 Crores is within the limit of Rs 7900.25 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth Rs 19750.63 Crores). The direct exposure to Capital Market is Rs 2394.61 Crores and is within 20% of the Bank's Net Worth (Rs 3950.12 Crores).





2.7.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

2.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| श्रेणी     | Category        | मार्च 2011 को एक्सपोजर (नेट) Exposure (net) as at March 2011 | मार्च 2011 को प्रावधान Provision held as at March 2011 | मार्च 2010 को एक्सपोजर (नेट) Exposure (net) as at March 2010 | मार्च 2010 को प्रावधान Provision held as at March 2010 |
|------------|-----------------|--|--|--|--|
| महत्वहीन   | Insignificant   | 11525.14   | 5.19   | 10678.11   | 4.03   |
| न्यून      | Low             | 11681.36   | 12.22  | 8843.90  | 11.31  |
| मध्य न्यून | Moderately Low  | 0  |  | 0  |  |
| मध्य       | Moderate        | 769.28   |  | 520.57   |  |
| मध्य उच्च  | Moderately High |  |  |  |  |
| उच्च       | High            | 337.49   |  | 257.46   |  |
| अधिक उच्च  | Very High       | 1212.04  |  | 1208.94  |  |
| सीमित      | Restricted      | 6.66   |  | 3.75   |  |
| ऋण से इतर  | Off-credit      | 0.06   |  | 0  |  |
| कुल        | Total           | 25532.03   | 17.41  | 21512.73   | 15.34  |

2.7.4 बैंक द्वारा एकल ऋणी सीमा (एसबीएल) समूह ऋणी सीमा (जीबीएल) में आधिक्य

2.7.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| कर्जदार का नाम | Name of the borrower | समूह कर्जदार एक्सपोजर सीमा Single Borrower Exposure Limit | कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned | 31.03.2011 को शेष Balance as on 31.03.2011 |
|----------------|----------------------|---|---|--|
| शून्य          | Nil                  | Nil   | Nil                                       | Nil  |

| कर्जदार का नाम | Name of the borrower | एकल कर्जदार एक्सपोजर सीमा Group Borrower Exposure Limit | कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned | 31.03.2011 को शेष Balance as on 31.03.2011 |
|----------------|----------------------|---|---|--|
| शून्य          | Nil                  | Nil   | Nil                                       | Nil  |

2.7.5 गैरजमानती अग्रिम राशि

ऐसे अग्रिमों जिनमें हकदारी, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार हेतु अमूर्त प्रतिभूतियां जमानत के रूप में ली गई हैं, की राशि ₹ 832.88 करोड़ है तथा उन्हें गैर जमानती अग्रिमों के भाग के रूप में दर्शाया गया है जैसा कि तुलन पत्र की तालिका 9 में उल्लिखित है। कुल गैर जमानती अग्रिमों में ऐसे अग्रिमों का अंश 1.70% है।

2.7.5 Amount of Unsecured Advances

The amount of advances, for which intangible securities, such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken as security is ₹ 832.88 crores and the same has been classified as unsecured, forming part of unsecured advances as reflected in schedule 9 of the balance sheet. Such advances to total unsecured advances are 1.70 %



2.7.6 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा एनपीए का केन्द्रीकरण

2.7.6. क) जमाओं का केन्द्रीकरण

2.7.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

2.7.6. a) Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|  |   | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं                              | Total Deposits of twenty largest depositors                                       | 30464.99                  | 16964.32                    |
| बैंक की कुल जमाओं में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत | Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank | 9.97                      | 7.04                        |

2.7.6. ख) अग्रिमों का केन्द्रीकरण

2.7.6. b) Concentration of Advances

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|   |  | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए कुल ऋण                                       | Total Advances to twenty largest borrowers                                       | 36312.71                  | 34528.36                    |
| बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत | Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank | 11.19                     | 14.90                       |

2.7.6. ग) एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

2.7.6. c) Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|  |  | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों का कुल एक्सपोजर            | Total Exposure to twenty largest borrowers/customers   | 38237.82                  | 35215.36                    |
| ऋणियों / ग्राहकों के प्रति बैंक के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत | Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers | 9.73                      | 12.15                       |

2.7.6. घ) एनपीए का केन्द्रीकरण

2.7.6. d) Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|                                       |   | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| चार बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर | Total Exposure to top four NPA accounts | 383.89                    | 259.39                      |

2.7.6. ङ) प्रावधान कवरेज अनुपात

2.7.6. e) Provision Coverage Ratio

|                                     |                  | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| सकल एनपीए में प्रावधान कवरेज अनुपात | PCR to Gross NPA | 74.91%                    | 74.90%                      |

2.8 विविध

2.8 Miscellaneous

2.8.1 वर्ष के दौरान कराधान हेतु किए गए प्रावधान की राशि

2.8.1 Amount of Provisions for Taxation during the year

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|   |  | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous year |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| कर हेतु प्रावधान                              | Provision for Tax  | 1652.91                   | 1319.98                     |
| घटाएं : पिछले वर्षों से संबंधित कर का रिवर्सल | Less reversal of Tax provisions relating to previous years | 244.27                    | 140.25                      |
| <b>कर के लिए नेट प्रावधान</b>                 | <b>Net Provision for Tax</b>                               | <b>1408.64</b>            | <b>1179.73</b>              |

- 2.8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण**  
 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक पर बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की किसी भी अपेक्षा की अवहेलना अथवा गैर अनुपालना अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट नियमों अथवा शर्तों का पालन न होने के कारण बैंक पर ऐसा कोई दण्ड नहीं लगाया गया है.
- 2.8.3 प्रायोजित एसपीवी द्वारा ऑफ बैलेंस शीट (जिसे लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना है)**

- 2.8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI**  
 During the financial year 2010-11, the bank has not been subjected to any penalty for contravention or non-compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949, or any rules or conditions specified by the Reserve Bank of India in accordance with the said Act.
- 2.8.3 Off-balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

| प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored |                 |
|---|-----------------|
| घरेलू Domestic                                    | विदेशी Overseas |
| शून्य / NIL                                       | शून्य / NIL     |

**3. एसएलआर निवेश**
**3. SLR Investments:**

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|   |                                     | चालू वर्ष                               |                               | पिछला वर्ष                               |                               |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
|   |                                     | बही मूल्य<br>Current Year<br>Book Value | मार्केट मूल्य<br>Market Value | बही मूल्य<br>Previous Year<br>Book Value | मार्केट मूल्य<br>Market Value |
| सरकारी प्रतिभूतियां<br>एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी) | Government Sec<br>SLR (CG, SG & TB) | 59268.51                                | 59268.51                      | 49456.44                                 | 49422.55                      |
| अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर                    | Approved Sec - SLR                  | 540.70                                  | 536.28                        | 800.61                                   | 857.15                        |

**4. प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्रेक अप**
**4. Break up of Provisions and Contingencies**

- 4.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विवरण इस प्रकार है:**

- 4.1 The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:**

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण   | Particulars  | चालू वर्ष<br>Current<br>Year | पिछला वर्ष<br>Previous<br>Year |
|---|--|------------------------------|--------------------------------|
| निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान                                     | Provision for depreciation on investment   | 9.01                         | -380.74                        |
| बढ़ेखाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान                  | Bad debts written off / Provision made towards NPA   | 1040.05                      | 900.65                         |
| मानक आस्तियों हेतु प्रावधान   | Provision for standard assets  | 223.85                       | 106.63                         |
| कर हेतु प्रावधान (आस्थगित करों, और संपदा कर सहित)                   | Provision for taxes (including deferred taxes, and Wealth tax)                             | 1408.64                      | 1179.73                        |
| <b>अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं</b>                                | <b>Other Provision and Contingencies</b>   |                              |                                |
| पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सैक्रिफाइस हेतु प्रावधान | Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts | 10.55                        | 54.81                          |
| देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान                                   | Provision for Country Risk Management  |                              |                                |
| कर्मचारी कल्याण खर्च हेतु प्रावधान                                  | Provision for staff welfare expenses   | 15.00                        | 15.00                          |
| अन्य  | Others   | 32.82                        | 0.85                           |
| <b>कुल</b>  | <b>Total</b>   | <b>2739.92</b>               | <b>1876.93</b>                 |



4.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण

4.2 Floating Provisions – Comprehensive Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण  | Particulars   | चालू वर्ष<br>Current<br>Year | पिछला वर्ष<br>Previous<br>Year |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|
| क. अस्थायी प्रावधान खाते में आरम्भिक शेष         | a. Opening balance in the floating provisions account             | 550.35                       | 550.35                         |
| ख. लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि | b. The quantum of floating provisions made in the accounting year | 300.00                       | -                              |
| ग. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि   | c. Amount of draw down made during the accounting year            | -                            | -                              |
| घ. अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष           | d. Closing balance in the floating provisions account             | 850.35                       | 550.35                         |

4.3 आरक्षित निधियों में गिरावट (ड्रा डाउन)

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आरक्षित निधियों में कोई गिरावट नहीं आई.

4.3 Draw Down from Reserves

During the financial year 2010-11 there has been no draw down of the Reserves.

5 शिकायतों का प्रकटीकरण

क. ग्राहक शिकायत

5. Disclosure of complaints

A. Customer Complaints

|   |  |      |
|---|--|------|
| (क) वर्ष के शुरु में लंबित शिकायतों की संख्या | (a) No. of complaints pending at the beginning of the year | 91   |
| (ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या  | (b) No. of complaints received during the year             | 6239 |
| (ग) वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या  | (c) No. of complaints redressed during the year            | 6170 |
| (घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या  | (d) No. of complaints pending at the end of the year       | 160* |

\* इनमें से, 111 शिकायतें एक माह से कम पुरानी हैं.

\*Out of this, 111 complaints are less than one month old.

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय

B. Awards passed by the Banking Ombudsman

|   |   |    |
|---|---|----|
| (क) वर्ष के शुरु में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या      | (a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year      | 02 |
| (ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या | (b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year | 21 |
| (ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या                  | (c) No. of Awards implemented during the year                     | 22 |
| (घ) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या       | (d) No. of unimplemented Awards at the end of the year            | 01 |

6. चुकौती आश्वासन पत्र

6. Status of Letters of Comfort

क. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियामकों द्वारा अपनी अनुषंगियों की स्थापना करने/शाखाओं को खोलने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया.

A. Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year.

During the current financial year Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches.

ख. 31.3.2011 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

वित्तीय वर्ष - 2009-10 के दौरान बैंक ने अनुषंगियों की स्थापना/शाखाएं खोलने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विदेशी/देशीय विनियामकों को अपेक्षओं के अनुरूप केवल एक चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है. चुकौती आश्वासन पत्र रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड को, बैंक की उस देश में अनुषंगी खोलने के संदर्भ में जारी किया गया.

B. Cumulative position of LOC's outstanding on 31.03.2011

During the financial year 2009-10, Bank has issued only one Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas / domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches. The Letter of Comfort was issued to Reserve Bank of New Zealand for the Bank's subsidiary in that country.

अनुषंगी बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. को न्यूजीलैंड में दि. 01.09.2009 को बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया

The subsidiary Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. has been registered as a Bank in New Zealand on 01.09.2009.





ख. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

1. कर्मचारी लाभ (ए.एस.-15)

1.1 बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस.-15) को अपनाया है और जो कि दिनांक 07.12.2006 से लागू हैं. यह मानक दिनांक 17.12.2007 को संशोधित एवं अधिसूचित किया गया. ए.एस.-15 में दिए गए प्रावधान बैंक को 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अपने लाभ एवं हानि खाते में पारवहन देयता को खर्च राशि के रूप में प्रभारित करने का विकल्प प्रदान करता है. बैंक ने इस विकल्प को अपनाया है तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से कर्मचारी के हितों में कुल अंतरीय देयताओं के 1/5 भाग तक नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ के लिए वृद्धिशील प्रावधान किए गए हैं जो कि रुपये 901.00 करोड़ के वास्तविक मूल्य के बराबर हैं. हिसाब में न ली गई ₹ 180.20 करोड़ की राशि को 31 मार्च 2012 के अंत तक हिसाब में लिया जाएगा.

1.2 ग्रेच्युटी :

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवात्याग करते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिंग के लिए एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है. ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, परिलक्षित इकाई ऋण बीमाकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमाकिक मूल्य की गणना की जाती है .

निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है .

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना 3 विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

1.3 पेंशन :

1.3.1 बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को अथवा उसके पश्चात् बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है. यह योजना कर्मचारियों को मासिक आधार पर उन कर्मचारियों के वेतन तथा बैंक में उनकी सेवाकाल की अवधि वर्षों के आधार पर उनके बैंक को छोड़ने के पश्चात् पेंशन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है. बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है. पेंशन निधि का प्रबंधन बैंक के अंतरिक न्यासियों द्वारा किया जाता है.

1.3.2 विवेकपूर्ण नियामक पद्धति (पेंशन विकल्प पुनः प्रदान करना तथा ग्रेच्युटी में वृद्धि)

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प को पुनः प्रदान किया है, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना नहीं अपनायी थी. इस प्रक्रिया के फलस्वरूप 18989 कर्मचारियों के लिए बैंक की ₹1829.90 करोड़ की देयता सृजित हुई है. इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान बैंकों के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में किए गए संशोधन के अनुसार देय ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ायी गयी. इसके फलस्वरूप, बैंक की ग्रेच्युटी देयता में ₹ शून्य की वृद्धि हुई.

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India:

1. Employee Benefits (AS-15)

1.1 Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI and effective from 07.12.2006. The standard has been revised and notified on 17.12.2007. The provisions contained in AS-15 give option to the bank, to charge the transitional liability as an expense in its Profit and Loss Account spread over a period of 5 years. Bank has exercised this option and accordingly made an incremental provision for employee benefits such as pension, gratuity, leave encashment and other retirement benefits to the extent of 1/5th of the total transitional liability commencing from financial year 2007-08, which is crystallized on Actuarial valuation at ₹ 901.00 Crores. The unrecognized amount of ₹ 180.20 Crores will be charged by end of March 31, 2012.

1.2 GRATUITY:

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service. The Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the gratuity fund's rules, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the projected unit credit actuarial method.

The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of 3 different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

1.3 PENSION

1.3.1 Bank of Baroda pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from Bank's service based on the respective employee's salary and years of qualifying service with the Bank. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. Pension fund is managed by in-house trustees.

1.3.2 Prudential Regulatory treatment (reopening of Pension option and enhancement of gratuity)

During the year, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of which by 18989 employees, the Bank has incurred a liability of ₹1829.90 Crores. Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the banks was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result, the gratuity liability of the Bank has increased by ₹ NIL.



एस-15 कर्मचारी लाभ संबंधी मानक की अपेक्षाओं के अनुसार, ₹1829.90 करोड़ की पूर्ण राशि लाभ-हानि खाते को प्रभारित की जाती है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि.9 फरवरी, 2011 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुनः प्रदान करने तथा ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेकपूर्ण नियामक पद्धति के संबंध में परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपीबीसी:80/21.04.018/ 2010-11 जारी किया था. उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप, बैंक ने ₹365.98 करोड़ की राशि (₹8929.90 करोड़ का 1/5) लाभ-हानि खाते को प्रभारित की है. ₹1463.92 करोड़ की अनिर्धारित शेष राशि (₹1829.90- ₹365.98 करोड़) को उक्त परिपत्र में विनिर्दिष्टानुसार शेष अवधि में हिसाब में लिया जाएगा तथा प्रभारित किया जाएगा. इस राशि में विमुक्त / सेवानिवृत्त किसी कर्मचारी की राशि शामिल नहीं है.

यदि भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त परिपत्र जारी न किया होता तो एस 15 की अपेक्षाओं के फलस्वरूप बैंक का लाभ ₹ 1463.92 करोड़ कम होता.

वित्तीय विवरणियों के अन्य घटकों पर इसके फलस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव जिसमें कराधान के लिए प्रावधान, आस्थगित कराधान, सांविधिक/ अन्य प्रारक्षित निधियों में अन्तरण तथा प्रतिशेयर आय का आकलन नहीं किया गया है.

बैंक ने ₹ 753.35 करोड़ के लाभांश (₹ 16.50 प्रति शेयर) का प्रावधान किया है जो कि बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 53 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं तथा धारा 15 की अनुपालना के अध्वधीन है.

#### 1.4 भविष्य निधि :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अपने कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रूप में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है. इस निधि का प्रबंधन आंतरिक न्यासियों द्वारा किया जाता है. प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है. इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

#### 1.5 छुट्टी का नकदीकरण :

कोई भी कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु की तारीख पर उसके खाते में जमा हुई छुट्टियों में से अधिकतम 240 दिनों तक की अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है.

तथापि, सेवा त्याग की स्थिति में, कर्मचारी जमा अर्जित छुट्टियों में अधिकतम 120 दिनों तक छुट्टियों की 50% राशि का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है .

#### 1.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के लिए योजना के अंतर्गत कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु पर अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ पाने का हकदार होगा बशर्ते कि उसने बैंक में 30 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो.

ठीक इसी तरह, अवार्ड स्टॉफ सदस्य सेवा निवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/ मृत्यु होने पर अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ पाने के लिए हकदार होंगे बशर्ते उसने बैंक सेवा में 30 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो .

तथापि, बर्खास्तगी, सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति और सेवा त्याग की स्थिति में सेवा काल के वर्षों की संख्या पर ध्यान न रखते हुए अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा.

In terms of the requirements of the AS 15 - Employee Benefits, the entire amount of ₹1829.90 Crores is required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the RBI has issued a circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank has charged an amount of ` 365.98 Crores (representing one-fifth of ₹1829.90 Crores) to the Profit and Loss Account. The unrecognised balance amount of ₹1463.92 Crores (₹1829.90 – ₹365.98 Crores) shall be accounted for and charged off over the balance period stipulated in the said circular. This amount does not include any employees relating to separated/ retired employees.

Had the said Circular not been issued by the RBI, the profit of the Bank would have been lower by ₹1463.92 Crores pursuant to application of the requirements of AS 15.

Consequential financial effect on other components of the financial statements, including on Provision for Taxation, deferred Taxation, the transfer to statutory / other reserves & earning per share has not been ascertained.

The Bank has proposed dividend of ₹753.35 Crores (₹16.50 per share) which is subject to compliance of section 15 and consequential notification to this effect by the Government of India under Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949.

#### 1.4 PROVIDENT FUND

Bank of Baroda is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees. This fund is administered by a Bank managed trust. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and Bank of Baroda contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

#### 1.5 LEAVE ENCASHMENT

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

#### 1.6 ADDITIONAL RETIREMENT BENEFIT

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on his Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided he had completed-30-years of service in Bank.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided he had completed – 30-years of service in Bank.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation additional retirement benefit shall not be payable, irrespective of any number of years of service.



1.7 प्रकटीकरण

मूल बीमांकिक अवधारणाएं (वैटेज औसत के रूप में अभिव्यक्त)

1.7 Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Averages]

|  | योजना का स्वरूप                        | TYPE OF PLAN     |   |                        |                      |
|--|--|------------------|---|------------------------|----------------------|
|  |  | पेंशन<br>PENSION | अवकाश<br>नकदीकरण<br>LEAVE<br>ENCASHMENT | ग्रेच्युटी<br>GRATUITY | अति. सेवा लाभ<br>ARB |
| डिस्काउंट दर                           | Discount rate                          | 8.50%            | 8.50%                                   | 8.50%                  | 8.50%                |
| वेतन वृद्धि दर                         | Salary Escalation Rate                 | 4.00%            | 4.00%                                   | 4.00%                  | 4.00%                |
| हास दर                                 | Attrition Rate                         | 2.00%            | 2.00%                                   | 2.00%                  | 2.00%                |
| योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट | Expected Rate of Return on plan Assets | 8.00%            | 0.00%                                   | 8.00%                  | 0.00%                |

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान

RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCE OF LIABILITY

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|                                    | योजना का स्वरूप                         | TYPE OF PLAN     |   |                        |                      |
|------------------------------------|---|------------------|---|------------------------|----------------------|
|                                    |   | पेंशन<br>PENSION | अवकाश<br>नकदीकरण<br>LEAVE<br>ENCASHMENT | ग्रेच्युटी<br>GRATUITY | अति. सेवा लाभ<br>ARB |
| क) 1/4/2010 को पीवीओ               | a) PVO as at 1/4/2010                   | 2861.10          | 508.75                                  | 1023.74                | 431.28               |
| ख) ब्याज की लागत                   | b) Interest Cost                        | 228.44           | 40.06                                   | 81.53                  | 34.33                |
| ग) चालू सेवा लागत                  | c) Current Service Cost                 | 94.20            | 26.03                                   | 52.10                  | 11.70                |
| घ) पिछली सेवा लागत (मृत रूप में)   | d) Past service cost (amortised)        | 1829.90          |   |                        |                      |
| ङ) पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)     | e) Past service cost (vested benefit)   | 554.14           |   |                        |                      |
| च) अंतरित देयता                    | f) Liability transferred in             | 1358.22          |   |                        |                      |
| छ) प्रदत्त लाभ                     | d) Benefits Paid                        | -199.63          | 68.13                                   | 113.16                 | 27.62                |
| ज) दायित्व पर बीमांकिक हानि/लाभ(-) | e) Actuarial loss/gain(-) on obligation | -72.33           | 53.20                                   | 282.45                 | -8.17                |
| ज) 31.03.2011 को पीवीओ             | f) PVO as at 31.03.2011                 | <b>6654.04</b>   | <b>559.91</b>                           | <b>1327.35</b>         | <b>441.52</b>        |

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष एवं अंतिम शेष का समाधान

RECONCILIATION OF OPENING & CLOSING BALANCE OF FAIR VALUE OF PLAN ASSETS

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|   | योजना का स्वरूप                               | TYPE OF PLAN     |   |                        |                      |
|---|---|------------------|---|------------------------|----------------------|
|   |   | पेंशन<br>PENSION | अवकाश<br>नकदीकरण<br>LEAVE<br>ENCASHMENT | ग्रेच्युटी<br>GRATUITY | अति. सेवा लाभ<br>ARB |
| क) 1/4/210 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य    | a) Fair Value of plan assets as on 1/4/2010   | 2701.89          | 0                                       | 779.01                 | 0                    |
| ख) योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न           | b) Expected Return on Plan Assets             | 236.32           | 0                                       | 73.08                  | 0                    |
| ग) अंशदान                                       | c) Contributions                              | 351.97           | 68.13                                   | 191.23                 | 27.62                |
| घ) अन्य न्यास एवं सदस्यों से अंतरित             | d) transfer from other trust and members      | 1358.22          |   |                        |                      |
| ङ) प्रदत्त लाभ                                  | e) Benefits Paid                              | -199.63          | 68.13                                   | 113.46                 | 27.62                |
| च) बीमांकिक लाभ / (-) हानि                      | f) Actuarial gain / (-) loss                  | -60.20           | 0                                       | -23.00                 | 0                    |
| छ) 31.03.2011 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | g) Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2011 | <b>4388.57</b>   | <b>53.20</b>                            | <b>906.86</b>          | <b>8.17</b>          |



तुलन-पत्र में मान्य राशि

AMOUNT RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|    |                                | योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN           |                                      |                        |                         |        |
|----|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
|    |                                | पेंशन<br>PENSION                       | अवकाश नकदीकरण<br>LEAVE<br>ENCASHMENT | ग्रेच्युटी<br>GRATUITY | अति-<br>सेवा लाभ<br>ARB |        |
| क) | दायित्व का पीवी                | a) PV of obligation                    | 6654.04                              | 559.91                 | 1327.35                 | 441.52 |
| ख) | योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | b) Fair value of plan assets           | 4388.57                              | 0                      | 906.86                  | 0      |
| ग) | अन्तर                          | c) Difference                          | 2265.47                              | 559.91                 | 420.49                  | 441.52 |
| घ) | अनिर्धारित संक्रमणशील देयता    | d) Unrecognised transitional liability | 1476.92                              | 39.20                  | 37.38                   | 45.20  |
| ङ) | तुलनपत्र में मान्य देयता       | e) Liability Recognised in the BS      | 788.55                               | 520.71                 | 383.11                  | 396.12 |

लाभ-हानि खाते में मान्य राशि

AMOUNT RECOGNISED IN THE P&L ACCOUNT

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|    |   | योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN                     |                                      |                        |                         |       |
|----|---|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
|    |   | पेंशन<br>PENSION                                 | अवकाश नकदीकरण<br>LEAVE<br>ENCASHMENT | ग्रेच्युटी<br>GRATUITY | अति-<br>सेवा लाभ<br>ARB |       |
| क) | चालू सेवा लागत                          | a) Current Service Cost                          | 94.20                                | 26.03                  | 52.10                   | 11.70 |
| ख) | ब्याज लागत                              | b) Interest Cost                                 | 228.44                               | 40.06                  | 81.53                   | 34.33 |
| ग) | योजनागत आस्तित्व पर संभावित रिटर्न      | c) Expected Return on Plan Assets                | -236.32                              | -                      | -73.08                  | -     |
| घ) | निर्धारित पिछली सेवा लागत (मूर्त रूप)   | d) Past service cost (amortised) recognised      | 365.98                               | -                      | -                       | -     |
| ङ) | निर्धारित पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)   | e) past service cost (vested benefit) recognised | 554.14                               | -                      | -                       | -     |
| च) | शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (-)             | f) Net Actuarial Loss/gain(-)                    | -12.13                               | 53.20                  | 305.45                  | -8.17 |
| छ) | वर्ष के दौरान मानी गयी संक्रमणशील देयता | g) Transitional liability recognized in the year | 13.00                                | 39.20                  | 38.00                   | 45.40 |
| ज) | लाभ हानि खाते में निर्धारित खर्च        | Expenses Recognised in P&L                       | 1007.31                              | 158.49                 | 404.00                  | 83.26 |





3. सेगमेंट रिपोर्टिंग (ए.एस.-17) :  
भाग - क : बिजनेस सेगमेंट

3. Segment Reporting (AS-17)  
Part A – Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|                   |                            | ट्रेजरी<br>Treasury     |                         | कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग<br>Corporate / Wholesale<br>Banking |                         | रिटेल बैंकिंग<br>Retail Banking |                         | अन्य बैंकिंग परिचालन<br>Other Banking<br>Operations |                         | कुल<br>Total            |                         |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                   |                            | चालू वर्ष<br>Current Yr | पिछला वर्ष<br>Prev Year | चालू वर्ष<br>Current Yr                                      | पिछला वर्ष<br>Prev Year | चालू वर्ष<br>Current Yr         | पिछला वर्ष<br>Prev Year | चालू वर्ष<br>Current Yr                             | पिछला वर्ष<br>Prev Year | चालू वर्ष<br>Current Yr | पिछला वर्ष<br>Prev Year |
| राजस्व            | Revenue                    | 5597.84                 | 4599.16                 | 9840.82  | 7324.24                 | 5983.40                         | 4956.91                 | 3273.04   | 2624.39                 | 24695.10                | 19504.70                |
| परिणाम            | Result                     | 882.51                  | 1047.70                 | 1525.49  | 1585.36                 | 1517.89                         | 778.65                  | 2750.61   | 1780.39                 | 6676.50                 | 5192.10                 |
| अनाबंटित खर्च     | Unallocated Expense        |                         |                         |  |                         |                                 |                         |   |                         | 1026.18                 | 954.04                  |
| परिचालनगत लाभ     | Operating Profit           |                         |                         |  |                         |                                 |                         |   |                         | 5650.32                 | 4238.06                 |
| आयकर              | Income taxes               |                         |                         |  |                         |                                 |                         |   |                         | 1408.64                 | 1179.73                 |
| विशिष्ट लाभ/हानि  | Extra-ordinary Profit/loss |                         |                         |  |                         |                                 |                         |   |                         |                         |                         |
| शुद्ध लाभ         | Net Profit                 |                         |                         |  |                         |                                 |                         |   |                         | 4241.68                 | 3058.33                 |
| अन्य सूचना        | Other Information          |                         |                         |  |                         |                                 |                         |   |                         |                         |                         |
| सेगमेंट आस्तियां  | Segment Assets             | 85948.21                | 69474.04                | 116375.42  | 87163.85                | 53954.06                        | 45007.87                | 99679.80  | 7411.52                 | 355957.49               | 275957.28               |
| अनाबंटित आस्तियां | Unallocated Assets         |                         |                         |  |                         |                                 |                         |   |                         | 2439.68                 | 2359.42                 |
| कुल आस्तियां      | Total Assets               |                         |                         |  |                         |                                 |                         |   |                         | 358397.17               | 278316.70               |
| सेगमेंट देयताएं   | Segment Liabilities        | 85065.70                | 65703.15                | 109558.74  | 84232.80                | 50793.70                        | 42564.94                | 79972.48  | 70278.06                | 325390.62               | 260978.96               |
| अनाबंटित देयताएं  | Unallocated Liabilities    |                         |                         |  |                         |                                 |                         |   |                         | 33006.55                | 17337.74                |
| कुल देयताएं       | Total Liabilities          |                         |                         |  |                         |                                 |                         |   |                         | 358397.17               | 278316.70               |

भाग - ख : भौगोलिक सेगमेंट :

Part B – Geographic Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| सेगमेंट →<br>विवरण ↓ | Segments →<br>Particulars ↓ | घरेलू<br>Domestic       |                        | अंतर्राष्ट्रीय<br>International |                        | कुल<br>Total            |                        |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|                      |                             | चालू वर्ष<br>Current Yr | पिछला वर्ष<br>Prev. Yr | चालू वर्ष<br>Current Yr         | पिछला वर्ष<br>Prev. Yr | चालू वर्ष<br>Current Yr | पिछला वर्ष<br>Prev. Yr |
|                      |                             |                         | 31.03.11               | 31.03.10                        | 31.03.11               | 31.03.10                | 31.03.11               |
| राजस्व               | Revenue                     | 21743.87                | 17014.16               | 2951.23                         | 2490.54                | 24695.10                | 19504.70               |
| आस्तियां             | Assets                      | 267629.47               | 210329.67              | 90767.70                        | 67987.03               | 358397.17               | 278316.70              |



**सेगमेंट रिपोर्टिंग पर टिप्पणी :**

1. लेखा मानकों की अनुपालना में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेगमेंट रिपोर्टिंग पर ए.एस.-17 के साथ अनुपालना के उद्देश्य के लिए ट्रेजरी परिचालन थोक, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक बिजनेस सेगमेंट के रूप में तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय को द्वितीय/भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।
2. सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है।
3. सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक ने निधि अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाया है।
4. प्रत्येक सेगमेंट के लिए लगायी गयी पूंजी सेगमेंट की आस्तियों को अनुपातिक आधार पर आवंटित कर दी गयी है।
5. अन्य बैंकिंग परिचालनों के परिणाम राजस्व तथा लगायी गयी पूंजी में अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों से संबंधित आंकड़े भी शामिल हैं।

**4. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस-18)**

संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध

**क) अनुषंगियां :**

- i) बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
- ii) बॉब कार्ड्स लिमिटेड
- iii) नैनीताल बैंक लिमिटेड
- iv) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड
- v) बैंक ऑफ बड़ौदा (केनिया) लिमिटेड
- vi) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड
- vii) बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी.
- viii) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
- ix) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
- x) बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (यूगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा यूगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)
- xi) बॉब त्रिनिदाद व टोबागो लि.
- xii) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि.
- xiii) बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.

**(ख) सहयोगी इकाइयां :**

- i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
- ii) नैनीताल - अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- iii) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक
- iv) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- v) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- vi) इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड
- vii) बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि.

**(ग) संयुक्त उपक्रम :**

- i) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
- ii) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी

**Notes on Segment Reporting:**

1. As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards AS-17, Bank has adopted "Treasury Operations", Wholesale, Retail and "Other Banking Operations" as Primary business segments and "Domestic" and "International" as secondary / geographic segments.
2. Segment revenue represents revenue from external customers.
3. In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the bank has been used.
4. Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the segment.
5. Results, Revenue and Capital Employed of Other Banking operations include figures relating to International Operations.

**4. Related Party Disclosures (AS – 18)**

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

**(a) Subsidiaries:**

- i) BOB Capital Markets Limited
- ii) BOB Cards Limited
- iii) The Nainital Bank Limited
- iv) Bank of Baroda (Botswana) Limited
- v) Bank of Baroda (Kenya) Limited
- vi) Bank of Baroda (Uganda) Limited
- vii) Bank of Baroda (Guyana) Inc.
- viii) Bank of Baroda (UK) Limited
- ix) Bank of Baroda (Tanzania) Limited
- x) Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)
- xi) BOB Trinidad & Tobago Ltd.
- xii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
- xiii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.

**(b) Associates:**

- (i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
- (ii) Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank
- (iii) Baroda Rajasthan Gramin Bank
- (iv) Baroda Gujarat Gramin Bank
- (v) Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank
- (vi) Indo Zambia Bank Limited
- (vii) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

**(c) Joint Ventures**

- i) India First Life Insurance Company Ltd.
- ii) India International Bank (Malaysia) Bhd.

**(घ) प्रमुख प्रबंधन अधिकारी**
**(D) Key Management Personnel:**

| S.No | नाम<br>Name                                       | पदनाम<br>Designation                                      | पारिश्रमिक Remuneration   |                             |
|------|---|---|---------------------------|-----------------------------|
|      |   |   | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
| 1    | श्री. एम. डी मल्या<br>Shri M.D.Mallya             | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक<br>Chairman & Managing Director | 21,87,200                 | *23,30,494                  |
| 2    | श्री वी. सन्तानरामन<br>Shri V.Santhanaraman       | भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक<br>Ex-Executive Director        | --                        | *18,74,019                  |
| 3    | श्री राजीव कुमार बक्षी<br>Shri Rajiv Kumar Bakshi | कार्यकारी निदेशक<br>Executive Director                    | 18,37,145                 | *13,93,184                  |
| 4    | श्री एन. एस. श्रीनाथ<br>Shri N.S.Srinath          | कार्यकारी निदेशक<br>Executive Director                    | 13,57,347                 | 3,20,093                    |

\* इसमें छठे वेतन-आयोग की बकाया राशि तथा प्रोत्साहन राशि शामिल है।

\* Amount includes arrears on account of VI pay commission and incentives.

संबंधित पार्टी डिस्क्लोजर के ए एस-18 के पैरा 9 के महेनजर अनुषंगियों और सहयोगी बैंकों के साथ संव्यवहार का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो राज्य नियन्त्रित उपक्रमों को अन्य संबंधित पार्टियों के साथ अपने लेन-देनों से संबंधित किसी प्रकार का प्रकटीकरण करने से रोकता है। यह भी राज्य नियन्त्रित है।

The transactions with the Subsidiaries and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS) – 18 Related Parties Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

**5. प्रति शेयर अर्जन (एस-20)**
**5. Earning Per Share (AS-20)**

| विवरण                                  | Particulars                        | चालू वर्ष<br>Current Year | पिछला वर्ष<br>Previous Year |
|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| कर के बाद शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)    | Net profit after tax (₹ In Crores) | 4241.68                   | 3058.33                     |
| शेयर्स की संख्या (वेटेड)               | Number of Shares (weighted)        | 364490716                 | 364266500                   |
| प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन | Basic & diluted earning per share  | 116.37                    | 83.96                       |
| प्रति शेयर अंकित कीमत                  | Nominal value per share            | ₹10.00                    | ₹10.00                      |

**6. आय कर की गणना (एस-22)**
**6. Accounting for Taxes on Income (AS-22)**

आईसीआईएआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना हेतु एस-22 की जरूरतों का बैंक ने पालन किया है तथा तदनुसार आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की गई हैं। 31 मार्च, 2011 को आस्थगित कर का नेट बैलेंस ₹100.29 करोड़ था।

The Bank has complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized. The net balance of deferred tax liabilities as on 31st March 2011 amounting to ₹100.29 Crores consists of the following:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

|  |  | 31.03.2011        |                    | 31.03.2010     |                    |
|--|--|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  |  | आस्तियां<br>Asset | देयता<br>Liability | आस्ति<br>Asset | देयता<br>Liability |
| अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर | Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets | -                 | 52.29              | -              | 26.02              |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत कटौती               | Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961                          | -                 | -                  | -              | 234.47             |
| परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर मूल्यहास               | Depreciation on HTM Securities   | -                 | 216.56             | -              | -                  |
| आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि           | Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act  | 9.70              | -                  | 11.32          | -                  |
| अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान  | Provision for leave encashment   | 158.86            | -                  | 156.42         | -                  |
| जोड़   | Total:   | 168.56            | 268.85             | 167.74         | 260.49             |
| शुद्ध आस्थगित कर देयताएं   | Net Deferred Tax Liability   | -                 | 100.29             | -              | 92.75              |



**7. परिचालन बंद करना (एस 24)**

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, फलस्वरूप देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सकी है और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

**8. आस्तियों का अनर्जक बनना (एस-28)**

लेखा मानक-28 "आस्तियों का इंपेयरमेंट" के खंड 5 से खंड 13 - के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है।

**9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29)**

**9.1 देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)**

**7. Discontinuing operations (AS 24)**

During the financial year 2010-11 the bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

**8. Impairment of Assets (AS-28)**

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

**9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)**

**9.1 Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others)**

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण<br>मुकदमें / आकस्मिकताएं | Particulars<br>Legal Cases / contingencies | चालू वर्ष<br>Current Year   | पिछला वर्ष<br>Previous Year   |
|--------------------------------|--|---|---|
| 1 अप्रैल 2010 को शेष           | Balance as on 1st April 2010               | 4.75  | 13.43   |
| वर्ष के दौरान प्रदत्त          | Provided during the year                   | 3.95  | -8.68   |
| 31 मार्च 2011 को शेष           | Balance as on 31st March 2011              | 8.70  | 4.75  |
| आउटफ्लो/अनिश्चितताओं का समय    | Timing of outflow / uncertainties          | सेटलमेंट /<br>क्रिस्टलाइजेशन पर<br>आउटफ्लो<br>Outflow on settlement/<br>crystallization | सेटलमेंट /<br>क्रिस्टलाइजेशन पर<br>आउटफ्लो<br>Outflow on settlement/<br>crystallization |

बैंक ने एक नीति निर्धारित की है जिसके अनुसार बैंक के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

The Bank has provided for claims against the bank which have not been acknowledge as debt as per the policy framed by it.

**9.2 आकस्मिक देयताएं :**

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 के क्र सं. (I) से (VI) में उद्धृत ऐसी देयताएं अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा, मांगी गई राशि, अनुबंधन दायित्वों के संबंध में, क्रमशः संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांगों पर निर्भर करती हैं. ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

**9.2 Contingent Liabilities**

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon, the outcome of court, arbitration, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

**ग. लेखों पर अन्य टिप्पणियां**

**1. बहियों का मिलान एवं समाधान**

अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों में नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.03.2011 तक कर लिया गया है. इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है.

**C. Other Notes to Accounts**

**1. Balancing of Books and Reconciliation**

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed upto 31.03.2011, the reconciliation of which is in progress.

**2. पूंजी**

वर्ष के दौरान, बैंक ने निदेशक मंडल के अमुमोदन से सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार भारत सरकार को प्रिफरेंशियल आधार पर ₹10/- प्रत्येक के 2,72,79,579 इक्विटी शेयरों को ₹892.14 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आबंटित किए हैं. इसके फलस्वरूप, बैंक को ₹2461.00 करोड़ की कुल राशि पूंजी के रूप में प्राप्त हुई तथा जिसके परिणामस्वरूप सरकारी धारिता 53.81% से बढ़कर 57.03% हो गई है.

**2. Capital**

During the year bank has allotted 2,72,79,579 equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹ 892.14 per share to Govt. of India as determined by the Board in accordance with regulation 76 (1) of SEBI ICDR regulation on preferential basis. The total amount of capital received by the Bank on this account is ₹ 2,461.00 Crores and consequently the Government holding have increased from 53.81% to 57.03%.



### 3. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है।

### 4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में विद्यमान सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) के एक भाग को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में अंतरित कर दिया है. 75.80 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.25 करोड़ रुपए) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभांतरित कर दिया गया है.

4.2 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत रखे गये निवेश की बिक्री पर लाभ राशि 41.92 करोड़ रु को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और उसके बाद रु 20.99 करोड़ को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में करों को शुद्ध में समायोजित किया गया है तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 के अन्तर्गत सांविधिक प्रारक्षित निधि को अंतरित किया गया है.

### 5. करों के लिए प्रावधान

5.1 करों हेतु प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है.

5.2 "अन्य आस्तियां" शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी अग्रिम कर अदायगी / स्रोत पर कर की कटौती राशि में विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गई / विभाग द्वारा समायोजित राशि ₹1958.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1293.49 करोड़) शामिल है. आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन / मनाही बनाये रखने लायक नहीं है.

5.3 बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत पात्र व्यवसाय के संबंध में, जो उक्त धारा में विनिर्दिष्ट है, कटौती हेतु दावा किया है. तदनुसार ₹335.39 करोड़ विशेष प्रारक्षित निधि खाते में अन्तरित कर दिए हैं. तथा इसे अन्य प्रारक्षित निधि के अंतर्गत रिपोर्ट दिया जाता है

### 6. परिसर

6.1 बैंक की कुल 88.63 करोड़ रु. (मूल लागत) - (पिछले वर्ष 65.30 करोड़ रु.) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है.

6.2 बैंक की कुछ संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है. वर्ष के अंत में परिसर शीर्षक के अंतर्गत कुल 1747.83 करोड़ रु. पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है. शुद्ध मूल्यहास के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि 1223.90 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 1321.25 करोड़ रु.) हैं.

6.3 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन / कब्जे में ली जानेवाली 43.77 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 63.93 करोड़ रु.) की संपत्तियां शामिल हैं.

7. बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफ एस एल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी.

### 3. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries.

### 4. Investments

4.1 In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Government Securities (SLR) kept in "Available for Sale" category to "Held to Maturity" category. The resultant depreciation of ₹ 75.80 Crores (previous year ₹ 3.25 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

4.2 Profit on sale of investments held under "Held to maturity" category amounting to ₹.41.92 Crores has been taken to the Profit and Loss Account and thereafter an amount of ₹ 20.99 Crores has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transferred to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

### 5 Provision for Taxes

5.1 Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

5.2 Tax paid in advance / tax deducted at source appearing under "Other Assets"

amounting to ₹1958.16 Crores (previous year ₹1293.49 Crores) represents amounts adjusted by the department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands for various assessment year. No provision is considered necessary in respect of the said demands, as in the bank's view, duly supported by counsels opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.

5.3 The Bank has claimed deduction under section 36(1) (viii) of the Income-tax

Act, 1961 in respect of the eligible business as specified in the said section and has accordingly transferred a sum of ₹ 335.39 Crores to the corresponding Special Reserve account and reported under Other Reserve.

### 6. Premises-

6.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties at ₹ 88.63 Crores (Previous year ₹.65.30 Crores) – (Original Cost).

6.2 Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of the revaluation included in premises as at the year ₹ 1747.83 Crores) and net of depreciation the revaluation amounts to ₹1223.90 Crores (Previous Year ₹ 1321.25 Crores).

6.2 Premises include assets under construction / acquisition amounting to ₹ 43.77 Crores (Previous year ₹ 63.93 Crores).

7. BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, had passed a special resolution for voluntary winding up of the company on 24.09.1990 and the liquidator was appointed for the same.



बॉब एफ एस एल ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफ एस एल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक गॉइंग कंसर्न/बिक्री के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को स्थानांतरित कर दिए गए. चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफ एस एल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफ एस एल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ मैसर्स बॉब फिसकल सर्विसेस लि. के सम्मेलन को बैंक की दिनांक 28.1.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और उच्च न्यायालय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल सम्मेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए बॉब को प्राधिकृत किया.

BOBFSL entered into an agreement with Bank of Baroda pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f.28.2.1991. As the company could not be liquidated due to pending legal cases; a decision to merge BOBFSL with Bank of Baroda was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

Bank has approved the merger of M/s. BOB Fiscal Services Limited with Bank of Baroda in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized Bank to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the High Court.

8. अन्य पक्षीय उत्पादों की मार्केटिंग से अर्जित आय.

8. Income earned for marketing third party products

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| क्र. सं.<br>Sr. No | आय का स्वरूप                           | Nature of Income                        | राशि<br>Amount |
|--------------------|--|---|----------------|
| 1                  | जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु     | For selling life insurance policies     | 23.42          |
| 2                  | गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु | For selling non life insurance policies | 11.50          |
| 3                  | म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु   | For selling mutual fund projects        | 1.82           |
| 4                  | इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद                | Equity broking product                  | 0.82           |
| 5                  | बैंक एश्यूरेंस व्यवसाय                 | Bancassurance business                  | 2.48           |

9. परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर पकटीकरण

(भारिबैंक का परिपत्रांक डीबीओडी नं. बीओबीसी 34/21.04.141/2010-11 दि. 06.08.10)

9. Disclosure on Sale of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category.

(RBI cir.no.DBOD.no.BO.BC.34/21.04.141/2010-11 dated 06.08.10)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| निवेशों का प्रारम्भिक शेष<br>(परिपक्वता पर धारित) 01.04.10<br>Opening Bal. of investment<br>(HTM) 01.04.10 | वर्ष के दौरान बिक्री/अन्तरण<br>Sale/ transfer during<br>the year | जोड़े गए<br>Addition | निवेशों का अन्तिम शेष<br>परिपक्वता पर धारित 31.03.11<br>Closing Bal. of<br>Investment<br>(HTM) 31.03.11 | निवेश श्रेणी का बाजार मूल्य<br>परिपक्वता पर धारित 31.03.11<br>Market value of<br>investment (HTM)<br>category 31.03.11 |
|--|--|----------------------|---|--|
| 41827.96   | 8733.46  | 20458.87             | 53553.37  | 52836.96   |

10. एसजीएल फार्म लौटाए जाने पर लगाई गई पनेल्टी का प्रकटीकरण

(भारिबैंक परिपत्रांक आइडीएमडी. डीओडी. 15/11.01.01 (बी) 2010-11 दिनांक 14 जुलाई 2010)

10. Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms.

(RBI cir. No. IDMD.DOD.15/11.01.01(B)/2010-11 dated 14th July 2010)

| क्र. सं.<br>Sr.no. | एसजीएल फार्म लौटाने की तारीख<br>Date of bouncing SGL form | राशि Amount | टिप्पणियां Remarks |
|--------------------|---|-------------|--------------------|
| 1                  | शून्य Nil   | शून्य Nil   | शून्य Nil          |

11. जहां आवश्यक समझा गया पिछले वर्ष के आंकड़े रियुप/पुनर्व्यवस्थित किए गए

11. Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.



**31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण**  
**Statement of Cash Flow for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2011**

(₹ in 000's अनंकित omitted)

|  |   | 31 मार्च 2011<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2011 | 31 मार्च 2010<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2010 |
|--|---|---|---|
| <b>क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :</b>                         | <b>A. Cash flow from operating activities:</b>                              |   |   |
| <b>कर से पूर्व शुद्ध लाभ</b>   | <b>Net Profit before taxes</b>  | <b>5650,32,10</b>   | <b>4238,05,99</b>   |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन :  | Adjustments for:  |   |   |
| अचल आस्तियों पर मूल्यहास   | Depreciation on fixed assets  | 243,04,10   | 230,86,05   |
| निवेशों पर मूल्य हास<br>(परिपक्व ऋणपत्रों सहित)                        | Depreciation on investments<br>(including on Matured debentures)            | 9,01,27   | (380,73,81)   |
| बड़े खाते डाले गए अशोध्य ऋण /<br>गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान | Bad debts written-off/Provision in<br>respect of non-performing assets      | 1050,59,74  | 955,45,89   |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान  | Provision for Standard Assets   | 223,85,32   | 106,62,62   |
| अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)                                       | Provision for Other items (Net)   | 47,82,47  | 15,85,41  |
| अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि)<br>(निवल)                         | Profit/(loss) on sale of fixed assets<br>(Net)                              | 17,43   | (5,29)  |
| गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान/प्रावधान,<br>(अलग से लिया गया)           | Payment/provision for interest on<br>subordinated debt (treated separately) | 846,16,11   | 559,31,58   |
| अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश<br>(अलग से लिया गया)            | Dividend received from subsidiaries/<br>others (treated separately)         | (28,46,80)  | (29,18,85)  |
| <b>उप-जोड़</b>   | <b>Sub total</b>  | <b>8042,51,74</b>   | <b>5696,19,59</b>   |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन :  | Adjustments for:  |   |   |
| निवेशों में (वृद्धि) /कमी  | (Increase)/Decrease in investments  | (9906,76,24)  | (8290,01,68)  |
| अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी   | (Increase)/Decrease in advances   | (54691,67,24)   | (32739,33,64)   |
| अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी  | (increase)/Decrease in other assets   | (1856,38,43)  | 432,56,60   |
| उधार राशियों में वृद्धि /(कमी)   | Increase/(Decrease)in borrowings  | 6755,39,20  | (823,20,12)   |
| जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)   | Increase/(Decrease) in deposits   | 64177,55,67   | 48647,31,25   |
| अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)                          | Increase/(Decrease) in other liabilities<br>and provisions                  | 689,60,16   | (167,19,54)   |
| प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड की निवल राशि)                              | Direct taxes paid (Net of Refund)   | (1431,43,54)  | (1503,87,71)  |
| <b>परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)</b>                           | <b>Net cash from operating activities (A)</b>                               | <b>11778,81,32</b>  | <b>11252,44,75</b>  |



(₹ in 000's अनंकित omitted)

|   |  | 31 मार्च 2011<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2011 | 31 मार्च 2010<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2010 |
|---|--|---|---|
| <b>ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह</b>   | <b>B. Cash flow from investing activities:</b>   |   |   |
| अचल आस्तियों की खरीद  | Purchase of / Transfer in fixed assets   | (358,31,45)   | (338,71,14)   |
| अचल आस्तियों की बिक्री  | Sale/Transfer out of fixed assets  | 20,59,31  | 40,25,30  |
| व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन<br>(अनुषंगी एवं अन्य)   | Changes in Trade related investments<br>(Subsidiaries & others)  | (180,50,58)   | (65,74,47)  |
| अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश  | Dividend received from subsidiaries/<br>others   | 28,46,80  | 29,18,85  |
| <b>निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)</b>   | <b>Net cash used in investing activities (B)</b>   | <b>(489,75,92)</b>  | <b>(335,01,46)</b>  |
| <b>ग. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :</b>  | <b>C. Cash flow from financing activities:</b>   |   |   |
| शेयर पूँजी  | Share Capital  | 27,27,96  | -   |
| शेयर प्रीमियम   | Share premium  | 2433,72,03  | -   |
| गैर जमानती गौण बांड   | Unsecured Subordinated Bonds   | 2202,37,78  | 1405,37,98  |
| लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश   | Dividend paid including dividend tax   | (639,26,04)   | (383,55,63)   |
| गैर जमानती गौण बांडों<br>पर प्रदत्त / देय ब्याज   | Interest paid / payable on unsecured<br>subordinated bonds   | (846,16,11)   | (559,31,58)   |
| <b>वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)</b>   | <b>Net cash from financing activities (C)</b>  | <b>3177,95,62</b>   | <b>462,50,77</b>  |
| <b>नकदी एवं नकदी समतुल्य<br/>में शुद्ध वृद्धि (क)+(ख)+(ग)</b>   | <b>Net increase in cash &amp; cash<br/>equivalents (A)+(B)+(C)</b>   | <b>14467,01,02</b>  | <b>11379,94,06</b>  |
| वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य   | Cash and cash equivalents as at the<br>beginning of the year   | 35467,05,76   | 24087,11,70   |
| वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य   | Cash and cash equivalents as at the<br>end of the year   | 49934,06,78   | 35467,05,76   |
| <b>टिप्पणी:</b>   | <b>Notes:</b>  |   |   |
| 1. नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंक के पास बैलेंस और मांग एवं अल्प सूचना पर धन समाविष्ट है. | 1. Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice. |   |   |
| 2. नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक   | 2. Components of Cash & Cash Equivalents   | 3/31/2011   | 3/31/2010   |
| नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैलेंस   | Cash & Balance with RBI  | 198681789   | 135399691   |
| बैंकों के पास बैलेंस और मांग एवं अल्प सूचना पर धन   | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice   | 300658889   | 219270885   |
| <b>कुल</b>  | <b>Total</b>   | <b>499340678</b>  | <b>354670576</b>  |



## वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report on the Financial Statements

सेवा में,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक

- हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 31 मार्च 2011 की वित्तीय विवरणियां जिनमें 31 मार्च 2011 का तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे नकद प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है, की लेखा परीक्षा की है जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाएं, अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 2843 शाखाएं और स्थानीय लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 45 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखाओं का चुनाव बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 501 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल की गई हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गयी है। ये अ-लेखापरीक्षित शाखाएं 0.39 प्रतिशत अग्रिम, 2.46 प्रतिशत जमाराशियां, 0.39 प्रतिशत ब्याज-आय और 1.23 प्रतिशत ब्याज-व्यय से संबंधित हैं।

**वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व**

- भारत में स्वीकार्य : सामान्य लेखा परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। इस दायित्व में वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण, कार्यान्वयन एवं रूपरेखा सम्मिलित है और इनमें, जालसाजी या भूल की वजह से कोई उल्लेखनीय गलती नहीं है।

**लेखा परीक्षकों का दायित्व**

- हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिकता का निर्वाह करते हुए लेखा परीक्षा कार्य सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें यह तार्किक आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां किसी भी प्रकार की उल्लेखनीय / प्रमुख गलतियों से मुक्त हैं।
- लेखा परीक्षा में राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण की जांच हेतु वित्तीय विवरणियों में दी गई निष्पादन प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही शामिल है। चयनित प्रक्रिया (विधि) लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर है, इसमें वित्तीय विवरणियों में उल्लेखनीय गलतियों के जोखिम भले ही वह जालसाजी या भूल की वजह से हों, का मूल्यांकन / आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणियों की उपयुक्त प्रस्तुति हेतु कंपनी के सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों का अवलोकन करता है ताकि परिस्थिति अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया निर्धारित (तय) की जा सके। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का आकलन सम्मिलित है।
- हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारी लेखा परीक्षा राय प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त है।

**राय**

- अपनी राय देने से पहले हम अनुसूची 18 के नोट संख्या बी 1.3.2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए पुनः पेंशन विकल्प शीर्षक के तहत जारी परिपत्रांक डीबीओडी / बीपी/बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुरूप लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पेंशन देयताएं को आस्थित करने की छूट दी है और बैंक ने इसके अर्न्तगत ₹1463.92 करोड़ की राशि आस्थित की है।

To

**The Shareholders of Bank of Baroda**

- We have audited the accompanying financial statements of Bank of Baroda as at March 31, 2011, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2011, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 45 foreign branches audited by local auditors and 2843 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the statement of Profit and Loss are the returns from 501 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.39 per cent of advances, 2.46 per cent of deposits, 0.39 per cent of interest income and 1.23 per cent of interest expenses.

**Management's Responsibility for the Financial Statements**

- Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with auditing standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditor's Responsibility**

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Opinion**

- Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No. B 1.3.2 of Schedule 18, which describes deferral of pension liability of the Bank to the extent of ₹1463.92 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of AS 15, Employee Benefits vide its circular no. DBOD. BP/BC/80/21.04.018/ 2010-11 dated February 9, 2011, on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.





7. हमारी राय में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :
- नोट के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और इसे यथोचित ढंग से बनाया गया है, जिससे कि, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप नोट के साथ पठित बैंक के 31 मार्च, 2011 के क्रियाकलापों का सही एवं यथायोग्य चित्र सामने आ सके.
  - लाभ-हानि लेखा, दी गई टिप्पणियों के साथ पठित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप तथा खाते के वर्ष के लिए बैंक के सही लाभ शेष को दर्शाता है.
  - नकदी प्रवाह-विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है.

#### अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाएं

- तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं.
- उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 5 में वर्णित लेखा परीक्षा सीमाओं और बैंककारी (कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970/1980 और इनके अन्तर्गत प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्याधीन, हम सूचित करते हैं कि :
  - हमने अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.
  - बैंक के संव्यवहारों की जो जानकारी हमारे सामने आयी है, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं.
  - बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा-परीक्षा हेतु सामान्यतः पर्याप्त पायी गयीं, केवल कुछ मामलों में, प्राप्त विवरणियों में भरे गए विवरण अपूर्ण /अपर्याप्त थे. ऐसे मामलों में प्रबंध तंत्र द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण पर हमने भरोसा किया है.
- हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ/हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी मान्य लेखा मानकों के अनुरूप है.

- In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
  - The Balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2011 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
  - The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
  - The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

#### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/ 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that;
  - We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
  - The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank;
  - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;
- In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(आदित्य कुमार)

For Ashwani & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 000497H  
(Aditya Kumar)  
Partner  
M. No. 506955

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
(राकेश राठी)

For Haribhakti & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 103523W  
(Rakesh Rathi)  
Partner  
M. No. 045228

कृते एस. के. कपूर एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
(संजीव कपूर)

For S. K. Kapoor & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000745C  
(Sanjiv Kapoor)  
Partner  
M. No. 70487

कृते खिमजी कुंवरजी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
(गौतम शाह)

For Khimji Kunverji & Co  
Chartered Accountants  
FRN: 105146W  
(Gautam Shah)  
Partner  
M No.117348

कृते एन. सी. बनर्जी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
(पी. के. सरकार)

For N. C. Banerjee & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 302081E  
(P. K. Sarkar)  
Partner  
M. No. 660543

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
(के. जितेंद्र कुमार)

For Brahmayya & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000511S  
(K. Jitendra Kumar)  
Partner  
M No.201825



### 31 मार्च 2011 का समेकित तुलन-पत्र Consolidated Balance Sheet as on 31st March 2011

(000' अनंकित omitted)

|   | अनुसूची<br>SCHEDULE                                    | 31 मार्च 2011 को<br>As on<br>31st Mar, 2011<br>₹ | 31 मार्च 2010 को<br>As on<br>31st Mar, 2010<br>₹ |
|---|--|--|--|
| <b>पूँजी और देयताएं</b>   | <b>CAPITAL &amp; LIABILITIES</b>                       |  |  |
| पूँजी   | Capital  | 392,80,73  | 365,52,77  |
| प्रारक्षित निधियां और अधिशेष  | Reserves & Surplus                                     | 21379,55,21                                      | 15349,06,23                                      |
| मायनोरिटी इन्टरेस्ट   | Minority Interest                                      | 72,90,64   | 59,42,00   |
| जमाराशियां  | Deposits   | 311603,24,89                                     | 245951,14,55                                     |
| उधार ली गई राशियां  | Borrowings   | 22378,32,96                                      | 13404,27,07                                      |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान   | Other Liabilities & Provisions                         | 10386,92,14                                      | 9147,33,89                                       |
| <b>जोड़</b>   | <b>T O T A L</b>                                       | <b>366213,76,57</b>                              | <b>284276,76,51</b>                              |
| <b>आस्तियां</b>   | <b>ASSETS</b>  |  |  |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम  | Cash and balances with Reserve Bank of India           | 20394,41,61                                      | 14076,06,77                                      |
| बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि  | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 31029,31,11                                      | 22493,41,15                                      |
| निवेश   | Investments  | 74018,45,75                                      | 63163,27,03                                      |
| ऋण एवं अग्रिम   | Loans & Advances                                       | 232085,11,12                                     | 177711,89,75                                     |
| अचल आस्तियां  | Fixed Assets   | 2383,19,95                                       | 2369,38,69                                       |
| अन्य आस्तियां   | Other Assets   | 6303,27,03                                       | 4462,73,12                                       |
| <b>जोड़</b>   | <b>T O T A L</b>                                       | <b>366213,76,57</b>                              | <b>284276,76,51</b>                              |
| आकस्मिक देयताएं   | Contingent Liabilities                                 | 127562,35,80                                     | 88221,17,28                                      |
| वसूली के लिए बिल  | Bills for Collection                                   | 18986,68,46                                      | 18267,18,04                                      |
| महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां   | Significant Accounting Policies                        | 18   |  |
| लेखों पर टिप्पणियां   | Notes on Accounts                                      | 19   |  |
| ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं.<br>The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet. |  |  |  |

श्री एम.डी.मल्या  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
श्री आर. के. बक्षी  
कार्यकारी निदेशक  
श्री एन. एस. श्रीनाथ  
कार्यकारी निदेशक  
श्री वी. के. गुप्ता  
महाप्रबंधक  
कार्पो. खाते, कराधान एवं  
अनुपालन अधिकारी-भा.रि.बैं  
श्री बी. दयाल  
सहायक महाप्रबंधक  
कार्पो. खाते, एवं कराधान)  
स्थान : मुंबई,  
दिनांक : 27.05.2011

निदेशक  
श्री आलोक निगम  
श्री आर. गांधी  
श्री वी. बी. चव्हाण  
श्री अजय माथुर  
डॉ. मसरत शाहिद  
श्री. सत्य देव त्रिपाठी  
डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी  
डॉ. दीपक बी. फाटक  
श्री मौलिन ए. वैष्णव

लेखा परीक्षक  
सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार  
कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 000497 एन  
(संजीव नारायण)  
भागीदार  
एम.नं. 084205  
कृते हरिभक्ति एण्ड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 103523 डब्ल्यू  
(राकेश राठी)  
भागीदार  
एम.नं. 045228  
कृते एस. के. कपूर एण्ड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 000745 सी  
(संजीव कपूर)  
भागीदार  
एम.नं. 70487  
कृते खिमजी कुंवरजी एण्ड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 105146 डब्ल्यू  
(गौतम शाह)  
भागीदार  
एम.नं. 117348  
कृते एन. सी. बेंजर्जी एण्ड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 302081 इ  
(बी. के. बिश्वास)  
भागीदार  
एम.नं. 055623  
कृते ब्रह्मया एण्ड कं.  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन : 000511 एस  
(के. जितेन्द्र कुमार)  
भागीदार  
एम.नं. 201825



31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2011

(000' अनंकित omitted)

|  |   | अनुसूची<br>SCHEDULE | 31 मार्च 2011 को<br>समाप्त वर्ष के लिए<br>Year ended<br>31st Mar 2011<br>₹ | 31 मार्च 2010 को<br>समाप्त वर्ष के लिए<br>Year ended<br>31st Mar 2010<br>₹ |
|--|---|---------------------|--|--|
| <b>I. आय</b>   | <b>I. INCOME</b>  |                     |  |  |
| अर्जित ब्याज   | Interest Earned   | 13                  | 22513,30,54  | 17234,81,86  |
| अन्य आय  | Other Income  | 14                  | 3287,10,02   | 2965,29,65   |
| जोड़   | TOTAL   |                     | <u>25800,40,56</u>   | <u>20200,11,51</u>   |
| <b>II. व्यय</b>  | <b>II. EXPENDITURE</b>  |                     |  |  |
| ब्याज व्यय   | Interest Expended   | 15                  | 13349,59,66  | 11023,33,76  |
| परिचालन व्यय   | Operating Expenses  | 16                  | 4850,58,58   | 3981,60,83   |
| प्रावधान और आकस्मिक व्यय   | Provisions and Contingencies  |                     | 3181,02,18   | 2045,37,64   |
| जोड़   | TOTAL   |                     | <u>21381,20,42</u>   | <u>17050,32,23</u>   |
| माइनोरिटी ब्याज से पूर्व समेकित लाभ और सहयोगी इकाइयों में आय का अंश  | Consolidated Profit before Minority Interest and share of earning in Associates |                     | 4419,20,14   | 3149,79,28   |
| सहयोगी इकाइयों में आय का अंश   | Share of earnings in Associates   | 17                  | 34,71,81   | 42,64,52   |
| माइनोरिटी ब्याज काटने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ  | Consolidated Net Profit for the year before deducting Minority interest         |                     | 4453,91,95   | 3192,43,80   |
| घटाएं : माइनोरिटी ब्याज  | Less : Minority Interest  |                     | 20,21,24   | 13,13,88   |
| वर्ष के लिए समूह का समेकित लाभ   | Consolidated Profit for the year attributable to the group                      |                     | 4433,70,71   | 3179,29,92   |
| आगे लाई गई लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि  | Balance in Profit and Loss A/c brought forward                                  |                     | 82,20,34   | 70,57,36   |
| विनियोग हेतु उपलब्ध राशि   | Amount available for appropriation  |                     | <u>4515,91,05</u>  | <u>3249,87,28</u>  |
| <b>III. विनियोग</b>  | <b>III. APPROPRIATIONS</b>  |                     |  |  |
| सांविधिक प्रारक्षित निधि में अन्तरण  | Transfer to Statutory Reserve   |                     | 1072,74,87   | 777,70,58  |
| पूंजी प्रारक्षित निधियों में अन्तरण  | Transfer to Capital Reserves  |                     | 20,99,56   | 126,58,95  |
| धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण  | Transfer to Special Reserve u/s 36 (1)(viii)                                    |                     | 340,39,87  | 270,00,00  |
| राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण   | Transfer to Revenue & Other Reserves  |                     | 2189,75,35   | 1345,23,81   |
| प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)   | Proposed Dividend (Including Dividend Tax)                                      |                     | 753,35,20  | 648,13,60  |
| समेकित बैलेंसशीट में आगे ले जाया गया शेष   | Balance carried over to consolidated Balance Sheet                              |                     | 138,66,20  | 82,20,34   |
| जोड़   | TOTAL   |                     | <u>4515,91,05</u>  | <u>3249,87,28</u>  |
| प्रतिशेयर आय (बेसिक व डायल्यूटेड)  | Earnings per Share (Basic & Diluted)  |                     | 121.64   | 87.28  |
| महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां  | Significant Accounting Policies   | 18                  |  |  |
| लेखों पर टिप्पणियां  | Notes on Accounts   | 19                  |  |  |
| ऊपर दर्शाई गई अनुसूचियां लाभ एवं हानि लेखे का ही एक भाग हैं<br>The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account. |   |                     |  |  |

Shri M. D. Mallya  
Chairman & Managing Director  
Shri R. K. Bakshi  
Executive Director  
Shri N. S. Srinath  
Executive Director  
Shri V. K. Gupta  
General Manager  
Corporate A/cs, Taxation  
& Compliance Officer - RBI  
Shri B. Dayal  
Assistant General Manager  
Corporate A/cs & Taxation

**DIRECTORS**  
Shri Alok Nigam  
Shri R. Gandhi  
Shri V. B. Chavan  
Shri Ajay Mathur  
Dr. Masarrat Shahid  
Shri Satya Dev Tripathi  
Dr. Dharmendra Bhandari  
Shri Deepak B. Phatak  
Shri Maulin A. Vaishnav

**AUDITORS**  
As per our separate report of even date attached

|  |   |  |
|--|---|--|
| For Ashwani & Associates<br>Chartered Accountants<br>FRN:000497N | For S. K. Kapoor & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN:000745C    | For N. C. Banerjee & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN:302081E |
| (Sanjeev Narayan)<br>Partner<br>M.No.084205                      | (Sanjiv Kapoor)<br>Partner<br>M.No.70487                          | (B. K. Biswas)<br>Partner<br>M.No.055623                         |
| For Haribhakti & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN:103523W     | For Khimji Kunverji & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN:105146W | For Brahmayya & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN:000511S      |
| (Rakesh Rathi)<br>Partner<br>M.No.045228                         | (Gautam Shah)<br>Partner<br>M.No.117348                           | (K. Jitendra Kumar)<br>Partner<br>M.No.201825                    |

Place : Mumbai  
Date : 27.05.2011



**समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां**  
**Schedules to Consolidated Balance Sheet**

(000' अनंकित omitted)

|  | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31st March 2011   |            | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31st March 2010 |                      |
|--|--|------------|--|----------------------|
|  | ₹  | ₹          | ₹  | ₹                    |
| <b>अनुसूची - 1 पूंजी</b>   | <b>SCHEDULE - 1 CAPITAL</b>  |            |  |                      |
| प्राधिकृत पूंजी<br>(प्रत्येक ₹10/- के 300,00,00,000<br>इक्विटी शेयर)<br>(पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10/- के<br>300,00,00,000/- शेयर)   | AUTHORISED CAPITAL<br>(300,00,00,000 Shares of<br>₹10/- each)<br>(Previous year 300,00,00,000/-<br>shares of ₹ 10/- each)  |            | 3000,00,00                                 | 3000,00,00           |
| जारी की गयी तथा अभिदत्त<br>पूंजी<br>प्रत्येक ₹10/- के 39,42,79,579<br>इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10 के<br>36,70,00,000 इक्विटी शेयर) -   | ISSUED & SUBSCRIBED<br>CAPITAL<br>(39,42,79,579 Equity Shares<br>of ₹10/- each (Previous year<br>36,70,00,000/- Equity Shares of<br>₹10/- each)  |            | 394,27,96                                  | 367,00,00            |
| मांगी गई पूंजी<br>प्रत्येक ₹10/- के 39,15,46,079<br>(पिछले वर्ष 36,42,66,500) इक्विटी<br>शेयर) जिसमें प्रत्येक ₹10/- के<br>22,32,79,579 शेयर (पिछले वर्ष<br>1960,00,000) शामिल है, जिसकी कुल<br>राशि ₹223.28 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा<br>धारित है. | CALLED UP CAPITAL<br>39,15,46,079 (previous year<br>36,42,66,500) Equity shares of<br>₹10/- each including<br>22,32,79,579 shares (previous<br>year 1960,00,000 shares) of ₹10/-<br>each amounting to ₹ 223.28 crores<br>held by Central Government. |            | 391,54,61                                  | 364,26,65            |
| जोड़ें : जब्त शेयर   | Add: Forfeited Shares  | 1,26,12    | 392,80,73                                  | 1,26,12              |
| जोड़ें   | TOTAL  |            | <u>392,80,73</u>                           | <u>365,52,77</u>     |
| <b>अनुसूची - 2</b>   | <b>SCHEDULE - 2</b>  |            |  |                      |
| <b>प्रारक्षित निधियां और अधिशेष</b>  | <b>RESERVES &amp; SURPLUS</b>  |            |  |                      |
| <b>i सांविधिक प्रारक्षित निधियां</b>   | <b>i Statutory Reserves</b>  |            |  |                      |
| आरंभिक शेष   | Opening Balance  | 3609,50,54 |  | 2831,52,56           |
| जोड़ें : लाभ एवं हानि खाते से<br>अंतरित  | Add: Transfer from P&L<br>Accounts   | 1072,74,87 |  | 777,70,58            |
| जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान<br>समायोजन  | Add/(Less): Adjustments<br>during the year   | (1,72,65)  | 4680,52,76                                 | (2,740) 3609,50,54   |
| <b>ii क) पूंजीगत प्रारक्षित निधियां</b>  | <b>ii a) Capital Reserves</b>  |            |  |                      |
| आरंभिक शेष   | Opening Balance  | 2106,90,80 |  | 2092,99,56           |
| जोड़ें : लाभ एवं हानि खाते से<br>अंतरित  | Add/(Less): Transfer from<br>P&L Accounts  | 20,99,56   |  | 126,58,95            |
| जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान<br>समायोजन  | Add/(Less): Adjustments<br>during the year   | (40,30,86) | 2087,59,50                                 | 112,67,71 2106,90,80 |
| <b>ख) समेकन पर पूंजीगत<br/>प्रारक्षित निधियां</b>  | <b>b) Capital Reserve on<br/>Consolidation</b>   |            |  |                      |
| आरंभिक शेष   | Opening Balance  | 44,81,60   |  | 37,38,23             |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन /<br>समायोजन   | Add: Adjustments during<br>the year  | 10,40,09   | 55,21,69                                   | 7,43,37 44,81,60     |
| <b>iii शेयर प्रीमियम</b>   | <b>iii Share Premium</b>   |            |  |                      |
| आरंभिक शेष   | Opening Balance  | 2331,08,56 |  | 2273,88,56           |
| जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान परिवर्धन<br>/ समायोजन   | Add/(Less): Adjustments<br>during the year   | 2433,72,03 | 4764,80,59                                 | 57,20,00 2331,08,56  |



(000' अनंकित omitted)

|   |   | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31st March 2011 |                     | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31st March 2010 |                     |
|---|---|--|---------------------|--|---------------------|
|   |   | ₹  | ₹                   | ₹  | ₹                   |
| iv राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां                 | iv Revenue & Other Reserves             |  |                     |  |                     |
| क. धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधियां | a. Special Reserves u/s 36 (1) (viii)   |  |                     |  |                     |
| प्रारंभिक शेष   | Opening Balance                         | 690,00,00                                  |                     | 420,00,00                                  |                     |
| जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान किए गए समायोजन         | Add/(Less): Adjustments during the year | 340,39,87                                  | 1030,39,87          | 270,00,00                                  | 690,00,00           |
| ख. रूपांतरण प्रारक्षित निधियां                        | b. Translation Reserves                 |  | (42,03,42)          |  | (16,81,23)          |
| ग. राजस्व प्रारक्षित निधियां                          | c. Revenue Reserves                     |  |                     |  |                     |
| प्रारंभिक शेष   | Opening Balance                         | 6501,35,62                                 |                     | 5188,62,68                                 |                     |
| जोड़े : लाभ और हानि खाते से अंतरण                     | Add: Transfer from P&L Accounts         | 2189,75,35                                 |                     | 1345,23,81                                 |                     |
| जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान किए गए समायोजन          | Add/(Less): Adjustments during the year | (26,72,95)                                 | 8664,38,02          | 32,50,87                                   | 6501,35,62          |
| v लाभ/हानि खाते में शेष                               | v Balance in Profit & Loss Account      |  | 138,66,20           |  | 82,20,34            |
| कुल प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (i से v)             | Total Reserves & Surplus (I to v)       |  | <u>21379,55,21</u>  |  | <u>15349,06,23</u>  |
| अनुसूची - 2 ए- माइनोरिटी ब्याज                        | SCHEDULE - 2A- Minority Interest        |  |                     |  |                     |
| प्रारंभिक शेष   | Opening Balance                         | 59,42,00                                   |                     | 46,42,54                                   |                     |
| जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान किए गए समायोजन        | Add/(Less): Adjustments during the year | 13,48,64                                   | 72,90,64            | 12,99,46                                   | 59,42,00            |
| कुल माइनोरिटी ब्याज                                   | Total Minorities Interest               |  | <u>72,90,64</u>     |  | <u>59,42,00</u>     |
| अनुसूची - 3 जमा राशियां                               | SCHEDULE - 3 DEPOSITS                   |  |                     |  |                     |
| क. I मांग जमा राशियां                                 | A. I Demand Deposits                    |  |                     |  |                     |
| i) बैंकों से  | i) From Banks                           | 804,90,86                                  |                     | 1034,65,68                                 |                     |
| ii) अन्यो से  | ii) From Others                         | 22892,11,07                                | 23697,01,93         | 18330,70,59                                | 19365,36,27         |
| II बचत बैंक जमा राशियां                               | II Savings Bank Deposits                |  | 66096,09,52         |  | 53972,01,17         |
| III मीयादी जमा राशियां                                | III Term Deposits                       |  |                     |  |                     |
| i) बैंकों से  | i) From Banks                           | 41191,23,59                                |                     | 32764,61,49                                |                     |
| ii) अन्यो से  | ii) From Others                         | 180618,89,85                               | 221810,13,44        | 139849,15,62                               | 172613,77,11        |
| जोड़ (I, II एवं III)                                  | TOTAL (I,II and III)                    |  | <u>311603,24,89</u> |  | <u>245951,14,55</u> |
| ख. I भारत में शाखाओं की जमाराशियां                    | B. I Deposits of branches in India      | 235899,75,53                               |                     | 187294,39,52                               |                     |
| II भारत से बाहर शाखाओं की जमा राशियां                 | II Deposits of branches outside India   | 75703,49,36                                |                     | 58656,75,03                                |                     |
| जोड़ (I एवं II)                                       | TOTAL (I & II)                          |  | <u>311603,24,89</u> |  | <u>245951,14,55</u> |





(000' अनंकित omitted)

|   | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31st March 2011  |                    | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31st March 2010 |                    |
|---|---|--------------------|--|--------------------|
|   | ₹   | ₹                  | ₹  | ₹                  |
| <b>अनुसूची - 4 उधार राशियां</b>   | <b>SCHEDULE - 4 BORROWINGS</b>  |                    |  |                    |
| <b>I भारत में उधार राशियां</b>  | <b>I Borrowings in India</b>  |                    |  |                    |
| i) भारतीय रिजर्व बैंक   |   | 350,00,00          |  | -                  |
| ii) अन्य बैंक   |   | 135,58,87          |  | 108,62,43          |
| iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां  |   | 432,30,75          |  | 348,99,23          |
| iii) आईपीडीआई   |   | 1911,70,00         |  | 1200,20,00         |
| v) गौण ऋण   |   | 7490,00,00         | 10319,59,62                                | 5990,00,00         |
| 7647,81,66  |   |                    |  |                    |
| <b>II भारत से बाहर उधार राशियां</b><br>(इसमें 1337.88 करोड़ रु. (पिछले वर्ष ₹1347.00 करोड़) के एमटीएन बाण्ड शामिल हैं ) | <b>II Borrowings outside India</b><br>(includes MTN Bonds of ₹1337.88 crs (previous year ₹1347.00 crs)) |                    |  |                    |
|   |   | 12058,73,34        |  | 5756,45,41         |
| <b>जोड़ (I एवं II)</b>  |   | <b>22378,32,96</b> |  | <b>13404,27,07</b> |
| <b>ऊपर I एवं II में शामिल जमानती उधार राशियां</b>   |   | <b>71,56,24</b>    |  | <b>140,97,47</b>   |
| <b>अनुसूची - 5</b>  | <b>SCHEDULE - 5</b>   |                    |  |                    |
| <b>अन्य देयताएं एवं प्रावधान</b>  | <b>OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS</b>   |                    |  |                    |
| <b>I देय बिल</b>  | <b>I Bills Payable</b>  |                    |  |                    |
|   |   | 1684,10,55         |  | 1494,03,22         |
| <b>II उपचित ब्याज</b>   | <b>II Interest Accrued</b>  |                    |  |                    |
|   |   | 2144,85,88         |  | 1753,76,54         |
| <b>III अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)</b>   | <b>III Inter office Adjustments (Net)</b>   |                    |  |                    |
|   |   | -                  |  | 53,60,59           |
| <b>IV आस्थगित कर देयता</b>  | <b>IV Deferred Tax Liabilities</b>  |                    |  |                    |
|   |   | 102,19,24          |  | 97,63,35           |
| <b>V अन्य (प्रावधानों सहित)</b>   | <b>V Others (including provisions)</b>  |                    |  |                    |
|   |   | 6455,76,47         |  | 5748,30,19         |
| <b>जोड़ (I एवं V)</b>   |   | <b>10386,92,14</b> |  | <b>9147,33,89</b>  |
| <b>अनुसूची - 6</b>  | <b>SCHEDULE - 6</b>   |                    |  |                    |
| <b>नकदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष</b>   | <b>CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>   |                    |  |                    |
| <b>I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)</b>  | <b>I Cash in hand (including foreign currency notes)</b>  |                    |  |                    |
|   |   | 1411,28,67         |  | 1220,27,94         |
| <b>II भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष</b>   | <b>II Balances with Reserve Bank of India :</b>   |                    |  |                    |
| i) चालू खाते में  |   | 18870,42,81        |  | 12554,82,81        |
| ii) अन्य खातों में  |   | 112,70,13          | 18983,12,94                                | 300,96,02          |
| 12855,78,83   |   |                    |  |                    |
| <b>जोड़ (I एवं II)</b>  |   | <b>20394,41,61</b> |  | <b>14076,06,77</b> |
| <b>अनुसूची - 7</b>  | <b>SCHEDULE - 7</b>   |                    |  |                    |
| <b>बैंक के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि</b>  | <b>BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE</b>   |                    |  |                    |
| <b>I भारत में</b>   | <b>I In India</b>   |                    |  |                    |
| <b>i) बैंकों के पास शेष रकम</b>   | <b>i) Balances with Banks</b>   |                    |  |                    |
| (क) चालू खातों में  |   | 325,09,18          |  | 364,21,36          |
| (ख) अन्य जमा खातों में  |   | 2178,74,98         | 2503,84,16                                 | 851,72,81          |
| 1215,94,17  |   |                    |  |                    |
| <b>ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय</b>   | <b>ii) Money at call and short notice</b>   |                    |  |                    |
| (क) बैंकों के पास   |   | -                  |  | 240,00,00          |
| (ख) अन्य संस्थानों के पास   |   | -                  |  | -                  |
| 240,00,00   |   |                    |  |                    |
| <b>जोड़ (i एवं ii)</b>  |   | <b>2503,84,16</b>  |  | <b>1455,94,17</b>  |
| <b>II भारत से बाहर</b>  | <b>II Outside India</b>   |                    |  |                    |
| <b>i) चालू खातों में</b>  | <b>i) in Current Accounts</b>   |                    |  |                    |
|   |   | 4971,43,05         |  | 1564,05,90         |
| <b>ii) अन्य जमा-राशि खातों में</b>  | <b>ii) in Other Deposit Accounts</b>  |                    |  |                    |
|   |   | 11309,85,74        |  | 9728,48,97         |
| <b>iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि</b>  | <b>iii) Money at Call and Short Notice</b>  |                    |  |                    |
|   |   | 12244,18,16        |  | 9744,92,11         |
| <b>जोड़ (i,ii एवं iii)</b>  |   | <b>28525,46,95</b> |  | <b>21037,46,98</b> |
| <b>कुल जोड़ (I एवं II)</b>  |   | <b>31029,31,11</b> |  | <b>22493,41,15</b> |



(000' अनंकित omitted)

|   |   | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31st March 2011 |             | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31st March 2010 |             |
|---|---|--|-------------|--|-------------|
|   |   | ₹  | ₹           | ₹  | ₹           |
| <b>अनुसूची - 8<br/>निवेश</b>  | <b>SCHEDULE - 8<br/>INVESTMENTS</b>   |  |             |  |             |
| <b>I भारत में निम्न में निवेश</b>   | <b>I Investments in India in</b>  |  |             |  |             |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां  | i) Govt Securities  | 59956,33,31                                |             | 50068,23,33                                |             |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां  | ii) Other Approved Securities   | 629,66,51                                  |             | 866,33,95                                  |             |
| iii) शेयर   | iii) Shares   | 1532,77,66                                 |             | 1279,30,39                                 |             |
| iv) डिबेंचर एवं बांड  | iv) Debentures and Bonds  | 2576,93,08                                 |             | 2448,82,13                                 |             |
| v) सहयोगी इकाइयों में निवेश<br>(इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी के रूप में बैंक का अग्रिम अंशदान ₹94.62 करोड़. (पिछले वर्ष ₹101.27 करोड़) शामिल है जो आबंटन हेतु लम्बित हैं. | v) Investment in Associates<br>[includes Bank's share of contribution as advance of ₹94.62 crores (Previous Year ₹101.27 crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment] | 279,65,93                                  |             | 247,91,32                                  |             |
| vi) अन्य  | vi) Others  | 3667,93,24                                 |             | 3283,56,35                                 |             |
| जोड़ (i से vi)  | Total (i to vi)   |  | 68643,29,73 |  | 58194,17,47 |
| <b>II भारत से बाहर निवेश</b>  | <b>II Investments Outside India in</b>  |  |             |  |             |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)   | i) Govt Securities (incl. Local authorities)  | 3039,45,12                                 |             | 2611,91,70                                 |             |
| ii) सहयोगी इकाइयों में निवेश  | ii) Investment in Associates  | 37,61,68                                   |             | 34,82,51                                   |             |
| iii) अन्य   | iii) Others   | 2298,09,22                                 |             | 2322,35,35                                 |             |
| जोड़ (i से iii)   | Total (i to iii)  |  | 5375,16,02  |  | 4969,09,56  |
| कुल जोड़ (I एवं II)   | Grand Total (I & II)  |  | 74018,45,75 |  | 63163,27,03 |
| <b>III भारत में निवेश</b>   | <b>III Investments in India</b>   |  |             |  |             |
| निवेशों का सकल मूल्य  | Gross value of Investments  | 68984,72,53                                |             | 58545,59,46                                |             |
| घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़   | Less: Aggregate of Provisions for Depreciation  | 341,42,80                                  |             | 351,41,99                                  |             |
| शुद्ध निवेश   | Net Investments   | 68643,29,73                                |             | 58194,17,47                                |             |
| <b>IV भारत से बाहर निवेश</b>  | <b>IV Investments outside India</b>   |  |             |  |             |
| निवेशों का सकल मूल्य  | Gross value of Investments  | 5518,37,19                                 |             | 5146,83,18                                 |             |
| घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़   | Less: Aggregate of Provisions for Depreciation  | 143,21,17                                  |             | 177,73,62                                  |             |
| शुद्ध निवेश   | Net Investments   | 5375,16,02                                 | 74018,45,75 | 4969,09,56                                 | 63163,27,03 |



(000' अनंकित omitted)

|  |  | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31st March 2011 |                     | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31st March 2010 |                     |
|--|--|--|---------------------|--|---------------------|
|  |  | ₹  | ₹                   | ₹  | ₹                   |
| <b>अनुसूची - 9 अग्रिम</b>  |  | <b>SCHEDULE - 9 ADVANCES</b>               |                     |  |                     |
| क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल  | A. i) Bills Purchased and Discounted                                   |  | 29699,84,56         |  | 19287,74,91         |
| ii) नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण                    | ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand             |  | 99592,12,58         |  | 81096,04,69         |
| iii) मीयादी ऋण   | iii) Term Loans  |  | 102793,13,98        |  | 77328,10,15         |
| जोड़ (i से iii)  | Total (i to iii)   |  | <u>232085,11,12</u> |  | <u>177711,89,75</u> |
| ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋण की एवज में अग्रिमों सहित) | B. i) Secured by Tangible Assets(Includes advances against book debts) | 148950,49,26                               |                     | 111760,05,22                               |                     |
| ii) बैंकों/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित                              | ii) Covered by Bank/ Government Guarantees                             | 33917,86,55                                |                     | 23106,12,66                                |                     |
| iii) गैर-जमानती  | iii) Unsecured   | 49216,75,31                                |                     | 42845,71,87                                |                     |
| जोड़ (i से iii)  | Total (i to iii)   |  | <u>232085,11,12</u> |  | <u>177711,89,75</u> |
| ग. I भारत में अग्रिम   | C. I Advances in India   |  |                     |  |                     |
| i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र   | i Priority Sector  | 55715,64,27                                |                     | 46792,30,72                                |                     |
| ii सार्वजनिक क्षेत्र   | ii Public Sector   | 22996,88,61                                |                     | 18543,24,20                                |                     |
| iii बैंक   | iii Banks  | 561,97,67                                  |                     | 12,05,70                                   |                     |
| iv अन्य  | iv Others  | 91754,54,20                                | 171029,04,75        | 67654,51,77                                | 133002,12,39        |
| II भारत से बाहर अग्रिम   | II Advances Outside India  |  |                     |  |                     |
| i बैंकों से प्राप्य  | i Due from Banks   | 52,85,86                                   |                     | 150,98,34                                  |                     |
| ii अन्यो से प्राप्य  | ii Due from Others   |  |                     |  |                     |
| क. खरीदे गए और भुनाए गए बिल  | a) Bills purchased & Discounted  | 25859,61,44                                |                     | 16433,91,79                                |                     |
| ख. समूह ऋण   | b) Syndicated Loans  | 9532,22,74                                 |                     | 7727,83,20                                 |                     |
| ग. अन्य  | c) Others  | 25611,36,33                                | 61056,06,37         | 20397,04,03                                | 44709,77,36         |
| जोड़ (ग I + ग II)  | Total (C.I +C.II)  |  | <u>232085,11,12</u> |  | <u>177711,89,75</u> |



(000' अनंकित omitted)

|  |  | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31st March 2011 |            | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31st March 2010 |            |
|--|--|--|------------|--|------------|
|  |  | ₹  | ₹          | ₹  | ₹          |
| अनुसूची-10   | <b>SCHEDULE - 10</b>                                     |  |            |  |            |
| अचल आस्तियां                                       | <b>FIXED ASSETS</b>                                      |  |            |  |            |
| I परिसर  | I Premises   |  |            |  |            |
| विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर                   | At cost as on 31st March of the preceding year           | 2486,69,96                                 |            | 2459,25,46                                 |            |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन                   | Additions/Adjustments during the year                    | 45,56,20                                   |            | 28,47,29                                   |            |
|  |  | 2532,26,16                                 |            | 2487,72,75                                 |            |
| घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां                     | Less : Deductions during the year                        | 2,14,43                                    |            | 1,02,79                                    |            |
|  |  | 2530,11,73                                 |            | 2486,69,96                                 |            |
| अद्यतन तारीख को मूल्यहास                           | Depreciation to date                                     | 722,78,38                                  | 1807,33,35 | 617,65,41                                  | 1869,04,55 |
| II अन्य अचल आस्तियां<br>(फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित) | II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) : |  |            |  |            |
| विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर                   | At cost as on 31st March of the preceding year           | 1907,87,23                                 |            | 1611,65,90                                 |            |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन                   | Additions/Adjustments during the year                    | 327,62,69                                  |            | 338,15,41                                  |            |
|  |  | 2235,49,92                                 |            | 1949,81,31                                 |            |
| वर्ष के दौरान कटौतियां                             | Deductions during the year                               | 68,38,72                                   |            | 41,94,08                                   |            |
|  |  | 2167,11,20                                 |            | 1907,87,23                                 |            |
| अद्यतन तारीख तक मूल्यहास                           | Depreciation to date                                     | 1596,03,73                                 | 571,07,47  | 1411,26,20                                 | 496,61,03  |
| II क. पट्टे पर दी गई आस्तियां                      | II A Leased Assets                                       |  |            |  |            |
| लागत पर  | At cost  | 17,73,91                                   |            | 13,95,89                                   |            |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन                   | Additions/Adjustments during the year                    | 2,87,72                                    |            | 3,78,02                                    |            |
|  |  | 20,61,63                                   |            | 17,73,91                                   |            |
| वर्ष के दौरान कटौतियां प्रावधानों सहित.            | Deductions during the year incl. Provisions              | 1,27,46                                    |            | —  |            |
|  |  | 19,34,17                                   |            | 17,73,91                                   |            |
| तुलन-पत्र की तारीख तक मूल्यहास                     | Depreciation to date                                     | 14,55,04                                   | 4,79,13    | 14,00,80                                   | 3,73,11    |
| जोड़ (I, I क, II एवं II क)                         | Total (I, II and IIA)                                    |  | 2383,19,95 |  | 2369,38,69 |



(000' अनंकित omitted)

|   |  | 31 मार्च, 2011 को<br>As on 31st March 2011 |                     | 31 मार्च, 2010 को<br>As on 31st March 2010 |                    |
|---|--|--|---------------------|--|--------------------|
|   |  | ₹  | ₹                   | ₹  | ₹                  |
| अनुसूची - 11  | <b>SCHEDULE - 11</b>   |  |                     |  |                    |
| अन्य आस्तियां   | <b>OTHER ASSETS</b>  |  |                     |  |                    |
| I अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)                               | I Inter-Office Adjustments (Net)   |  | 233,13,53           |  | -                  |
| I उपचित ब्याज   | I Interest Accrued   |  | 2471,06,84          |  | 1692,32,63         |
| II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती<br>(प्रावधानों का निवल) | II Tax paid in advance/tax<br>deducted at source (net of<br>Provisions)  |  | 1330,79,71          |  | 1318,96,94         |
| III स्टेशनरी एवं स्टैम्प                                      | III Stationery and Stamps  |  | 7,45,91             |  | 7,58,41            |
| IV आस्थगित कर आस्तियां  | IV Deferred Tax assets   |  | 6,24,49             |  | 4,18,93            |
| V अन्य  | V Others   |  | 2254,56,55          |  | 1439,66,21         |
| जोड़ (I से V)   | Total (I to V)   |  | <u>6303,27,03</u>   |  | <u>4462,73,12</u>  |
| अनुसूची - 12  | <b>SCHEDULE - 12</b>   |  |                     |  |                    |
| आकस्मिक देयताएं   | <b>CONTINGENT LIABILITIES</b>  |  |                     |  |                    |
| I दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया                               | I Claims not acknowledged as<br>debts                                    |  | 238,22,64           |  | 258,22,57          |
| II आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता                           | II Liability for partly paid<br>Investments                              |  | 28,00               |  | 75,04,43           |
| III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के<br>कारण देयता              | III Liability on account of<br>outstanding forward exchange<br>contracts |  | 78454,09,29         |  | 56110,35,49        |
| IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां                           | IV Guarantees given on behalf of<br>constituents :                       |  |                     |  |                    |
| क) भारत में   | a) In India  |  | 11798,07,99         |  | 8767,73,80         |
| ख) भारत से बाहर   | b) Outside India   |  | 7904,98,74          | 19703,06,73                                | 4953,62,66         |
|   |  |  |                     |  | 13721,36,46        |
| V स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व                         | V Acceptances, Endorsements<br>and Other Obligations                     |  | 15017,44,01         |  | 9804,60,16         |
| VI आकस्मिक देयता की अन्य मदें                                 | VI Other items of contingent<br>liability                                |  | 14149,25,13         |  | 8251,58,17         |
| जोड़ (I से VI)  | Total ( I to VI)   |  | <u>127562,35,80</u> |  | <u>88221,17,28</u> |





**समेकित लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां**  
**Schedules to Consolidated Profit & Loss Account**

(000' अनंकित omitted)

|  |  | 31 मार्च, 2011 को<br>समाप्त वर्ष<br>As on 31st March 2011 |   | 31 मार्च, 2010 को<br>समाप्त वर्ष<br>As on 31st March 2010 |   |
|--|--|---|---|---|---|
|  |  | ₹   | ₹ | ₹   | ₹ |
| <b>अनुसूची - 13</b><br><b>अर्जित ब्याज एवं लाभांश</b>                    | <b>SCHEDULE - 13</b><br><b>INTEREST AND DIVIDENDS</b><br><b>EARNED</b>               |   |   |   |   |
| I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा  | I Interest/Discount on Advances/<br>Bills  | 16570,46,06   |   | 12838,11,24   |   |
| II निवेश पर आय   | II Income on Investments   | 5006,87,91  |   | 3841,18,52  |   |
| III भारतीय रिजर्व बैंक शेष और अन्य<br>अन्तर बैंक निधियों के शेष पर ब्याज | III Interest on Balances with<br>Reserve Bank of India and<br>other Inter-Bank Funds | 499,84,13   |   | 474,73,57   |   |
| IV अन्य  | IV Others  | 436,12,44   |   | 80,78,53  |   |
| जोड़ (I से IV)   | TOTAL Total ( I to IV)   | <u>22513,30,54</u>  |   | <u>17234,81,86</u>  |   |
| <b>अनुसूची - 14</b><br><b>अन्य आय</b>                                    | <b>SCHEDULE - 14</b><br><b>OTHER INCOME</b>  |   |   |   |   |
| I कमीशन, विनिमय एवं दलाली  | I Commission, Exchange and<br>Brokerage  | 1063,56,69  |   | 946,83,10   |   |
| II भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की<br>बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)         | II Profit / (Loss) on sale of Land,<br>Buildings and Other Assets (Net)              | (1,267)   |   | 8,27  |   |
| III विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध)  | III Profit on Exchange<br>Transactions (Net)   | 530,23,17   |   | 371,51,26   |   |
| IV निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)  | IV Profit on sale of Investments<br>(Net)  | 475,16,82   |   | 731,04,96   |   |
| V निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि)<br>(शुद्ध)                     | V Profit / (Loss) on revaluation of<br>Investments (Net)                             | 2,43,55   |   | (116,97)  |   |
| V विविध आय   | V Miscellaneous Income   | 1215,82,46  |   | 916,99,03   |   |
| जोड़ (I से V)  | TOTAL Total ( I to V)  | <u>3287,10,02</u>   |   | <u>2965,29,65</u>   |   |
| <b>अनुसूची - 15</b><br><b>ब्याज व्यय</b>                                 | <b>SCHEDULE - 15</b><br><b>INTEREST EXPENDED</b>                                     |   |   |   |   |
| I जमा राशियों पर ब्याज   | I Interest on Deposits   | 12161,40,49   |   | 10157,64,00   |   |
| II भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्तर बैंक उधार<br>राशियों पर ब्याज               | II Interest on Reserve Bank of<br>India/Inter-Bank Borrowings                        | 348,15,21   |   | 176,05,24   |   |
| III अन्य   | III Others   | 840,03,96   |   | 689,64,52   |   |
| जोड़ (I से III)  | TOTAL Total ( I to III)  | <u>13349,59,66</u>  |   | <u>11023,33,76</u>  |   |

(000' अनंकित omitted)

|   |  | 31 मार्च, 2011 को<br>समाप्त वर्ष<br>As on 31st March 2011 |           | 31 मार्च, 2010 को<br>समाप्त वर्ष<br>As on 31st March 2010 |           |
|---|--|---|-----------|---|-----------|
|   |  | ₹   | ₹         | ₹   | ₹         |
| <b>अनुसूची - 16</b>   | <b>SCHEDULE - 16</b>   |   |           |   |           |
| <b>परिचालन व्यय</b>   | <b>OPERATING EXPENSES</b>  |   |           |   |           |
| I कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान                                 | I Payments to and Provisions for Employees                                     | 3018,45,77  |           | 2426,34,43  |           |
| II किराया, कर एवं विद्युत   | II Rent, Taxes and Lighting  | 379,52,50   |           | 320,26,25   |           |
| III मुद्रण एवं स्टेशनरी   | III Printing and Stationery  | 36,12,76  |           | 30,93,30  |           |
| IV विज्ञापन एवं प्रचार  | IV Advertisement and Publicity   | 71,22,40  |           | 57,93,65  |           |
| V क) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास                | V a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets                  | 259.16.14   |           | 241,56,82   |           |
| ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास  | b) Depreciation on Leased Assets   | 5,424   | 259,70,38 | 1,17,73   | 242,74,55 |
| VI निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय  | VI Directors' Fees, Allowances and Expenses                                    | 1,62,57   |           | 2,15,82   |           |
| VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) | VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses) | 40,31,62  |           | 38,48,24  |           |
| VIII विधि प्रभार  | VIII Law Charges   | 21,05,36  |           | 18,78,13  |           |
| IX डाक व्यय, तार एवं दूरभाष आदि   | IX Postages, Telegrams, Telephones etc.  | 93,00,71  |           | 81,28,97  |           |
| X मरम्मत एवं रख रखाव  | X Repairs and Maintenance  | 116,26,99   |           | 123,89,20   |           |
| XI बीमा   | XI Insurance   | 235,88,94   |           | 184,53,30   |           |
| XII अन्य व्यय   | XII Other Expenditure  | 577,38,58   |           | 454,24,99   |           |
| जोड़ (I से XII)   | TOTAL (I to XII)   | <u>4850,58,58</u>   |           | <u>3981,60,83</u>   |           |
| <b>अनुसूची - 17</b>   | <b>SCHEDULE - 17</b>   |   |           |   |           |
| <b>सहयोगी इकाइयों में आय का अंश</b>   | <b>SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES</b>   |   |           |   |           |
| I आरआरबी  | I RRB's  | 39,28,41  |           | 43,26,66  |           |
| II अन्य   | II Others  | (45,660)  |           | (6,214)   |           |
| जोड़ (I और II)  | Total (I & II)   | <u>34,71,81</u>   |           | <u>42,64,52</u>   |           |



## अनुसूची 18: 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Schedule 18 : Significant Accounting Policies on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2011

### 1. समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने के आधार :

- 1.1 बैंक (मूल), इसकी अनुषंगियों संयुक्त उद्यमों और सहयोगी इकाइयों की समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) परम्परागत लागत के आधार पर बनाई गई हैं और सभी वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में, भारत की शाखाओं/कार्यालयों के विषय में भारत में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के विषय में संबद्ध देश में प्रचालित सांविधिक प्रावधानों एवं विधाओं के अनुरूप, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, बनाई गई हैं।
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित है।

### 2. समेकन प्रक्रिया :

- 2.1 समूह की समेकित वित्तीय विवरणियां निम्नलिखित के आधार पर तैयार की गई हैं :
  - क) बैंक ऑफ बड़ौदा (मूल) के लेखा-परीक्षित खाते
  - ख) अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ लाइन-टू-लाइन एकत्रीकरण तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान 'आईसीएआई' द्वारा जारी लेखांकन मानक (एस-21) के अनुसार सभी इन्द्रा गुप शेषों/संव्यवहारों और वसूल न किए गए लाभ/हानि को कम करते हुए।
- 2.2 लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में अनुषंगियों एवं सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियों को, जहां कहीं आवश्यक हो, मूल की लेखा-नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है।
- 2.3 सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी "अकाउंटिंग फॉर इनवेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कनसालिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" ए एस 23 इक्विटी प्रणाली के अनुरूप किया गया है।
- 2.4 संयुक्त उद्यमों में निवेश, आईसीएआई द्वारा जारी एस-27 "फायनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इन्टरस्ट इन ज्वाइंट वेंचर" में निर्धारित "समानुपातिक आधार" पर समेकित किया गया है।
- 2.5 समेकित वित्तीय विवरणियों के माइनोरिटी इन्टररेस्ट में अनुषंगियों की शुद्ध इक्विटी/लाभ में माइनोरिटी शेयरधारकों के अंश समाहित है।
- 2.6 मूल संस्था द्वारा इसकी अनुषंगियों में किए गए निवेश की लागत और अनुषंगियों में इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से की लागत अंतर को गुडविल/प्रारक्षित पूंजी, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना गया है।

### 1. BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

- 1.1 Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its subsidiaries, joint ventures and associates are drawn up on historical cost basis and conform in all material aspects to statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian offices / branches and respective foreign countries in respect of foreign offices / branches, unless otherwise stated.
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

### 2. CONSOLIDATION PROCEDURE:

- 2.1 CFS of the group have been prepared on the basis of :
  - a. Audited accounts of Bank of Baroda (Parent).
  - b. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss as per Accounting Standard (AS) -21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered accountants of India (ICAI).
- 2.2 In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries and Associates are adjusted, wherever necessary, to conform to the Accounting Policies of the Parent.
- 2.3 Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) -23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.
- 2.4 Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in Accounting Standard (AS) - 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.
- 2.5 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.
- 2.6 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/ capital reserve as the case may be.

### 3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

- 3.1 विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों के प्रभाव पर जारी लेखा मानक 11 विदेशी मुद्रादरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुरूप किया गया है।
- 3.2 लेखा मानक एस-11 के प्रयोजन के लिए बैंक के मूल एवं अनुषंगी विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालन एवं (ख) असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल संस्था की सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को असमाकलित परिचालन एवं विदेशी मुद्रा के घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना गया है।
- 3.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में संव्यवहार
- (क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया गया है।
- (ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- (ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकन किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।
- (घ) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए पारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा संविदाओं को क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्ति स्पॉट एवं वायदा दरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यित किया गया है। परिणामी वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।
- 3.4 असमाकलित परिचालनों के संबंध में संव्यवहार
- (क) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- (ख) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए पारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा सापेक्ष देयताओं को क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्ति स्पॉट एवं वायदादरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यित किया गया है।
- (ग) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- (घ) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की गई है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा रूपांतरण प्रारक्षित निधि" में रखा गया है।

### 3. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

- 3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
- 3.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Parent and its Subsidiaries are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries of Parent are treated as Non Integral Operations; and Domestic Operations in Foreign Exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.
- 3.3 Translation in respect of Integral Operations:
- a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
- b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.
- d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss included in the profit & Loss A/c.
- 3.4 Translation in respect of Non Integral Operations:
- a) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- b) Foreign Exchange Spot and Forward contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
- c) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.



#### 4. निवेश

##### 4.1 वर्गीकरण

मूल संस्था तथा इसकी घरेलू अनुषंगियों के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- (क) "परिपक्वता तक धारित" निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं.
- (ख) "व्यापार हेतु धारित" में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है.
- (ग) "बिक्री हेतु उपलब्ध" में वे निवेश शामिल हैं जो उपरोक्त "क" तथा "ख" में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं.

##### 4.2 वर्गीकरण का आधार

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारत और अर्जित लागत पर लिया गया है, यदि वह अंकित मूल्य से अधिक नहीं है. विपरीत स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है.

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांड्स शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है तथा जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, ट्रेजरी बिलों, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण पत्र में किए गए निवेशों को रखाव लागत आधार पर मूल्यांकन किया गया है.

23.08.2006 के पश्चात् मूल द्वारा वीसीएफ की ईकाइयों में किए गए निवेश को आरम्भिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक धारित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है. संवितरण के तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें एएफएस में अंतरिम का दिया जाएगा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार चिन्हित रखा जाएगा.

##### 4.3 अधिग्रहण लागत

निवेशों के अधिग्रहण की लागत-प्रोत्साहनों, फ्रंट एण्ड फीस एवं कमीशन का कुल योग है.

##### 4.4 निवेशों का निस्तारण

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारत और अर्जित लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया जाता है एवं "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ (शुद्ध कर एवं सांविधिक निधि) को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है. एएफएस/एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुई लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

##### 4.5 मूल्यांकन

"व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत निवेश बाजार स्क्रिपवार चिन्हित किया गया है तथा तुलन पत्र में प्रत्येक श्रेणी में दर्शाए गए परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई है, को लाभ हानि

#### 4. INVESTMENTS:

##### 4.1 Classification

The Investment portfolio of the Parent and its domestic subsidiaries is classified in accordance with Reserve Bank of India guidelines into:

- (a) "Held to Maturity" comprising investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- (b) "Held for Trading" comprising investments acquired with the intention to trade.
- (c) "Available for Sale" comprising investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

##### 4.2 Basis of Classification

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances, for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to advances.

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Parent's investment in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

##### 4.3 Acquisition Cost

Cost of Acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

##### 4.4 Disposal of Investment

Profit / Loss on sale of investments classified as "Held to Maturity" is recognized in the Profit & Loss account based on the weighted average cost / book value of the related investments and an amount equivalent of profit on sale of investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit /loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in Profit & loss account.

##### 4.5 Valuation

Investments classified as "Held for Trading" and "Available for Sale" are marked to market, scrip-wise and the resultant net depreciation if any in each category



खाते में स्थान दिया गया है। जब कि शुद्ध मूल्यवृद्धि यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के तहत आने वाले ट्रेजरी बिलों में किए जाने वाले निवेशों को घोषित फिमडा मूल्यों पर त्रैमासिक आधार पर बाजार चिन्हित किया गया है तथा परिणामी शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, जबकि शुद्ध मूल्यवृद्धि यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।

“व्यापार के लिए धारित” तथा “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पीडीएआई) फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

|    |                                       |  |
|----|---------------------------------------|--|
| क. | सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां          | - परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर   |
| ख. | इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर | - अद्यतन तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी  |
| ग. | अधिमान शेयर                           | - परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर   |
| घ. | पीएसयू बॉन्ड                          | - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर  |
| ङ. | म्युचुअल फंड की यूनिटें               | - फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य एनएवी पर   |
| च. | उद्यम पूंजी                           | - लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी जोकि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीएसएफ) ₹1/- |

- 4.6 बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है।
- 4.7 विदेशी शाखाओं में निवेश के सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक अथवा मेजबान देशों के दिशा-निर्देशों का, दोनों में से जो अधिक कठोर हों, का अनुपालन किया जाता है। ऐसी शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में स्थित है जहां कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।
- 4.8 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है।

disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category are marked-to-market on quarterly basis based on the FIMMDA prices declared and the resultant net depreciation if any, is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

For the purpose of valuation of quoted investments in “Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates/quotes on the Stock exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under: -

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| a | Government / Approved securities      | - On Yield to Maturity basis.  |
| b | Equity Shares, PSU and Trustee shares | - At book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.   |
| c | Preference Shares                     | - On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.   |
| d | PSU Bonds                             | - On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.   |
| e | Units of Mutual Funds                 | - At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.   |
| f | Venture Capital                       | - Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF. |

- 4.6 The Parent is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.
- 4.7 In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.
- 4.8 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.



4.9 घरेलू गैरनिष्पादक प्रतिभूतियों से संबंधित आय को नहीं लिया गया है। और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

4.10 रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। रेपो / रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को निवेश खाते में शेष राशि की एवज में समायोजित की गई है। (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चल निधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर)। रिपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां उन्हें रिवर्स रिपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है, तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है। लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो के हिसाब से की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत खरीदी / बिक्री की गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे / जमा की गयी हैं तथा इन्हें संव्यवहार की परिपक्वता पर रिवर्स कर दिया गया है। इन पर व्यय / अर्जित किये गए ब्याज को व्यय / लागत के रूप में लेखांकित किया गया है।

4.11 डेरिवेटिव्स :

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याजदर स्वैप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेप्स हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स को उपचित आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन को बाजार चिन्हित किया गया है तथा परिणामी हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया गया है। लाभ यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय निपटान तारीख को लिया गया है। ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर हुए लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के उचित मूल्य की गणना उस राशि के आधार पर की गयी है जो कि तुलनपत्र की तारीख को स्वैप समझौताओं से संबंधित लेन-देन की समाप्ति पर प्राप्य या देय होगा। इससे संबंधित हानि, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं जबकि लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।

विदेशी मुद्रा वाले डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग विनिमय दरों पर रिपोर्ट किया गया है।

4.9 In respect of domestic non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.

4.10 REPO / REVERSE REPO

The Parent has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under Investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

4.11 DERIVATIVES

The Parent presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivative are accounted on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

## 5. अग्रिम

- 5.1 मूल संस्था तथा इसकी घरेलू सहयोगी संस्थाओं के अग्रिम मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और इन पर हुई हानि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं. विदेशी शाखाओं तथा अनुषंगियों द्वारा किए गए अग्रिम के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देश, जिसमें अग्रिम दिया गया है, के अनुरूप किया गया है.
- 5.2 अग्रिम राशि, उच्चत ख़ाते के ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा ख़ातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त क्लेम और गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधान के बाद की राशि है.
- 5.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित ख़ातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार मौजूदा मूल्य शर्तों में आंके गये ब्याज हानियों के लिए प्रावधान किया गया है.
- 5.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/जांच कंपनी (एससी) को बेची गई आस्तियों के मामले में यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (एनबी वी) (अर्थात बही मूल्य घटाएं धारित प्रावधान) से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि ख़ाते में नामे किया गया है. यदि बिक्री मूल्य, शुद्ध बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया गया है अपितु इसका उपयोग दूसरी गैर निष्पादक आस्तियों की बिक्री के फलस्वरूप कमी / घाटे को पूरा करने के लिए किया गया है.

## 6. अचल आस्तियां

- 6.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, परिसर व अन्य अचल आस्तियां सामान्यतः परम्परागत लागत पर ली गई हैं, पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है. ऐसी बढ़ी हुई राशि पर मूल्यहास हेतु किए गए प्रावधान को इसमें से घटा दिया जाता है.
- 6.2 "परिसर" में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है.

## 7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है.

## 8. राजस्व का निर्धारण :

- 8.1 जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, आय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है. विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय का निर्धारण किया गया है.
- 8.2 गैर निष्पादित अग्रिमों तथा निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गई है.
- 8.3 शुल्कों के माध्यम से प्राप्त आय, सरकारी कारोबार को छोड़कर कमीशन, गारंटी, साखपत्र पर कमीशन, विनिमय, दलाली तथा अतिदेय बिलों/ अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है.

## 5 ADVANCES:

- 5.1 Advances in India of the Parent and Subsidiaries are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per Prudential Norms of Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches and overseas subsidiaries, Advances are classified in accordance with stringent of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made.
- 5.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense; amount received and held in suit-filed Sundry Deposit and Claims Received.
- 5.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in present value terms as per RBI guidelines.
- 5.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the Profit and Loss Account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is not reversed but is utilised to meet the shortfall /loss on account of Sale of other non-performing financial assets.

## 6. FIXED ASSETS:

- 6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost except revalued premises. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.
- 6.2 Premises include Land and Building under construction.

## 7. RESERVES AND SURPLUS:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

## 8. REVENUE RECOGNITION:

- 8.1 Income / expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 8.2 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/ Investments, such income is accounted for only on realization in terms of RBI guidelines.
- 8.3 Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, LCs, Exchange, Brokerage and interest on Overdue Bills and Advance Bills are accounted for on realisation basis.



## 9. कर्मचारी लाभ :

- 9.1 भविष्य निधि  
भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है जिसके तहत बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक की बाध्यता ऐसे निश्चित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदानों को लाभ/हानि खाते पर प्रभारित किया जाता है।
- 9.2 ग्रेच्युटि  
ग्रेच्युटि देयता एक निश्चित हितबाध्यता है और इसके संबंध वर्ष की समाप्ति में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं। बैंक द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।
- 9.3 पेंशन  
पेंशन देयता देयता एक निश्चित हितबाध्यता है और इसके संबंध वर्ष की समाप्ति में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं। बैंक द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।
- 9.4 अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति  
संचित अनुपस्थिति क्षतिपूर्तियों जैसे कि अधिकारजन्य अवकाश (पीएल) तथा रुग्ण अवकाश (बचे हुए आकस्मिक अवकाश को शामिल करते हुए) को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया है।
- 9.5 अन्य कर्मचारी लाभ  
अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी), चिकित्सा लाभ इत्यादि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया है।  
विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में कर्मचारियों से संबंधित लाभों को, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़, संबद्ध देश में लागू कानून के आधार पर लेखाकृत किया गया है।

## 10. मूल्यहास :

- 10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यहास (नीचे दिए गए पैरा 10.3 एवं 10.4 में संदर्भित को छोड़) कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार मूल्यहासित बही मूल्य पद्धति के आधार पर, पुनर्मूल्यित आस्ति को छोड़ - जिसके संबंध में इन पुनर्मूल्यित आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर ज्यादा मूल्यहास किया जाता है, प्रदान किया गया है।
- 10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यहास (नीचे दिए गए पैरा 10.3 एवं 10.4 में संदर्भित को छोड़) स्थानीय कानून अथवा संबद्ध देश में लागू व्यवहारों, पुनर्मूल्यित आस्ति को छोड़ - जिसके संबंध में इन पुनर्मूल्यित आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर ज्यादा मूल्यहास किया जाता है, प्रदान किया गया है।
- 10.3 कम्प्यूटरों पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर साफ्टवेयर जोकि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है पर मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया गया है।
- 10.4 एटीएम पर मूल्यहास 20% की दर से स्ट्रेट लाइन विधि से प्रदान किया जाता है।

## 9. EMPLOYEES BENEFITS:

- 9.1 PROVIDENT FUND  
Provident fund is a defined contribution scheme as the Parent pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Parent is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit & Loss A/c.
- 9.2 GRATUITY  
Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The scheme is funded by the Parent and is managed by a separate trust.
- 9.3 PENSION  
Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The scheme is funded by the Parent and is managed by a separate trust.
- 9.4 COMPENSATED ABSENCES  
Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL) and Sick Leave (including un-availed casual leave) is provided for based on actuarial valuation.
- 9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS  
Other Employee benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Medical Benefits etc. are provided for based on actuarial valuation.  
In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

## 10 DEPRECIATION:

- 10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred to in Para 10.3 & 10.4 below] is provided on the written down value method in accordance with Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.
- 10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 & 10.4 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.
- 10.3 Depreciation on Computers in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33%, as per the guidelines of RBI. Computer software not forming an integral part of hardware is depreciated fully during the year of purchase.
- 10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20%.



- 10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। जब कि बेचे गए/निस्तारित किए गए वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 10.6 पट्टाकृत भूमि एवं पट्टाकृत परिसर संबंधी सुधारों की लागत का पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है।

## 12. आस्तियों की क्षति :

अचल आस्तियों की क्षति, यदि कोई हो, का निर्धारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार किया जाता है और लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

## 13. आय पर कर :

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा करयोग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर को, आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में जो किसी एक समय बिंदु पर निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, विवेकपूर्ण नीति के अध्वधीन हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की गणना अधिनियमित कर दरों पर, उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में समय अंतरालों के रिवर्स करने की संभावना होती है। कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर हुए प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

आयकर के लिए प्रावधान आस्थगत करों के समायोजन के बाद सम्बद्ध देश की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है।

## 13. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार रिपोर्ट किया गया है। बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को अवधि के लिए बकाया भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर ली गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारत इक्विटी शेयरों एवं इस अवधि के दौरान डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों की संख्या में गणना की गई है।

## 14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना से उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया गया है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण नहीं माना गया है। क्योंकि इसकी आय, जिसकी वसूली नहीं हो सकती है, के निर्धारण के फलस्वरूप हो सकता है।

- 10.5 Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale / disposal.

- 10.6 Cost of leasehold land & leasehold improvements are amortised over the period of lease.

## 11. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any, are recognized in accordance with the Accounting Standard 28 ("Impairment of Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India and charged off to Profit and Loss Account.

## 12 TAXES ON INCOME:

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

Provision for income tax is made in accordance with statutory requirements of the respective countries after adjustment for deferred taxes.

## 13 EARNINGS PER SHARE:

The Parent reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 ("Earnings Per Share") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earning per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earning per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

## 14 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the Accounting Standard 29 ("Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India, the Parent recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.





## अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियों पर नोट

### Schedule-19 - Notes on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2011

1. समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में बैंक ऑफ बड़ौदा (मूल संस्था) तथा निम्नलिखित अनुषंगियों/सहयोगी इकाइयों/संयुक्त उपक्रमों के परिणाम शामिल हैं.

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the group comprise the results of the Bank of Baroda (Parent) and the following Subsidiaries/Associates/Joint Ventures:

| 1.1 अनुषंगियां   | देश, जहां विद्यमान है | स्वामित्व का अनुपात 31.03.11 | 31.03.10 |
|--|-----------------------|------------------------------|----------|
| 1.1.1 देशीय अनुषंगियां   |                       |                              |          |
| क) बैंकिंग   |                       |                              |          |
| 1) नैनीताल बैंक लि.  | भारत                  | 98.57%                       | 98.39%   |
| ख) गैर बैंकिंग   |                       |                              |          |
| i) बॉब कैपिटल मार्केट लि.  | भारत                  | 100.00%                      | 100.00%  |
| ii) बॉब कार्ड्स लि.  | भारत                  | 100.00%                      | 100.00%  |
| 1.1.2 विदेशी अनुषंगियां :  |                       |                              |          |
| क) बैंकिंग   |                       |                              |          |
| i) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.  | बोत्सवाना             | 100.00%                      | 100.00%  |
| ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि.  | केन्या                | 86.70%                       | 86.70%   |
| iii) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि.  | यूगांडा               | 80.00%                       | 80.00%   |
| iv) बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) आइएनसी   | गुयाना                | 100.00%                      | 100.00%  |
| v) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि.   | तंजानिया              | 100.00%                      | 100.00%  |
| vi) बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनीदाद एवं टोबेगो लिमिटेड                                    | त्रिनीदाद एवं टोबेगो  | 100.00%                      | 100.00%  |
| vii) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि.   | घाना                  | 100.00%                      | 100.00%  |
| viii) बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.  | न्यूजीलैंड            | 100.00%                      | 100.00%  |
| ख) गैर बैंकिंग   |                       |                              |          |
| i) बॉब (यू के) लि.   | युनाइटेड किंगडम       | 100.00%                      | 100.00%  |
| 1.2 सहयोगी इकाइयां :   |                       |                              |          |
| समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में समाहित सहयोगी इकाइयों के विवरण निम्नलिखित हैं : |                       |                              |          |

| 1.1 Subsidiaries  | Country of Incorporation | Percentage of Ownership as on 31.03.2011 | 31.03.2010 |
|---|--------------------------|--|------------|
| 1.1.1 Domestic Subsidiaries                                       |                          |  |            |
| a) Banking:   |                          |  |            |
| i) The Nainital Bank Ltd.   | India                    | 98.57%                                   | 98.39%     |
| b) Non Banking:   |                          |  |            |
| i) BOB Capital Markets Ltd.                                       | India                    | 100.00%                                  | 100.00%    |
| ii) BOB Cards Ltd.  | India                    | 100.00%                                  | 100.00%    |
| 1.1.2 Overseas Subsidiaries:                                      |                          |  |            |
| a) Banking:   |                          |  |            |
| i) Bank of Baroda (Botswana) Ltd.                                 | Botswana                 | 100.00%                                  | 100.00%    |
| ii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd.                                   | Kenya                    | 86.70%                                   | 86.70%     |
| iii) Bank of Baroda (Uganda) Ltd.                                 | Uganda                   | 80.00%                                   | 80.00%     |
| iv) Bank of Baroda (Guyana) Inc.                                  | Guyana                   | 100.00%                                  | 100.00%    |
| v) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd                                  | Tanzania                 | 100.00%                                  | 100.00%    |
| vi) Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd.                         | Trinidad & Tobago        | 100.00%                                  | 100.00%    |
| vii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.                                  | Ghana                    | 100.00%                                  | 100.00%    |
| viii) Bank of Baroda (Newzealand) Ltd.                            | Newzealand               | 100.00%                                  | 100.00%    |
| b) Non Banking:   |                          |  |            |
| i) BOB (UK) Ltd.  | United Kingdom           | 100.00%                                  | 100.00%    |
| 1.2 Associates:   |                          |  |            |
| The particulars of Associates considered in the CFS are as under: |                          |  |            |

| नाम   | Name   | देश, जहां विद्यमान है<br>Country of Incorporation | मूल संस्था का हिस्सा (%)<br>Parent's ownership Interest (%) as on |          |
|---|--|---|---|----------|
|   |  |   | 31.03.11  | 31.03.10 |
| (क) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड               | (a) Indo Zambia Bank Limited                 | जाम्बिया /Zambia                                  | 20  | 20       |
| (ख) बड़ौदा पायोनियर असेट मेनेजमेन्ट कंपनी लि. | (b) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. | भारत /India                                       | 49  | 49       |
| (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:-                  | (c) Regional Rural Banks:-                   |   |   |          |
| i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक           | i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank          | भारत /India                                       | 35  | 35       |
| ii) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक   | ii) Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank    | भारत /India                                       | 35  | 35       |
| iii) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक             | iii) Baroda Rajasthan Gramin Bank            | भारत /India                                       | 35  | 35       |
| iv) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक                | iv) Baroda Gujarat Gramin Bank               | भारत /India                                       | 35  | 35       |
| v) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक           | v) Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank         | भारत /India                                       | 35  | 35       |



1.3 संयुक्त उद्यम :

|          | नाम / Name   | देश जहां विद्यमान है<br>Country of Incorporation | मूल संस्था का हिस्सा<br>Percentage of Ownership (%) as on |            |
|----------|--|--|---|------------|
|          |  |  | 31.03.2011  | 31.03.2010 |
| क)<br>a) | इण्डियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.<br>IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.   | भारत<br>India                                    | 44  | 44         |
| ख)<br>b) | इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.<br>India International Bank (Malaysia) Bhd. | मलेशिया<br>Malaysia                              | 40  | -          |

1.3 Joint Ventures:

2. सहयोगी इकाइयों में निवेश का विवरण :

2. Particulars of the Investment in Associates:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| क्र. सं. | विवरण   | Sr. No. | Particulars  | 31.03.2011 को<br>As at<br>31.03.2011 | 31.03.2010 को<br>As at<br>31.03.2010 |
|----------|---|---------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (क)      | सहयोगी इकाइयों में निवेश की लागत  | a.      | Cost of Investment in Associates                                     | 141.39                               | 141.39                               |
| (ख)      | उपरोक्त (क) में शामिल अधिग्रहण पर साख   | b.      | Goodwill on acquisition included in (a) above                        | -                                    | -                                    |
| (ग)      | उपरोक्त (क) में अधिग्रहण पर आरक्षित पूंजी   | c.      | Capital reserve on acquisition included in (a) above                 | 25.27                                | 25.27                                |
| (घ)      | पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि और एफसी संव्यवहार आरक्षित निधि के खातों में परिवर्धन | d.      | Additions on account of revaluation reserve & FC translation reserve | 3.62                                 | 3.79                                 |
| (ङ)      | अधिग्रहण उपरान्त गुड विल/आरक्षित पूंजी के लाभ (शुद्ध) का अंश                      | e.      | Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill/ Capital Reserve | 197.54                               | 162.83                               |
| (च)      | 31 मार्च को निवेश (क-ख-ग + घ + ङ)   | f.      | Investment as at 31st March (a -b-c+d+e)                             | 317.28                               | 282.74                               |
| (छ)      | भारत में निवेश  | g.      | Investment in India  | 279.66                               | 247.91                               |
| (ज)      | भारत के बाहर निवेश  | h.      | Investment outside India   | 37.62                                | 34.83                                |
| (झ)      | कुल (ङ + च)   | i.      | Total (g + h)  | 317.28                               | 282.74                               |

3. अनुषंगियों /सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां :

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

3.1.1 अनुषंगियों तथा सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां, बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लि.(इसकी संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बैंक ऑफ बड़ौदा कैपीटल मार्केट यूगांडा लि. को शामिल करते हुए), बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि., बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. को छोड़कर, जिनकी 31 मार्च, 2011 तक तैयार की गई है उसी रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार तैयार की गई हैं जिस तारीख को मूल संस्था की विवरणी तैयार की गई है. उक्त अनुषंगियों की विवरणियां 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुरूप तैयार की गई हैं. प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित 1 जनवरी, 2011 से 31 मार्च, 2011 के बीच अपेक्षित समायोजनों हेतु कोई उल्लेखनीय संव्यवहार नहीं हुआ है.

3.1.1 The audited financial statements of the subsidiaries and associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2011 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd.,(including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets(Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Ghana) Ltd. and Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., which have been drawn up to 31st December 2010. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January 2011 to 31st March 2011 requiring adjustment therein.

3.1.2 समेकित वित्तीय विवरणी वर्ष 2010-11 में बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. तथा बैंक ऑफ बड़ौदा (ट्रिनिनाद एवं टोबैगो) लि. के अलेखपरिष्कृत वित्तीय विवरणियों का भी समावेश है.

3.1.2 CFS for the year 2010-11 of the group includes unaudited financial statements of subsidiaries viz., Bank of Baroda (Botswana) Ltd. and Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd.

3.2 बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं.लि. की अचल आस्तियों और मूल्यहास सॉफ्टवेयर के परिशोधन की लेखांकन नीतियां बैंक (मूल संस्था) से भिन्न हैं. इसके प्रभाव के प्रमाण का उल्लेख समेकित वित्तीय विवरण में नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रबंधन की राय में यह महत्वपूर्ण नहीं है.

3.2 The accounting policies of Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. on Investments and Provision for Depreciation on Fixed Assets are different from the Parent. Impact of the same is not given in the Consolidated Financial Statement, and in the opinion of the Management the same is not material.



4. 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के निम्नलिखित देशीय अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन है :

- 1) बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.
- 2) बॉब कार्ड्स लि.

5. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि एचटीएम प्रतिभूति बिक्री पर लाभ (कर एवं प्रारक्षित निधि में अंतरण के पश्चात्) तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं / औद्योगिक निर्यातों परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल हैं.

6. करों के लिए प्रावधान

6.1 आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए तथा परामर्शदाता के परामर्श से किया गया है.

6.2 अग्रिम रूप से भुगतान किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर, प्रावधान के उपरांत है एवं यह 'अन्य आस्तियों' के तहत ₹1330.80 करोड़ रखा गया है. इसमें मूल का ₹1316.28 करोड़ शामिल है जिसमें से ₹845.42 करोड़ की राशि विभाग द्वारा समायोजित/विभिन्न विधान वर्षों के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किए गए विवादित कर मांगों के भुगतान से संबंधित हैं. उक्त मांगों के संबंध में बैंक द्वारा किसी प्रकार का प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि बैंक की राय तथा उसके काउंसिलो की राय और/अथवा न्यायिक घोषणाओं के अनुसार निर्धारण कर्ता अधिकारी द्वारा परिवर्धन अस्वीकृति अनियत है.

7. बैंक की कुछ संपत्तियां पुनर्मूल्यित राशि के आधार पर दर्शायी गयी है. परिसर के संबंध में वर्ष के अंत तक कुल पुनर्मूल्यन राशि ₹1769.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1768.34 करोड़) तथा मूल्यहास के उपरांत पुनर्मूल्यन राशि ₹1223.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1321.25 करोड़) शामिल किया गया है.

8. प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण

लाभ हानि खाते में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण निम्नानुसार है :

4. The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31.3.2011 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956:

- 1) BOB Capital Markets Ltd.
- 2) BOB Cards Ltd.

5. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, profit on sale of HTM securities (net of tax and transfer to Statutory Reserve) and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.

6. Provision for Taxes

6.1 Provision for taxes are arrived at after due consideration of decisions of appellate authorities and advice of Consultant.

6.2 Tax paid in advance / tax deducted at source is net of provisions and is appearing under "Other Assets" amounting to ₹1330.80 Crores, includes ₹1316.28 Crores of the parent, of which ₹845.52 crores represents amounts adjusted by the department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands as in the bank's view, duly supported by counsels' opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.

7. Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of the revaluation included in premises as at the year-end is ₹1769.13 Crores (Previous Year ₹1768.34 Crores) and net of depreciation the revaluation amounts to ₹1223.90 Crores (Previous year ₹1321.25 Crores).

8. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण   | Particulars  | चालू वर्ष<br>Current Year | विगत वर्ष<br>Previous Year |
|---|--|---------------------------|----------------------------|
| बड़ेखाते डाले गए ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान                         | Bad debts written off / Provision made towards NPA   | 1081.24                   | 934.74                     |
| पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सेक्रीफाइज हेतु प्रावधान | Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts | 0.16                      | 54.77                      |
| देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान                                   | Provision for Country Risk Management  | -                         | -                          |
| करों के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)                              | Provision for taxes (including deferred Taxes)   | 1477.22                   | 1236.09                    |
| निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान                                     | Provision for depreciation on investment   | 12.12                     | -380.91                    |
| मानक आस्तियों हेतु प्रावधान   | Provision for standard assets  | 224.16                    | 106.81                     |
| कर्मचारी कल्याण व्यय हेतु प्रावधान                                  | Provision for staff welfare expenses   | 15.00                     | 15.00                      |
| अन्य  | Others   | 371.12                    | 78.88                      |
| जोड़  | Total  | 3181.02                   | 2045.38                    |



9. सेगमेंट रिपोर्टिंग (ए एस-17)

लेखा मानक - 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण

भाग क : प्राथमिक सेगमेंट

9. Segment Reporting (AS – 17):

Accounting Standard 17 - Disclosure under Segment Reporting

Part A: Primary Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| बिजनेस सेगमेंट     | Business Segments          | ट्रेजरी Treasury |          | कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking |          | रिटेल बैंकिंग Retail Banking |          | अन्य बैंकिंग परिचालन Banking & Other Operations |          | कुल Total |           |
|--------------------|----------------------------|------------------|----------|--|----------|------------------------------|----------|---|----------|-----------|-----------|
|                    |                            | 2010-11          | 2009-10  | 2010-11  | 2009-10  | 2010-11                      | 2009-10  | 2010-11   | 2009-10  | 2010-11   | 2009-10   |
| राजस्व             | Revenue                    | 5692.51          | 4695.35  | 9878.83  | 7354.94  | 6179.83                      | 5136.75  | 4049.24   | 3013.08  | 25800.41  | 20200.12  |
| परिणाम             | Result                     | 912.04           | 1080.59  | 1537.55  | 1595.28  | 1548.01                      | 806.63   | 2960.48   | 2856.10  | 6958.08   | 6338.60   |
| अनाबंटित खर्च      | Unallocated Expense        |                  |          |  |          |                              |          |   |          | 1047.15   | 1923.21   |
| परिचालनगत लाभ      | Operating Profit           |                  |          |  |          |                              |          |   |          | 5910.93   | 4415.39   |
| आयकर               | Income taxes               |                  |          |  |          |                              |          |   |          | 1477.22   | 1236.09   |
| विशिष्ट लाभ / हानि | Extra-ordinary Profit/loss |                  |          |  |          |                              |          |   |          | ---       | ---       |
| शुद्ध लाभ          | Net Profit                 |                  |          |  |          |                              |          |   |          | 4433.71   | 3179.30   |
| अन्य सूचना         | Other Information          |                  | ----     |  | ----     |                              | ----     |   | ----     |           | ----      |
| सेगमेंट आस्तियां   | Segment Assets             | 87263.89         | 70849.94 | 116945.43  | 87499.37 | 55477.24                     | 46280.92 | 104074.73                                       | 77273.96 | 363761.29 | 281904.19 |
| अनाबंटित आस्तियां  | Unallocated Assets         |                  |          |  |          |                              |          |   |          | 2452.48   | 2372.58   |
| कुल आस्तियां       | Total Assets               |                  |          |  |          |                              |          |   |          | 366213.77 | 284276.77 |
| सेगमेंट देयताएं    | Segment Liabilities        | 86230.24         | 66925.27 | 110083.51  | 82751.72 | 52206.27                     | 43780.75 | 84367.41  | 73240.50 | 332887.43 | 266698.24 |
| अनाबंटित देयताएं   | Unallocated Liabilities    |                  |          |  |          |                              |          |   |          | 33326.34  | 17578.53  |
| कुल देयताएं        | Total Liabilities          |                  |          |  |          |                              |          |   |          | 366213.77 | 284276.77 |

भाग-ख - गौण सेगमेंट / Part B : Secondary Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण    | Particulars | देशीय परिचालन Domestic Operations |           | अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations |          | कुल / Total |           |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
|          |             | 2010-11                           | 2009-10   | 2010-11  | 2009-10  | 2010-11     | 2009-10   |
| राजस्व   | Revenue     | 22550.54                          | 17370.12  | 3249.87  | 2830.00  | 25800.41    | 20200.12  |
| आस्तियां | Assets      | 272458.10                         | 212559.80 | 93755.67   | 71716.97 | 366213.77   | 284276.77 |

टिप्पणी :

1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार लेखांकन मानकों के अनुपालन में बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशन, होलसेल, रिटेल और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट और देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय को गौण / भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।
2. बैंकिंग एवं अन्य परिचालनों में अन्य बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग परिचालन शामिल हैं।
3. सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।
4. सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक द्वारा अपनाई गई अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को प्रयोग में लाया गया है।
5. प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को सेगमेंट की आस्तियों के लिए आनुपातिक तौर आबंटित किया गया है।

Notes:

1. As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, parent has adopted Treasury Operations, Wholesale, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments.
2. Banking & Other operations includes other banking operations and non-banking operations
3. Segment revenue represents revenue from external customers.
4. In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the Parent has been used.
5. Capital Employed for each Segment has been allocated proportionate to the assets of the Segment.



10. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18)

10. Related Party Disclosures (AS-18)

| क्र. सं.<br>S. No | नाम / Name  | पदनाम / Designation                                       | पारिश्रमिक / Remuneration      |                                 |
|-------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |   |   | चालू वर्ष<br>Current Year<br>₹ | विगत वर्ष<br>Previous Year<br>₹ |
| 1                 | श्री एम.डी.मल्या<br>Shri M.D.Mallya               | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक<br>Chairman & Managing Director | 21,87,200                      | * 23,30,494                     |
| 2                 | श्री वी. सन्तानरामन<br>Shri V.Santhanaraman       | पूर्व-कार्यकारी निदेशक<br>Ex-Executive Director           | -                              | * 18,74,019                     |
| 3                 | श्री राजीव कुमार बक्षी<br>Shri Rajiv Kumar Bakshi | कार्यकारी निदेशक<br>Executive Director                    | 18,37,145                      | * 13,93,184                     |
| 4                 | श्री एन. एस. श्रीनाथ<br>Shri N.S.Srinath          | कार्यकारी निदेशक<br>Executive Director                    | 13,57,347                      | 3,20,093                        |

\* इस राशि में छठे वेतन आयोग के अनुरूप एरियर राशि तथा प्रोत्साहन राशि शामिल हैं.

\* Amount includes arrears on account of VI pay commission and incentives.

11. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

11. Earnings per Share (AS-20)

|      |   | चालू वर्ष<br>Current Year | विगत वर्ष<br>Previous Year |
|------|---|---------------------------|----------------------------|
| i.   | इक्विटी शेयर धारक हेतु कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ों में) | 4433.71                   | 3179.30                    |
| ii.  | इक्विटी शेयरों की संख्या  | 391546079                 | 364266500                  |
| iii. | प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन ₹10 प्रत्येक के            | 121.64                    | 87.28                      |
| iv.  | प्रति इक्विटी अंकित शेयर मूल्य                                    | ₹10.00                    | ₹10.00                     |

12. आय पर कर की गणना (एएस-22)

12. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

बैंक तथा इसकी अनुषंगियों ने आईसीएआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना हेतु एएस 22 की शर्तों का पालन किया है तथा तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का निर्धारण किया है.

**The Parent and its subsidiaries have complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and deferred tax liabilities are recognized.**

| विवरण   | Particulars  | 31.03.2011        |                    | 31.03.2010        |                    |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   |  | आस्तियां<br>Asset | देयता<br>Liability | आस्तियां<br>Asset | देयता<br>Liability |
| आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर | Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act | 0.22              | 53.76              | 0.16              | 30.67              |
| आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां    | Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961            | -                 | -                  | -                 | 234.47             |
| अन्य  | Others   | 0.10              | 216.98             | 1.44              | 0.21               |
| संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान                   | Provision for doubtful debts and advances                                  | 0.10              | -                  | 0.06              | -                  |
| आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि      | Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act                            | 9.70              | -                  | 11.32             | -                  |
| छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान                              | Provision for leave encashment   | 161.08            | -                  | 158.95            | -                  |
| जोड़  | Total:   | 171.2             | 270.74             | 171.93            | 265.35             |
| शुद्ध आस्थगित देयताएं कर आस्तियां                         | Net Deferred Liability / Tax Asset   | -                 | 99.54              | -                 | 93.42              |





13. एस-29 की शर्तों के अनुसार प्रावधान संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर), प्रावधान आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां :

13. Movement of provisions (excluding provisions for others) in terms of AS-29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(₹ करोड़ में / ₹ in crores)

| विवरण                      | Particulars                       | कानूनी मामले / आकस्मिकताएं<br>Legal Cases / Contingencies                   |                            | नेगोशिएशन के तहत बकाया वेतन<br>Salary arrears under negotiation |                            |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|                            |                                   | चालू वर्ष<br>Current Year   | विगत वर्ष<br>Previous Year | चालू वर्ष<br>Current Year                                       | विगत वर्ष<br>Previous Year |
| 1 अप्रैल को शेष            | Balance as on 1st April           | 4.87  | 13.48                      | 725.00  | 425.00                     |
| वर्ष के दौरान प्रदत्त      | Provided during the year          | 3.95  | 0.07                       | -   | 300.00                     |
| वर्ष के दौरान खर्च राशि    | Amount used during the year       | -   | 8.68                       | 725.00  | -                          |
| 31 मार्च को शेष            | Balance as at 31st March          | 8.82  | 4.87                       | -   | 725.00                     |
| आउटफ्लो/अनसर्टेनटीज का समय | Timing of Outflow / uncertainties | निपटान / क्रिस्टलीकरण पर आउटफ्लो<br>Outflow on settlement / crystallization |                            |   |                            |

14. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल बैंक एवं अनुषंगियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना का सीएफएस के सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण से संबंध नहीं है और साथ ही ऐसी मदों से संबंधित सूचना को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, सीएफएस में प्रकट नहीं किया गया है।

15. वर्ष के दौरान, मूल बैंक और उसके अनुषंगी नैनीताल बैंक लिमिटेड ने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खोला, जिन्होंने पहले पेंशन योजना को ग्रहण नहीं किया था। 19289 कर्मचारियों द्वारा यह विकल्प ग्रहण करने के परिणामस्वरूप 1855.71 करोड़ रुपये की देयता सृजित हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान समूह के कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की सीमा में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसरण में वृद्धि की गई थी। इसके परिणामस्वरूप समूह की ग्रेच्युटी देयता बढ़कर 10.09 करोड़ रुपये हो गई।

लेखांकन मानक 15 कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं के अनुसार लाभ तथा हानि खाते में 1865.80 करोड़ रुपये की समग्र राशि प्रभारित करना अपेक्षित है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेक सम्मत नियामक व्यवहार के बारे में परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 को जारी किया है। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार समूह में लाभ-हानि खाते में 373.16 करोड़ रुपये (1865.80 करोड़ रुपये के 1/5 भाग के रूप में) प्रभारित किए हैं। 1492.64 करोड़ रुपये (1865.80 करोड़ रुपये - 373.16 करोड़ रुपये) की अनिर्धारित शेष राशि हिसाब में ली जाएगी और उसे उक्त परिपत्र में नियम बची हुई अवधि में विमुक्त/सेवानिवृत्त कर्मचारियों में संबंधित कोई कर्मचारी शामिल नहीं है।

यदि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह परिपत्र जारी नहीं किया होता तो समूह का लाभ लेखांकन मानक (एस) - 15 की आवश्यकताओं को लागू करने के कारण 1492.64 करोड़ रुपये कम हो जाता।

16. पिछले वर्ष के आंकड़े

समूह संस्थाओं के पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया, वहां पुनः व्यवस्थित / पुनर्निर्धारित / पुनः समूहीकृत किया गया है।

14. Additional Disclosures:

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

15. During the year, the parent Bank and its subsidiary The Nainital Bank Ltd. reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of which by 19289 employees, the Group has incurred a liability of ₹1855.71 Crores. Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the Group was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result, the gratuity liability of the Group has increased by ₹10.09 Crores.

In terms of the requirements of the AS 15 - Employee Benefits, the entire amount of ₹1865.80 Crores is required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the RBI has issued a circular no. DBOD.BP. BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Group has charged an amount of ₹373.16 Crores (representing one-fifth of ₹1865.80 Crores) to the Profit and Loss Account. The unrecognised balance amount of ₹1492.64 Crores (₹1865.80 – ₹373.16 Crores) shall be accounted for and charged off over the balance period stipulated in the said circular. This amount does not include any employees relating to separated/ retired employees.

Had the said Circular not been issued by the RBI, the profit of the Group would have been lower by ₹1492.64 Crores pursuant to application of the requirements of AS 15.

16. Previous Year Figures:

Previous year's figures of the group entities have been rearranged / recast / regrouped wherever considered necessary.



31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण

Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2011

|   |  | (000' अनंकित omitted)                                       |   |
|---|--|---|---|
|   |  | 31 मार्च 2011<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2011 | 31 मार्च 2010<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2010 |
| <b>क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :</b>                            | <b>A. Cash flow from operating activities :</b>                            |   |   |
| कर से पूर्व शुद्ध लाभ   | Net Profit before taxes  | 5910,92,52  | 4415,38,61  |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन :   | Adjustments for:   |   |   |
| अचल आस्तियों पर मूल्यहास  | Depreciation on fixed assets   | 259,70,38   | 242,74,55   |
| निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)                              | Depreciation on investments<br>(including on Matured debentures)           | 12,11,71  | (38073,81)  |
| बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/<br>गेर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान | Bad debts written-off/Provision in respect of<br>non-performing assets     | 1081,40,04  | 989,50,98   |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान   | Provision for Standard Assets  | 224,16,04   | 106,80,94   |
| अन्य मदों के लिए प्रावधान   | Provision for Other items  | 386,12,58   | 93,88,25  |
| अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ /(हानि)                                     | (Profit) / loss on sale of fixed assets                                    | 1267  | (8,27)  |
| गौण ऋणों पर ब्याज लाभ/प्रावधान,<br>(अलग से लिया गया)                      | Payment/provision for interest on subordinated<br>debt(treated separately) | 846,16,11   | 559,31,58   |
| अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश<br>(अलग से लिया गया)               | Dividend received from subsidiaries/others<br>(treated separately)         | (21,00,37)  | (29,18,85)  |
| उप जोड़   | Sub total  | 8699,71,68  | 5997,63,98  |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन :   | Adjustments for:   |   |   |
| निवेशों में (वृद्धि) / कमी  | (Increase)/Decrease in investments   | (10867,30,43)   | (9155,95,27)  |
| अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी   | (Increase)/Decrease in advances  | (55454,61,41)   | (33141,91,02)   |
| अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी  | (increase)/Decrease in other assets  | (1828,71,14)  | 169,84,70   |
| उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)   | Increase/(Decrease)in borrowings   | 6771,68,11  | (777,77,87)   |
| जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)  | Increase/(Decrease) in deposits  | 65652,10,34   | 49342,70,88   |
| अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)                            | Increase/(Decrease) in other liabilities and<br>provisions                 | 521,81,66   | 261,67,48   |
| प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का शुद्ध)                                     | Direct taxes paid (Net of Refund)  | (1489,04,58)  | (1554,68,81)  |
| <b>परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)</b>                              | <b>Net cash from operating activities (A)</b>                              | <b>12005,64,23</b>  | <b>11141,54,07</b>  |
| <b>ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :</b>                       | <b>B. Cash flow from investing activities:</b>                             |   |   |
| अचल आस्तियों की खरीद  | Purchase of fixed assets   | (376,06,61)   | (366,62,70)   |
| अचल आस्तियों की बिक्री  | Sale of fixed assets   | 27,12,32  | 43,05,14  |
| अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश                                  | Dividend received from subsidiaries/others                                 | 28,46,80  | 29,18,85  |
| <b>निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)</b>                         | <b>Net cash from investing activities (B)</b>                              | <b>(320,47,49)</b>  | <b>(294,38,71)</b>  |



|   |   | (000' अनंकित omitted)                                       |   |
|---|---|---|---|
|   |   | 31 मार्च 2011<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2011 | 31 मार्च 2010<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2010 |
| ग. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :   | <b>C. Cash flow from financing activities:</b>  |   |   |
| शेयर पूंजी  | Share Capital   | 272,796   | -   |
| शेयर प्रीमियम   | Share premium   | 2433,72,03  | 572000  |
| गैर जमानती गौण बांड   | Unsecured Subordinated Bonds  | 2202,37,78  | 1405,37,98  |
| लाभांश  | Dividend  | (648,13,60)   | (383,55,63)   |
| गैर जमानती प्रतिदेय बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज   | Interest paid / payable on unsecured redeemable bonds   | (846,16,11)   | (559,31,58)   |
| <b>वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)</b>   | <b>Net cash from financing activities (C)</b>   | <b>3169,08,06</b>   | <b>519,70,77</b>  |
| <b>नकदी एवं नकदी समतुल्य (क)+(ख)+(ग) में शुद्ध वृद्धि</b>   | <b>Net increase in cash &amp; cash equivalents (A)+(B)+(C)</b>  | <b>14854,24,80</b>  | <b>11366,86,13</b>  |
| वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य   | Cash and cash equivalents as at the beginning of the year   | 36569,47,92   | 25202,61,79   |
| वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य   | Cash and cash equivalents as at the end of the year   | 51423,72,72   | 36569,47,92   |
| टिप्पणी   | Notes:  |   |   |
| 1 नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के साथ शेष और मांग तथा अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा शामिल हैं. | Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice. |   |   |
| 2 नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक  | Components of Cash & Cash Equivalents   | 31/3/2011   | 31/3/2010   |
| भा.रि.बैं. के साथ नकदी एवं शेष  | Cash & Balance with RBI   | 20394,41,61   | 14076,06,77   |
| बैंकों के साथ शेष तथा मांग एवं अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा   | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice  | 31029,31,11   | 22493,41,15   |
| <b>जोड़</b>   | <b>Total</b>  | <b>51423,72,72</b>  | <b>36569,47,92</b>  |



## बैंक ऑफ बड़ौदा की समेकित विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report on Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda

सेवा में,

निदेशक मंडल, बैंक ऑफ बड़ौदा

1. हमने बैंक ऑफ बड़ौदा ('ग्रुप') के 31 मार्च, 2011 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि लेखे और उक्त तारीख को समाप्त समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की लेखा परीक्षा की है। इनमें निम्नलिखित के खाते शामिल किए गए हैं:

- हमारे द्वारा लेखा परीक्षित बैंक ऑफ बड़ौदा (द बैंक) के लेखा परीक्षित खाते,
- अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित -10- अनुषंगियों तथा -7- सहयोगी इकाइयों, 2 संयुक्त उपक्रमों के लेखा परीक्षित खाते,
- 2 अनुषंगियों के अलेखापरीक्षित खाते

ये वित्तीय विवरणियां वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं तथा इन्हें प्रबंधन द्वारा अनुषंगियों तथा सहयोगी इकाइयों तथा संयुक्त उपक्रमों की अलग वित्तीय विवरणियों तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है।

2. बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणियों को लेखा-मानक (एएस)-21 - 'समेकित वित्तीय विवरणियां' और लेखा मानक (एएस)-23 "वित्तीय विवरणी में अनुषंगियों में निवेश हेतु लेखांकन" तथा लेखा मानक (एएस) 27 "संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

3. हमने समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा-परीक्षा इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्क संगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां सभी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में, जांच आधार पर परीक्षण, राशियों संबंधित प्रमाण और वित्तीय विवरणियों का प्रकटीकरण शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन द्वारा, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण और महत्वपूर्ण आकलन शामिल है। इसमें समग्र वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा हमारी राय का तर्क संगत आधार है।

4. (क) हमने 12 अनुषंगियों तथा 2 संयुक्त उद्यमों की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2011 को ₹9084.70 करोड़ की कुल आस्तियां तथा समाप्त वर्ष की अवधि के लिए ₹1198.58 करोड़ का कुल राजस्व तथा उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए ₹387.24 करोड़ का नकदी प्रवाह दर्शाया गया है तथा -7- सहयोगी इकाइयों ने समाप्त वर्ष के लिए ₹34.72 करोड़ का शुद्ध लाभ प्रदर्शित किया है।

(ख) उक्त में से, 2 अनुषंगियों - बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड तथा बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लिमिटेड के संबंध में अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर आंकड़े दिए गए हैं जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31.03.2011 को कुल आस्तियां

To

The Board of Directors,

Bank of Baroda

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of BANK OF BARODA (the "Group") as on 31st March 2011, the Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date, annexed thereto, in which are incorporated:

- Audited Accounts of the Bank of Baroda (The Bank), audited by us,
- Audited Accounts of -10- Subsidiaries, -7- Associates and 2 Joint Ventures, audited by other Auditors,
- Unaudited Accounts of -2- Subsidiaries.

These Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiaries, associates & Joint ventures. Our responsibility is to express our opinion on these Financial Statements based on our audit.

2. These Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21 - "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard (AS) 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" - issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

3. We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. (a) We have not audited the Financial Statements of -12- Subsidiaries and -2- Joint Ventures, whose Financial Statements reflect Total Assets of ₹9084.70 Crores as on 31st March 2011, Total Revenue of ₹1198.58 Crores and net cash flows amounting to ₹387.24 Crores for the year ended on that date and -7- 'Associates' reflecting Net Profit of Rs 34.72 Crores for the year ended on that date.

(b) Out of the above, figures have been taken on the basis of unaudited financial statements in respect of -2- Subsidiaries, namely Bank of Baroda (Botswana) Ltd. and Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd., whose financial statements reflect total assets of ₹1240.32 Crores as on 31.03.2011, Total Revenue



₹1240.32 करोड़ का उल्लेख है। उक्त वर्ष की समाप्ति दिनांक को कुल राजस्व ₹78.96 करोड़ तथा शुद्ध नकदी प्रवाह ₹54.27 करोड़ था।

5. अपनी राय को संज्ञान में न लेते हुए, हम शिड्यूल 19 के नोट क्र.15 की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं जो बैंक तथा इसकी अनुषंगी दि नैनीताल बैंक लि. की पेंशन देयता आस्थगित करने के संबंध में हैं। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प खोलने के लिए परिपत्रांक बीपी. बीसी./80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 को जारी किया है जिसमें लेखांकन मानक 15 की आवश्यकताओं को लागू करने से रुं. 1492.64 करोड़ की राशि को छूट प्रदान की गई है।
6. हमारी लेखा परीक्षा एवं अन्य लेखा-परीक्षकों की अलग वित्तीय विवरणियों और घटकों की अन्य वित्तीय सूचना तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी यह राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।
  - (i) 31 मार्च 2011 को बैंक, बैंक की अनुषंगियों के कार्य व्यवहारों तथा बैंक की सहयोगी कम्पनियों / संयुक्त उपक्रमों के हितों से सम्बंधित समेकित तुलनपत्र के सम्बंध में।
  - (ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए "ग्रुप" के लाभ सम्बन्धी समेकित लाभहानि खाते के सम्बन्ध में, तथा
  - (iii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए "ग्रुप" के नकदी प्रवाह सम्बन्धी समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के सम्बंध में।

of ₹78.96 Crores and net cash flow amounting to ₹54.27 crores for the year ended on that date.

5. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.15 of Schedule-19, which describes deferment of pension liability of the Bank and its subsidiary, the Nainital Bank Ltd. to the extent of ₹1492.64 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of AS 15, Employee Benefits vide its circular no.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.
6. Based on our audit consideration of reports of other auditors on separate financial statements, considerations of unaudited financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
  - (i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank, its Subsidiaries and interests in its Associates/ Joint ventures(Group) as on 31st March 2011;
  - (ii) in the case of the Consolidated Profit & Loss Account, of the consolidated Profit of the "Group" for the year ended on that date, and
  - (iii) in the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the "Group" for the year ended on that date.

कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 000497 एन  
(संजीव नारायण)  
भागीदार  
एम. नं.: 84205

For Ashwani & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 000497N  
(Sanjeev Narayan)  
Partner  
M. No. 84205

कृते एस. के. कपूर एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 000745 सी  
(संजीव कपूर)  
भागीदार  
एम. नं.: 70487

For S. K. Kapoor & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000745C  
(Sanjiv Kapoor)  
Partner  
M. No. 70487

कृते एन. सी. बनर्जी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302081 ई  
(बी. के. बिस्वास)  
भागीदार  
एम. नं.: 055623

For N. C. Banerjee & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 302081E  
(B. K. Biswas)  
Partner  
M. No. 055623

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 103523 डब्ल्यू  
(राकेश राठी)  
भागीदार  
एम. नं.: 045228

For Haribhakti & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 103523W  
(Rakesh Rathi)  
Partner  
M. No. 045228

कृते खिमजी कुंवरजी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 105146 डब्ल्यू  
(गौतम शाह)  
भागीदार  
एम. नं.: 117348

For Khimji Kunverji & Co  
Chartered Accountants  
FRN: 105146W  
(Gautam Shah)  
Partner  
M No.117348

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 000511 एस  
(के. जितेंद्र कुमार)  
भागीदार  
एम. नं.: 201825

For Brahmayya & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000511S  
(K. Jitendra Kumar)  
Partner  
M No.201825

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai  
दिनांक / Date: 27.05.2011



## सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण

निदेशक मण्डल  
बैंक आफ इंडिया  
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : वर्ष 2010-11 के लिए सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण-समेकित

सूचीबद्धता करार की धारा 49 की अनुपालना स्वरूप हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने वर्ष 2010-11 की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

- इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है.
- ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो


ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियन्त्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन / आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियन्त्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियों यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.

घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स / टिप्पणियों में कर दिया गया है
- हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग भी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो.



वी. के. गुप्ता  
महाप्रबन्धक  
(कार्पोरेट खाते, कराधान एवं मुख्य  
अनुपालन अधिकारी - भारतीय रिजर्व बैंक)  
अतिरिक्त प्रभार-अनुषंगी व आईबीओ



एम. डी. मल्या  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 27 मई 2011

स्थान : मुंबई



## CEO / CFO CERTIFICATION

---

Board of Directors,  
Bank of Baroda  
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the year 2010-11 - Consolidated Pursuant to Clause 49 of the Listing Agreements, we hereby certify that:

- a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2010-11 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:
  - i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
  - ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
  - i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
  - ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
  - iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V. K. Gupta  
General Manager  
(Corp.A/c, Taxation & CCO - RBI)  
(Addl. Charge Subs & IBO)

M. D. Mallya  
Chairman and Managing Director

Date : 27th May 2011  
Place : Mumbai



बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

फार्म बी

प्रॉक्सी - फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

15वीं वार्षिक सामान्य बैठक

सोमवार, 4 जुलाई, 2011

पंजीकृत फोलियो क्र. \_\_\_\_\_ डीपी आईडी क्र.\* \_\_\_\_\_ ग्राहक आईडी क्र.\* \_\_\_\_\_  
(इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू)

मैं/हम \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_

राज्य \_\_\_\_\_ बैंक ऑफ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_

राज्य \_\_\_\_\_ को अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_

राज्य \_\_\_\_\_ को सोमवार, 4 जुलाई, 2011 को प्रातः 10.30 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टीपी 1, एफपी 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास ओल्ड पादरा रोड, अकोटा-वडोदरा - 390 020. में या इसकी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी/हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

तारीख \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ 2011 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

कृपया  
15 पैसे  
का राजस्व  
टिकट यहां  
लगायें

प्रथम शेयरधारक / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

**प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश**

- प्रॉक्सी की कोई लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि :  
(क) यह वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.  
(ख) संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.  
(ग) निकाय कार्पोरेट के मामले में, विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.  
बशर्ते कि प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हैं और उसके अंगूठे का निशान वहां लगा है, तो यह न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.
- कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक इस पर विधिवत् राजस्व टिकट न लगी हो और इसे बैंक के प्रधान कार्यालय, केवाईसी एवं एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, आठवां तल, सूरज प्लाजा -1, सयाजीगंज, वडोदरा 390 005 में **बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पहले** अर्थात् बुधवार, 29 जून, 2011 को सायं 5:00 बजे बैंक की कार्य समाप्ति तक या इससे पूर्व जमा न कराया गया हो. इसके साथ उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस मुख्तारनामा की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, को जमा न कराया गया हो, ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, बैंक में पहले जमा और पंजीकृत होना चाहिए.
- प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक वह फार्म - बी में न हो.
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी.
- विकल्प के तौर पर दो स्वीकृत व्यक्तियों के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- प्रॉक्सी की लिखत को निष्पादित करने वाला शेयरधारक संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान का हकदार नहीं होगा.
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.
- प्रॉक्सी फार्म में किये गए सभी परिवर्तन यथाविधि प्रमाणित होने चाहिए.

Form B

**PROXY FORM**

(To be filled in and signed by the Shareholder)  
15<sup>th</sup> Annual General Meeting  
Monday 04<sup>th</sup> July 2011

Regd.Folio No. \_\_\_\_\_ DP.ID No\* \_\_\_\_\_ Client ID No.\* \_\_\_\_\_  
(\* Applicable for members holding shares in electronic form)

I / We \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_

in the State of \_\_\_\_\_ being a shareholder / shareholders of Bank of Baroda, hereby appoint

Shri/Smt. \_\_\_\_\_

resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_

in the State of \_\_\_\_\_ or failing him/her, Shri/Smt. \_\_\_\_\_

resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_

in the state of \_\_\_\_\_ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 15<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING of the Shareholders of BANK OF BARODA to be held on the Monday, 04<sup>th</sup> July 2011, at 10.30 A.M. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 and at any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2011

Signature of Proxy \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_  
(In Block Letters)

Address \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Affix  
(15 paise)  
Revenue  
Stamp

Signature of first named/sole Shareholder

**INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM**

- No instrument of proxy shall be valid unless:
  - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing or
  - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing or
  - In the case of the body corporate, signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark / thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government gazetted officer or an officer of Bank of Baroda.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, **not less than –4- days before the date fixed for the meeting** i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Wednesday, 29th June 2011, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- No instrument of proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
- All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

## उपस्थिति पर्ची

### 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक

|  |  |
|--|--|
| दिनांक   | सोमवार, जुलाई 4, 2011  |
| स्थान  | सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन,<br>बैंक ऑफ़ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008),<br>टीपी 1, एफपी 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास,<br>ओल्ड पादरा रोड, अकोटा-वडोदरा - 390 020 |
| पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)  |  |
| शेयरों की संख्या   |  |
| फोलियो सं.<br>(भौतिक रूप में होल्डिंग हेतु)                              |  |
| डीपी आईडी / ग्राहक आई.डी. संख्या<br>(इलेक्ट्रॉनिक रूप में होल्डिंग हेतु) |  |
| उपस्थित शेयरधारक/ प्रॉक्सी /<br>प्रतिनिधि के हस्ताक्षर                   |  |

**टिप्पणी :**

1. बैठक में भाग लेने के इच्छुक सदस्य/प्रॉक्सी धारक अपने साथ उपस्थिति पर्ची अवश्य लेकर आएँ और इसे विधिवत रूप से भरकर तथा हस्ताक्षर करके प्रवेश द्वार पर सुपुर्द कर दें.
2. बैठक में भाग लेने के इच्छुक सदस्य / प्रॉक्सी धारक को, बैठक में संदर्भ हेतु अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अपने साथ लेकर आनी चाहिए.

### प्रवेश पत्र

(बैठक की समस्त कार्यवाही के दौरान अपने पास रखें)

|   |  |
|---|--|
| फोलियो सं.<br>(भौतिक रूप में होल्डिंग हेतु)                       |  |
| डीपी आईडी / ग्राहक आई.डी.<br>(इलेक्ट्रॉनिक रूप में होल्डिंग हेतु) |  |
| पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)                                     |  |
| शेयरों की संख्या  |  |

**टिप्पणी :**

1. शेयरधारकों/प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक स्थल पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप यथाविधि हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची और प्रवेशपत्र एक साथ प्रस्तुत करें.
2. तथापि, प्रवेश की अनुमति, सत्यापन / जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, के अधीन होगी.
3. किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.



## ATTENDANCE SLIP

### 15<sup>th</sup> Annual General Meeting

|  |  |
|--|--|
| Date   | Monday, 4 <sup>th</sup> July 2011  |
| Place  | Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan,<br>Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008)<br>T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony,<br>Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 |
| Full Name (In Block Letters)                                     |  |
| No of Shares   |  |
| Folio No. (for holding in physical form)                         |  |
| DP ID / Client ID No.<br>(for holding in electronic form)        |  |
| Signature of the Shareholder /<br>Proxy / Representative present |  |

Notes:

1. Member / proxy holder wishing to attend the meeting must bring the attendance slip to the meeting and hand it over at the entrance duly filled-in and signed.
2. Member / proxy holder wishing to attend the meeting should bring his/her copy of the Annual Report for reference at the meeting.

### ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

|   |  |
|---|--|
| Folio No.<br>(for holding in physical form)               |  |
| DP ID / Client ID No.<br>(for holding in electronic form) |  |
| Full Name (In Block Letters)                              |  |
| No. of Shares   |  |

Notes:

1. Shareholders / proxy or representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly filled in and signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank/RTA, along with the entry pass, for admission to the venue.
2. The admission will, however, be subject to verification / checks, as may be deemed necessary.
3. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

### बैंक ऑफ़ बड़ौदा

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन)

इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ईसीएस अधिदेश

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में होल्डिंग हेतु) :  
डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक रूप में होल्डिंग हेतु) :
4. बैंक खाते का विवरण :  
क. बैंक का नाम :  
ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :  
ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :  
घ. खाते का स्वरूप (कृपया टिक करें) : बचत बैंक  चालू  नकद उधार   
(बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-उधार खाता)  
ङ. बैंक खाते की लेजर फोलियो संख्या :  
(यदि चेक बुक पर अंकित किया जा रहा हो)  
च. बैंक द्वारा जारी माइक्रो चेक में मुद्रित :  
बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड सं. :
5. कृपया पहचान के प्रमाण स्वरूप अपने पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति तथा कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी / कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें

### घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अपूर्ण जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान :

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

### टिप्पणी :

1. यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अद्यतन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने प्रतिभागी डिपॉजिटरी को प्रस्तुत करें.
2. यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500 081 अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 के पते पर भेज दें.

**BANK OF BARODA**

Electronic Clearing Service (Credit Clearing)  
ECS Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) :
2. Address :
3. Shareholder's Folio number (for holding in physical form)  
D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form) :
4. Particulars of Bank Account :
  - A. Bank Name
  - B. Branch Name & City Pin Code :
  - C. Account No.  
(as appearing on the cheque book) :
  - D. Account Type (please Tick) :  
(SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c) : SB  Current  Cash Credit
  - E. Ledger Folio number of Bank Account  
(if appearing on the cheque book) :
  - F. 9 Digit Code No. of the Bank &  
Branch appearing on the MICR  
Cheque issued by the Bank :
5. Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers.

**DECLARATION**

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place:

Date:

Signature of the First Holder

Note:

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Dept. 1st Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.







### पुरस्कार एवं सम्मान / Awards and Accolades



बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा "द बैंकर ऑफ द ईयर-2010" पुरस्कार.  
"The Banker of the Year - 2010" Award by Business Standard.



फाइनेन्सियल एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक-2010 (रैंक-11)  
Best Public Sector Bank 2010 (Rank-II) by Financial Express Group.



दैनिक भास्कर ग्रुप (डीएनए) द्वारा इंडिया प्राइड एवार्ड - फाइनेन्सियल सर्विसेस 2010 (सिल्वर)  
"India Pride Award - Financial Services 2010 (Silver)" by Dainik Bhaskar Group (DNA).



बिजनेस इंडिया बेस्ट बैंक एवार्ड-2010  
Business India Best Bank Award 2010.



भारतीय बैंक संघ द्वारा बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक एवार्ड 2010 (रनर अप)  
Best Technology Bank Award 2010 (Runner Up) by IBA.

### हितधारक को लाभांश / Dividend to Stakeholder



वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए भारत सरकार को लाभांश का भुगतान  
Payment of Dividend to Govt. of India for Financial Year 2009-10



**बैंक ऑफ़ बड़ौदा**  
**Bank of Baroda**

*India's International Bank*

